

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का
राजस्व क्षेत्र पर प्रतिवेदन

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए



मध्यप्रदेश शासन
वर्ष 2016 का प्रतिवेदन संख्या 5

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का
राजस्व क्षेत्र पर प्रतिवेदन

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

मध्यप्रदेश शासन
वर्ष 2016 का प्रतिवेदन संख्या 5

विषय-सूची

कंडिका	विवरण	पृष्ठ
	प्रस्तावना	v
	विहंगावलोकन	vii-xii
अध्याय-1 : सामान्य		
1.1	राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1
1.2	राजस्व के बकाया का विश्लेषण	5
1.3	निर्धारण का बकाया	6
1.4	विभाग द्वारा पकड़े गये कर अपवंचन	7
1.5	वापसियों के लंबित प्रकरण	7
1.6	लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभागों की प्रतिक्रिया	8
1.7	लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मुद्दों के निराकरण हेतु प्रणाली	10
1.8	लेखापरीक्षा योजना	13
1.9	लेखापरीक्षा परिणाम	14
1.10	यह प्रतिवेदन	14
अध्याय-2 : मुद्रांक एवं पंजीयन फीस		
2.1	कर प्रशासन	15
2.2	आंतरिक लेखापरीक्षा	15
2.3	लेखापरीक्षा के परिणाम	15
2.4	“ई-पंजीयन (संपदा)” पर सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा	17
2.5	उप पंजीयकों द्वारा संदर्भित प्रकरणों के निराकरण में विलम्ब	47
2.6	बाजार मूल्य का गलत निर्धारण	48
2.7	बंधक विलेखों का पंजीयन न होना	48
2.8	पट्टा विलेखों पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण	49
2.9	मुखत्यारनामा के विलेखों पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण	50
2.10	विकास/निर्माण अनुबंध पर मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस का कम आरोपण	51
2.11	मोबाइल टॉवर के पट्टा विलेखों का पंजीयन न होने के फलस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण	52
2.12	विलेखों के गलत वर्गीकरण से मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण	52
2.13	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस में दी गयी छूट की प्रतिपूर्ति	53

कंडिका	विवरण	पृष्ठ
	नहीं की गयी	
2.14	हक विलेख के निक्षेप के अनुबंध/अनुबंध का ज्ञापन, पर मुद्रांक शुल्क का कम आरोपण	54
2.15	खनिज पट्टों के नवीनीकरण में बाजार मूल्य के कम आंकलन के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम प्राप्ति	55
2.16	विलेखों में शुल्क को प्रभावित करने वाले तथ्यों का उल्लेख न करने से मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण	56
अध्याय-3 : वाणिज्यिक कर		
3.1	आंतरिक लेखापरीक्षा	57
3.2	लेखापरीक्षा के परिणाम	57
3.3	मध्यप्रदेश वैट अधिनियम 2002 की धारा 46 के अन्तर्गत अपील एवं रिमाण्ड प्रकरणों का निवर्तन	59
3.4	कर कटौती की अनियमित छूट	78
3.5	कर की गलत दर लगाया जाना	79
3.6	आगत कर की छूट	79
3.7	टर्नओवर का गलत निर्धारण	81
3.8	प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण/बिना घोषणा पत्र के छूट	82
3.9	शास्ति का अनारोपण	83
3.10	अनुबंधित कार्य हेतु क्रय की गई सामग्री पर कर का अनारोपण	84
3.11	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत कर का कम आरोपण/छूट अथवा रियायत की अनियमित स्वीकृति	85
3.12	विक्रय को त्रुटिपूर्ण तरीके से कर मुक्त अथवा कर चुका माना गया	86
3.13	प्रशमन के प्रकरणों में कटौती की अनियमित स्वीकृति एवं कर की गलत दर लगाया जाना	86
3.14	क्रय कर का अनारोपण	88
अध्याय-4 : विद्युत शुल्क		
4.1	लेखापरीक्षा के परिणाम	91
4.2	विद्युत शुल्क, फीस तथा उपकर का आरोपण एवं संग्रहण	92
अध्याय-5 : खनन प्राप्ति		
5.1	कर प्रशासन	113
5.2	आंतरिक लेखापरीक्षा	114

कंडिका	विवरण	पृष्ठ
5.3	लेखापरीक्षा परिणाम	114
5.4	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस पर छूट की वसूली नहीं किया जाना	116
5.5	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का अनारोपण/कम आरोपण	117
5.6	ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास कर का अनारोपण/कम वसूली होना	119
5.7	खनिपट्टों पर रॉयल्टी के विलंबित भुगतानों पर ब्याज की वसूली न होना/कम वसूली होना	120
5.8	उत्खनि पट्टे/खनि पट्टों के लिए अनिवार्य किराये की वसूली न होना/कम वसूली होना	121
5.9	व्यापारिक खदानों में संविदा राशि की वसूली न होना/कम वसूली होना	122
5.10	खनि पट्टे पर रॉयल्टी की कम वसूली	122
5.11	जारी किये गये अस्थायी अनुज्ञापत्र के विरुद्ध रॉयल्टी की वसूली न होना/कम वसूली होना	123
5.12	उत्खनि पट्टों पर अनिवार्य किराए के विलंबित भुगतानों पर ब्याज का अनारोपण	124
5.13	उत्खनि पट्टों पर रॉयल्टी की वसूली नहीं किया जाना/कम वसूली किया जाना	124
अध्याय – 6 राज्य उत्पाद शुल्क		
6.1	कर प्रशासन	127
6.2	आंतरिक लेखापरीक्षा	128
6.3	लेखापरीक्षा के परिणाम	128
6.4	लायसेंसियों द्वारा प्राप्त अनुज्ञापत्र पर परिवहन की गयी विदेशी मदिरा/बीयर के लिये आबकारी सत्यापन प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किये गये	130
6.5	पॉपी स्ट्रॉ के लायसेंसों पर लायसेंस शुल्क की कम वसूली	131
6.6	भाण्डागारों में अति लघु अपरचर टर्मिनल (वीसेट) संयोजना का संस्थापन न किये जाने पर शास्ति का आरोपण नहीं किया गया	132
6.7	भाण्डागारों एवं बाटलिंग इकाईयों में देशी मदिरा का निर्धारित न्यूनतम स्कन्ध बनाये रखने में विफल रहने पर शास्ति का अनारोपण	132
6.8	अधिक हानि/कमी पर शास्ति का अनारोपण	133
6.9	मदिरा के पुराने स्कंध पर मूल्य संवर्धन कर (वैट) वसूल ना किया जाना	135

कंडिका	विवरण	पृष्ठ
6.10	उच्चतम बोलीकर्ता का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करने से राजस्व की हानि	135
अध्याय-7 वाहनों पर कर		
7.1	कर प्रशासन	137
7.2	आंतरिक लेखापरीक्षा	138
7.3	लेखापरीक्षा के परिणाम	139
7.4	वाहन कर व शास्ति की प्राप्ति न होना	140
7.5	शैक्षणिक संस्था वाले वाहनों के लिए लागू दरों से निजी सेवा यानों पर कर का गलत आरोपण	141
7.6	मंजिली गाड़ी अनुज्ञा पत्र पर प्रचलित यानों पर यान कर व शास्ति का कम आरोपण	142
7.7	लोकसेवा यानों की बैठक क्षमता के त्रुटिपूर्ण आकलन के कारण यानकर का कम आरोपण	143
7.8	व्यापार शुल्क का आरोपण न किया जाना	143
7.9	विलम्ब से की गई कर की अदायगी पर शास्ति प्राप्त न होना	144
अध्याय-8 भू-राजस्व		
8.1	कर प्रशासन	145
8.2	आंतरिक लेखापरीक्षा	147
8.3	लेखापरीक्षा के परिणाम	147
8.4	व्यपवर्तन लगान एवं प्रीमियम पर पंचायत उपकर का अनारोपण	149
8.5	प्रक्रिया व्यय की वसूली न होना	149
8.6	व्यपवर्तित लगान एवं प्रीमियम का कम निर्धारण	150
परिशिष्ट		153-247
संक्षिप्त रूपों की शब्दावली		249

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में राजस्व क्षेत्र के राजस्व अर्जित करने वाले प्रमुख विभागों की प्राप्तियों एवं व्यय की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को सम्मिलित किया गया है जिसे नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के अधीन संपादित किया गया है।

इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण उल्लेखित हैं जो वर्ष 2015-16 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा के क्रम में देखे गये, साथ ही वे प्रकरण भी जो पूर्व के वर्षों में ध्यान में आये किंतु पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उन्हें प्रतिवेदित नहीं किया जा सका; वर्ष 2015-16 के आगे की अवधि के प्रकरण भी, जहाँ आवश्यक था, शामिल किये गये हैं।

लेखापरीक्षा का कार्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में एक सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा – “ई-पंजीयन (सम्पदा)” तथा दो लेखापरीक्षाओं “मध्यप्रदेश कर अधिनियम 2002 की धारा 46 के अंतर्गत अपील एवं रिमाण्ड प्रकरणों का निवर्तन” तथा “विद्युत शुल्क, फीस तथा उपकर का आरोपण एवं संग्रहण” सहित 52 कंडिकाएं सम्मिलित हैं जिनमें ₹ 970.62 करोड़ की राशि अंतर्निहित है। विभागों/शासन ने ₹ 183.88 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया है जिसमें से ₹ 2.50 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। कुछ मुख्य निष्कर्षों का उल्लेख नीचे किया गया है:

I. सामान्य

विगत वर्ष में ₹ 88,640.78 करोड़ के विरुद्ध, वर्ष के दौरान राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 1,05,510.60 करोड़ थीं। इस राशि का 46 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा कर राजस्व (₹ 40,240.43 करोड़) तथा कर-भिन्न राजस्व (₹ 8,568.80 करोड़) के रूप में वसूल किया गया। शेष 54 प्रतिशत भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों के राज्यांश (₹ 38,371.06 करोड़) तथा सहायक अनुदान (₹ 18,330.31 करोड़) के रूप में प्राप्त हुआ।

(कंडिका 1.1.1)

वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, मोटर वाहन कर, मुद्रांक एवं पंजीयन फीस, भू-राजस्व, खनन प्राप्तियाँ तथा विद्युत शुल्क की 396 इकाइयों के अभिलेखों की वर्ष 2015-16 के दौरान की गई नमूना जाँच में 6,45,050 प्रकरणों में ₹ 2,229.45 करोड़ के राजस्व के अवनिर्धारण/कम आरोपण/हानि का पता चला। संबंधित विभागों द्वारा 64,031 प्रकरणों में ₹ 868.37 करोड़ के कम आरोपण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया गया जो कि वर्ष 2015-16 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये थे। विभागों द्वारा इस वर्ष के लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर 7,403 प्रकरणों में ₹ 6.55 करोड़ की वसूली भी की गई।

(कंडिका 1.9)

II. मुद्रांक एवं पंजीयन फीस

सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा – “ई-पंजीयन (सम्पदा)” से पता चला कि :

विभाग अपनी स्वयं की सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सहायता टीम को विकसित नहीं कर सका, यद्यपि विभाग के कम्प्यूटरीकरण की परिकल्पना वर्ष 2000 में की गई थी।

(कंडिका 2.4.11.3)

सॉफ्टवेयर के विकास में असामान्य विलंब के बावजूद विभाग ने सॉफ्टवेयर विक्रेता पर ₹ 82.01 लाख की राशि की शास्ति नहीं लगायी।

(कंडिका 2.4.12.1)

विभाग ने विक्रेता द्वारा सॉफ्टवेयर में किए गए परिवर्तन के लिए सॉफ्टवेयर विक्रेता को ₹ 1.53 करोड़ का भुगतान किया था यद्यपि, यह कार्य की परिधि में था।

(कंडिका 2.4.12.3)

लेगेसी डेटा डिजिटाइज नहीं किया गया जैसा परिकल्पित था, जिसकी अनुपस्थिति से एक ही संपत्ति के बहुविध विक्रय की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

(कंडिका 2.4.12.4)

हार्डवेयर विक्रेता को एकीकरण और परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त किए बिना ₹ 3.73 करोड़ का भुगतान जारी किया गया था।

(कंडिका 2.4.13.1)

चार सौ तीन प्रकरणों में ₹ 4.08 करोड़ के ऋणात्मक खातों के बावजूद ई-स्टाम्प उत्पन्न किये गये थे और सेवा प्रदाताओं को कमीशन का भुगतान भी किया गया था।

(कंडिका 2.4.16.7)

संपदा प्रणाली में पर्यवेक्षी नियंत्रण के अभाव के परिणामस्वरूप ₹ 1.90 करोड़ के पंजीयन फीस और मुद्रांक शुल्क की कम वसूली हुई।

(कंडिका 2.4.16.8)

उपयोगकर्ताओं की शिकायतों और फीडबैक पर प्रतिक्रिया विलंबित थी। संपदा में प्राप्त 3,360 शिकायतों में से 2,534 अनिर्णीत रहीं। दो सौ चालीस अंतिम उपयोगकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं के बीच संपदा के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सेवाओं के लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान 142 उत्तरदाताओं में से 73 ने असंतोष व्यक्त किया।

(कंडिका 2.4.32)

ई-पंजीयन प्रणाली में ऐसा कोई तंत्र नहीं था जिसके अंतर्गत सेवा प्रदाता द्वारा किए गए ई-भुगतान के माध्यम से अथवा कोषालय के माध्यम से साइबर कोषालय की सभी प्राप्तियों का पुनर्मिलान किया जा सके।

(कंडिका 2.4.36)

उप पंजीयकों द्वारा संपत्ति के बाजार मूल्य निर्धारण हेतु मुद्रांक (जिला पंजीयक) को संदर्भित प्रकरणों का निराकरण समय पर नहीं किया गया, यद्यपि कलेक्टर द्वारा प्रकरणों के निराकरण के लिये निर्धारित तीन माह की अवधि समाप्त हो गई थी।

(कंडिका 2.5)

यद्यपि 297 विलेखों में संबंधित वर्ष की गाईडलाइन के अनुसार संपत्ति का बाजार मूल्य अधिक था, 42 उप पंजीयकों द्वारा ये विलेख संपत्तियों के बाजार मूल्य की सही गणना हेतु मुद्रांक कलेक्टर की ओर संदर्भित नहीं किये गये। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.89 करोड़ का मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस कम आरोपित किया गया।

(कंडिका 2.6)

कॉलोनाइजर द्वारा विकास कार्य करने के लिए प्रतिभूति के रूप में बंधक रखे गये भू-खण्डों का पंजीयन नहीं किया गया। इन भू-खण्डों पर अनुमानित विकास व्यय ₹ 54.24 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप अनुमानित विकास व्यय की लागत पर ₹ 97.41 लाख का मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस आरोपित नहीं किया गया।

(कंडिका 2.7)

III. वाणिज्यिक कर

मध्यप्रदेश वैट अधिनियम 2002 की धारा 46 के अन्तर्गत अपील एवं रिमाण्ड प्रकरणों का निवर्तन पर लेखापरीक्षा से पता चला कि :

कुल 6,229 प्रकरणों में, जिसमें कर राशि ₹ 434.17 करोड़ सम्मिलित थी, करदाता के पक्ष में आदेश पारित करने के पूर्व संबंधित निर्धारण प्राधिकारियों का अभिमत नहीं लिया गया।

(कंडिका 3.3.7.1)

दो सौ छप्पन प्रकरणों में अपीलीय प्राधिकारियों ने घोषणापत्रों या प्रमाणपत्रों को स्वीकार किया और राशि ₹ 19.92 करोड़ की राहत अपीलकर्ताओं को दी, यद्यपि निर्धारण और अपील नस्ती में घोषणापत्रों/प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने के लिये समय बढ़ाने हेतु आवेदन नहीं पाए गए थे।

(कंडिका 3.3.7.2)

अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा 12 व्यवसायियों के 30 प्रकरणों में राशि ₹ 1.08 करोड़ की शास्ति त्रुटिपूर्ण रीति से माफ की गई।

(कंडिका 3.3.7.3)

कुल 476 प्रकरणों में अपीलीय प्राधिकारियों ने अपीलकर्ता के पक्ष में ₹ 291.86 करोड़ के कर की राहत प्रदान की किंतु आयुक्त द्वारा यह पता लगाने के लिये कि द्वितीय अपील आवश्यकता नहीं थी, इन प्रकरणों की कोई संवीक्षा नहीं की गई।

(कंडिका 3.3.8)

ग्यारह कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा टर्नओवर निर्धारित करते समय विक्रय मूल्य में कर शामिल न होने पर भी कुल विक्रय राशि पर 11 व्यवसायियों के 12 प्रकरणों में कर की छूट दी गई। इस अनियमित छूट की स्वीकृति के परिणामस्वरूप ₹ 8.76 करोड़ के कर एवं ₹ 22.60 करोड़ की शास्ति का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 3.4)

बीस कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा 24 व्यवसायियों के 27 प्रकरणों में ₹ 75.29 करोड़ के टर्नओवर पर गलत दर से कर का आरोपण किये जाने के परिणामस्वरूप शास्ति ₹ 5.70 करोड़ सहित ₹ 11.23 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 3.5)

अट्ठाईस कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा 47 व्यवसायियों के 51 प्रकरणों में ₹ 6.76 करोड़ के आगत कर की छूट स्वीकृत की गई जो कि वैट अधिनियम के प्रावधानों एवं नियमों के अनुसार नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप शास्ति ₹ 3.56 करोड़ सहित ₹ 10.32 करोड़ के कर का कम संग्रहण हुआ।

(कंडिका 3.6.1)

चौत्तीस कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा 53 व्यवसायियों के 56 प्रकरणों में व्यवसायियों के अंकक्षित खाते/विक्रय सूची एवं सुसंगत अभिलेखों में दर्ज कर योग्य टर्नओवर के विरुद्ध राशि ₹ 51.63 करोड़ के कर के कम निर्धारण किये जाने के परिणामस्वरूप शास्ति ₹ 5.22 करोड़ तथा ब्याज ₹ 1.90 करोड़ सहित कुल राशि ₹ 10.24 करोड़ के कर का आरोपण नहीं किया जा सका।

(कंडिका 3.7)

छत्तीस कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा 58 व्यवसायियों के 59 प्रकरणों में लोहा एवं इस्पात, मशीनरी, एच.डी.पी.ई. शीट, टी.एम.टी. बार, कोयला, चूना पत्थर, टाइल्स इत्यादि, वस्तुओं के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर ₹ 184.43 करोड़ का प्रवेश कर या तो आरोपित नहीं किया गया था या गलत दर से आरोपित किया गया था अथवा व्यवसायियों से निर्धारित प्रोफार्मा में घोषणा-पत्र प्राप्त किये बिना प्रवेश कर की छूट दी गई। इसके परिणामस्वरूप शास्ति ₹ 2.01 करोड़ सहित ₹ 9.27 करोड़ के प्रवेश कर की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 3.8)

चार कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा चार व्यवसायियों के चार प्रकरणों में धारा 21 के अन्तर्गत वसूली योग्य शास्ति का आरोपण नहीं किया गया जबकि कर निर्धारण में त्रुटियों के लिए व्यवसायी उत्तरदायी था। इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 5.39 करोड़ के राजस्व का कम संग्रहण हुआ।

(कंडिका 3.9)

कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा टर्नओवर की त्रुटिपूर्ण गणना की गई व ठेकेदार द्वारा परियोजना में उपयोग हेतु क्रय की गई कुछ सामग्रियों पर कर आरोपित नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.48 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 3.10)

IV. विद्युत शुल्क

“विद्युत शुल्क, फीस तथा उपकर का आरोपण एवं संग्रहण” पर लेखापरीक्षा से पता चला कि :

ऊर्जा विकास उपकर की राशि ₹ 325.17 करोड़ का उपयोग उन प्रयोजनों में नहीं किया गया था जिसके लिये उपकर आरोपित किया था तथा विभाग ने ऊर्जा विकास उपकर की राशि ₹ 88.22 करोड़ को समय से विद्युत विकास निधि में स्थानांतरित नहीं किया था।

(कंडिका 4.2.9)

विभाग ने विद्युत वितरण कंपनियों के बकाया शेषों पर ब्याज ₹ 272.11 करोड़ आरोपित नहीं किया।

(कंडिका 4.2.10)

ओरियंट पेपर मिल्स लिमिटेड द्वारा विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट के लिए औपचारिक आवेदन किये बिना तथा छूट के लिए पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना विद्युत शुल्क के भुगतान से स्वतः छूट मान लिया गया। परिणामस्वरूप विद्युत शुल्क की राशि ₹ 51.79 करोड़ ब्याज सहित प्राप्त नहीं हो सकी।

(कंडिका 4.2.11)

शुल्क योग्य एवं शुल्क अयोग्य विद्युत ऊर्जा खपत के लिए अलग-अलग मीटर स्थापित नहीं गये थे परिणामतः विभाग को राशि ₹ 16 करोड़ के राजस्व की हानि हुई थी।

(कंडिका 4.2.12)

विभाग विद्युत संस्थापनाओं के वार्षिक निरीक्षण का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका, जिससे मध्यम तथा उच्चदाब विद्युत संस्थापनाओं की सुरक्षा जोखिम में थी। इसके अतिरिक्त निरीक्षण फीस की राशि ₹ 11.35 करोड़ भी अप्राप्त थी।

(कंडिका 4.2.13)

शुल्क की त्रुटिपूर्ण दर लगाये जाने के कारण उच्चदाब उपभोक्ताओं से विद्युत शुल्क ₹ 1.43 करोड़ की कम वसूली हुई।

(कंडिका 4.2.14)

V. खनन प्राप्तियाँ

पट्टेदार द्वारा आवंटित खदानों पर निर्धारित तिथि पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया गया जबकि उसके द्वारा राज्य शासन की औद्योगिक नीति के तहत मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस में छूट का लाभ लिया गया था। पट्टा आवंटन के अनुबन्ध पर

अनुबन्ध की शर्तों को पूर्ण न करने के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस पर दी गई छूट की राशि ₹ 9.46 करोड़ एवं उस पर देय ब्याज की राशि ₹ 8.08 करोड़, विभाग द्वारा वसूल नहीं की गई।

(कंडिका 5.4)

छ: जिला खनिज कार्यालयों में 22 खनि पट्टों/उत्खनि पट्टों के अनुबन्ध, असम्यक रूप से मुद्रांकित अनुबंध किये गये। इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 4.19 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का अनारोपण/कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 5.5.1)

एक जिला खनिज कार्यालय में विभागीय अनुदेशों के अनुसार संविदा धन की पूरी राशि पर मुद्रांक शुल्क का आरोपण करने के स्थान पर, तीन व्यापारिक खदानों के अनुबंध कम राशि के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किये गये, परिणामस्वरूप ₹ 7.66 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की वसूली नहीं हुई/कम वसूली हुई।

(कंडिका 5.5.2)

अवधि 2014-15 के लिए 10 जिला खनिज कार्यालयों में 99 खनि पट्टेदारों द्वारा देय ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास कर की भुगतान योग्य राशि ₹ 17.89 करोड़ के विरुद्ध ₹ 11.91 करोड़ का भुगतान किया गया। इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 5.98 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई।

(कंडिका 5.6)

छ: जिला खनिज कार्यालयों में पट्टेधारकों द्वारा रॉयल्टी के विलंबित भुगतानों पर विभाग द्वारा नियमों के प्रावधानों के अनुसार 18 खनि पट्टेधारकों पर ब्याज ₹ 5.67 करोड़ का आरोपण नहीं किया।

(कंडिका 5.7)

VI. राज्य उत्पाद शुल्क

तीन आबकारी कार्यालयों में, विदेशी मदिरा/बीयर के लाइसेंसधारियों द्वारा गंतव्य इकाई के प्रभारी अधिकारी से 175 परमिटों के आबकारी सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त कर, निर्यात/परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं किये गये। निर्यात/परिवहन की गई 7,93,797.56 प्रुफ लीटर विदेशी मदिरा एवं 3,87,165 बल्क लीटर बीयर जिसमें उत्पाद शुल्क की राशि ₹ 62.27 लाख, बीयर पर एवं ₹ 16.99 करोड़ मदिरा पर अंतर्निहित थी, के आबकारी सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किये गए।

(कंडिका 6.4)

दो आबकारी कार्यालयों में, 11 लाइसेंसधारियों ने 12 लाइसेंसों के माध्यम से, बिना लाइसेंस फीस दिये स्वापक पदार्थों का व्यापार किया। जिला कलेक्टर ने उनके लाइसेंसों का प्रतिसंहरण नहीं किया जो कि राजपत्रीय अधिसूचना के विरुद्ध था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 12.15 करोड़ की लाइसेंस फीस की कम वसूली हुई।

(कंडिका 6.5)

निविदा दस्तावेज के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मध्यप्रदेश के 51 जिलों के 107 भण्डागारों में अति लघु अपरचर टर्मिनल (वीसेट) संयोजन के प्रबंध नहीं किये गए। विभाग द्वारा भंडागारों पर राशि ₹ 6.05 करोड़ की शास्ति भी आरोपित नहीं की गई।

(कंडिका 6.6)

बाईस आबकारी कार्यालयों में देशी मदिरा लायसेंसधारियों द्वारा बोटल बंद देशी मदिरा का न्यूनतम स्कंध 48 देशी मदिरा भण्डागारों एवं छः बाटलिंग इकाईयों में नहीं रखा गया। लायसेंसधारियों द्वारा नियम विरुद्ध कार्य करने एवं नियमों का लगातार उल्लंघन करने पर राशि ₹ 2.76 करोड़ की शास्ति आरोपित नहीं की गई।

(कंडिका 6.7)

छः आबकारी कार्यालयों में, विदेशी मदिरा, बीयर तथा ई.एन.ए. के निर्यात/परिवहन के दौरान अनुमत्य सीमा से अधिक हानि विदेशी मदिरा के प्रकरण में 1,22,329.50 प्रूफ लीटर, बीयर के प्रकरण में 9,035.58 बल्क लीटर तथा ई.एन.ए. के प्रकरण में 15,940.79 प्रूफ लीटर हुई। इस अधिक हानि पर विभाग ने छः लाइसेंसियों पर ₹ 2.51 करोड़ की शास्ति आरोपित नहीं की।

(कंडिका 6.8)

पन्द्रह आबकारी कार्यालयों में वैट अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विभाग द्वारा देशी मदिरा के खुदरा व्यापारियों के 31 मार्च 2013 के अंतिम स्कंध जिसका विक्रय 1 अप्रैल 2013 या उसके पश्चात् किया गया, पर वैट की वसूली नहीं की गई। परिणामस्वरूप ₹ 45.25 करोड़ के अंतिम स्कंध पर वैट की राशि ₹ 2.26 करोड़ की वसूली नहीं की जा सकी।

(कंडिका 6.9)

उच्चतम बोली कर्ता की राशि ₹ 8,68,77,777 की उच्चतम बोली का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि वित्तीय बोली के साथ प्रस्तुत बयाना राशि का चैक निर्धारित राशि ₹ 72,39,814.75 से 75 पैसे कम था। इसके परिणामस्वरूप दुकानें, दूसरे उच्चतम बोली वाले को दी गई, जिसका प्रस्ताव उच्चतम बोली वाले से ₹ 67.65 लाख कम था।

(कंडिका 6.10)

VII. वाहनों पर कर

सत्ताईस कार्यालयों में आरक्षित यानों के रूप में रखे गये 4,031 लोक सेवा यानों, माल यानों, मेक्सी कैब यानों, मंजिली गाड़ियों, अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञापत्र पर प्रचालित लोक सेवा यानों तथा अर्थमूवर/हार्वेस्टर पर वाहन कर ₹ 13.09 करोड़ तथा शास्ति ₹ 9.14 करोड़ का भुगतान न तो वाहन स्वामियों द्वारा किया गया और न ही कराधान प्राधिकारियों द्वारा इसके माँग पत्र जारी किये गये पाये।

(कंडिका 7.4)

ग्यारह कार्यालयों में 155 निजी सेवा यानों के संबंध में वाहन कर त्रूटिपूर्ण ढंग से शैक्षणिक संस्था वाले वाहनों के लिए लागू दर से लगाया गया था। वाहन कर की त्रूटिपूर्ण दर का पता लगाने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.20 करोड़ के कम राजस्व की प्राप्ति हुई।

(कंडिका 7.5)

VIII. भू-राजस्व

ग्राम पंचायत क्षेत्रों में स्थित भूमि के व्यपवर्तन के 473 प्रकरणों में नौ कलेक्टर कार्यालयों एवं 12 तहसील कार्यालयों द्वारा भू-भाटक एवं प्रब्याजि पर पंचायत उपकर की मांग एवं आरोपण नहीं किये जाने के कारण शासन को ₹ 2.48 करोड़ से वंचित होना पड़ा।

(कंडिका 8.4)

विभाग ने वर्ष 2007-08 से 2015-16 के मध्य राजस्व वसूली प्रमाण पत्रों के विरुद्ध चार कलेक्टर कार्यालयों तथा 17 तहसील कार्यालयों द्वारा की गई ₹ 40.22 करोड़ की वसूली पर ₹ 1.14 करोड़ के प्रक्रिया व्यय की राशि की वसूली नहीं की गयी।

(कंडिका 8.5)

अध्याय – 1

सामान्य

अध्याय—1 सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2015-16 के दौरान मध्यप्रदेश शासन द्वारा वसूल किया गया कर एवं कर-भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान राज्यों को समानुदेशित विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध आगम में से राज्य का अंश एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के तदनुरूप आंकड़े तालिका 1.1 में दर्शाये गये हैं :

**तालिका 1.1
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति**


(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1.	राज्य शासन द्वारा वसूल किया गया राजस्व					
	• कर राजस्व	26,973.44	30,581.70	33,552.16	36,567.31	40,240.43
	• कर-भिन्न राजस्व	7,482.73	7,000.22	7,704.99	10,375.23	8,568.80
	योग	34,456.17	37,581.92	41,257.15	46,942.54	48,809.23
2.	भारत सरकार से प्राप्तियाँ					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध आगम में राज्य का अंश	18,219.14	20,805.16	22,715.27	24,106.80	38,371.06 ¹
	• सहायता अनुदान	9,928.77	12,040.20	11,776.82	17,591.44	18,330.31
	योग	28,147.91	32,845.36	34,492.09	41,698.24	56,701.37
3.	राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 तथा 2)	62,604.08	70,427.28	75,749.24	88,640.78	1,05,510.60
4.	3 से 1 का प्रतिशत	55	53	54	53	46

(स्रोत: मध्यप्रदेश शासन के वित्त लेखे)

चार्ट 1.1

राज्य शासन की राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2015-16 (₹ 1,05,510 करोड़)



¹ विस्तृत विवरण के लिए कृपया मध्यप्रदेश शासन के वर्ष 2015-16 के वित्त लेखे में विवरण पत्रक क्रमांक 14 "राजस्व का विस्तृत लेखा लघु शीर्षों से" का अवलोकन करें। शीर्ष "राज्यों को समनुदेशित निवल प्राप्तियों का अंश" के आंकड़ों, जो वित्त लेखे में क-कर राजस्व के अन्तर्गत लेखांकित हैं, एवं जिसमें मुख्य शीर्ष "0020-निगम कर, 0021-आय पर कर-निगम कर से भिन्न, 0032-सम्पत्ति कर, 0037-सीमा शुल्क, 0038-केन्द्रीय उत्पाद कर एवं 0044-सेवा कर" शामिल हैं, को राज्य द्वारा वसूल की गई राजस्व प्राप्तियों में से हटा दिया गया है और इस विवरण पत्रक में "विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश" में शामिल किया गया है।

उपरोक्त सारणी दर्शाती है कि वर्ष 2015-16 के दौरान, राज्य शासन द्वारा वसूल किया गया राजस्व कुल प्राप्तियों (₹ 48,809.23 करोड़) का 46 प्रतिशत था। वर्ष 2015-16 के दौरान प्राप्तियों का शेष 54 प्रतिशत भारत सरकार से प्राप्त हुआ।

1.1.2 तालिका 1.2 वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान वसूल किए गए कर राजस्व का विवरण प्रदर्शित करती है :

तालिका 1.2
वसूले गये कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)


क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2015-16 में वृद्धि (+)/ कमी (-) की तुलना का प्रतिशत	
		बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	2015-16 का बजट अनुमान	2014-15 की वास्तविक प्राप्तियाँ
1.	विक्रय, व्यापार आदि पर कर	<u>11830.00</u> 12516.73	<u>14000.00</u> 14856.30	<u>16500.00</u> 16649.85	<u>19500.00</u> 18135.96	<u>21300.00</u> 19806.15	(-) 7.01	(+) 9.21
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	<u>4050.00</u> 4316.49	<u>4800.00</u> 5078.06	<u>5750.00</u> 5907.39	<u>6730.00</u> 6695.54	<u>7800.00</u> 7922.84	(+) 1.57	(+) 18.33
3.	मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	<u>2000.00</u> 3284.46	<u>3200.00</u> 3944.24	<u>4000.00</u> 3400.00	<u>4000.00</u> 3892.77	<u>4700.00</u> 3867.69	(-) 17.71	(-) 0.64
4.	माल एवं यात्रियों पर कर	<u>1815.00</u> 2047.46	<u>2150.00</u> 2395.03	<u>2640.00</u> 2578.74	<u>2900.00</u> 2686.39	<u>3200.00</u> 3084.76	(-) 3.60	(+) 14.83
5.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	<u>1370.00</u> 1773.32	<u>1370.00</u> 1477.71	<u>1600.00</u> 1972.20	<u>2050.00</u> 2010.20	<u>2200.00</u> 2257.83	(+) 2.63	(+) 12.32
6.	वाहनों पर कर	<u>1285.00</u> 1357.12	<u>1400.00</u> 1531.25	<u>1650.00</u> 1598.93	<u>2000.00</u> 1823.84	<u>2300.00</u> 1933.57	(-) 15.93	(+) 6.02
7.	भू-राजस्व	<u>500.31</u> 279.06	<u>550.00</u> 443.59	<u>572.00</u> 366.23	<u>700.10</u> 243.10	<u>500.00</u> 276.86	(-) 44.63	(+) 13.89
8.	अन्य कर	<u>267.69</u> 1398.80	<u>842.00</u> 855.52	<u>670.00</u> 1078.82	<u>1109.50</u> 1079.51	<u>1447.68</u> 1090.73	(-) 24.66	(+) 1.04
योग		<u>23118.00</u> 26973.44	<u>28312.00</u> 30581.70	<u>33382.00</u> 33552.16	<u>38989.60</u> 36567.31	<u>43447.68</u> 40240.43		

(स्रोत : मध्यप्रदेश शासन के वित्त लेखे एवं बजट अनुमान)

चार्ट 1.2

(₹ करोड़ में)

वर्ष 2015-16 के दौरान कर राजस्व (₹ 40,240.43 करोड़)



तालिका 1.2 में देखा जा सकता है कि वर्ष 2015-16 के दौरान बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों के मध्य (+) 2.63 एवं (-) 44.63 प्रतिशत की भिन्नता थी। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में राजस्व के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियों में (-) 0.64 तथा (+) 18.33 प्रतिशत तक की भिन्नता थी।

सम्बन्धित विभागों द्वारा भिन्नता के निम्नलिखित कारण प्रतिवेदित किये गये :

राज्य उत्पाद शुल्क : वर्ष 2014-15 की वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में वृद्धि (18.33 प्रतिशत) मुख्यतः निविदाओं के आरक्षित मूल्य में वृद्धि के फलस्वरूप हुई।

मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क : वर्ष 2015-16 के बजट अनुमानों की तुलना में कमी (17.71 प्रतिशत) मुख्यतः पंजीयन अभिलेखों की संख्या में कमी तथा आर्थिक मंदी थी।

वाहनों पर कर : वर्ष 2014-15 की वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में वृद्धि (14.83 प्रतिशत) मुख्यतः "मोटर वाहनों पर कराधान से प्राप्तियाँ" के अंतर्गत हुई।

भू-राजस्व : वर्ष 2014-15 के राजस्व संग्रहण की तुलना में इस शीर्ष के अंतर्गत 13.89 प्रतिशत अधिक राजस्व संग्रहित किया गया था, किन्तु यह बजट अनुमानों से 44.63 प्रतिशत कम था। वर्ष 2015-16 में वृद्धि मुख्यतः राजस्व वसूली में वृद्धि के कारण हुई। तथापि, बजट अनुमानों की तुलना में राजस्व संग्रह में कमी के लिए विभाग की ओर से कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की गई।

1.1.3 वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान वसूल किए गए प्रमुख कर-भिन्न राजस्व के विवरण तालिका 1.3 में दर्शाये गये हैं:

तालिका 1.3
वसूले गये कर-भिन्न राजस्व के विवरण


क्र. सं.	राजस्व शीर्ष						(₹ करोड़ में)	
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2015-16 में वृद्धि (+)/कमी (-) की तुलना का प्रतिशत	
		बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	2015-16 का बजट अनुमान	2014-15 की वास्तविक प्राप्तियाँ
1.	अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	2540.00 2038.31	2300.00 2443.39	2220.00 2306.17	2500.00 2813.66	3200.00 3059.64	(-) 4.39	(+) 8.74
2.	ब्याज प्राप्तियाँ	166.90 1571.41	202.00 301.47	204.15 317.85	1133.60 1260.65	383.37 429.47	(+) 12.11	(-) 65.93
3.	वानिकी एवं वन्य जीवन	1027.32 878.81	969.04 910.38	1100.00 1036.80	1250.23 968.77	1250.31 1001.71	(-) 19.88	(+) 3.40
4.	लोक निर्माण	55.54 47.92	63.55 33.22	38.49 46.92	49.50 50.82	50.76 65.71	(+) 29.45	(+) 29.30
5.	विविध सामान्य सेवाएँ	22.07 145.44	19.88 30.40	16.95 33.69	17.48 222.37	34.07 871.22	(+) 2457.15	(+) 291.79
6.	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	117.50 106.05	93.49 239.15	184.40 380.22	165.50 140.21	182.14 147.01	(-) 19.29	(+) 4.85
7.	पुलिस	85.00 63.19	100.00 83.59	107.04 71.92	100.00 93.50	160.00 111.50	(-) 30.31	(+) 19.25
8.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	40.11 30.16	21.00 44.83	46.65 57.76	56.25 120.16	101.56 121.04	(+) 19.18	(+) 0.73
9.	सहकारिता	9.01 11.65	9.59 13.02	10.06 12.24	9.97 16.58	10.02 10.75	(+) 7.29	(-) 35.16
10.	वृहद एवं मध्यम सिंचाई	90.44 263.15	96.18 137.74	116.86 138.48	120.09 137.55	186.08 156.16	(-) 16.08	(+) 13.52
11.	अन्य कर-भिन्न प्राप्तियाँ	1845.11 2326.64	3452.27 2763.03	3538.40 3302.94	1356.27 4550.96	4565.97 2594.59	(-) 43.18	(-) 42.99
योग		5999.00 7482.73	7327.00 7000.22	7583.00 7704.99	6758.89 10375.23	10123.98 8568.80		

(स्रोत : मध्यप्रदेश शासन के वित्त लेखे एवं बजट अनुमान)

चार्ट 1.3

(₹ करोड़ में)

वर्ष 2015-16 के दौरान कर भिन्न राजस्व (₹ 8,568 करोड़)



तालिका 1.3 में देखा जा सकता है कि वर्ष 2015-16 में बजट अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियों में (-) 43.18 से (+) 2457.15 प्रतिशत की भिन्नता थी। इसके अतिरिक्त वर्ष 2014-15 एवं 2015-2016 कर के विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत वास्तविक प्राप्तियों में (-) 65.93 प्रतिशत से (+) 291.79 प्रतिशत की भिन्नता थी।

ब्याज प्राप्तियाँ : वर्ष 2014-15 की वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में कमी (65.93 प्रतिशत) का मुख्य कारण "सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों से ब्याज" के अंतर्गत प्राप्तियों में कमी था।

विविध सामान्य सेवायें : वर्ष 2014-15 की वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में वृद्धि (291.79 प्रतिशत) का मुख्य कारण "अदावाकृत जमा राशि" एवं "अन्य प्राप्तियाँ" के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि था।

पुलिस : विगत वर्ष की तुलना में राजस्व में 19.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी जबकि बजट अनुमानों के विरुद्ध प्राप्तियों में 30.31 प्रतिशत की कमी रही। वृद्धि का मुख्य कारण "अन्य सरकारों एवं अन्य पक्षों को भेजी गई पुलिस एवं शुल्क, जुर्माना तथा जप्तियाँ" के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि थे।

1.2 राजस्व के बकाया का विश्लेषण

राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों में 31 मार्च 2016 को बकाया राजस्व की राशि ₹ 1,457.06 करोड़ थी जिसमें से ₹ 566.64 करोड़ की राशि तालिका 1.4 में दिए गए विवरण के अनुसार पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थी :

तालिका 1.4
बकाया राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2015 को बकाया कुल राशि	31 मार्च 2016 को बकाया कुल राशि	31 मार्च 2016 को पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	विभाग के प्रत्युत्तर
1.	विक्रय, व्यापार आदि पर कर	603.91	936.91	382.99	अनुरोध किये जाने के पश्चात् भी (मई एवं जुलाई 2016) बकाया की वसूली किस स्तर पर लम्बित है इसकी कोई सूचना नहीं दी गई।
2.	आबकारी	76.64	158.27	87.16	₹ 13.16 करोड़ की वसूली माननीय न्यायालय के स्थगन के कारण तथा ₹ 45.89 करोड़ राशि की वसूली न हो पाने से वसूली अयोग्य मानते हुए अपलेखन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है। विभाग ने शेष बकाया के बारे में जानकारी नहीं दी।
3.	मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	168.92	190.60	69.73	अनुरोध किये जाने के पश्चात् भी (मई एवं जुलाई 2016) बकाया की वसूली किस स्तर पर लम्बित है इसकी कोई सूचना नहीं दी गई।
4.	अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	10.32	13.33	प्रस्तुत नहीं	अनुरोध किये जाने के पश्चात् भी (मई एवं जुलाई 2016) बकाया की वसूली किस स्तर पर लम्बित है इसकी कोई सूचना नहीं दी गई।
5.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	156.96	157.95	26.76	वसूली योग्य बकाया राशि ₹ 126.95 करोड़ के आर.आर.सी. जारी नहीं किए गये थे। ₹ 9.63 करोड़ की वसूली माननीय न्यायालय में प्रकरण होने के कारण तथा

					₹ 28 लाख विभागीय प्राधिकारियों के साथ लंबित थी। ₹ 3.67 करोड़ बीमार कपड़ा मिलों तथा ₹ 17.41 करोड़ अन्य लंबित थे।
	योग	1,016.75	1,457.06	566.64	

तालिका 1.4 से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2015-16 में विक्रय, व्यापार आदि पर कर के बकाया राजस्व में 55.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इसी प्रकार आबकारी विभाग में वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2015-16 के बकाया में 106.51 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

1.3 निर्धारण का बकाया

प्रत्येक वर्ष से सम्बंधित विक्रय कर, वृत्ति कर, प्रवेश कर, विलासिता कर, तथा निर्माण संविदाओं पर कर के सम्बंध में, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गये वर्ष के प्रारम्भ में निर्धारण हेतु लंबित प्रकरण, वर्ष के दौरान निर्धारण योग्य हो चुके अतिरिक्त प्रकरण, वर्ष के दौरान निराकृत किए गये प्रकरण तथा वर्ष के अंत में निराकरण हेतु लंबित प्रकरणों की संख्या का विवरण तालिका 1.5 में वर्णित है :

तालिका 1.5
निर्धारण का बकाया

राजस्व शीर्ष	वर्ष	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान निर्धारण किए जाने योग्य नये प्रकरण	निर्धारण के लिए शेष कुल प्रकरण	वर्ष के दौरान निराकृत किये गये प्रकरण	वर्ष के अंत में शेष प्रकरण	कालम 5 से 6 का प्रतिशत
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	2013-14	1,20,111	2,78,856	3,98,967	2,30,404	1,68,563	57.75
	2014-15	1,68,563	3,42,803	5,11,366	3,42,242	1,69,124	66.93
	2015-16	1,69,124	3,74,074	5,43,198	3,55,804	1,87,391	65.50
वृत्ति कर	2013-14	47,174	96,790	1,43,964	89,473	54,491	62.15
	2014-15	54,491	89,140	1,43,631	1,03,005	40,626	71.72
	2015-16	40,626	1,25,589	1,66,215	1,18,675	47,540	71.40
प्रवेश कर	2013-14	91,117	2,28,794	3,19,911	1,87,253	1,32,658	58.53
	2014-15	1,32,658	3,06,952	4,39,610	2,89,572	1,50,038	65.87
	2015-16	1,50,038	3,30,879	4,80,917	3,14,572	1,66,345	65.41
विलासिता कर	2013-14	886	1,517	2,403	1,256	1,147	52.27
	2014-15	1,147	1,831	2,978	2,037	941	68.40
	2015-16	941	1,991	2,932	2,022	910	68.96
निर्माण संविदाओं पर कर	2013-14	3,686	7,793	11,479	5,192	6,287	45.23
	2014-15	6,287	12,724	19,011	9,164	9,847	48.20
	2015-16	9,847	14,773	24,620	14,513	10,107	58.95

तालिका 1.5 में देखा जा सकता है कि वर्ष 2015-16 में वाणिज्य कर/वैट, प्रवेश कर और विलासिता कर के निर्धारण संबंधी प्रकरणों के निराकरण में गत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई तथापि बड़ी संख्या में प्रकरण निराकरण हेतु लंबित थे।

1.4 विभाग द्वारा पकड़े गये कर अपवंचन

वाणिज्यिक कर विभाग, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग एवं खनिज विभाग द्वारा पकड़े गये कर अपवंचन के प्रकरण, अंतिम रूप दिये गये प्रकरण तथा अतिरिक्त कर के लिये जारी की गई मांगों का विवरण तालिका 1.6 में दिया गया है:

तालिका 1.6
कर अपवंचन

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2015 को लंबित प्रकरण	2015-16 के दौरान पकड़े गये प्रकरण	योग	उन प्रकरणों की संख्या जिनमें निर्धारण/जांच पूर्ण हो चुकी थी तथा शास्ति आदि सहित अतिरिक्त मांग सृजित की गई		31 मार्च 2016 को लंबित प्रकरणों की संख्या
					प्रकरणों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
1.	विक्रय, व्यापार आदि पर कर एवं प्रवेश कर	340	354	694	333	677.09	361
2.	मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	15,244	14,773	30,017	11,403	69.79	18,614
3.	खनिज प्राप्तियाँ	722	13,314	14,036	12,191	4,853.86	1,845
	योग	16,306	28,441	44,747	23,927	5600.74	20,820

उपरोक्त तालिका 1.6 से देखा जा सकता है कि वर्ष के अंत में मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क में लंबित प्रकरणों की संख्या अधिक है।

1.5 वापसियों के लंबित प्रकरण

विभागों द्वारा प्रतिवेदित जानकारी के अनुसार वर्ष 2015-16 के प्रारंभ में वापसियों से सम्बंधित लंबित प्रकरणों, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान अनुमत्य वापसियों तथा वर्ष 2015-16 के अंत में लंबित प्रकरणों की संख्या का उल्लेख तालिका 1.7 में किया गया है :

तालिका 1.7
वापसियों के लंबित प्रकरणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	विक्रय, व्यापार इत्यादि पर कर		मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क		राज्य उत्पाद शुल्क		विद्युत पर कर एवं शुल्क	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के प्रारंभ में लंबित दावे	619	137.77	1,605	7.81	10	0.19	174	7.36
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	7,635	1,879.07	3,180	19.79	9	0.26	26	1.89
3.	वर्ष के दौरान की गई वापसियाँ	7,189	1,871.80	3,444	10.35	14	0.39	23	1.74
4.	वर्ष के अंत में बकाया शेष	1,065	145.04	1,341	17.25	5	0.06	175	7.40
5.	वापसी का प्रतिशत (3 से 1+2)	87.10	92.81	71.97	37.50	73.68	86.67	11.5	18.81

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि ऊर्जा विभाग में वापसी जारी करने की गति अत्यधिक धीमी थी।

1.6 लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभागों की प्रतिक्रिया

महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), मध्यप्रदेश शासन द्वारा लेन-देन की नमूना जाँच तथा नियमों एवं प्रक्रियाओं में निर्दिष्ट महत्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों के संधारण का सत्यापन करने हेतु शासकीय विभागों का आवधिक निरीक्षण किया जाता है। इन निरीक्षणों के पश्चात् निरीक्षण प्रतिवेदन, जिनमें निरीक्षण के दौरान पायी गयीं एवं स्थल पर अनिराकृत अनियमितताएं सम्मिलित रहती हैं, जिन्हे निरीक्षित कार्यालयों के प्रमुखों को जारी किया जाता है एवं त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही हेतु इनकी प्रतियाँ निकटतम उच्चतर प्राधिकारियों को प्रेषित की जाती हैं। कार्यालय प्रमुखों/शासन से निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रेक्षणों पर त्वरित अनुपालन, कमियों एवं चूकों का सुधार तथा निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्राप्त होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर आरम्भिक उत्तर के माध्यम से महालेखाकार को अनुपालन प्रतिवेदित किया जाना अपेक्षित है। गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं विभागों के प्रमुखों तथा शासन को प्रतिवेदित की जाती हैं।

दिसम्बर 2015 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण में पाया की 4,452 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 19,563 कंडिकाएं, जिनमें राशि ₹ 10,395.37 करोड़ अन्तर्निहित थी, जून 2016 के अन्त तक लम्बित थीं, जैसा कि पूर्ववर्ती दो वर्षों के तदनुरूप आंकड़ों सहित तालिका 1.8 में दर्शाया गया है :

तालिका 1.8
लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

	जून 2014	जून 2015	जून 2016
निपटान हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	3,757	4,273	4,452
लंबित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	16,280	18,181	19,563
अन्तर्निहित राजस्व की राशि (₹ करोड़ में)	7,520.60	8,450.35	10,395.37

1.6.1 30 जून 2016 को लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा प्रेक्षणों तथा अंतर्निहित राशियों का विभागवार विवरण तालिका 1.9 में दर्शाया गया है :

तालिका 1.9
निरीक्षण प्रतिवेदनों का विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	अंतर्निहित राशि
1.	वित्त	विक्रय, व्यापार आदि पर कर	1,308	7,136	2,098.40
2.	ऊर्जा	विद्युत पर कर एवं शुल्क	73	251	682.45
3.	आबकारी	राज्य उत्पाद शुल्क	323	1,282	1,218.92
4.	राजस्व	भू-राजस्व	1,296	4,313	3,281.99
5.	परिवहन	वाहनों पर कर	498	2,961	432.56
6.	पंजीयन एवं मुद्रांक	मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	647	2,153	697.55
7.	खनन एवं भौमिकी	अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	307	1,467	1,983.50
योग			4,452	19,563	10,395.37

वर्ष 2015-16 के दौरान जारी 193 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर भी कार्यालय प्रमुखों से लेखापरीक्षा को प्राप्त नहीं हुए थे। उत्तरों की अप्राप्ति के कारण लम्बित

निरीक्षण प्रतिवेदनों की बड़ी संख्या इस तथ्य का द्योतक है कि कार्यालय प्रमुख एवं विभाग प्रमुख द्वारा, महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित की गयी कमियों, चूकों एवं अनियमितताओं के सुधार हेतु कार्रवाई आरम्भ नहीं की गई है।

1.6.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों की कंडिकाओं के निराकरण की प्रगति पर निगरानी रखने एवं उन पर शीघ्र कार्रवाई करने हेतु शासन लेखापरीक्षा समितियां गठित करता है। वर्ष 2015-16 में लेखापरीक्षा समिति की कोई बैठक आहूत नहीं की गयी।

यह अनुशंसा की जाती है कि शासन द्वारा लम्बित कंडिकाओं के प्रभावी एवं त्वरित निराकरण के लिए सभी विभागों द्वारा अधिक लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का आयोजन सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

1.6.3 संवीक्षा हेतु लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना

कर राजस्व/कर-भिन्न राजस्व कार्यालयों की स्थानीय लेखापरीक्षा का कार्यक्रम पर्याप्त रूप से अग्रिम में तैयार किया जाता है तथा इसकी सूचना, सामान्यतः लेखापरीक्षा आरम्भ होने से एक माह पहले, विभागों को जारी की जाती है जिससे कि वे लेखापरीक्षा जाँच हेतु वांछित अभिलेख तैयार रख सकें।

वर्ष 2015-16 के दौरान, कुल 2,659 कर निर्धारण नस्त्रियाँ, पंजियां एवं अन्य सम्बद्ध अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए। सभी प्रकरणों में कर राशि की गणना नहीं की जा सकी। इस प्रकार के प्रकरणों का विभागवार विवरण तालिका 1.10 दिया गया है:

तालिका 1.10
अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने का विवरण

विभाग का नाम	वर्ष जिसमें लेखापरीक्षित किया जाना था	लेखापरीक्षित नहीं हुए प्रकरणों की संख्या
भू-राजस्व	2015-16	21
उत्पाद शुल्क	2015-16	857
वाणिज्यिक कर	2015-16	1,780
पंजीयन एवं मुद्रांक	2015-16	1
योग		2,659

1.6.4 प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर विभागों का प्रत्युत्तर

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाएं महालेखाकार द्वारा सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने एवं छः सप्ताह के भीतर अपने प्रत्युत्तर प्रेषित करने के अनुरोध के साथ जारी की गई। संबंधित विभाग के प्रमुखों के साथ एक बैठक भी आयोजित की गई जिसमें वाणिज्यिक कर विभाग को छोड़कर शेष सभी विभागों के उत्तर प्राप्त हुए। वाणिज्यिक कर विभाग ने बताया कि इन प्रकरणों पर विस्तृत उत्तर बाद में प्रस्तुत किये जायेंगे क्योंकि प्रत्येक प्रकरण को पुनः खोलकर प्रकरण की जाँच हेतु फिर से निर्धारण किया जाना था। उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त थे (अक्टूबर 2016)। बैठक के दौरान अन्य विभागों द्वारा दिये गये उत्तरों को विधिवत शामिल किया गया।

यह प्रतिवेदन जिसमें 49 कंडिकाएं, सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा "ई-पंजीयन (संपदा)" तथा दो लेखापरीक्षाये "मध्यप्रदेश वैट अधिनियम 2002 की धारा 46 के

अंतर्गत अपील एवं रिमांड मामलों का निवर्तन” व “विद्युत शुल्क, फीस तथा उपकर का आरोपण एवं संग्रहण” सम्मिलित थी, सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को अप्रैल तथा जुलाई 2016 के मध्य प्रेषित की गयी थीं। उर्जा विभाग द्वारा लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर अपना उत्तर प्रेषित किया गया जिसे विधिवत रूप से लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया। वाणिज्यिक कर तथा पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के प्रमुख सचिवों/सचिवों द्वारा सूचना प्राद्योगिकी प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा कंडिकाओं के उत्तर उन्हें अनुस्मारक जारी करने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए थे जिन्हें विभाग/शासन की प्रतिक्रिया के बिना ही प्रतिवेदन में शामिल किया गया है। यद्यपि, इस निष्पादन लेखापरीक्षा के निर्गम सम्मेलन के दौरान शासन से प्रत्युत्तर प्राप्त हुए हैं उन्हें प्रतिवेदन में उचित स्थान पर शामिल किया गया है।

1.6.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुवर्तन

उच्चाधिकार प्राप्त समिति² द्वारा की गई अनुशंसाओं के अनुसार, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित सभी कंडिकाओं पर विभाग द्वारा किए गए सुधारात्मक/उपचारात्मक उपायों पर स्वतः ही व्याख्यात्मक टिप्पणी महालेखाकार से विधिवत पुनरीक्षण करा कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के विधानसभा के पटल पर रखे जाने के तीन माह³ के भीतर लोक लेखा समिति को प्रस्तुत करना होता है।

राज्य राजस्व विभागों (वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, भू-राजस्व, मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क तथा खनन) की 57 कंडिकाओं से संबंधित विस्तृत टीप प्राप्त नहीं हुई (मार्च 2016)।

राज्य के विधायी मामलों के विभाग द्वारा जारी किये गये अनुदेशों (नवम्बर 1994) के अनुसार, लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर विस्तृत कार्यवाही प्रतिवेदन, लोक लेखा समिति द्वारा अनुशंसा किये जाने की तिथि के छः माह के भीतर जारी किये जाने चाहिये। इन प्रावधानों के बावजूद, प्रतिवेदनों की लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर कार्यवाही प्रतिवेदन अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किये जा रहे थे।

मध्यप्रदेश शासन के राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2011, 2012, 2013, 2014 तथा 2015 को समाप्त वर्ष के प्रतिवेदनों में सम्मिलित 219 कंडिकाएं राज्य विधान सभा के समक्ष मार्च 2011 से जुलाई 2015 के मध्य रखी गयीं। राज्य राजस्व विभागों (वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, भू-राजस्व, मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क तथा खनन) की 72 कंडिकाओं पर विस्तृत कार्यवाही प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुये (मार्च 2016)।

1.7 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दों के निराकरण हेतु प्रणाली

निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रमुखता से दर्शाये गये मुद्दों का विभागों/शासन द्वारा निराकरण करने की प्रणाली का विश्लेषण करने हेतु पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित **परिवहन विभाग** से सम्बन्धित कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर की गयी कार्यवाही का मूल्यांकन कर इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

अग्रलिखित कंडिकायें 1.7.1 से 1.7.3 पिछले 10 वर्षों के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा के क्रम में संसूचित प्रकरणों तथा वर्ष 2006-07 से 2015-16 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रकरणों के निराकरण में **परिवहन विभाग** के निष्पादन की विवेचना करती है।

² भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर समीक्षा एवं प्रतिक्रिया हेतु उच्चाधिकार प्राप्त समिति की नियुक्ति की जाती है। (शकधर समिति प्रतिवेदन)

³ ऐसी स्थिति में जब लेखापरीक्षा कंडिकाएं लोक लेखा समिति/COPU द्वारा इस अवधि में चयनित नहीं किये गये हों, स्वतः ही प्रत्युत्तर तीन माह के भीतर प्रस्तुत किये जाने चाहिए।

1.7.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

विगत 10 वर्षों के दौरान जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों, उनमें सम्मिलित कंडिकाओं तथा 31 मार्च 2016 को इनकी संक्षिप्त स्थिति तालिका 1.11 में दर्शाई गई है :

तालिका 1.11
परिवहन विभाग के निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष			वर्ष के दौरान शामिल			वर्ष के दौरान निराकरण			वर्ष के दौरान अंतिम शेष		
	नि. प्र.	कंडिकाएं	मौद्रिक मूल्य	नि. प्र.	कंडिकाएं	मौद्रिक मूल्य	नि. प्र.	कंडिकाएं	मौद्रिक मूल्य	नि. प्र.	कंडिकाएं	मौद्रिक मूल्य
2006-07	267	1425	272.13	29	177	29.70	5	142	31.75	291	1460	270.08
2007-08	291	1460	270.08	22	148	24.13	7	67	15.56	306	1541	279.37
2008-09	306	1541	279.37	28	164	19.72	7	65	20.08	327	1640	279.01
2009-10	327	1640	279.01	29	179	38.52	0	40	0.97	356	1779	316.49
2010-11	356	1779	316.49	26	153	11.37	0	16	1.38	382	1916	326.55
2011-12	382	1916	326.55	13	85	7.94	0	11	2.00	395	1990	332.49
2012-13	395	1990	332.49	36	303	30.78	0	8	0.01	431	2285	363.26
2013-14	431	2285	363.26	21	209	19.94	1	15	0.38	451	2479	382.82
2014-15	451	2479	382.82	25	314	23.58	0	12	1.05	476	2781	405.35
2015-16	476	2781	405.35	25	237	37.03	0	9	0.02	501	3009	442.36

शासन द्वारा विभागीय समिति एवं महालेखाकार कार्यालय के मध्य पुरानी कंडिकाओं के निराकरण के लिये तदर्थ समिति की बैठक की व्यवस्था की जाती है। उपरोक्त तालिका से अवलोकित किया जा सकता है कि 2006-07 के प्रारम्भ में 267 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 1,425 कंडिकाएं लम्बित थी, वर्ष 2015-16 के अंत तक लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या बढ़कर 501 एवं कंडिकाओं की संख्या 3,009 हो गयी। लंबित कंडिकाओं की संख्या में बढ़ोत्तरी इस तथ्य का द्योतक है कि विभाग द्वारा लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कंडिकाओं के निराकरण के पर्याप्त प्रयास नहीं किये गये।

1.7.2 स्वीकृत प्रकरणों में वसूली

पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कंडिकाओं, इनमें से विभाग द्वारा स्वीकृत कंडिकाओं तथा विभाग द्वारा प्रतिवेदित वसूल की गयी राशि की स्थिति तालिका 1.12 में दर्शाई गई है:

तालिका 1.12
स्वीकृत प्रकरणों में वसूली

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं का मौद्रिक मूल्य	स्वीकृत कंडिकाओं की संख्या	स्वीकृत कंडिकाओं का मौद्रिक मूल्य	वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	31.03.2016 तक वसूल की गई राशि की संचयी स्थिति
2005-06	1 समीक्षा	11.84	2	3.10	0.92	1.25
2006-07	3+1 समीक्षा	5.39	1	5.05	0	0.02
2007-08	11	21.18	6	19.86	0.36	2.89
2008-09	7	20.22	6	18.45	0.64	3.38
2009-10	8	11.49	5	5.36	0.94	5.36

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं का मौद्रिक मूल्य	स्वीकृत कंडिकाओं की संख्या	स्वीकृत कंडिकाओं का मौद्रिक मूल्य	वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	31.03.2016 तक वसूल की गई राशि की संचयी स्थिति
2010-11	6.1 समीक्षा	10.49	4	9.52	0.79	2.39
2011-12	4	9.48	1	7.16	0.17	0.87
2012-13	7.1 समीक्षा	21.94	4	7.20	0.24	3.34
2013-14	4.1 समीक्षा	27.00	3	24.74	0.01	0.01
2014-15	3	9.48	0	0.00	0.00	0.00

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि अवधि 2010-11 से 2012-13 में वसूली में प्रगति सीमित थी। तथापि, अन्य वर्षों में स्वीकृत प्रकरणों में भी वसूली नगण्य/शून्य थी। स्वीकृत प्रकरणों में संबंधित पक्षों से वसूली के प्रयास बकाया की वसूली के रूप में किये जाने थे। स्वीकृत प्रकरणों में अनुसरण के लिए विभाग/शासन के पास कोई तंत्र उपलब्ध नहीं था।

1.7.3 विभागों/शासन द्वारा स्वीकार की गई अनुशंसाओं पर की गई कार्यवाही

महालेखाकार द्वारा निष्पादित कंडिकाओं के प्रारूप को संबंधित विभाग/शासन के पास उनकी सूचना के लिए, प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने के लिए अग्रेषित किया गया। इन कंडिकाओं पर निर्गम सम्मेलन में भी विचार विमर्श किया गया तथा इन्हें लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए अंतिम रूप देने के दौरान विभाग/शासन के विचार भी सम्मिलित किये गए।

परिवहन विभाग पर पिछले पांच वर्षों में निम्नलिखित आयोजित की गयी निष्पादन लेखापरीक्षा तथा उनकी अनुशंसाएं तालिका 1.13 में दी गई हैं:

तालिका 1.13
अनुशंसाओं पर अनुवर्ती कार्यवाही

प्रतिवेदन का वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा का नाम	अनुशंसाओं की संख्या	अनुशंसाओं का सारांश
2010-11	मोटर वाहन विभाग में कम्प्यूटरकरण	3	<ol style="list-style-type: none"> कार्य के नियमों जैसे मांग सूचना पत्र सृजित करना, कर के विलंबित भुगतान पर शास्ति आदि और अधिनियम एवं नियमों के बेहतर प्रवर्तन हेतु आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सॉफ्टवेयर में संशोधन करना। उचित इनपुट प्रविष्टि करने तथा वैधीकरण जाँचों को समावेशित करने के साथ-साथ डाटा की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए डाटा प्रविष्टि पर पर्याप्त पर्यवेक्षण रखना। प्रणाली प्रबंधन एवं डाटाबेस प्रचालन में विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
2012-13	सूचना प्रौद्योगिकी पहलू सहित अंतर्राज्यीय वाहन यातायात का नियमन करने वाली राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रा प्रणाली एवं द्विपक्षीय अनुबंधों की कार्यप्रणाली	1	कर राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए जब तक नया सॉफ्टवेयर लागू होता है तब तक शासन द्विपक्षीय अनुबंधों के अन्तर्गत यातायात के संचालन से सम्बंधित उपलब्ध केन्द्रीय डाटा को समेकित करने तथा सम्बंधित इकाईयों के मध्य प्रभावी समन्वय के लिए एक प्रणाली निर्धारित किये जाने के सम्बंध में विचार कर सकता है।
2013-14	मंजिली गाडी/ठेका गाडी अनुज्ञापत्रों पर	8	<ol style="list-style-type: none"> पुराने और नये वाहनों की बैठक क्षमता नियमों के अनुसार संशोधित की जाना चाहिए।

	चलित लोक सेवा वाहनों पर कर का आरोपण एवं संग्रहण	<ol style="list-style-type: none"> 2. प्रवर्तन शाखा को वाहन कर एवं शास्ति का भुगतान किये बिना चल रहे वाहनों का पता लगाने के लिए सुदृढ़ किया जाना चाहिए। 3. सभी इकाई कार्यालयों तथा परिवहन आयुक्त कार्यालय के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक प्रणाली विकसित की जानी चाहिए ताकि राजस्व के क्षरण को रोका जा सके। 4. शासन ऐसे समस्त वाहन जिनकी फिटनेस प्रमाणपत्र देय हो उनकी जाँच हेतु आवश्यक कदम उठाये ताकि राजस्व की हानि रोकी जा सके तथा लोक सुरक्षा हो सके। 5. शासन को कर की अदायगी किये बिना व उपयुक्तता प्रमाणपत्र का नवीनीकरण किये बिना चल रहे वाहनों का पता लगाने की प्रणाली बनाने पर विचार करना चाहिए। 6. विभाग द्वारा प्रत्येक लंबित प्रकरण की वसूली कार्रवाई की नियमित रूप से निगरानी करने तथा अनुपालन के लिए एक प्रभावी प्रणाली तैयार करना चाहिए। 7. विभाग को विशेष रूप से मंजिली गाड़ी/टेका गाड़ी के रूप में चलित वाहनों के लिए केंद्रीय रूप से उपलब्ध डाटा को मजबूत बनाने के लिए प्रणाली विकसित करना चाहिए ताकि कर राजस्व के रिसाव से बचा जा सके। 8. शासन को राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए विभाग के विभिन्न पदाधिकारियों के लिए एक विभागीय पुस्तिका बनाने और उचित प्रणाली निर्धारित करने के लिए विचार करना चाहिए।
--	---	---

निष्पादन लेखापरीक्षा पर उपरोक्त सभी अनुशंसाएं, निर्गम सम्मेलन के दौरान विभाग द्वारा स्वीकार की गईं, तथापि इनके कार्यान्वयन की कोई सूचना अब तक प्राप्त नहीं हुई है (अक्टूबर 2016)।

1.8 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अंतर्गत इकाई कार्यालयों को राजस्व संग्रहण, पुरानी कंडिकाओं की प्रवृत्तियों तथा अन्य मापदण्डों के आधार पर उच्च, मध्यम एवं कम जोखिम वाली इकाईयों में वर्गीकृत किया जाता है।

वार्षिक लेखापरीक्षा योजना बनाते समय जोखिम का विश्लेषण करने के लिये शासन के राजस्व एवं कर प्रशासन, जैसे कि बजट भाषण, राज्य की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र, राज्य एवं केन्द्र के वित्त आयोग के प्रतिवेदन, कराधान सुधार समिति की अनुशंसाएं, पिछले पांच वर्षों के दौरान राजस्व अर्जन का संख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन के घटकों, लेखापरीक्षा एवं इनके पिछले पांच वर्षों के प्रभाव को आधार बनाया जाता है।

वर्ष 2015-16 के दौरान 1,020 इकाईयों में से 398 इकाईयों की लेखापरीक्षा योजना बनाई गई तथा 396 इकाईयों की लेखापरीक्षा की गई जो कि कुल योजना का 99.50 प्रतिशत थी। विवरण नीचे तालिका 1.14 में दर्शाया गया है :

तालिका 1.14

विभाग का नाम	इकाईयों की कुल संख्या	योजना की इकाईयों की संख्या	लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या
वाणिज्यिक कर	132	115	114
राज्य उत्पाद शुल्क	61	44	43
परिवहन	52	28	28
भू-राजस्व	384	79	79
पंजीयन एवं मुद्रांक	273	76	76

विभाग का नाम	इकाईयों की कुल संख्या	योजना की इकाईयों की संख्या	लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या
खनन	71	32	32
ऊर्जा	47	24	24
योग	1020	398	396

1.9 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2015-16 के दौरान वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, भू-राजस्व, मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क, खनन प्राप्तियाँ एवं विद्युत शुल्क की 396 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 6,45,050 प्रकरणों में ₹ 2,229.45 करोड़ के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व हानि का पता चला। संबंधित विभागों ने वर्ष 2015-16 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये 64,031 प्रकरणों में अंतर्निहित ₹ 868.37 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया तथा 7,403 प्रकरणों में ₹ 6.55 करोड़ संग्रहीत किये।

1.10 यह प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन में 49 कंडिकायें, (उपरोक्त वर्णित स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा जाँचों तथा पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान संसूचित प्रेक्षणों में से चयनित जिन्हें पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका) "ई-पंजीयन (सम्पदा)" पर सूचना प्राद्योगिकी लेखापरीक्षा एवं दो लेखापरीक्षा "मध्यप्रदेश वैट अधिनियम 2002 के अंतर्गत अपील एवं रिमांड प्रकरणों के निवर्तन" व "विद्युत शुल्क, फीस तथा उपकर का आरोपण एवं संग्रहण" जिनमें, ₹ 970.62 करोड़ के वित्तीय प्रभाव अंतर्निहित है, सम्मिलित हैं।

विभागों/शासन ने ₹ 183.88 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया है जिसमें से ₹ 2.50 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। शेष प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। इनकी विवेचना अनुवर्ती अध्यायों 2 से 8 में की गई है।

अध्याय – 2
मुद्रांक एवं पंजीयन फीस

अध्याय-2

मुद्रांक एवं पंजीयन फीस



2.1 कर प्रशासन

मुद्रांक और पंजीयन विभाग वाणिज्यिक कर विभाग के प्रमुख सचिव के अधीन कार्यरत है। महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश विभाग प्रमुख हैं। दो संयुक्त महानिरीक्षक, पंजीयन, एक उप महानिरीक्षक पंजीयन, एक वरिष्ठ जिला पंजीयक, एक जिला पंजीयक और एक लेखा अधिकारी मुख्यालय पर पदस्थ हैं। राज्य में 51 पंजीयन जिले अधिसूचित हैं। राज्य में 15 पंजीयन जिलों में 15 वरिष्ठ जिला पंजीयक शेष जिलों में 36 जिला पंजीयक और राज्य में 233 उप पंजीयक कार्यालय हैं। उप पंजीयक कार्यालय वह जगह है जहां पंजीयन कार्य किए जाते हैं और आम जनता के साथ अधिकतम इंटरफेस (आमना-सामना) होता है। जिला स्तर पर कलेक्टर पंजीयन प्रशासन का प्रमुख होता है। जिला पंजीयक की भूमिका दिन प्रति दिन के कार्यों में उप-पंजीयकों को मार्गदर्शन देना, आवश्यक मुद्रांक के मूल्यांकन, शास्ति, वापसी के मामलों में आदेश पारित करना और उप पंजीयक और सार्वजनिक कार्यालयों, जहां मुद्रांक शुल्क शामिल है, का निरीक्षण करना है।

2.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रण तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है और सामान्यतः सभी नियंत्रणों के नियंत्रण के रूप में परिभाषित है। यह संगठन को विश्वास दिलाने में सहायता करता है कि निर्धारित तंत्र यथोचित रूप से कार्य कर रहे हैं।

विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा विंग की स्वीकृत संख्या के अंतर्गत एक संयुक्त संचालक (वित्त) और 10 सहायक आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारी की हैं, किन्तु वर्ष 2015-16 के दौरान केवल एक संयुक्त संचालक (वित्त) और एक सहायक आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारी विंग में पदस्थ थे। वर्ष 2015-16 के दौरान विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा विंग द्वारा कोई आंतरिक लेखापरीक्षा योजना नहीं बनायी गयी।

2.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2015-16 के दौरान विभाग की 233 इकाइयों में से 76¹ इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच हमारे द्वारा की गई। इन इकाइयों में कुल पंजीकृत 18,60,599 विलेखों में से 1,89,060 विलेखों की लेखापरीक्षा की गई, जिनमें प्रकरणों को अंतिम रूप देने में अत्यधिक विलंब से राजस्व प्राप्ति न होना, मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस की कम

1

एक महानिरीक्षक, पंजीयन का कार्यालय, एक जिला पंजीयक का कार्यालय एवं 74 उप पंजीयक कार्यालय।

प्राप्ति, गलत छूट एवं अन्य प्रेक्षण में ₹ 126.79 करोड़ के 2,978 प्रकरणों पर टिप्पणियाँ की गई थीं जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं जैसा की तालिका 2.1 में वर्णित है।


तालिका 2.1

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	श्रेणियाँ	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	ई-पंजीयन (सम्पदा) पर सूचना प्रायोगिकी लेखापरीक्षा	1	63.10
2.	उप-पंजीयकों द्वारा संदर्भित प्रकरणों को अंतिम रूप देने में असाधारण विलंब	1,923	44.24
3.	सम्पत्तियों के अल्पमूल्यांकन/त्रुटिपूर्ण छूट के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम प्राप्ति	352	5.38
4.	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के भुगतान से त्रुटिपूर्ण छूट	22	0.49
5.	विलेखों के गलत वर्गीकरण के कारण राजस्व की हानि	44	0.57
6.	अन्य प्रेक्षण	636	13.01
	योग	2,978	126.79

चार्ट 2.1

लेखापरीक्षा के परिणाम (2,978 प्रकरणों में निहित ₹ 126.79 करोड़ की राशि)



लेखापरीक्षा प्रेक्षण शासन और विभाग के पास भेजे गये थे। विभाग ने 1,348 प्रकरणों में ₹ 101.03 करोड़ की अल्पमूल्यांकन एवं अन्य कमियाँ स्वीकार कीं जो वर्ष 2015-16 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित की गई थी तथा 35 प्रकरणों में ₹ 38 लाख की राशि वसूल की गई। "ई-पंजीयन (संपदा)" पर सूचना प्रायोगिकी (आईटी) लेखापरीक्षा में अंतर्निहित राशि ₹ 63.10 करोड़ तथा ₹ 22.01 करोड़ के कुछ उदाहरणार्थ प्रकरणों पर निम्नलिखित कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

2.4 “ई-पंजीयन (संपदा)” पर सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा

प्रमुख विशेषतायें

प्रणाली की योजना और क्रियान्वयन

विभाग अपनी स्वयं की आईटी सहायता टीम को विकसित नहीं कर सका, यद्यपि विभाग के कम्प्यूटरीकरण की परिकल्पना वर्ष 2000 में की गई थी।

(कंडिका 2.4.11.3)

सॉफ्टवेयर के विकास में असामान्य विलंब के बावजूद विभाग ने सॉफ्टवेयर विक्रेता पर ₹ 82.01 लाख की राशि की शास्ति नहीं लगायी।

(कंडिका 2.4.12.1)

विभाग ने विक्रेता द्वारा सॉफ्टवेयर में किए गए परिवर्तन के लिए सॉफ्टवेयर विक्रेता को ₹ 1.53 करोड़ का भुगतान किया था यद्यपि, यह कार्य की परिधि में था।

(कंडिका 2.4.12.3)

लेगेसी डाटा डिजिटाइज नहीं किया गया जैसा परिकल्पित था, जिसकी अनुपस्थिति से एक ही संपत्ति के बहुविध विक्रय की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

(कंडिका 2.4.12.4)

हार्डवेयर विक्रेता को एकीकरण और परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त किए बिना ₹ 3.73 करोड़ का भुगतान जारी किया गया।

(कंडिका 2.4.13.1)

प्रणाली के डिज़ाइन में कमियाँ

403 प्रकरणों में ₹ 4.08 करोड़ के ऋणात्मक शेष खातों के बावजूद ई-मुद्रांक उत्पन्न किये गये और सेवा प्रदाताओं को कमीशन का भुगतान भी किया गया।

(कंडिका 2.4.16.7)

संपदा प्रणाली में पर्यवेक्षी नियंत्रण के अभाव के फलस्वरूप ₹ 1.90 करोड़ के पंजीयन फीस और मुद्रांक शुल्क की कम वसूली हुई।

(कंडिका 2.4.16.8)

सेवा प्रदान करने में कमियाँ

उपयोगकर्ताओं की शिकायतों और प्रतिपुष्टियों पर प्रतिक्रिया विलंबित थी। संपदा में प्राप्त 3,360 शिकायतों में से 2,534 अनिर्णीत रहीं। दो सौ चालीस अंतिम उपयोगकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं के बीच संपदा के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सेवाओं के लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान 142 उत्तरदाताओं में से 73 ने असंतोष व्यक्त किया।

(कंडिका 2.4.32)

आंतरिक नियंत्रण तंत्र में खामियाँ

ई-पंजीयन प्रणाली में कोई तंत्र नहीं था जिसके अंतर्गत सेवा प्रदाता द्वारा किए गए ई-भुगतान के माध्यम से अथवा कोषालय के माध्यम से साइबर कोषालय की सभी प्राप्तियों का पुनर्मिलान किया जा सके।

(कंडिका 2.4.36)

2.4.1 परिचय

गैर न्यायिक मुद्रांक के माध्यम से एकत्रित शुल्क या फीस के अलावा अन्य मुद्रांक शुल्क का विषय भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में शामिल है। मध्यप्रदेश में मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस से प्राप्त भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899, पंजीयन अधिनियम, 1908, मध्यप्रदेश दस्तावेज के अधोमूल्यांकन की रोकथाम नियम, 1975, मध्यप्रदेश मुद्रांक नियम, 1942, मध्यप्रदेश बाजार मूल्य तैयार करने और पुनरीक्षण दिशानिर्देश नियमावली, 2000 तथा राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचनाएं/आदेश के अंतर्गत विनियमित होती हैं।

मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग ने 15 दिसम्बर 2014 से पांच² पायलट जिलों में ई-पंजीयन (संपदा)³ सॉफ्टवेयर के माध्यम से दस्तावेजों के पंजीयन के लिए और शेष 46 जिलों के लिए 1 अगस्त 2015 से व्यापक कंप्यूटरीकरण परियोजना आरंभ की थी। 31 मार्च 2016 तक कुल 4,22,387 विलेखों का संपदा एप्लिकेशन के माध्यम से पंजीयन किया गया था।

इस प्रणाली में मुद्रांक शुल्क "ई-स्टाम्प" के माध्यम से संग्राहित किया जाएगा। लाइसेंस सेवा प्रदाता, जिनको मुद्रांक जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था, के द्वारा पंजीकृत दस्तावेजों की खोज और डिजिटली हस्ताक्षरित प्रतियां डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान की जानी थी। कोई भी पंजीकृत उपयोगकर्ता, पंजीयन के लिए दस्तावेजों की ऑनलाइन प्रस्तुति आरंभ कर सकता है। कंप्यूटरीकरण के अंतर्गत नागरिक सेवा के लिए ठोस, कुशल और उपयोगकर्ता के अनुकूल प्रणाली प्रदान कर, जिला पंजीयकों के लिए राजस्व वसूली प्रणाली की कड़ी निगरानी को उन्नत करने, रिकॉर्ड रखने की एक प्रणाली जो सुरक्षित हो, आसानी से बचाने या सुधार करने योग्य, छेड़छाड़ रोधी हो साथ ही जनता का विश्वास कायम करना और संपत्ति के मूल्यांकन के लिए एक कुशल प्रणाली के क्रियान्वयन में मदद की परिकल्पना की गई थी।

इलेक्ट्रॉनिक पंजीयन प्रणाली "संपदा" में राज्य में कहीं भी स्थित संपत्ति के मूल्यांकन, दस्तावेजों के विभिन्न प्रकारों पर प्रभार्य मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस की गणना और उप पंजीयक के कार्यालय में स्लॉट बुकिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध थीं।

संपदा सॉफ्टवेयर से महानिरीक्षक पंजीयन के कर्मचारियों की प्रभावकारिता और दक्षता में सुधार करना, ग्राहकों को बेहतर और लागत प्रभावी सेवाएं प्रदान करना एवं जानकारी, पारदर्शिता, राजस्व संग्रह और दस्तावेजों का पंजीयन और "ई-स्टैम्स" जारी करने में सुधार करने में मदद अपेक्षित था।


² अनूपपुर, बालाघाट, सीहोर, टीकमगढ़ और उज्जैन

³ मुद्रांक एण्ड मेनेजमेंट ऑफ प्रापर्टी एण्ड डाक्युमेंट एप्लिकेशन (संपदा)

2.4.2 संगठनात्मक ढांचा

विभाग का संगठनात्मक ढांचा नीचे दिए गए चार्ट में दिखाया गया है:

चार्ट 2.2



2.4.3 निधिकरण एवं कार्य सौंपना

विभाग ने कंप्यूटरीकरण और हार्डवेयर की आपूर्ति के लिए ₹ 20.25 करोड़ की राशि का प्रशासकीय अनुमोदन और तकनीकी स्वीकृति प्रदान की थी (जनवरी 2005)। प्रशासकीय अनुमोदन/तकनीकी स्वीकृति को ₹ 34.98 करोड़ (जुलाई 2008), ₹ 58.88 करोड़ (दिसम्बर 2012) और अंत में ₹ 65.94 करोड़ रुपये (अप्रैल 2013) के लिए तीन बार पुनरीक्षित किया गया।

विभाग ने मैसर्स 3 आई इंफोटेक लिमिटेड को प्रौद्योगिकी, विक्रेताओं और उपकरण के मूल्यांकन में सहायता के लिए ₹ 39.74 लाख की राशि पर परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) के रूप में नियुक्त किया था (नवम्बर 2005)।

“प्रणाली अध्ययन, विश्लेषण और डिज़ाइन, विकास, कार्यान्वयन और वेब आधारित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अभिनियोजन और पंजीयन और मुद्रांक विभाग में प्रशिक्षण का कार्य ₹ 4.10 करोड़ की राशि पर मैसर्स विप्रो लिमिटेड को सौंपा गया था (नवम्बर 2006)।

कार्य के निष्पादन के लिए आपेक्षित हार्डवेयर और सेवाएं प्रदान करने हेतु विभाग द्वारा मैसर्स एन आई आई टी टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड के साथ ₹ 58.88 करोड़ का एक और अनुबंध निष्पादित किया गया था (जनवरी 2013)।

2015-16 (मई 2016) तक इस परियोजना पर ₹ 53.66 करोड़ का व्यय किया गया था।

2.4.4 “ई-पंजीयन (संपदा)” एप्लिकेशन


“ई-पंजीयन (संपदा)” एप्लिकेशन, एक वेब आधारित अनुप्रयोग, फ्रंट एण्ड के रूप में जे2ईई (J2EE) और ओरेकल 11 जी संबंधपरक डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली (बैक एण्ड) पर विकसित किया गया था। यह एप्लिकेशन लाइनक्स ऑपरेटिंग प्रणाली पर नियोजित थी एवं एक केंद्रीयकृत डाटाबेस सर्वर भोपाल में मध्यप्रदेश शासन के डाटा सेंटर में स्थित था।

पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के कार्य करने एवं लेनदेन का प्रबंधन करने के लिए संपदा के 27 मॉड्यूल और विभिन्न उप मॉड्यूल थे। विभागीय अधिकारी जैसे जिला पंजीयक और उप पंजीयक इंटरनेट (एस.डब्ल्यू.ए.एन.)⁴ के माध्यम से और सेवा प्रदाता तथा नागरिक इंटरनेट के माध्यम से “ई-पंजीयन (संपदा)” से जुड़ सकते हैं।

2.4.5 प्रक्रिया

संपदा के कार्य प्रवाह और प्रक्रिया प्रवाह इस प्रकार थे :

चार्ट 2.3



2.4.6 संपदा के उद्देश्य

परियोजना को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए डिज़ाइन किया गया है;

- बेहतर विश्लेषण और अन्य प्रशासनिक कार्यालयों के निर्णय लेने के लिए केंद्रीकृत डाटा संग्रह
- 15 मिनट में पंजीयन की प्रक्रिया को पूरा करना
- डाटा का केंद्रीकृत ई-भण्डारण
- ई-स्टाम्प के माध्यम से मुद्रांक शुल्क का ऑनलाइन भुगतान
- पंजीकृत उपयोगकर्ता पंजीयनके लिए विलेखों की ऑनलाइन प्रस्तुति आरंभ कर सकते हैं
- संपत्ति का ऑनलाइन मूल्यांकन
- धोखाधड़ी को रोकने के लिए बटन के एक क्लिक पर संपत्ति का लेन-देन संबंधी इतिहास उपलब्ध कराना
- अधिक पारदर्शिता

⁴ स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क

- वेब पोर्टल के माध्यम से शासन के रिकॉर्ड में डाटा प्रविष्टि करके नागरिकों का सशक्तिकरण

2.4.7 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा के उद्देश्य यह मूल्यांकन करने के लिए है कि क्या :

- विभाग के कम्प्यूटरीकरण के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रणाली की योजना और कार्यान्वयन उपयुक्त थे;
- प्रणाली की अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए एप्लिकेशन नियंत्रण पर्याप्त थे और इसने नियमों और विनियमों का पालन किया है;
- डाटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली में विश्वसनीय नियंत्रण उपलब्ध थे और आवश्यक लेखापरीक्षा ट्रेल्स को शामिल किया गया है; तथा
- क्या ई-पंजीयन (संपदा) के कार्यान्वयन के बाद परिचालन क्षमता सहित सार्वजनिक/नागरिक/हितधारकों को प्रदाय सेवाओं में सुधार हुआ है।

2.4.8 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा ने संपदा में उपलब्ध फ्रंट एण्ड रिपोर्ट्स⁵ के साथ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज (SQL) और कम्प्यूटर असिस्टेड लेखापरीक्षा तकनीक (CAATs) का उपयोग करते हुए दिसम्बर 2014 से मार्च 2016 की अवधि के लिए संपदा सॉफ्टवेयर के बैंक एण्ड डाटा का विश्लेषण किया। निष्पादन लेखापरीक्षा फरवरी और जून 2016 के बीच की गयी थी। 51 जिलों में से पांच जिलों का अनिवार्य चयन किया गया था क्योंकि ये जिले ई-पंजीयन के लिए पायलट जिले थे और शेष 46 जिलों में से 12 जिले⁶ सरल यादृच्छिक नमूना विधि के आधार पर चयनित किये गये थे। इन 17 इकाइयों का वर्ष 2015-16 का कुल राजस्व संग्रहण ₹ 2,214.55 करोड़ था। लेखापरीक्षा ने 17 चयनित जिलों में से 11 जिलों⁷ में ई-पंजीयन के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक लाभार्थी सर्वेक्षण भी किया था। अंतिम उपयोगकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं से ई-पंजीयन की कार्यप्रणाली पर विचार और राय प्राप्त करने के लिए, उनसे एक प्रश्नावली फार्म भरने का अनुरोध किया गया था। शामिल किये गए 11 जिलों से मिली प्रतिक्रियाओं को उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

अप्रैल 2016 में आयोजित प्रवेश सम्मेलन में प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग के साथ लेखापरीक्षा उद्देश्य, मानदंड और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गयी थी। प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जुलाई 2016 में शासन और विभाग के पास अग्रेषित की गई थी एवं सितम्बर 2016 में आयोजित निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर विभाग के साथ इस पर विचार विमर्श किया गया था। शासन के दृष्टिकोण को कंडिकाओं में शामिल किया गया है।

2.4.9 लेखापरीक्षा मानदंड

संपदा की योजना और कार्यान्वयन, डाटा प्रबंधन और मॉनीटरिंग की निम्न के संदर्भ में जांच की गई:

- भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899, पंजीयन अधिनियम, 1908 और समय-समय पर आईटी अधोसंरचना एवं "ई-पंजीयन (संपदा)" के कार्यान्वयन के संबंध में

⁵ विभाग ने पंजीयन दस्तावेजों और लेखापरीक्षा पृच्छाओं को देखने के लिए महानिरीक्षक पंजीयन के कार्यालय में दो उपयोगकर्ता आईडी उपलब्ध करायी हैं।

⁶ बैतुल, भोपाल, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, धार, ग्वालियर, होशंगाबाद, इन्दौर, जबलपुर, सतना, शाजापुर और विदिशा।

⁷ बुरहानपुर, भोपाल, देवास, धार, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, सीहोर, शाजापुर, टीकमगढ़ और उज्जैन।

शासन और महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा जारी किए गए नियम, अधिसूचनाएं, परिपत्र और आदेश,

- उपयोगकर्ता की आवश्यकता के मापदण्ड, प्रणाली की आवश्यकता के मापदण्ड और संपदा एपलिकेशन के प्रणाली डिज़ाइन दस्तावेज़,
- एजेंसियों के साथ किया गया सेवा स्तर अनुबंध,
- मध्यप्रदेश शासनकी आईटी नीति और मध्यप्रदेश के आईटी नियम, 2011, और
- सामान्य रूप से स्वीकार्य उत्तम आई टी प्रेक्टिसेस।

2.4.10 अभिस्वीकृति

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक जानकारी, उपयोगकर्ता पहचान (आईडी) और डाटा उपलब्ध कराने के लिए विभाग के आभारी हैं।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

योजना और प्रणाली के कार्यान्वयन

विभाग के कम्प्यूटरीकरण के उद्देश्यों को पूरा करने की योजना और प्रणाली के कार्यान्वयन से संबंधित टिप्पणियों पर नीचे चर्चा की गई है:

2.4.11 परियोजना प्रबंधन सलाहकार की नियुक्ति से संबंधित मुद्दे

विभाग ने प्रौद्योगिकी, विक्रेताओं, उपकरण और निविदाओं के दस्तावेजों की तैयारी के मूल्यांकन में सहायता करने के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) के रूप में मैसर्स 3 आई इंफोटेक लिमिटेड को नवम्बर 2005 में नियुक्त किया था। कार्यादेश ₹ 39.74 लाख की राशि का जारी किया गया। कार्यादेश जारी होने के बाद 26 फरवरी 2007 तक यानि 65 सप्ताह के निर्धारित समय के भीतर कार्य पूरा किया जाना था।

मैसर्स 3 आई इंफोटेक इस अवधि में कार्य पूरा नहीं कर सका। तथापि, छह वर्षों में विभाग द्वारा न तो कार्य विच्छेद किया गया और न ही कोई दंडात्मक कार्यवाही की गयी। इसके बजाय 30 जून 2013 तक शेष कार्य पूरा करने के लिए एक अनुपूरक अनुबंध निष्पादित किया गया (जनवरी 2013)।

2.4.11.1 पीएमसी को मुआवजे का अनियमित भुगतान

पत्राचार नस्त्रियों की संवीक्षा में हमने पाया कि पीएमसी ने दस्तावेजों की तैयारी और उसके प्रशासक के लिए किए गए कार्यों हेतु अनुबंध में निर्दिष्ट राशि से ₹ 17.66 लाख अधिक राशि के मुआवजे का दावा किया। अनुबंध में इस तरह के मुआवजे के भुगतान के लिए कोई प्रावधान नहीं था, तथापि महानिरीक्षक पंजीयन ने ₹ 16.45 लाख के भुगतान की अनुशंसा की तथा बाद में शासन के अनुमोदन से मुआवजे के रूप में ₹ 7.00 लाख (जनवरी 2011) तथा ₹ 9.45 लाख (जनवरी 2014) की दो किश्तों में पीएमसी को भुगतान किया गया। आगे हमने यह भी पाया कि पीएमसी ने (फरवरी 2006 से जून 2006 तक और मार्च 2007 से दिसम्बर 2007 तक) कार्य में 363 दिन के विलंब की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली थी, तथापि विभाग द्वारा पीएमसी को अनियमित भुगतान किए गए।

2.4.11.2 विभाग द्वारा स्वयं का डाटाबेस प्रशासक नियोजित नहीं करना

कार्य के क्षेत्र के अनुसार प्रणाली के गो-लाइव⁸ घोषित किए जाने के बाद डाटाबेस प्रशासक सह प्रणाली मैनेजर का कार्य ₹ 16.98 लाख प्रति वर्ष की निर्धारित दर से

⁸ गो-लाइव का मतलब है राज्य भर में वेब आधारित ई-पंजीकरण प्रणाली का कार्यान्वयन

तीन वर्ष की अवधि के लिए पीएमसी को सौंपा जाना था जो कार्य के हित में पांच वर्ष बढ़ाई जाने योग्य थी।

अगस्त 2015 में प्रणाली को “गो-लाइव” घोषित किया गया और उसी पीएमसी को प्रति वर्ष ₹ 33.18 लाख का कार्यादेश जारी किया गया (सितम्बर 2015)। विभाग ने प्रति वर्ष ₹ 16.20 लाख (₹ 33.18 लाख – ₹ 16.98 लाख) की अतिरिक्त लागत वहन की थी। पीएमसी की मासिक निष्पादन रिपोर्ट से यह भी प्रकट हुआ कि पीएमसी द्वारा डाटाबेस प्रशासक के रूप में नियुक्त कर्मी वास्तव में सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे थे, और डाटाबेस प्रशासक की भूमिका नहीं निभा रहे थे। डाटाबेस प्रशासक की भूमिका मैसर्स एन आई आई टी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा निभायी गयी।

2.4.11.3 विभागीय आई टी सहायता टीम का अभाव

परियोजना वर्ष 2000-01 से विचाराधीन थी। यहाँ तक कि लगभग 16 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी विभाग राजस्व के अत्यधिक सृजन के निहितार्थ प्रणाली को संभालने के लिए अपनी स्वयं की आई टी सहायता टीम विकसित नहीं कर सका। उपरोक्त के अलावा, विभाग आउटसोर्स व्यक्तियों की सेवा पर निर्भर है जिन्हें “मेकर”⁹ के रूप में जाना जाता है। अपनी स्वयं की डाटाबेस प्रशासक/प्रणाली व्यवस्थापक और आई टी सहायक टीम का नियोजन नहीं होने के कारण, संपदा का डाटाबेस, जो संवेदनशील प्रकृति का था, बाहरी व्यक्तियों/संस्थाओं के हाथ में था। इसके अलावा, विभाग ने अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोई कदम भी नहीं उठाए ताकि सॉफ्टवेयर विक्रेता के कर्मियों पर निर्भरता को कम किया जा सके।

निर्गम सम्मेलन के दौरान विभाग ने बताया (सितम्बर 2016) कि उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी।

हम अनुशंसा करते हैं कि विभाग अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए एम.ए.एन.आई.टी भोपाल, आई.आई.टी इंदौर, आदि राज्य में स्थित अनुसंधान संस्थानों की सेवाओं का उपयोग कर सकता है और स्वयं की एक समर्पित आई टी सहायता टीम बना सकता है। विभाग दस्तावेजों के पंजीयन से संबंधित डाटा की संवेदनशील प्रकृति को ध्यान में रखकर संपदा प्रबंधन के अर्तगत ई-पंजीयन से संबंधित कार्य में आउटसोर्स व्यक्तियों की सेवाओं को दूर करने पर विचार कर सकता है।

2.4.12 सॉफ्टवेयर विकास के कार्य निष्पादन से संबंधित मुद्दे

विभाग के कम्प्यूटरीकरण हेतु पांच तकनीकी सदस्यों सहित 12 सदस्यों की एक एकीकृत कम्प्यूटरीकरण परियोजना कार्यान्वयन एवं पर्यवेक्षण समिति का गठन किया गया (मार्च 2005)।

वाणिज्यिक बोलियाँ उक्त समिति के अध्यक्ष और केवल एक तकनीकी सदस्य के साथ तीन सदस्यों की उपस्थिति में 3 अगस्त 2006 को खोली गयी।

“प्रणाली अध्ययन, विश्लेषण और डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन और वेब आधारित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अभिनियोजन और विभाग में प्रशिक्षण “का कार्य एल-1 विक्रेता मैसर्स विप्रो लिमिटेड को सौंपा गया (4 नवम्बर 2006)। अनुबंध कार्य आदेश जारी होने की दिनांक से 32 सप्ताह की निर्धारित अवधि के साथ ₹ 4.10 करोड़ की बिड राशि के लिए निष्पादित किया गया था (दिसम्बर 2006) अर्थात् 8 अगस्त 2007 तक कार्य पूर्ण किया जाना था।

⁹ पंजीयन आरंभ होने के दौरान मेकर सभी विवरण भरेगा और जांच करेगा। वह सभी लेनदेन पार्टियों के दस्तावेजों का सत्यापन तस्वीरों की कैचरिंग और गवाहों के विवरण सुनिश्चित करेगा।

अनुबंध के अनुच्छेद 7.32 में निर्धारित था कि "गो लाइव" से पहले यदि अनुमोदित समय अनुसूची के अनुसार संतोषजनक ढंग से कोई भी स्टेज पूरी नहीं की गयी तो अपूर्ण शेष कार्य की लागत के अधिकतम 20 प्रतिशत के अध्यक्षीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रति सप्ताह बोली मूल्य के दो प्रतिशत की दर से शास्ति लगायी जा सकती है। आगे, अनुबंध में प्रावधानित था कि यदि विलंब 10 सप्ताह से अधिक हो तो, सक्षम प्राधिकारी अनुबंध के शेष भाग को निरस्त कर सकेगा और विक्रेता की जोखिम और लागत पर किसी अन्य एजेंसी से इसे करवाने के लिए स्वतंत्र होगा।

2.4.12.1 कार्य निष्पादित नहीं करने के लिए शास्ति का आरोपण नहीं करना

वेण्डर, निर्धारित समय अवधि के भीतर कार्य पूरा नहीं कर सका। ऐसा असामान्य विलंब अनुबंध के अनुच्छेद 7.32 के अंतर्गत कार्यवाही को आकर्षित करता था और ₹ 82.01 लाख की राशि की शास्ति (₹ 4.10 करोड़ के बोली मूल्य के विरुद्ध 20 प्रतिशत) सॉफ्टवेयर विक्रेता पर लगाया जाना चाहिए था। तथापि, महानिरीक्षक पंजीयन ने विक्रेता पर शास्ति अधिरोपित करने के लिए कार्यवाही शुरू नहीं की। विभाग को दोषी विक्रेता की जोखिम और लागत पर संपूर्ण कार्य की पुनः निविदा हेतु एक पारदर्शी तंत्र को अपनाना चाहिए था। अनुबंध न तो निरस्त किया गया और न ही विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही आरंभ की गई। इसके बजाय 30 जून 2013 तक शेष कार्य को पूर्ण करने के लिए एक अनुपूरक अनुबंध 3 जनवरी 2013 को किया गया।

निर्गम सम्मेलन के दौरान विभाग ने बताया (सितम्बर 2016) कि संपदा सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयाँ थीं और विलंब के लिए शास्ति आरोपित किए जाने से सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन में और भी विलंब होता और यह कि एक विस्तृत उत्तर दिया जाएगा।

2.4.12.2 प्रणाली डिजाइन दस्तावेज विभाग द्वारा अनुमोदित नहीं होना

प्रणाली डिजाइन दस्तावेज, प्रणाली की आवश्यकताएँ, परिचालन वातावरण, प्रणाली और उप-प्रणाली वास्तुकला, फाइलें और डाटाबेस डिजाइन, इनपुट फार्मेट्स, आउटपुट लेआउट्स, मानव-मशीन इंटरफेस, विस्तृत डिजाइन, प्रसंस्करण तर्क, और बाहरी इंटरफेस का वर्णन करता है।

अनुबंध के अनुच्छेद 10 के अनुसार प्रणाली का डिजाइन फरवरी 2007 तक सॉफ्टवेयर विक्रेता द्वारा पूर्ण किया जाना था, लेकिन यह कार्य अक्टूबर 2008 में पूरा किया गया और प्रणाली डिजाइन दस्तावेज विभाग को सौंप दिया गया। हमने आगे देखा कि सॉफ्टवेयर में तालिकाओं की संरचना और नाम दोनों प्रणाली डिजाइन दस्तावेज के अनुसार डिजाइन संरचना से अलग थे। इंगित किए जाने पर प्रणाली डिजाइन दस्तावेज को प्रयुक्त किये जा रहे सॉफ्टवेयर के डिजाइन के अनुरूप में अद्यतन किया गया। एक अद्यतन प्रणाली डिजाइन दस्तावेज विक्रेता द्वारा मई 2016 में प्रस्तुत किया गया था जिसके लिए विभाग का अनुमोदन लंबित है (2016 जून) और एप्लिकेशन में किए गए परिवर्तनों के लिखित प्रमाण भी नहीं पाए गए।

हमारे इंगित किए जाने के बाद (जून 2016), विभाग ने उत्तर दिया (जुलाई 2016) कि अद्यतन प्रणाली डिजाइन दस्तावेज के अनुमोदन का कार्य प्रगति पर था।

2.4.12.3 परिवर्तन अनुरोध पर अनुचित भुगतान

अनुबंध के अनुच्छेद 8 सहपठित बोली दस्तावेज की धारा IV(x), के अनुसार कोई भी सुविधा जो महानिरीक्षक पंजीयन के अधीन कार्यालयों के कंप्यूटरीकृत संचालन के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक मानी जाए, और पूर्व में गतिविधियों की सूची में शामिल नहीं थी, उसे सम्मिलित समझा जाएगा और सॉफ्टवेयर विक्रेता इसे कार्य के क्षेत्र में शामिल

करने के लिए बाध्य होगा। इसके अलावा, विभाग ने अपने पत्र दिनांक 25 अप्रैल 2008 में, स्पष्ट रूप से कहा था कि सॉफ्टवेयर विक्रेता द्वारा सुझाए गए सभी परिवर्तन अनुरोध कार्य के अनुबंध में परिभाषित क्षेत्र में पहले से ही थे।

महानिरीक्षक पंजीयन से एकत्र जानकारी से पता चला (नवम्बर 2015) कि विभाग ने सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन से पहले संपदा सॉफ्टवेयर के लिए कम से कम 14 बार सॉफ्टवेयर विक्रेता से परिवर्तन के लिए अनुरोध किया था।

हमने पाया कि सॉफ्टवेयर विक्रेता द्वारा सॉफ्टवेयर में किए गए परिवर्तन, कार्य के क्षेत्र का हिस्सा थे। तथापि, महानिरीक्षक पंजीयन ने एप्लिकेशन में परिवर्तन करने के लिए ₹ 2.67 करोड़ के भुगतान की अनुशंसा की और शासन के अनुमोदन के लिए इसे भेजा। शासन के अनुमोदन से सॉफ्टवेयर विक्रेता को अप्रैल 2016 तक ₹ 1.53 करोड़ का भुगतान जारी किया गया।

सॉफ्टवेयर में परिवर्तन के लिए किए गए भुगतान अनियमित थे और अनुबंध की शर्तों के विरुद्ध सॉफ्टवेयर विक्रेता को अनुचित वित्तीय सहायता में परिणित हुए। इसने विभाग द्वारा एक सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन के विकास की आवश्यकता के आकलन की अपर्याप्त योजना को इंगित किया।

हमारे इंगित किए जाने के बाद विभाग ने कहा (जनवरी 2016) कि स्पॉट निरीक्षण, कतार प्रबंधन, सेवा प्रदाता मॉड्यूल की तरह के कुछ मॉड्यूल, एस आर एस में शामिल नहीं थे इसलिए इन कार्यों को "परिवर्तन अनुरोध" के अंतर्गत माना गया और तदनुसार भुगतान किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि स्पॉट निरीक्षण और सेवा प्रदाता मॉड्यूल का सृजन एस आर एस का एक हिस्सा था। इसके अलावा कतार प्रबंधन संपदा के उद्देश्यों का एक हिस्सा था इसलिए इन कार्यों के लिए किए गए अलग से भुगतानों का "परिवर्तन अनुरोध" के अंतर्गत मान्य नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, "परिवर्तन अनुरोध" के अंतर्गत मान्य कर अतिरिक्त कार्य के रूप में इन कार्यों का निष्पादन अनुबंध के प्रावधानों और महीनिरीक्षक पंजीयन के पत्र दिनांक 25 अप्रैल 2008 के विरुद्ध था।

2.4.12.4 लेगेसी डाटा को ई-पंजीयन प्रणाली में माइग्रेट नहीं किया गया और ठेकेदार को अनुचित सहायता दी गई

पुराने विलेखों के डिजिटलीकरण का कार्य डुप्लिकेट रजिस्ट्री पर नियंत्रण लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू था और संपदा के सफल कार्यान्वयन के लिए विभाग द्वारा विकसित किये जा रहे पी ए एस के सर्व मॉड्यूल के लिए आवश्यक घटक था। अनुबंध¹⁰ के अनुच्छेद 3.2.1.1 के खंड 3 के अनुसार पूर्व में पंजीकृत संपत्ति के दस्तावेजों के रिकॉर्ड एवं स्वामित्व की जानकारी ढूँढने के लिए एप्लिकेशन में प्रावधान था।

विभाग ने चार परिक्षेत्रों में पिछले 13 साल में लगभग एक करोड़ दस्तावेजों के डिजिटलीकरण के लिए, प्रति दस्तावेज ₹ 9.05 की दर से कार्य को पूरा करने के लिए चार एजेंसियों को नियुक्त किया (मई 2014)। डिजिटलीकरण का कार्य 390 दिन के भीतर अर्थात् 2 जून 2014 तक पूरा किया जाना था। पुराने पंजीकृत दस्तावेजों के डिजिटलीकरण के लिए अनुबंध के प्रावधानों में उपबंधित था कि चार महीने से अधिक के विलंब के मामले में सुरक्षा प्रतिभूति राजसात कर अनुबंध समाप्त किया जाना था।

विभाग को संपदा सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन के साथ-साथ लेगेसी डाटा के डिजिटलीकरण को पूर्व नियोजित और अग्रिम रूप में निष्पादित करना चाहिये था ताकि

¹⁰ मैसर्स विप्रो प्रायवेट लिमिटेड का अनुबंध-1/2006

संपदा के कार्यान्वयन के समय, लेगेसी डाटा भी संपदा सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत किया जा सकता।

लेगेसी डाटा के डिजिटलीकरण का कार्य 26 महीने व्यतीत होने के बाद भी अपूर्ण था (जून 2016)। डिजिटलीकरण के कार्य में असामान्य विलंब के कारण, सभी एजेंसियों के ठेके समाप्त किये गये थे और दो ठेकेदारों की निष्पादन प्रतिभूति की क्रमशः ₹ 21.40 लाख और ₹ 15.98 लाख राजसात कर ली गई थी (फरवरी और अप्रैल 2015)। तथापि, ₹ 31.12 लाख की निष्पादन प्रतिभूति इंदौर और उज्जैन संभागों (अक्टूबर 2015) के ठेकेदार को इस तथ्य के बावजूद वापस कर दी गई जबकि अनुबंध के अंतर्गत केवल 5.96 प्रतिशत कार्य पूरा किया गया था, जो इन ठेकेदार को अनुचित वित्तीय सहायता के रूप में परिणित हुई। चौथे ठेकेदार का मामला न्यायालय के अधीन था।

पुराने दस्तावेजों के डिजिटलीकरण का कार्य अधूरा पड़ा हुआ था और कार्य पूरा करने के लिए विभाग द्वारा आगे कोई प्रयास नहीं किए गए (मई 2016)। यद्यपि, नागरिक/हितधारकों द्वारा पुराने दस्तावेजों की खोज के लिए संपदा में सुविधा उपलब्ध थी, किंतु लेगेसी डाटा के अभाव के कारण यह सुविधा अप्रयुक्त पड़ी थी।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने के बाद (नवम्बर 2015), विभाग ने कहा (नवम्बर 2015) कि पुराने दस्तावेजों के डिजिटलीकरण का कार्य करने के लिए चार एजेंसियों को कोई भुगतान नहीं किया गया था। आगे यह भी कहा गया था कि कार्य अधूरा था क्योंकि कार्य का भौतिक सत्यापन विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जाना था और इसलिए सेवा प्रदाताओं को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि असामान्य विलंब के कारण, दो एजेंसियों की बैंक गारंटी जब्त की गई थी। इंदौर और उज्जैन संभागों के ठेकेदार की बैंक गारंटी भी उसी आधार पर जब्त की जानी चाहिए थी कि कार्य निर्धारित समय के भीतर पूरा नहीं किया गया था।

निर्गम सम्मेलन के दौरान प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग ने लेगेसी डाटा माइग्रेटिंग नहीं करने से संबंधित तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा (सितम्बर 2016) कि संपदा के दूसरे चरण में लेगेसी डाटा डिजिटलाइज़ करने के लिए वे अतिरिक्त संसाधनों को नियोजित कर रहे थे।

2.4.13 हार्डवेयर के प्राप्ति से संबंधित मुद्दे

कार्य के निष्पादन के लिए आवश्यक हार्डवेयर और सेवाएँ प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा ₹ 58.88 करोड़ में मैसर्स एन आई आई टी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ 10 महीने के भीतर कार्य पूरा करने के लिए अनुबंध निष्पादित किया गया (जनवरी 2013)। प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) अनुच्छेद 28.1 के अनुसार ठेकेदार ने ₹ 11.78 करोड़ (बोली मूल्य का 20 प्रतिशत) की निष्पादन प्रतिभूति जमा की थी।

2.4.13.1 हार्डवेयर की आपूर्ति के लिए अनुचित भुगतान

आरएफपी के अध्याय 2 के अनुसार सभी आवश्यक उपकरणों की सुपुर्दगी पर मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड से तीसरे पक्ष के सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, भुगतान का 60 प्रतिशत दिया जाना था। भुगतान का 20 प्रतिशत सफलतापूर्वक प्रतिष्ठापन, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड द्वारा स्थापना, प्रणाली एकीकरण और संपत्ति प्रशासन प्रणाली (पीएएस) एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के परीक्षण के सत्यापन की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद दिया जाना था जबकि शेष 20 प्रतिशत राशि वारंटी अवधि के लिए रोकी जानी थी।

हमने पाया कि भुगतान अनुसूची के अनुसार भुगतान का 60 प्रतिशत देने के बाद मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड से एकीकरण और परीक्षण रिपोर्ट

प्राप्त किए बिना महानिरीक्षक पंजीयन ने ठेकेदार को दूसरी किस्त के रूप में ₹ 3.73 करोड़ की राशि का भुगतान जारी किया (जनवरी 2016)। इस प्रकार, ₹ 3.73 करोड़ रुपये का भुगतान अनियमित और अनुबंध के प्रावधानों के विरुद्ध था।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने के बाद (मई 2016), विभाग ने कहा (मई 2016) कि ई-पंजीयन के कार्यान्वयन के बाद, 4.18 लाख दस्तावेजों को सफलतापूर्वक पंजीकृत किया गया जो सिद्ध करता है कि हार्डवेयर, एप्लिकेशन के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ठेकेदार को जारी किया गया भुगतान न केवल आरएफपी के प्रावधानों के विरुद्ध था किन्तु राज्य के एक तकनीकी निकाय से प्रणाली के परीक्षण और एकीकरण के लिए प्राधिकार भी विभाग द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था।

2.4.13.2 विलंब के लिए शास्ति का आरोपण नहीं करना

आरएफपी के अनुच्छेद 27 में व्यवस्था है कि चरण बद्ध समय अनुसूची का पालन नहीं करने पर बोलीदाता शास्ति हेतु दायी होगा। चार माह के विलंब तक ₹ 60 लाख की शास्ति वसूली योग्य होगी और चार महीने से अधिक विलंब के लिए, सक्षम प्राधिकारी अनुबंध को निरस्त और निष्पादन प्रतिभूति की राशि को राजसात कर सकता है।

हमने अवलोकन किया कि परियोजना जिसे नवम्बर 2013 तक पूरा किया जाना नियत था, वह जुलाई 2015 में पूरी की गई। यद्यपि, परियोजना के पूरा होने में 19 महीने का विलंब हुआ पर न तो शास्ति आरोपित की गयी थी और न ही ₹ 11.77 करोड़ की निष्पादन प्रतिभूति को राजसात किया गया था। इसके अलावा, ठेकेदार ने परियोजना में भारी विलंब के कारण लागत के लिए मुआवजे के रूप में ₹ 20.18 करोड़ की राशि का एक दावा प्रस्तुत किया था जिसे विभाग द्वारा स्वीकार कर लिया गया और उचित निर्णय हेतु शासन को अग्रेषित किया गया (मई 2016)। यह अत्यधिक अनियमित था, क्योंकि हार्डवेयर विक्रेता की निष्पादन प्रतिभूति को राजसात किए जाने के बजाय विभाग ने विलंब के लिए मुआवजे के उसके दावे को स्वीकार कर लिया और स्वीकृति के लिए शासन को अग्रेषित कर दिया।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद (मई 2016) विभाग ने कहा (मई 2016) कि हार्डवेयर की आपूर्ति की निविदाएं बार-बार निरस्त होने और सॉफ्टवेयर में किए गए परिवर्तनों के कारण हार्डवेयर की आपूर्ति में विलंब हुआ था जिसके लिए हार्डवेयर विक्रेता जिम्मेदार नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पूर्व में निविदाएं निरस्त होने और सॉफ्टवेयर में परिवर्तन के मामले का हार्डवेयर की आपूर्ति के साथ कोई संबंध नहीं था।

निर्गम सम्मेलन के दौरान प्रधान सचिव वाणिज्यिक कर विभाग ने कहा (सितम्बर 2016) कि उचित कार्यवाही की जाएगी।

2.4.14 कार्य निरंतरता योजना का अभाव

कार्य निरंतरता योजना का सर्वोत्तम अभिप्राय किसी आपदा के दौरान एवं उसके पश्चात् के काल में आवश्यक व्यापारिक गतिविधियों को निरंतर संचालित रखने के लिए संगठन द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों से है।

हमने देखा है कि दिसम्बर, 2014 से मार्च 2016 के दौरान 10 दिनों (16 जनवरी 2015 से 25 जनवरी 2015) और 11 दिनों (5 अप्रैल 2015 से 15 अप्रैल 2015) सहित कुल 30 दिनों के लिए डाटाबेस में कोई कार्य संपादन नहीं पाया गया। इन तिथियों के अलावा अन्य चार अलग-अलग अवसरों पर नौ दिनों (दो दिनों से लेकर तीन दिनों के बीच) के लिए पंजीयन की प्रक्रिया को बंद किया गया था।

विभाग ने कहा (अप्रैल 2016) कि 10 दिन की समयावधि का सर्वर के रखरखाव और 11 दिन पायलट जिलों के दिशानिर्देश की प्रविष्टि के लिए उपयोग किया गया था।

उत्तर से पता चलता है कि काम बंद रहने के समय के दौरान विभाग कार्य को निरंतर जारी रखने में विफल रहा जिससे काम बंद रहने के समय पंजीयन की प्रक्रिया में रुकावट रही।

तथापि, निर्गम सम्मेलन के दौरान प्रधान सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग ने कहा (सितम्बर 2016) कि उचित कार्यवाही की जाएगी।

हम अनुशंसा करते हैं कि परियोजना के क्रियान्वयन में विलंब के साथ ही हार्डवेयर की आपूर्ति के लिए वेण्डर्स के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जानी चाहिए जैसा कि ठेका अनुबंधों में निहित है। विभाग की ओर से खामियों के लिए भी जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जा सकती है। पूर्व में पंजीकृत संपत्तियों की ऑनलाइन खोज की सुविधा एवं एक संपत्ति की बहुविध रजिस्ट्री के खतरे से नागरिकों की रक्षा के लिए प्रणाली में प्राथमिकता के आधार पर लेगेसी डाटा का डिजीटाइजेशन तथा प्रणालीमय स्थानान्तरण को माइग्रेट किया जा सकता है। संचालन प्रणालियों को निर्बाध रूप से सुनिश्चित करने और कार्य की निरंतरता के लिए विभाग एक योजना को सूत्रबद्ध कर लागू कर सकता है।

प्रणाली के डिजाइन में कमियाँ

संपदा प्रणाली की जांच के दौरान, हमने इसके डाटाबेस और फ्रंट एण्ड रिपोर्ट्स का विश्लेषण किया। प्रणाली के डिजाइन और सत्यापन के नियंत्रणों के अभाव के अलावा, लेखापरीक्षा ने अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण और अवैध डाटा का अवलोकन किया जो सिद्ध करता है कि विभाग प्रणाली में एप्लिकेशन नियंत्रण लागू करने में विफल रहा था जैसी कि अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

2.4.15 व्यवसाय नियमों की मैपिंग में विलंब/मैपिंग नहीं होना

2.4.15.1 भूमि के विकास से संबंधित अनुबंध

(i) यदि करार ऐसी भूमि के स्वामी या पट्टेदार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसपर भूमि के विकास एवं/अथवा उस पर भवन निर्माण से संबंधित है तथा उसमें यह अनुबंध हो कि विकास के पश्चात ऐसी विकसित सम्पत्ति या उसका भाग विकासकर्ता, स्वामी के साथ या तो पृथकतः या संयुक्ततः धारित/विक्रय किया जायेगा, ऐसे अनुबंध पर भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 की अनुसूची-1 क के अनुच्छेद 6 (घ) के प्रावधानों के अनुसार शुल्क लिया जाएगा। इसके अलावा पंजीयन फीस सारणी के अनुच्छेद एक के अनुसार पंजीयन फीस उस रकम का 0.8 प्रतिशत, जिस पर कि मुद्रांक शुल्क प्रभार्य है उदग्रहणीय है।

हमने 15 उपपंजीयक कार्यालयों में अवलोकन किया कि, अगस्त 2015 और मार्च 2016 के बीच, पंजीकृत विकासकर्ता अनुबंधों के 32 दस्तावेज भूमि के विकास¹¹ के लिए भूमि के स्वामी और विकासकर्ता के बीच निष्पादित की गई थीं जिनमें विकासकर्ता का अंश 50 प्रतिशत या उससे कम था। प्रणाली द्वारा मुद्रांक शुल्क के 50 प्रतिशत की सही गणना की गई थी। तथापि, पंजीयन फीस जो विकासकर्ता की हिस्सेदारी की भूमि पर ध्यान दिए बिना सम्पूर्ण भूमि के बाजार मूल्य पर लगाया जाना चाहिए था, प्रणाली द्वारा पचास प्रतिशत पर संगणित किया गया था। इसने व्यवसाय के नियमों की गलत

¹¹ बड़वानी, भोपाल, देवास, धार, हरदा, इंदौर, जबलपुर, खरगोन, महेश्वर, नरसिंहपुर, औबेदुल्लागंज, सागर, सीहोर, सिरोंज (विदिशा) और विदिशा

मैपिंग और प्रणाली आउटपुट में दूसरे स्तर पर सत्यापन के अभाव को निर्दिष्ट किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 33.33 लाख की पंजीयन फीस की कम वसूली हुई।

(ii) अनुच्छेद 6(घ)(i) शुल्क की गणना के लिए दो विकल्प उपबध्दित करता है, यथा शुल्क या तो विकासकर्ता के हिस्से की भूमि पर (पांच प्रतिशत की दर से) या विकसित की जाने व संपूर्ण भूमि पर (2.5 प्रतिशत की दर से) जो भी अधिक हो उद्ग्राह्य थी। प्रणाली में संपूर्ण भूमि पर मूल्यांकन की सुविधा दी गई थी किन्तु विकासकर्ता के अंश के मूल्यांकन की सुविधा अनुपस्थित थी।

चूंकि प्रणाली में विकासकर्ता के अंश के बाजार मूल्यांकन की सुविधा सम्मिलित नहीं की गयी थी, मूल्यांकन केवल संपूर्ण भूमि के बाजार मूल्य पर किया जा सका। हमने पांच उप पंजीयक कार्यालयों¹² के 12 दस्तावेजों में अवलोकित किया कि इस प्रणाली के डिज़ाइन की कमी से विकासकर्ता के हिस्से की भूमि के बाजार मूल्य का अल्प मूल्यांकन हुआ और ₹ 11.84 लाख रुपए का मुद्रांक शुल्क एवं ₹ 1.89 लाख का पंजीयन फीस कम वसूला गया।

(iii) हमने छतरपुर, ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर के चार उप पंजीयक कार्यालयों में अवलोकन किया कि सितम्बर 2015 और मार्च 2016 के बीच पंजीकृत भूमि के विकास/भूमि पर निर्माण से संबंधित पांच अनुबंधों में अनुच्छेद 6(घ)(ii) के अंतर्गत त्रुटिपूर्ण तरीके से बाजार मूल्य की 0.25 प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क प्रभारित किया गया था। अनुबंध के उपवर्णनों से पता चला कि विकासकर्ता और भूमि के स्वामी द्वारा विकसित/निर्मित संपत्ति संयुक्त रूप से विक्रय की गई।

पांच में से तीन दस्तावेजों में विकासकर्ता के अंश का उल्लेख नहीं किया गया था। इस तरह के मामलों में अनुच्छेद 6(घ)(ii) के अंतर्गत स्पष्टीकरण (ii) के अनुसार यदि विकासकर्ता की हिस्सेदारी का दस्तावेज में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया तो विकासकर्ता का अंश 100 प्रतिशत ही समझा जाएगा।

छतरपुर और जबलपुर के शेष दो दस्तावेजों में, विकासकर्ता की हिस्सेदारी का क्रमशः 35 और 60 प्रतिशत उल्लेखित किया गया था। इसलिए, दस्तावेज अनुच्छेद 6(घ)(i) के अंतर्गत मूल्यांकित की जानी थी।

इस प्रकार, शुल्क की दर की गलत प्रयुक्ति के परिणामस्वरूप से ₹ 1.38 करोड़ के मुद्रांक शुल्क और ₹ 2.95 लाख के पंजीयन फीस की कम प्राप्ति हुई।

हमारे द्वारा इंगित करने पर जिला पंजीयक जबलपुर ने कहा (मई 2016) कि यह मान कर कि संपदा सॉफ्टवेयर में शुल्कों की सही ढंग से गणना की थी दस्तावेजों को पंजीकृत किया गया था। जिला पंजीयक ग्वालियर और इंदौर ने (मई और जून 2016 के बीच) कहा कि प्रकरण दर्ज किए गए और वसूली की कार्यवाही की जाएगी।

निर्गम सम्मेलन के दौरान विभाग ने प्रकरणों को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि उचित कार्यवाही की जाएगी।

2.4.15.2 बाजार मूल्य मार्गदर्शिका की उच्च दरें लागू नहीं करने के कारण राजस्व की कम प्राप्ति

वर्ष 2015-16 के लिए संपत्ति के बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए बाजार मूल्य मार्गदर्शिका में कृषि भूमि हेतु उपबंध की कंडिका-11 के अनुसार यदि एक संपत्ति के शुल्क की गणना के लिए एक से अधिक दर उपलब्ध हों तो उपलब्ध उच्च दर लागू होगी।

¹² भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सतना और विदिशा

हमने ग्वालियर की बाजार मूल्य मार्गदर्शिका की जांच के दौरान देखा कि "सिरोल" और "सूरो" गांव के बाजार मूल्य तथा उज्जैन जिले के लिए गांव "शंकरपुर" के बाजार मूल्य का दो स्थानों पर उल्लेख किया गया था अर्थात् पटवारी हल्का¹³ और वार्ड। दोनों स्थानों पर संपत्ति की दरें अलग थीं और प्रावधान के अनुसार, शुल्कों की गणना के लिए प्रणाली द्वारा उच्च दरों को लिया जाना था।

दिसम्बर 2015 और मार्च 2016 के बीच पंजीकृत दस्तावेजों की नमूना जांच के दौरान हमने देखा कि ग्राम सिरोल, सूरो एवं शंकरगढ़ से संबंधित सभी आठ मामलों में प्रणाली द्वारा संपत्ति के बाजार मूल्य की उच्च दर दरों को नहीं लिया गया था जिससे ₹ 96.62 लाख की राशि के मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस की कम वसूली हुई।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (सितम्बर 2016) विभाग ने प्रकरणों को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि उचित कार्यवाही की जाएगी।

2.4.15.3 एप्लिकेशन में संशोधन की मैपिंग में विलंब

विभाग ने दिनांक 14 जनवरी 2016 के राजपत्र अधिसूचना के जरिये एक संशोधन जारी किया था जिसके द्वारा भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899, में अनुच्छेद 38(ख) को सम्मिलित किया गया था। संशोधन में निर्धारित है कि खनन पट्टे के दस्तावेज पर संपूर्ण भुगतान योग्य राशि पर 0.75 प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क उद्ग्राह्य था।

संशोधन 14 जनवरी 2016 से प्रभावशील था और तदनुसार संशोधित प्रावधानों की मैपिंग द्वारा प्रणाली को जल्द से जल्द अद्यतन किया जाना था। लेकिन यह अवलोकित किया कि उपरोक्त अधिसूचना के संबंध में प्रणाली प्रशासक द्वारा 15 जनवरी 2016 को विलंबित रूप से एप्लिकेशन में अद्यतन किया गया। इन दिनांकों पर नौ खनन पट्टे निष्पादित किए गए थे, जिनमें से सात प्रकरणों में मुद्रांक शुल्क संशोधित दरों से लगाया जाना चाहिए था। तथापि, इन विलेखों के लिए संशोधित दर प्रयुक्त नहीं की गयी थी, परिणामस्वरूप ₹ 93.82 लाख की राशि के मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस की कम प्राप्ति हुई। विभाग को इस राशि को तुरंत वसूल करना चाहिए।

इसे इंगित किए जाने के बाद (मई 2016) उप पंजीयक शिवपुरी, रीवा, पन्ना और सीहोर ने कहा (जून 2016) कि वसूली के लिए लीज धारकों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किये गये थे जबकि जिला पंजीयक होशंगाबाद ने ₹ 65.15 लाख की वसूली के लिए आदेश जारी किए थे।

हम अनुशांसा करते हैं कि जब कभी शासन अधिनियम/नियमों में परिवर्तन अधिसूचित करता है, संपदा सॉफ्टवेयर में नियम को मैप किया जाए।

2.4.15.4 पंजीयन प्रक्रिया की त्रुटिपूर्ण शुरुआत

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 3 के अंतर्गत, अनुसूची 1-क में निर्दिष्ट या शासन द्वारा अनुसूचित निर्धारित दरों पर उनके विवरण के अनुसार दस्तावेजों पर मुद्रांक शुल्क उद्ग्रहणीय था। आगे, विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को अनुदेशित किया (मई 2015), कि मुद्रांक शुल्क की सही प्रभार्यता के लिए निष्पादनकर्ताओं के आवेदन में उल्लेखित संपत्ति विवरण/मूल्यांकन की शुरुआती प्रक्रिया में और पंजीकृत विलेख के विवरण परस्पर उपयुक्त हो। निष्पादनकर्ताओं के आवेदन और दस्तावेज के विवरण के बीच किसी विसंगति के मामले में, मुद्रांक शुल्क दस्तावेज के विवरण के अनुसार लगाया जाना था।

हमने ग्वालियर और उज्जैन में नमूना जांच के दौरान अवलोकन किया (अप्रैल से जून 2016 के बीच) कि जनवरी 2015 और मार्च 2016 के बीच पंजीकृत नौ दस्तावेजों¹⁴ में

¹³ पटवारी शासकीय कर्मचारी है जा भूमि के स्वामित्व के संबंध में अभिलेख रखता है और हल्का उसके क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामों का समूह है।
¹⁴ ग्वालियर के तीन प्रकरण और उज्जैन के छः प्रकरण

निष्पादनकर्ताओं द्वारा पंजीयन प्रक्रिया के दौरान आवेदन में प्रस्तुत जानकारी और पंजीकृत दस्तावेजों के विवरण में दिखाये गये संपत्ति के ब्यौरे के बीच विसंगति थी। प्रणाली में विलेख सृजन के समय दस्तावेज के विवरण में उल्लेखित संपत्ति के ब्यौरे का उपयोग करने के लिए कोई तंत्र नहीं था। हालांकि, मुद्रांक शुल्क दस्तावेज के विवरण के अनुसार लगाया जाना चाहिए, प्रणाली में खामियों से हटकर, उप पंजीयकों की ओर से भी कमियाँ थीं, जिन्होंने दस्तावेज के विवरण नहीं देखे थे। परिणामतः निष्पादनकर्ताओं द्वारा आवेदन में दी गई जानकारी के अनुसार मुद्रांक शुल्क वसूल किया जा रहा था, परिणामस्वरूप ₹ 47.86 लाख की राशि के शुल्क का अपवंचन हुआ। इससे संपदा में दूसरे स्तर पर सत्यापन तंत्र का अभाव परिलक्षित होता है।

हमारे द्वारा इसे इंगित किए जाने के बाद जिला पंजीयक ग्वालियर ने कहा (जून 2016) कि सभी तीन प्रकरण दर्ज किये गये थे और कार्यवाही की जाएगी। उप पंजीयक उज्जैन ने कहा (जून 2016) कि एक प्रकरण में वसूली के लिए मुद्रांक कलेक्टर को संदर्भित किया गया था जबकि तीन मामलों में मूल्यांकन सही था क्योंकि भूमि मुख्य सड़क/बायपास पर स्थित नहीं थी। अन्य मामले में उप पंजीयक ने कहा कि कृषि दर कृषि भूमि के लिए सही ढंग से प्रयुक्त की गई थी।

उप पंजीयक उज्जैन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दस्तावेजों के विवरण के अनुसार तीन मामलों में भूखंड मुख्य/बायपास सड़क पर स्थित थे और एक मामले में भूमि के सही स्थान की दर प्रयुक्त नहीं की गयी थी।

2.4.16 सत्यापन नियंत्रण

2.4.16.1 सेवा प्रदाताओं से संबंधित अनियमितताएं

लाइसेंस जारी करने के लिए सेवा प्रदाता को कोई एक पहचान साक्ष्य¹⁵ प्रस्तुत करना था जिसमें पैन¹⁶ कार्ड भी शामिल था। सेवा प्रदाता को ₹ 1000 प्रति लाइसेंस के निर्धारित लाइसेंस शुल्क के भुगतान पर लाइसेंस दिया जाना था। आगे, सेवा प्रदाताओं के लाइसेंस केवल दो साल के लिए वैध थे।

हमने 4,170 सेवा प्रदाताओं के डाटाबेस की जांच की और अवलोकन किया कि 3,595 आवेदकों ने लाइसेंस जारी करने के लिए पहचान के साक्ष्य के रूप में पैन को चुना था जिनमें से 57 पैन नंबर अमान्य थे। सात सेवा प्रदाताओं को निर्धारित लाइसेंस फीस प्राप्त किए बिना ही लाइसेंस जारी किए गए थे। लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद भी 33 सेवा प्रदाताओं ने दस्तावेजों के पंजीयन की सुविधा के लिए 2,618 दस्तावेजों को संसाधित किया था। इसी तरह 31 सेवा प्रदाताओं ने उनके लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद भी ₹ 11.26 करोड़ की राशि के 2,672 ई-स्टाम्प उत्पन्न किये थे।

निर्गम सम्मेलन के दौरान विभाग ने बताया (सितम्बर 2016) कि प्रकरणों के विश्लेषण के बाद कार्यवाही आरंभ की जाएगी और अनुपस्थित सत्यापन के नियंत्रणों को प्रणाली में शामिल किया जाएगा।

2.4.16.2 दिनांक और समय दर्ज करने में अशुद्धियाँ

डाटाबेस में डाटा को जोड़ने या संशोधित करते समय डाटाबेस में तालिकाओं में इस तरह के बदलाव करने वाले उपयोगकर्ता की यूजर आईडी संग्रहीत होती है। तालिकाएं रिकॉर्ड के सृजन/अपडेशन की दिनांक और समय भी दर्ज करती हैं।

¹⁵ निर्वाचन कार्ड, किसान कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्रायविंग लाइसेंस, बैंक पास बुक एवं आधार कार्ड
¹⁶ पैन - स्थायी खाता संख्या

पंजीयन के लिए भुगतान विवरण संबंधित तालिका की जांच से प्रकट हुआ कि 148 मामलों में भुगतान के सृजन की दिनांक, भुगतान के अपडेशन की दिनांक से आगे की थी। इसके आगे, चेकर समय की तालिका जो पंजीयन प्रक्रिया के पूरा होने के लिए चेकर द्वारा लिए गए समय के डाटा कैप्चर करती है, की जांच से पता चला कि 107 रिकॉर्ड के मामले में पंजीयन की प्रक्रिया का शुरुआती समय पंजीयन की प्रक्रिया के समाप्ति के समय की तुलना में अधिक/आगे था।

प्रणाली द्वारा दिनांक और समय "ऑटो जेनरेटेड" था और इसलिए, डाटा में विसंगति इस बात के सूचक थे कि या तो एप्लिकेशन दोषपूर्ण था या रिकॉर्ड बैक एंड से संशोधित किये गये थे।

निर्गम सम्मेलन के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण स्वीकार कर लिया (सितम्बर 2016)।

2.4.16.3 जिले का नाम और उद्देश्य का उल्लेख किए बिना मुद्रांक जारी किया जाना

मध्यप्रदेश स्टाम्प नियम 1942 के नियम 38 (1 नवम्बर 2014 को संशोधित) के अनुसार, ई-स्टाम्प क्रय के उद्देश्य के बारे में प्रविष्टियों को मुद्रांक वेंडर द्वारा ई-स्टाम्प डाटाबेस में रखा जाएगा।

संपदा प्रणाली में ई-स्टाम्प विवरण की जांच से प्रकट हुआ कि विभिन्न मुद्रांक विक्रेताओं द्वारा 31 मार्च 2016 तक 13.83 लाख ई-स्टाम्प उत्पन्न और जारी किए गए थे जिनमें से ₹ 4.32 करोड़ मूल्य वाले 739 ई-स्टाम्प क्रय के उद्देश्य का उल्लेख किए बिना जारी किए गए थे। इसी तरह ₹ 1.38 करोड़ की राशि के 498 लेन-देन में, ई-स्टाम्प जारी करने के जिलों का नाम डाटाबेस में उपलब्ध नहीं था।

इससे पता चलता है कि नियमों के अंतर्गत अनिवार्य, आवश्यक विवरण तैयार करने की इनपुट प्रणाली में नियंत्रण उपलब्ध नहीं थे।

निर्गम सम्मेलन के दौरान विभाग ने बताया (सितम्बर 2016) कि उचित कार्यवाही की जाएगी।

2.4.16.4 गलत वर्गीकरण के कारण मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस का कम आरोपण

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, की धारा 3 के अंतर्गत, दस्तावेजों पर स्टॉम्प शुल्क अनुसूची 1 ए में निर्दिष्ट दर अथवा शासन की अधिसूचना के तहत विहित दर से उद्ग्रहणीय थी। इसके अलावा, विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को अनुदेशित किया (मई 2015), कि मुद्रांक शुल्क के सही आरोपण के लिए निष्पादनकर्ताओं के आवेदन में मूल्यांकन की आरंभिक प्रक्रिया में उल्लेखित संपत्ति विवरण और विलेखों के विवरण उचित थे एवं उचित रूप से वर्गीकृत थे। पंजीयन से पूर्व उप पंजीयक द्वारा दस्तावेज की जांच की सुविधा संपदा में उपलब्ध है, विलेख के पंजीयन के बाद उप पंजीयकों द्वारा निरीक्षण की प्रक्रिया का अनुगमन किया जाना है।

पंजीकृत दस्तावेजों की जांच के दौरान, पांच उप पंजीयक कार्यालयों¹⁷ में कुल 24,248 दस्तावेजों में से 6,062 दस्तावेजों की जांच के दौरान पाया कि नौ प्रकरणों में दस्तावेजों का गलत वर्गीकरण था जैसा नीचे दी गई तालिका में उल्लेखित है।

¹⁷ अनूपपुर, भोपाल-1, भोपाल- II सतना एवं विदिशा

तालिका 2.2
दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के कारण मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस का कम आरोपण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	उप पंजीयक कार्यालय का नाम	प्रकरणों की संख्या	पंजीयन का माह	अनियमितता की प्रकृति	उद्ग्रहणीय / उद्ग्रहित मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस	कम उद्ग्रहीत मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस
1	भोपाल-2	1	अक्टूबर 2015	प्रतिफल सहित सहमति के हस्तांतरण पत्र को प्रतिफल रहित माना गया	45.35 26.20	19.15
2	अनूपपुर	1	फ़रवरी 2016	पट्टा विलेख को कब्जे बिना बिक्री के लिए अनुबंध के रूप में माना गया	1.93 0.02	1.91
3	सतना एवं विदिशा	2	अक्टूबर 2015 और मार्च 2016	डेवलपर अनुबंध को कब्जे बिना बिक्री के लिए अनुबंध के रूप में माना गया	2.11 0.26	1.85
4	भोपाल-1	1	मार्च 2016	महत्वपूर्ण परिवर्तन सरल संशोधन के रूप में माना गया	1.08 0.02	1.06
5	अनूपपुर	1	फ़रवरी 2016	कब्जे के स्थिति के बारे में उल्लेख के बिना विक्रय के अनुबंध को कब्जे के बिना विक्रय अनुबंध माना गया	0.26 0.04	0.22
6	अनुपपुर	3	मार्च 2016	प्रीमियम एवं किराया के साथ पट्टा विलेख को केवल प्रीमियम के साथ विलेख माना गया	27.40 25.49	1.91
योग		9			78.13 52.03	26.10

यह देखा गया कि प्रणाली में प्रारंभिक प्रविष्टियाँ सेवा प्रदाताओं द्वारा की गई थीं और उप पंजीयकों से ई-पंजीयन की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने से पहले डाटा को अधिकृत करने की अपेक्षा थी। इसी तरह, जिला पंजीयकों से पंजीकृत दस्तावेज के नियमित रूप से निरीक्षण एवं शुल्क की चोरी के मामले में निष्पादनकर्ताओं के विरुद्ध मामला दर्ज करने के बाद वसूली की कार्यवाही करने की अपेक्षा थी। हमने देखा है कि उपरोक्त नौ विलेखों के प्रकरण में उप पंजीयकों एवं जिला पंजीयकों द्वारा दूसरे और तीसरे स्तर पर प्राधिकरण नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 26.10 लाख का मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस कम अधिरोपित हुई।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (सितम्बर 2016) विभाग ने प्रकरणों को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि उचित कार्यवाही की जाएगी।

2.4.16.5 डाटाबेस में महत्वपूर्ण जानकारी का अभाव


भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899, की धारा 27 के अनुसार दस्तावेजों/विलेखों में संपत्ति और पार्टी/ पार्टियों के बारे में विस्तृत जानकारी/विवरण शामिल होंगे।

पंजीयन के प्रारम्भिक प्रक्रिया प्रपत्र की संवीक्षा से पता चला कि प्रपत्र के कुछ क्षेत्र पंजीयन प्रारम्भ करने की प्रक्रिया के दौरान अनिवार्य किए गए थे लेकिन कई मामलों में डाटाबेस में इन क्षेत्रों में कोई विवरण उपलब्ध नहीं थे जैसा कि नीचे दिए चार्ट में दर्शाया गया है। इसके अलावा, जिन दस्तावेजों के पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई थी उन दस्तावेजों के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि इस प्रणाली में प्रस्तुति की दिनांक, पार्टियों के अंगूठे का निशान लेने का समय और पार्टियों की तस्वीर लेने के समय को कैचर नहीं किया था, जो कुछ अभिलेखों में अनुपस्थित था।

इसके अलावा, कई अभिलेखों में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं थी जैसा नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाया गया है

चार्ट 2.4

डाटाबेस में महत्वपूर्ण जानकारी का अभाव



2.4.16.6 आयकर अधिनियम की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 285 बी ए के अनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 30 लाख से ऊपर की पंजीकृत संपत्तियों के विवरण उप पंजीयक/पंजीयन अधिकारी द्वारा आयकर विभाग को प्रस्तुत किए जाने थे। आयकर के नियम 114 बी (पैन का अनिवार्य उद्धरण) के अनुसार संपत्ति के पंजीयन के समय ₹ पांच लाख से ऊपर की अचल संपत्ति के विक्रय/क्रय में पैन का उद्धरण आवश्यक था।

संपदा एप्लिकेशन के डाटाबेस की संवीक्षा से पता चला कि ₹ पांच लाख से अधिक मूल्य की पंजीकृत अचल संपत्तियों के 1,49,750 दस्तावेजों में से ₹ 6,055.57 करोड़ मूल्य के 34,038 विलेखों में पैन कार्ड विवरण उपलब्ध नहीं थे।

इस प्रकार ₹ पांच लाख से अधिक मूल्य की पंजीकृत संपत्तियों के संबंध में डाटाबेस में पैन कार्ड की जानकारी दर्ज नहीं होने से प्रणाली में अपर्याप्त सत्यापन नियंत्रण प्रतिबिम्बित हुआ। आगे ₹ 30 लाख से अधिक मूल्य की पंजीकृत संपत्तियों के विवरण उत्पन्न की जाने की कोई रिपोर्ट एप्लिकेशन में उपलब्ध नहीं थी जिसका मतलब यह था कि ऐसे प्रकरण आयकर विभाग को सूचित नहीं किये जा रहे थे।

निर्गम सम्मेलन के दौरान विभाग ने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया और कहा (सितम्बर 2016) कि विभाग प्रमाणीकरण नियंत्रण में सुधार करेगा।

2.4.16.7 सेवा प्रदाताओं के खातों में ऋणात्मक शेष

सेवा प्रदाताओं द्वारा उनके खातों में क्रेडिट सीमा की आपूर्ति के लिए, दो प्रकार के भुगतान तरीके उपलब्ध थे। एक प्रणाली में, सेवा प्रदाता, संपदा के माध्यम से चालान

उत्पन्न करते थे जिसमें एप्लिकेशन द्वारा आवंटित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान संदर्भ संख्या (इपीआरएन) निहित थी। इसके बाद सेवा प्रदाता संपदा के माध्यम से उत्पन्न चालानों की प्रति के साथ बैंक/कोषालय में नकदी प्रेषित करता है। संबंधित कोषालय से यह राशि साइबर कोषालय में ऑनलाइन स्थानांतरित की जाती थी और सेवा प्रदाता, पूर्ति की गई राशि के विरुद्ध क्रेडिट सीमा प्राप्त करते थे। एक अन्य विकल्प संपदा में उपलब्ध कराई गई एक लिंक के माध्यम से ई-भुगतान था जहां सेवा प्रदाता ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। इस प्रकार जमा राशि सीधे साइबर कोषालय¹⁸ के लिए जाती थी। दोनों तरीकों से प्रणाली में भुगतान की प्राप्ति के बाद, साइबर कोषालय दिन के अंत में प्राप्त राशियों का डाटा संपदा प्रणाली को स्थानांतरित करता है। तदनुसार, प्रणाली सेवा प्रदाता की क्रेडिट सीमा में वृद्धि कर देती थी जो ई-स्टाम्प उत्पन्न करने के लिए सेवा प्रदाताओं द्वारा उपयोग की जाती थी।

हमने ई-स्टाम्प जमा शेषों की नमूना जांच के दौरान अवलोकित किया कि सेवा प्रदाताओं के खातों में ऋणत्मक राशि शेष थी। 4,171 सेवा प्रदाताओं में से 403 सेवा प्रदाताओं के खाते में 31 मार्च 2016 तक ऋणत्मक शेष राशि कुल ₹ 4.08 करोड़ थी। यहाँ तक कि सेवा प्रदाताओं द्वारा ऋणत्मक शेष राशि के साथ ई-स्टाम्प उत्पन्न किये जा रहे थे और उन्हें कमीशन का भुगतान किया गया। इन ऋणत्मक शेषों का आज दिनांक तक पुनर्मिलान नहीं किया गया है (अक्टूबर 2016)।

प्रणाली सेवा प्रदाताओं के लेनदेन को प्रतिबंधित नहीं कर सकी थी जब उनके खातों में कोई शेष नहीं था। ऋणत्मक खाते सेवा प्रदाताओं द्वारा क्रेडिट सीमा को अत्यधिक निःशेष करने के कारण हो सकते थे या खाते के शेषों को अद्यतन करने में प्रणाली में कमी थी।

निर्गम सम्मेलन के दौरान विभाग ने कहा (सितम्बर 2016) यह प्रणाली में त्रुटि की वजह से था और जनवरी 2016 के बाद, ऐसे कोई मामले सूचित नहीं हुए थे तथापि इस विषय की पुनः जांच की जायेगी।

2.4.16.8 पर्यवेक्षण नियंत्रण का अभाव

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-ए के अनुच्छेद 38(ख) (राजपत्र अधिसूचना दिनांक 14 जनवरी 2016 द्वारा संशोधित) के अनुसार खनन पट्टे की किसी भी अवधि सहित, पट्टे या उप पट्टे, के अंतर्गत भुगतान योग्य या प्रदेय योग्य संपूर्ण राशि पर 0.75 प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क उद्ग्राह्य था। इसके अलावा, भारतीय पंजीयन अधिनियम, 1908, के अनुसार, पंजीयन फीस, मुद्रांक शुल्क के 75 प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा।

नौ उप पंजीयक कार्यालयों¹⁹ में रिपोर्ट मॉड्यूल से खनन पट्टे (लीज डीड) दस्तावेजों की जांच के दौरान हमने पाया कि जनवरी और मार्च 2016 के बीच पंजीकृत की गई खदानों में से 21 खनन पट्टों को खनन पट्टों के अलावा अन्य के रूप में मान्य किया गया। पट्टेदारों ने ₹ 69.81 लाख की उद्ग्राह्य राशि के विरुद्ध मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस ₹ 11.68 लाख की राशि का भुगतान किया था। पट्टे की गलत श्रेणी के चयन के परिणामस्वरूप ₹ 58.13 लाख का मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस की कम वसूली हुई।

पांच उप पंजीयक कार्यालयों²⁰ में लीज डीड दस्तावेजों की जांच के दौरान हमने पाया कि पांच से 10 साल के लिए आवंटित खदानों के पट्टों के 10 दस्तावेज फरवरी और मार्च 2016 के बीच पंजीकृत किए गए थे।

¹⁸ साइबर कोषालय राज्य के लिए इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करने की सुविधा प्रदान करता है

¹⁹ आगर मालवा, अनूपपुर, बडवानी, दतिया, धार, कटनी, सोहागपुर (शहडोल), सीधी और सिंगरौली

²⁰ आगर मालवा, डबरा (ग्वालियर), जबलपुर, कटनी, और सोहागपुर (शहडोल)

इन 10 दस्तावेजों के लिए मुद्रांक शुल्क की राशि पांच से 10 वर्ष के पट्टे की अवधि के लिए, ₹ 113.90 करोड़ रुपये की राशि के संगणन के बजाय खनन विभाग को भुगतान योग्य एक वर्ष के लिए रॉयल्टी (₹ 11.64 करोड़ प्रतिवर्ष) की राशि की गणना की गई थी।

विभाग द्वारा पट्टे की अवधि के त्रुटिपूर्ण चयन से ₹ 1.32 करोड़²¹ के मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस की कम प्राप्ति हुई।

पर्यवेक्षी नियंत्रण के लिए द्वितीय स्तरीय प्राधिकरण तंत्र के अभाव के कारण पट्टों का गलत वर्गीकरण हुआ।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (सितम्बर 2016) विभाग ने मामलों को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि उचित कार्यवाही की जाएगी।

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन को डाटा की पूर्णता, सत्यता और प्राधिकार को सुनिश्चित करना चाहिए। ऋणात्मक शेषों के लिए कारणों की जांच की जाए और सेवा प्रदाता से वसूली एक समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित की जाए। संबंधित क्षेत्रों को भी उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाए, ताकि एप्लिकेशन शून्य/ऋणात्मक शेष राशि होने पर सेवा प्रदाताओं को संव्यवहार की अनुमति नहीं दे।

सूचना प्रणाली सुरक्षा

हमने अवलोकन किया कि ई-पंजीयन संपदा के लिए विभाग द्वारा कोई भी आईटी सुरक्षा नीति तैयार नहीं की गई। कमियों का विवेचन निम्नलिखित कंडिकाओं में किया गया है:

2.4.17 मास्टर तालिका में डुप्लिकेट प्रयोक्ता आईडी

संपदा प्रणाली के उपयोगकर्ताओं की मास्टर तालिका की जांच से पता चला कि उपयोगकर्ता मास्टर तालिका में 19 डुप्लिकेट उपयोगकर्ताओं की आईडी थी। लॉग इन आईडी जिसके माध्यम से उपयोगकर्ताओं को डाटाबेस देखने और डाटा में फेरबदल की पहुंच थी इस तालिका के लिए मैप थी। इंटीग्रिटी बाध्यता के अभाव में डुप्लिकेट आईडी को नियंत्रित करने के लिए, प्रणाली फेरबदल के लिए उन्मुख थी।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर, विभाग ने कहा (मई 2016) कि उपयोगकर्ता आईडी की विशिष्टता "फ्रंट एण्ड" के माध्यम से सृजित की गई थी। हालांकि, एप्लिकेशन टीम ने अब उत्पादन में भी अपेक्षित रोकधाम को प्रयुक्त किया है।

"फ्रंट एण्ड" यूजर आईडी की विशिष्टता पर नियंत्रण के संबंध में विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अगर "फ्रंट एण्ड" में इस तरह का नियंत्रण होता, तो डुप्लिकेट यूजर आईडी, डाटाबेस में अस्तित्व में ही नहीं होते।

2.4.18 पासवर्ड नीति तय नहीं होना

हमने देखा कि पासवर्ड की लंबाई, पासवर्ड के परिवर्तन की अवधि, पासवर्ड की रचना आदि के बारे में विभाग द्वारा कोई पासवर्ड नीति नहीं अपनायी गयी थी। यद्यपि, उपयोगकर्ता पासवर्ड डालने के बाद ही इस प्रणाली का उपयोग कर सकता है, लेकिन नीति के अभाव में कमजोर पासवर्ड भी स्वीकार किये जा रहे थे।

21

वार्षिक देय राशि/कुल राशि	लगाए जाने वाले मुद्रांक शुल्क/पंजीयन फीस	लगाया गया मुद्रांक शुल्क/पंजीयन फीस	कम लगाया गया मुद्रांक शुल्क/पंजीयन फीस
₹ 116385840	₹ 8542719	₹ 1022083	₹ 7520636
₹ 1139029200	₹ 6407039	₹ 769564	₹ 5637475

हमारे द्वारा इंगित किए जाने के बाद विभाग ने कहा कि सूचना प्राद्यौगिकी विभाग सुरक्षा/पासवर्ड नीति तैयार करने की प्रक्रिया में है।

2.4.19 सेवानिवृत्त अधिकारियों के खाते निष्क्रिय नहीं करना

उपयोगकर्ताओं की मास्टर तालिका की जांच से पता चला कि विभाग के 16 सेवानिवृत्त कर्मचारियों (आंतरिक उपयोगकर्ता) की लॉगिन एक्सेस उनकी सेवानिवृत्ति तिथि के बाद भी सक्रिय थी। सेवानिवृत्ति के बाद भी कर्मचारियों की लॉजिकल एक्सेस निष्क्रिय नहीं करने से उनके द्वारा परिसंपत्तियों की सूचना के दुरुपयोग का खतरा था।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने कहा (जून 2016) कि एप्लिकेशन में दोहरी सत्यापन प्रक्रिया थी; एक फ्रंट एण्ड से और एक बैक एंड से, सेवानिवृत्त अधिकारियों की सभी आईडी फ्रंट एण्ड से निष्क्रिय कर दी गयी थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एक अधिकारी की सेवानिवृत्ति की तिथि पर उसकी आईडी डाटाबेस में निष्क्रिय किया जाना चाहिए था और साथ ही डाटा तक उसकी पहुँच को बैक एण्ड से भी अवरुद्ध कर दिया जाना चाहिए था।

2.4.20 कार्य के समय से परे पंजीयन प्रक्रिया

पंजीयन के लेन-देन की तालिका की जांच से पता चला है कि 6324 पंजीयन विभिन्न विभागीय उपयोगकर्ताओं द्वारा रात 08.00 बजे और सुबह 09.00 बजे (31 मार्च 2015 और 2016 की तिथियों को छोड़कर) के बीच पूर्ण किया गया था। इससे पता चला कि लॉगिन के उपयोग के समय पर कोई नियंत्रण नहीं था। कार्यालयों में मध्य रात्रि के समय भी कामकाज के लिए कोई आदेश रिकॉर्ड पर नहीं पाए गए।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने कहा (जून 2016) कि सुबह 10.30 बजे से शाम 5.30 बजे स्लॉट बुक किया जा सकता है और स्थानीय कनेक्टिविटी समस्याओं के कारण दस्तावेजों आदि के मुद्रण के लिए आंतरिक उपयोगकर्ताओं ने कार्य के घंटे प्रास्थगित और स्थगित कर दिए होंगे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग अपनी नीति और अपने उपयोगकर्ताओं के कार्य समय पर नियंत्रण के बारे में अनुत्तरित है। हालांकि, निर्गम सम्मेलन के दौरान, विभाग ने कहा (सितम्बर 2016) कि यथोचित कार्यवाही की जाएगी।

2.4.21 सेक्योर सॉफ्टवेयर लेयर (एसएसएल) प्राप्त किये बिना परियोजना का कार्यान्वयन

सिक्योर सॉफ्टवेयर लेयर (एसएसएल) एक वेब ब्राउजर और एक वेब सर्वर के मध्य एन्क्रिप्टेड और सुरक्षित संचार को सक्षम बनाता है।

भारत शासन के पैनल में शामिल एक कंपनी द्वारा निष्पादित की गई संपदा की सुरक्षा ऑडिट में सुरक्षा को बढ़ाने के लिए उत्पादन सर्वर पर एसएसएल के नियोजन का सुझाव दिया गया था (जुलाई 2015)।

विभाग ने ई-पंजीयन सॉफ्टवेयर "संपदा" के लिए एसएसएल प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया जिसने ऑनलाइन भुगतान और संवेदनशील जानकारी के हस्तांतरण के लिए प्रणाली को असुरक्षित बना दिया है।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने (मई 2016) के बाद विभाग ने उत्तर दिया (मई 2016) कि एसएसएल क्रियान्वयन प्रक्रिया में था।

अन्य विभागों/एप्लिकेशन के साथ संपदा को एकीकृत नहीं करना

2.4.22 संदर्भित प्रकरणों के लिए प्रणाली में प्रावधान का अभाव

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 47-ए, के अंतर्गत यदि पंजीयन अधिकारी, किसी भी दस्तावेज के पंजीयन करते समय पाता है कि किसी भी संपत्ति का बाजार मूल्य जो दस्तावेज की विषय वस्तु है उस बाजार मूल्य से कम था जो बाजार मूल्य मार्गदर्शिका में दिखाया गया है तो उसे इस तरह के दस्तावेजों के पंजीयन से पहले, ऐसी संपत्तियों पर शुल्क लगाए जाने हेतु सही मूल्य के निर्धारण के लिए मुद्रांक कलेक्टर को संदर्भित करना चाहिए। इसके अलावा जुलाई 2004 के विभागीय निर्देशों के अनुसार इस तरह के मामलों के निपटान के लिए तीन महीने की अधिकतम अवधि निर्धारित की गयी थी।

हमने 22 उप पंजीयक कार्यालयों में उप पंजीयकों द्वारा निर्दिष्ट प्रकरणों की पंजी से अवलोकन किया कि मार्च 2016 तक कुल 1,358 प्रकरण संपत्तियों बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए मुद्रांक कलेक्टर को संदर्भित किए गए थे। इनमें से 775 प्रकरणों में अंतिम रूप नहीं दिया गया था, यद्यपि 75 महीने की अवधि पहले से ही निर्धारित अवधि से अधिक व्यतीत हो चुकी थी। इन प्रकरणों में उप-पंजीयकों द्वारा बाजार मूल्य के आधार पर संगणित कम लगाये गये मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस की राशि ₹ 34.87 करोड़ वसूली योग्य थी। मुद्रांक कलेक्टर द्वारा अंतिम रूप दिए जाने के बाद, इन दस्तावेजों का पंजीयन मानवीय रूप से करना था, क्योंकि संपदा एप्लिकेशन में इन प्रकरणों के ई-पंजीयन के लिए कोई प्रावधान नहीं था।

हमारे इंगित किए जाने के बाद (मई 2016), विभाग ने कहा (मई 2016) कि लंबित मामलों को निगरानी मॉड्यूल में अद्यतन किया जा सकता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निगरानी मॉड्यूल को उपयोग में नहीं लाया गया जैसा कि इस तथ्य से प्रमाणित है कि कोई डाटा मॉड्यूल में नहीं पाया गया।

तथापि, निर्गम सम्मेलन के दौरान (सितम्बर 2016) विभाग ने कहा कि उचित कार्यवाही की जाएगी।

2.4.23 ऑनलाइन सत्यापन के लिए प्रावधानों की कमी

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, की धारा 47-ए 1 (1-ए) के अनुसार जब दस्तावेज में उल्लिखित बाजार मूल्य इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी नियम के अनुसार निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं था और पंजीयन अधिकारी को यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण था कि दस्तावेज में उल्लिखित बाजार मूल्य वास्तव में सही नहीं था तो वह इस तरह के दस्तावेज को पंजीयन करेगा और उसके बाद इस तरह की संपत्ति के बाजार मूल्य के निर्धारण और देय उचित शुल्क के लिए मुद्रांक कलेक्टर को संदर्भित करेगा।

संपदा में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी जिसमें दस्तावेजों को सत्यापन के लिए मुद्रांक कलेक्टर को ऑनलाइन भेजा जा सके। इसलिए संपदा की शुरुआत के बाद भी मुद्रांका कलेक्टर को दस्तावेज संदर्भित करने की मानवीय प्रणाली जारी रही।

हमारे इंगित किए जाने के बाद (अप्रैल 2016) विभाग ने कहा (अप्रैल 2016) कि उप पंजीयक, पंजीयन के पूरा होने के बाद मुद्रांक कलेक्टर को मूल दस्तावेज भेज सकते हैं।

(ii) पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 64 के अनुसार, प्रत्येक उप पंजीयक ऐसी किसी संपत्ति के संबंध में जो पूरी तरह उसके उप-जिले में स्थित नहीं है गैर-वसीयती दस्तावेज के पंजीयन पर पृष्ठांकन और प्रमाण पत्र (अगर कोई है), एक ज्ञापन तैयार करेगा और उसी पंजीयक के अधीनस्थ जिसके अधीन वह भी है प्रत्येक दूसरे उप

पंजीयक को जिसके उप-जिले के किसी भी भाग में ऐसी संपत्ति स्थित है भेज देगा और उप पंजीयक अपनी पुस्तक क्रमांक 1 में ज्ञापन फाइल करेगा।

हमने देखा कि उप पंजीयक कार्यालयों में ज्ञापन फाइल करने के लिए उप पंजीयकों की सुविधा के लिए ऐसा कोई मॉड्यूल उपलब्ध नहीं था।

2.4.24 भूमि अभिलेखों के डाटा के साथ एकीकरण

राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी)²² भूमि रिकार्ड डाटा के साथ पंजीयन के डाटा के एकीकरण की व्यवस्था करता है। तदनुसार, उप पंजीयकों को किसी भी संपत्ति के पंजीयन पर स्वचालित रूप से संबंधित राजस्व अधिकारी को ऑनलाइन विवरण आगे प्रेषित करने आवश्यक थे। इन विवरणों में संपत्ति विवरण, पंजीयन संख्या, पंजीयन की तिथि और पार्टियों के नाम जो संपत्ति के उत्परिवर्तन के लिए राजस्व अधिकारी द्वारा उपयोग किये जाते हैं, शामिल होंगे।

हमने देखा कि भूमि अभिलेखों के डाटा के साथ पंजीयन के डाटा जोड़ने के लिए वर्तमान एप्लिकेशन में प्रावधान नहीं किया गया था। इस के अभाव में दोहरे पंजीयन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर (अप्रैल 2016) विभाग ने कहा (अप्रैल 2016) कि मध्यप्रदेश भू-अभिलेख विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा खसरा और मानचित्र के एकीकरण का कार्य किया जाना था। पांच जिलों में सैटेलाइट नक्शे एकीकृत किये गये थे जो सेवा प्रदाताओं द्वारा उपयोग किये जा रहे थे।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (सितम्बर 2016) विभाग ने कहा कि उचित कार्यवाही की जाएगी।

2.4.25 संपत्ति की ऋणात्मक सूची उत्पन्न नहीं की गई

शासन की अनुमति के बिना जनोपयोगी भूमि और शासकीय भूमि के पंजीयन और आयकर विभाग, प्रवर्तन विभाग और न्यायालयों द्वारा निषिद्ध संपत्तियों के लेन-देन को रोकने के उद्देश्य से इन विभागों ने पंजीयन विभाग को नोटिस जारी किया और नोटिस में किए गए अनुरोध के अनुसार कार्य करने के लिए कहा।

हमने देखा कि ऐसी संपत्तियों का ब्यौरा दर्ज करने के लिए फाइलों को मानवीय रूप से संधारित किया जा रहा था।

इस तरह की संपत्तियों के पंजीयन स्वचालित रूप से प्रतिबंधित करने के लिए प्रणाली में एक प्रावधान सृजित करना चाहिए।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (सितम्बर 2016) विभाग ने कहा कि उचित कार्यवाही की जाएगी।

2.4.26 डाटाबेस तथा मार्गदर्शिका से अधिक प्रतिफल पर संपत्ति के विश्लेषण का अभाव

मध्यप्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शिका निर्माण और पुनरीक्षण दिशानिर्देश नियमावली, 2000 के नियम 4(2) के अनुसार जिला मूल्यांकन समिति, संपत्ति के मूल्यांकों और संपत्ति के रुझान पर जानकारी इकट्ठा करने का कार्य करेगी जिसे मौजूदा डाटा के साथ-साथ प्राथमिक डाटा के रूप में संकलित किया जाएगा और उप जिले से प्राप्त अन्य जानकारी के साथ संपदा के माध्यम से प्राप्त फार्मेट में प्रस्तावित मूल्यांकों का विश्लेषण करेगी।

²² भारत सरकार का भूमि संसाधन विभाग राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) का क्रियान्वयन कर रहा है जिसमें आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर भूमि का सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण, भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण, नक्शों के डिजिटलीकरण, पंजीकरण और उत्परिवर्तन प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण और इन सभी का एक सहज प्रणाली में एकीकरण

तथापि, हमने संपदा प्रणाली में देखा कि लेनदेन के संबंध में जिला मूल्यांकन समिति को आवश्यक डाटा संचारित करने के लिए सॉफ्टवेयर में कोई मॉड्यूल विकसित नहीं किया गया था, जहां प्रतिफल, दरों के वार्षिक विवरण (एएसआर) के अनुसार बाजार मूल्य/दिशानिर्देश की तुलना में अधिक था। इसके अलावा, पंजीयन अधिकारियों को प्रणाली उत्पन्न मूल्यांकन के बजाय बाजार मूल्य की हस्तगणना पर निर्भर रहना था।

हमारे इंगित किए जाने के बाद (मई 2016), विभाग ने कहा (मई 2016) कि लेखापरीक्षा अवलोकन को अगले संस्करण के लिए एक सुझाव के रूप में नोट किया गया था।

सेवा प्रदान करने में कमियाँ

ई-पंजीयन (संपदा) के कार्यान्वयन के बाद नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने में परिचालन दक्षता के अभाव के उदाहरण लेखापरीक्षा द्वारा देखे गये हैं जिन पर नीचे चर्चा की जा रही है :

2.4.27 प्रणाली उपयोगकर्ता के लिए सुलभ प्रारूप में न होना

संपत्ति के मूल्यांकन और शुल्क गणना के लिए एक व्यक्ति को लॉगिन आईडी बनानी होती है और पंजीकृत करने के लिए उसके विवरण देने होते हैं जिसमें कम से कम 20 अनिवार्य क्षेत्र शामिल हैं। संपदा डाटाबेस की जांच के दौरान हमने देखा कि उन पंजीकृत 13,55,161 उपयोगकर्ताओं (पार्टियों) में से केवल 5,19,553 पार्टियाँ अंतिम रूप से दस्तावेजों के पंजीयन के लिए उप पंजीयक (परीक्षक) तक पहुंची थीं। इससे पता चला कि 62 प्रतिशत (8,35,608) पार्टियाँ जिन्होंने पंजीयन किया था सेवा प्रदाता के स्तर पर शुरुआत के बाद दस्तावेजों की ई-पंजीयन की प्रक्रिया तक नहीं पहुंच सके थे जैसा कि नीचे दिए गए चार्ट में दिखाया गया है:

चार्ट 2.5

प्रणाली का उपयोगकर्ता के लिए सुलभ प्रारूप में न होना



एक संपत्ति मूल्यांकन और शुल्क संगणक सभी नागरिकों के लिए वेबसाइट में उपलब्ध कराया जा सकता था। लोग इन आईडी का सृजन केवल उन नागरिकों के लिए अनिवार्य बनाया जाना चाहिए था जो दस्तावेजों को पंजीकृत करना चाहते थे।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर, विभाग ने उत्तर दिया कि पंजीयन की प्रक्रिया को इस तरह डिजाइन किया गया था कि उपयोगकर्ता पंजीयन से संबंधित आंशिक विवरण सुरक्षित रख सकता है।

2.4.28 पंजीकृत दस्तावेजों की डिलीवरी में विलंब

महानिरीक्षक पंजीयन और मुद्रांक अधीक्षक के आदेश (जून 2015) के अनुसार, दस्तावेजों के प्रिन्ट ई-पंजीयन के पूरा होने के तुरंत बाद लिया जाएगा और समय पर पार्टी को दिया जाएगा।

मानवीय प्रक्रिया में पंजीयन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक से दो दिन आवश्यक थे और पंजीयन के समय को घटाकर 15 मिनट करने के उद्देश्य से संपदा को क्रियान्वित किया गया था।

संपदा की पंजीयन लेनदेन विवरण डाटाबेस की तालिका से संबंधित डाटा की संवीक्षा से पता चला कि पूर्ण पंजीयन के 4,22,387 प्रकरणों में से 1,22,164 (29 प्रतिशत) में पंजीकृत दस्तावेजों की डिलीवरी के लिए एक दिन से लेकर 460 दिनों का विलंब था। आगे, 541 मामलों में लिया गया समय मापा नहीं जा सकता क्योंकि "पंजीयन के पूरा होने की दिनांक" या "मुद्रण समय" की जानकारी डाटाबेस में उपलब्ध नहीं थी। 10 प्रकरणों में लिया गया समय ऋणात्मक मान में पाया गया क्योंकि मुद्रण समय, पंजीयन पूरा होने की दिनांक/समय से भी कम था।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने के बाद विभाग ने प्रणाली में विसंगति को स्वीकार करने हुए बताया (जून 2016) कि दस्तावेजों में कुछ क्षेत्रों का मुद्रण न होने और दस्तावेजों में से कुछ का आंशिक मुद्रण होने के कारण दस्तावेजों की डिलीवरी विलंबित हुई।

निर्गम सम्मेलन के दौरान विभाग ने कहा कि स्वान कनेक्टिविटी और अन्य संबंधित मुद्दों जैसी कई बाहरी बाधाएं हैं।

2.4.29 संपदा की कतार प्रबंधन सुविधा का क्रियान्वयन नहीं होना

संपदा का उद्देश्य पंजीयन की प्रक्रिया को गतिमान, सरल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना था। उप पंजीयक कार्यालयों में लंबे समय तक प्रतीक्षा और अनावश्यक भीड़ जमा होने को कम करने के लिए एप्लिकेशन में कतार प्रबंधन की एक प्रणाली को विकसित किया गया था।

तथापि, हमने पाया कि जल्दी और आसानी से ई-पंजीयन के लाभ प्राप्त करने की सुविधा से नागरिकों को वंचित करते हुए विभाग द्वारा कतार प्रबंधन को कार्यान्वित नहीं किया जा सका था।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने के बाद विभाग ने कहा कि कतार प्रबंधन प्रणाली को प्रणाली में विकसित किया गया है, लेकिन कुछ अपडेशन किया जा रहा था।

2.4.30 एप्लिकेशन में ऑन लाइन वापसी और उपयोगकर्ता द्वारा ई-स्टाम्प के मुद्रण को शामिल नहीं किया गया

भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899, की धारा 54 के अनुसार जब किसी व्यक्ति के पास ऐसे मुद्रांक थे जो खराब नहीं हुए थे या अयोग्य अथवा नियत उद्देश्य के लिए अनुपयुक्त नहीं थे, कलेक्टर, मुद्रांक के मूल्य के 10 प्रतिशत की कटौती कर ऐसे मुद्रांका का मूल्य उस व्यक्ति को चुकता करेगा।

हमने देखा कि संपदा एप्लिकेशन में इस तरह ऑनलाइन वापसी की कोई सुविधा शामिल नहीं थी और वापसियाँ मानवीय रूप से की जा रही थीं।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद (अप्रैल 2016) विभाग ने उत्तर दिया (अप्रैल 2016) कि प्रकरणों को अलग से प्रकरण निगरानी मॉड्यूल के अंतर्गत वापसी के लिए पंजीकृत किया जा सकता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रकरण निगरानी मॉड्यूल कार्यरत नहीं था। इसके अलावा, निष्क्रिय ई-स्टाम्प जिसके लिए वापसी पहले ही कर दी गई है के दुरुपयोग रोकने के लिए ई-स्टाम्प कोड की वास्तविक निष्क्रियता जांचने के लिए ई-स्टाम्प वार वापसी रिपोर्ट प्रणाली में उपलब्ध नहीं थी।

तथापि, निर्गम सम्मेलन के दौरान (सितम्बर 2016) विभाग ने कहा कि उचित कार्यवाही की जाएगी।

2.4.31 पंजीयन और पंजीयन शुल्क के ऑनलाइन भुगतान पर न्यून प्रतिक्रिया

संपदा के उद्देश्यों के अनुसार, एक बाहरी उपयोगकर्ता सेवा प्रदाता की सेवाएं प्राप्त किए बिना अपनी संपत्ति पंजीकृत कर सकता है। यह देखा गया है कि 4.22 लाख प्रकरणों (दिसम्बर 2014 और मार्च 2016 के मध्य) में से केवल 8,620 बाहरी उपयोगकर्ताओं ने संपदा के माध्यम से अपने दस्तावेजों का ई-पंजीयन किया था। इतने कम बाहरी उपयोगकर्ताओं द्वारा इस सुविधा के उपयोग ने दर्शाया कि विभाग द्वारा नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए पर्याप्त प्रचार नहीं किया गया था। इस प्रकार किसी भी मध्यस्थ के बिना व्यक्तियों द्वारा ई-पंजीयन का मूल उद्देश्यों हासिल नहीं हुआ। इसके अलावा, जिन दस्तावेजों के लिए पंजीयन वैकल्पिक था उनके मामले में, बाहरी उपयोगकर्ता अभी भी ई-स्टाम्प क्रय के लिए सेवा प्रदाताओं पर निर्भर थे।

पंजीयन कार्यालयों में नकद लेनदेन से बचने के लिए विभाग ने ई-पंजीयन (संपदा) के माध्यम से अगस्त 2015 से ई-स्टेम्पिंग और पंजीयन फीस के ऑनलाइन भुगतान की प्रणाली आरंभ की। मुद्रांक शुल्क के संग्रह की व्यवस्था को पूरी तरह से "कैश-लेस" कर दिया गया था, पंजीयन फीस का नकद या ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है।

ई-पंजीयन की ऑनलाइन प्रणाली के कार्यान्वयन के बाद भी लेखापरीक्षा द्वारा भारी नकदी लेनदेन के उदाहरण देखे गए। हमने चयनित 17 जिलों में अगस्त 2015 से मार्च 2016 की अवधि में देखा कि पंजीयन फीस के लिए ₹ 0.27 लाख की राशि ऑनलाइन भुगतान माध्यम से और ₹ 1,776.32 लाख की शेष राशि नकदी के माध्यम से एकत्रित की गयी थी।

तथापि, निर्गम सम्मेलन के दौरान (सितम्बर 2016) विभाग ने सहमति व्यक्त की और आश्वासन दिया कि जल्द ही प्रणाली कैशलेस होगी।

2.4.32 प्रतिपुष्टि और शिकायतों पर विलंबित प्रतिक्रिया


महानिरीक्षक के एसआरएस परिशिष्ट की कंडिका 3.2 के अनुसार, प्रणाली, नागरिकों को प्रतिपुष्टि/शिकायतों की सुविधा प्रदान करेगी। इस तरह की शिकायतों का निराकरण अंतिम उपयोगकर्ताओं को ईमेल के माध्यम से अपनी टिप्पणी भेजकर जिला पंजीयक द्वारा किया जाना था।

प्रतिपुष्टि और शिकायतों के डाटाबेस की संवीक्षा (अप्रैल 2016) से पता चला है कि संपदा एप्लिकेशन में प्राप्त 3,360 शिकायतों में से 2,534 शिकायतें लंबित पड़ी थीं। शिकायतों की प्रमुख प्रकृति मुद्रण से संबंधित मुद्दे (232 प्रकरण) क्रेडिट सीमा नहीं बढ़ाने (227 प्रकरण), सेवा प्रदाता से संबंधित मुद्दे (81 प्रकरण) स्लॉट संबंधित (43 प्रकरण), असफल लेनदेन (25 प्रकरण) और विविध अन्य शिकायतों (1,926) के मुद्दे थे।

शिकायतों के लंबित मामले नीचे दिए गए चार्ट में दिखाये गए हैं :

चार्ट 2.6


फीड बैक/शिकायतों पर विलंबित प्रतिक्रिया



विभाग ने अपने आंतरिक उपयोगकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं के लिए “बीएमसी टिकट उपकरण” सॉफ्टवेयर का शिकायत निवारण तंत्र के रूप में उपयोग किया। यह देखा गया कि लेखापरीक्षा को अपूर्ण डाटा उपलब्ध कराया गया था (जून 2016) क्योंकि 24,306 अभिलेखों में से 3,192 अभिलेख अप्राप्त थे परिणामतः, बीएमसी टिकट उपकरण के पूरे डाटा का विश्लेषण लेखापरीक्षा द्वारा नहीं किया जा सका। उपलब्ध डाटा की जांच से पता चला है कि किसी भी रिकॉर्ड के विरुद्ध शिकायतों के समाधान के समय और दिनांक का उल्लेख नहीं किया गया था। इस प्रकार, शिकायतों के समाधान में लिया गया समय लेखापरीक्षा द्वारा अवधारित नहीं किया जा सका। प्राप्त हुई प्रमुख प्रकृति की 18,637 शिकायतों में से 9,195 प्रकरणों (49 प्रतिशत) की शिकायतों का समाधान नहीं किया गया था जिसका विवरण नीचे दिए गए चार्ट में दिखाया गया है :

चार्ट 2.7

शिकायतों की कुल संख्या, शिकायतों का उत्तर दिया एवं बीएमसी डाटाबेस में नहीं दिखाई गई शिकायतें



इस प्रकार, जिन मुद्दों पर पिछली कंडिकाओं में प्रकाश डाला गया है से देखा जा सकता है, पंजीकृत दस्तावेजों की डिलीवरी में देरी, प्रतिक्रिया (फीड बैक)/शिकायतों के लिए विलंबित प्रतिक्रिया आदि जैसे कारणों से समग्र परिचालन प्रभावकारिता का परिकल्पित स्तर तक सुधार नहीं किया जा सका। हमारे द्वारा किए गए एक लाभार्थी सर्वेक्षण से भी इस की और पुष्टि हुई।

हमने अंतिम उपयोगकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं हेतु लाभार्थी सर्वेक्षण के लिए लगभग 240 प्रश्नावली फार्म (परिशिष्ट-I) वितरित किए। हमें 142 अंतिम उपयोगकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं की प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं। इनमें से 73 (लगभग 50 प्रतिशत) अंतिम उपयोगकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं ने संपदा (परिशिष्ट-II) के अंतर्गत प्रदत्त सेवाओं पर असंतोष व्यक्त किया था।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (सितम्बर 2016) विभाग ने कहा कि यह जल्द ही सुलझा लिया जाएगा।

हमारा अनुशंसा करते हैं कि नागरिकों की सुविधा के लिए संपत्ति मूल्यांकन और शुल्क गणना का संगणक वेबसाइट में उपलब्ध कराया जा सकता है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र मजबूत बनाया जाना चाहिए।

आंतरिक नियंत्रण तंत्र में कमियाँ

2.4.33 लेखापरीक्षा और निरीक्षण मॉड्यूल का उपयोग नहीं करना

संपदा के अंतर्गत लेखापरीक्षा और निरीक्षण मॉड्यूल, जिला पंजीयक द्वारा उचित वर्गीकरण और मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक दस्तावेज के निरीक्षण हेतु आंतरिक नियंत्रण तंत्र बनाने के उद्देश्य के साथ तैयार किया गया था।

इसके अलावा, विभाग ने दस्तावेजों के वर्गीकरण और मूल्यांकन सत्यापित करने के लिए जिला पंजीयकों के लिए अनुदेश (मई 2015) जारी किए।

हमने लेखापरीक्षा और निरीक्षण मॉड्यूल की जांच के दौरान अवलोकित किया कि मॉड्यूल कार्य नहीं कर रहे थे। मॉड्यूल में आन्तरिक निरीक्षण और आंतरिक लेखापरीक्षा से संबंधित कोई रिपोर्ट नहीं पायी गई।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (सितम्बर 2016), प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग ने कहा है कि वे डाटा एनालिसिस विंग की स्थापना द्वारा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ बना रहे थे।

2.4.34 अप्रभावी स्थल सत्यापन नीति

दिसम्बर 2012 तक शहरी क्षेत्रों में स्थल सत्यापन नीति शत प्रतिशत लागू थी। यादृच्छिक स्थल सत्यापन नीति जनवरी 2013 में लागू की गयी थी। महानिरीक्षक पंजीयन ने ई-पंजीयन प्रणाली में, कंप्यूटरीकृत वातावरण के साथ सुसंगत करने के लिए नई यादृच्छिक स्थल सत्यापन नीति (मई 2015) जारी की। संपदा के अंतर्गत स्पॉट निरीक्षण मॉड्यूल जिला पंजीयकों को पंजीकृत संपत्तियों का यादृच्छिक चयन करने और उप पंजीयकों के लिए निरीक्षण आवंटित करने के लिए सक्षम बनाता है। उप पंजीयक इस मॉड्यूल पर क्लिक करके इन संपत्तियों को देख सकते थे।

हमने पाया कि उप पंजीयकों को संपत्तियों के निरीक्षण आवंटित करने तथा इसकी निगरानी के लिए जिला पंजीयकों द्वारा इस मॉड्यूल का उपयोग नहीं किया जा रहा था।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (सितम्बर 2016) विभाग ने कहा कि उचित कार्यवाही की जाएगी।

2.4.35 जब्त दस्तावेजों के परीक्षण में निष्क्रियता

भारतीय मुद्रांका अधिनियम 1899 की धारा 33 के अनुसार, हर व्यक्ति को विधि द्वारा या पार्टियों की सहमति से, साक्ष्य प्राप्त करने का प्राधिकार है और एक सार्वजनिक कार्यालय के प्रभारी प्रत्येक व्यक्ति को, जिसके सामने कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है या उसके कार्यों के निष्पादन में सामने आता है जिस पर उसकी राय में शुल्क प्रभार्य है यदि उसे यह प्रतीत होता है कि ऐसी दस्तावेज पर सम्यक रूप से मुद्रांक नहीं लगे हैं, वह उसे जब्त कर लेगा।

ई-संपदा के प्रकरण निगरानी मॉड्यूल के अंतर्गत, उप पंजीयक असम्यक रूप से मुद्रांक के प्रकरणों को जिला पंजीयक को ऑनलाइन भेज सकता है और जिला पंजीयक इन मामलों के निपटान के लिए निष्पादनकर्ताओं को नोटिस भेज सकता है। जिला पंजीयक लोक अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए प्रकरणों की जांच के लिए जहां उचित मुद्रांक शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था अन्य कार्यालयों का निरीक्षण कर सकता है और इस तरह के प्रकरण इस मॉड्यूल में दर्ज करेगा।

हमने डाटाबेस से अवलोकित किया कि अगस्त, 2015 से मार्च 2016 की अवधि से संबंधित ₹ 3.32 करोड़ रुपये मूल्य के 30 प्रकरण जब्त किए गए थे जो अनिराकृत पड़े थे और प्रकरणों के निपटान के लिए कभी भी जिला पंजीयकों ने कोई कार्यवाही नहीं की थी।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (सितम्बर 2016) विभाग ने कहा कि जिला पंजीयक इन मामलों के निपटान के लिए जिम्मेदार था; हालांकि, विभाग इन मामलों की नियमित रूप से निगरानी करेगा।

2.4.36 मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस के पुनर्मिलान का अभाव

मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 30 के अनुसार, विभाग को शासन के खाते में प्रेषित प्रत्येक प्राप्ति का कोषालय के माध्यम से पुनर्मिलान आवश्यक था। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि ई-पंजीयन प्रणाली में ऐसा कोई तंत्र नहीं था जिससे साइबर कोषालय में सभी प्राप्तियों का कोषालय के माध्यम से या ई-पेमेंट के माध्यम से पुनर्मिलान किया जा सके। यद्यपि, प्रणाली के माध्यम से ₹ 2,478.39 करोड़ की राशि के ई-स्टाम्प जून 2016 तक उत्पन्न किए गए थे दिसम्बर 2014 से मई 2016 तक पुनर्मिलान के लिए प्रणाली में न तो कोई मॉड्यूल अस्तित्व में था, और न ही इस उद्देश्य के लिए कोई प्रणाली विकसित की गयी थी। साइबर कोषालय से प्राप्तियों के लेनदेन की परिशुद्धता की पुष्टि करने के लिए प्रणाली में कोई व्यवस्था नहीं थी। पैसे के लेन-देन के बाद इनको ई.पी.आर.एन. से समुचित मिलान नहीं किये जा रहे थे और इसके अभाव में यह संभव है कि लेन-देन के परिशुद्धता को सत्यापित नहीं किया जा सकता था। निहित जोखिम इस तथ्य से और भी मजबूत होता है कि सेवा प्रदाताओं के 403 प्रकरणों में ₹ 4.08 करोड़ के ऋणात्मक शेष ध्यान में आए थे।

2.4.37 शासन के खाते में प्रेषण में विलंब

मध्यप्रदेश कोषालय संहिता के नियम सात के अनुसार शासकीय कर्मचारियों द्वारा एकत्रित/प्राप्त सभी नकदी बिना विलंब के कोषालय या बैंक में जमा की जानी चाहिये। इसके अलावा, विभाग के कार्यकारी निर्देशों की कंडिका 120 के अनुसार, शासकीय कर्मचारी द्वारा किसी दिन के दौरान प्राप्त नकदी को अगले दिन बैंक में जमा किया जाना है।

इस उद्देश्य हेतु संपदा के राजस्व प्रबंधन मॉड्यूल के माध्यम से पुनर्मिलान की रिपोर्ट के स्वयं सृजन की सुविधा के लिए कोषालय, बैंक और संपदा एप्लिकेशन के साथ एक एकीकृत प्रणाली विकसित की गयी थी।

पुनर्मिलान रिपोर्ट की जांच से ज्ञात हुआ कि 11 जिलों में नकदी में प्राप्त ₹ 38.71 लाख की पंजीयन फीस चार से लेकर 83 दिन के विलंब से राजकोष में जमा की गयी थी (अगस्त और सितम्बर 2015)।

विभाग द्वारा सॉफ्टवेयर में उपलब्ध मॉनीटरिंग तंत्र का उपयोग नहीं किया गया था।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2016) के दौरान विभाग ने स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि पुनर्मिलान प्रक्रिया और इसकी रिपोर्ट का सृजन शीघ्र ही आरंभ किया जाएगा।

2.4.38 निष्कर्ष

मध्यप्रदेश में अगस्त 2015 से लागू ई-पंजीयन प्रणाली पारदर्शिता, सेवाओं की समय से उपलब्धता और उपयोगकर्ता के लिए अनुकूलता की दिशा में, एक अच्छा कदम है। तथापि, निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, ठेका प्रबंधन, एप्लिकेशन और सामान्य नियंत्रण तथा परिचालन निष्पादन में कुछ कमियाँ भी परिलक्षित हुई थीं जैसा नीचे संक्षेपित है:

- विभाग अभी भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रदाताओं की सेवाओं पर निर्भर है क्योंकि इसके स्वयं के कर्मचारी कंप्यूटरीकृत वातावरण में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित नहीं हैं।
- विभाग के कम्प्यूटरीकरण के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए योजना और प्रणाली के कार्यान्वयन अपर्याप्त थे; इसके फलस्वरूप परियोजना असामान्य रूप से विलंबित हुई।
- विभाग अधिनियम और नियमों में संशोधनों को दर्ज करने में विफल रहा जब उनमें परिवर्तन अधिसूचित किये गये।
- सॉफ्टवेयर में व्यापार के नियम पूरी तरह से मैपड नहीं थे और विभिन्न स्तरों पर मानवीय हस्तक्षेप आवश्यक था। द्वितीय स्तर पर अपर्याप्त प्राधिकरण विक्रय विलेखों के गलत वर्गीकरण, दस्तावेजों के अधोमूल्यांकन और दरों की गलत प्रयुक्ति में परिणित हुआ।
- निष्पादनकर्ताओं को पंजीकृत दस्तावेजों के प्रदाय में अत्यधिक विलंब हुआ था। नागरिकों की शिकायतों का शीघ्रता से समाधान किया जाना नहीं पाया गया क्योंकि बड़ी संख्या में शिकायतें लंबित थीं।

2.4.39 अनुशंसाएँ

- विभाग अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए मैनिट भोपाल, आईआईटी इंदौर, आदि राज्य आधारित अनुसंधान संस्थानों की सेवाओं का उपयोग कर सकता है और स्वयं की एक समप्रित आईटी समर्थन टीम बना सकता है। विभाग दस्तावेजों के पंजीयन से संबंधित डाटा की संवेदनशील प्रकृति को ध्यान में रखते हुए संपदा के अंतर्गत ई-पंजीयन से संबंधित कार्य में आउटसोर्स व्यक्तियों की सेवाओं को समाप्त करने पर विचार कर सकता है।
- परियोजना के क्रियान्वयन के साथ ही हार्डवेयर की आपूर्ति में विलंब के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। लेगेसी डाटा को प्राथमिकता के आधार पर डिजीटल और प्रणाली में माइग्रेट किया जा सकता है ताकि संपत्ति के बहुविध पंजीयन के खतरे से नागरिकों की रक्षा की जा सके।

- जब भी शासन अधिनियम/नियमों में परिवर्तन अधिसूचित करें, नियमों को संपदा सॉफ्टवेयर में दर्ज किया जा सकता है।
- राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए अधिनियम के प्रावधानों को एप्लिकेशन में उपयुक्त रूप से दर्ज किया जा सकता है। राजस्व की उचित वसूली सुनिश्चित करने के लिए डाटा और दस्तावेजों का द्वितीय स्तर पर प्राधिकरण, प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित किया जा सकता है।
- पंजीकृत दस्तावेज संपदा के उद्देश्यों में परिभाषित समय के भीतर पार्टियों को भेजे जाने चाहिए। शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत बनाया जा सकता है, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित करने और उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाने के लिए संपदा के मूल उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। मानवीय हस्तक्षेप को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए शासन संपदा के सभी मॉड्यूल को पूर्णरूप से परिचालित कर सकती है।

2.5 उप पंजीयकों द्वारा संदर्भित प्रकरणों के निराकरण में विलम्ब

उप पंजीयकों द्वारा संपत्ति के बाजार मूल्य निर्धारण हेतु मुद्रांक कलेक्टर (जिला पंजीयक) को संदर्भित प्रकरणों का निराकरण नहीं किया गया, यद्यपि प्रकरणों के निराकरण के लिये निर्धारित तीन माह की अवधि समाप्त हो गई थी।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 47-क के अंतर्गत, यदि पंजीयन अधिकारी किसी विलेख का पंजीयन करते समय यह पाता है कि उल्लिखित संपत्ति का बाजार मूल्य उस बाजार मूल्य से कम है जो बाजार मूल्य गाईडलाइन में दर्शाया गया है, तो उसे ऐसे विलेख को पंजीयन के पूर्व ऐसी सम्पत्ति के सही बाजार मूल्य और उस पर आरोपणीय शुल्क के निर्धारण के लिए मुद्रांक कलेक्टर को संदर्भित कर देना चाहिए। जुलाई 2004 में जारी विभागीय अनुदेशों के अनुसार, उप पंजीयक कार्यालयों द्वारा सम्पत्तियों के सही बाजार मूल्य एवं उस पर आरोपणीय शुल्क के निर्धारण हेतु मुद्रांक कलेक्टर को संदर्भित किये गये प्रकरणों के निराकरण हेतु तीन माह की अधिकतम अवधि निर्धारित की गई है।

हमने 39 उप पंजीयक कार्यालयों²³ द्वारा संदर्भित 1,484 प्रकरणों (मई 2010 तथा दिसम्बर 2015 के मध्य) की नमूना जांच (अप्रैल 2015 एवं जून 2016 के मध्य) में पाया कि मुद्रांक कलेक्टर ने तीन माह की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी 844 प्रकरणों में संपत्तियों के बाजार मूल्य का निर्धारण नहीं किया था। निर्धारित तीन माह की अवधि के पश्चात् विलम्ब की अवधि 40 दिन से लेकर तीन वर्ष नौ माह तक थी। इस प्रकार उप पंजीयकों द्वारा संदर्भित प्रकरण जिन पर ₹ 13.67 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस अंतर्निहित थी, का निराकरण नहीं हुआ था।

विभाग ने बैठक में बताया (सितम्बर 2016) कि संदर्भित प्रकरणों के 3 माह में निराकरण का आदेश विभागीय आदेश था, एवं जिला पंजीयक स्तर पर विलंब, समय की कमी के कारण हुआ है। तथापि, प्रमुख सचिव ने कहा कि अधिसूचना के आधार पर प्रकरण में पुनः विचार किया जायेगा।

हम विभाग के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि संबंधित आदेश अभी भी लागू है तथा उसका पालन होना चाहिये। इसके अलावा निर्धारित तीन माह की अवधि से विलंब 40

²³ अमरपाटन (सतना), बरेली (रायसेन), गाडरवाड़ा, इटारसी (होशंगाबाद), तराना (उज्जैन), अम्बाह (सुरेना), बड़वाह (खरगोन), महु (इन्दौर), खण्डवा, नीमच, सागर, श्योपुर, साँसर (छिन्दवाड़ा), बड़नगर (उज्जैन), बड़वानी, जायरा (रतलाम), कालापिपल (शाजापुर), कटनी, करैरा (शिवपुरी), मैहर (सतना), मंदसौर, पिपरिया, रायसेन, रतलाम, सिवनी, अलीराजपुर, हरदा, खरगोन, पोहरी (शिवपुरी), रामपुर बघेलन (सतना), सनावद (खरगोन), सिवनी, सिंगरौली, सुसनेर (आगर), छतरपुर, डबरा (ग्वालियर), दतिया, रीवा एवं शिवपुरी।

दिन से तीन वर्ष नौ माह का था। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उप पंजीयकों द्वारा संदर्भित प्रकरणों के निराकरण में अनावश्यक विलंब हुआ।

2.6 बाजार मूल्य का गलत निर्धारण

यद्यपि 297 विलेखों में संबंधित वर्ष की गाईडलाइन के अनुसार संपत्ति का बाजार मूल्य अधिक था, उप पंजीयकों द्वारा ये विलेख संपत्तियों के बाजार मूल्य की सही गणना हेतु मुद्रांक कलेक्टर की ओर संदर्भित नहीं किये गये। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस ₹ 3.89 करोड़ का कम आरोपण किया गया।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 47-क के अंतर्गत, यदि पंजीयन अधिकारी किसी विलेख का पंजीयन करते समय यह पाता है कि उल्लिखित संपत्ति का बाजार मूल्य उस बाजार मूल्य से कम है जो बाजार मूल्य गाईडलाइन में दर्शाया गया है, तो उसे ऐसे विलेख को पंजीयन के पूर्व ऐसी संपत्ति के सही बाजार मूल्य और उस पर आरोपणीय शुल्क के निर्धारण के लिए मुद्रांक कलेक्टर को संदर्भित कर देना चाहिए।

हमने 42 उप पंजीयकों कार्यालयों²⁴ में अप्रैल 2008 से मार्च 2015 के मध्य पंजीकृत 49,642 विलेखों की जांच की (मई 2015 से मार्च 2016 के मध्य) और पाया कि 297 विलेखों में गाईडलाइन अनुसार बाजार मूल्य ₹ 159.51 करोड़ के स्थान पर पंजीकृत मूल्य केवल ₹ 109.50 करोड़ था। उप पंजीयकों ने मूल्य निर्धारण हेतु प्रभावी कारक जैसे व्यवसायिक संपत्ति को आवासीय मानना, सड़क किनारे की गाईडलाइन अनुसार उच्च मूल्य सम्पत्ति, विकसित एवं व्यपवर्तित भू-खण्ड को अविकसित एवं कृषि भूमि मानना आदि का संज्ञान नहीं लिया। उप पंजीयकों ने इन विलेखों को उचित मूल्य निर्धारण एवं आरोपणीय शुल्क हेतु मुद्रांक कलेक्टर को संदर्भित नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.89 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ।

हमने प्रकरण को शासन तथा विभाग के ध्यान में लाया (मार्च 2016 एवं अगस्त 2016 के मध्य)। विभाग ने बैठक में बताया (सितम्बर 2016) कि विस्तृत उत्तर बाद में दिया जायेगा। विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

2.7 बंधक विलेखों का पंजीयन न होना

कॉलोनाइजर द्वारा विकास कार्य करने के लिए प्रतिभूति के रूप में बंधक रखे गये भू-खण्डों का पंजीयन नहीं किया गया। इन भू-खण्डों पर अनुमानित विकास व्यय ₹ 54.24 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप अनुमानित विकास व्यय की लागत पर ₹ 97.41 लाख का मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस आरोपित नहीं की गई।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 38(ख) सहपठित शासन की अधिसूचना दिनांक 24.09.2007 तथा मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 75 में कब्जा रहित बंधक विलेख पर ऐसे विलेख द्वारा प्रत्याभूत राशि के एक प्रतिशत की दर से शुल्क के आरोपण का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक कॉलोनाइजर को स्थानीय प्राधिकारियों के निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि को विकसित करना होता है तथा भूमि के विकास पर व्यय के विरुद्ध प्रतिभूति के रूप में भूमि/ भूखण्ड का 25 प्रतिशत स्थानीय प्राधिकारियों के पक्ष में बंधक रखना होता है।

²⁴ बड़वाह (खरगोन), छतरपुर, दमोह, धार, गोहद (भिण्ड), इन्दौर-4, महु (इन्दौर), नीमच, शहडोल, सौंसर (छिंदवाड़ा), अलीराजपुर, बैतूल, हरदा, इन्दौर-1, जवाहर चौक (भोपाल-2) पन्ना, परी बाजार (भोपाल-1), पांडुना (छिंदवाड़ा), विदिशा, बड़नगर (उज्जैन), बड़वानी, ईशागढ़ (अशोक नगर), जायरा (रतलाम), कटनी, मंदसौर, नलखेड़ा (आगर) रायसेन, सनावद (खरगोन), संधवा (बड़वानी), श्योपुर, सिंगरोली, सुसनेर (आगर), डबरा, ग्वालियर-1, ग्वालियर-2, हाटा (दमोह), जबलपुर-2, नलखेड़ा (इन्दौर-2), रीवा, शाजापुर, सुखलिया (इन्दौर-3) एवं थांदला (झाबुआ)।

ऐसे प्रकरणों में अनुमानित विकास व्यय प्रत्याभूत राशि होगी। साथ ही, पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 17 में प्रावधान है कि ऐसे बंधक विलेख का पंजीयन अनिवार्य है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 में प्रावधान है कि प्रत्येक लोक अधिकारी के लिये असम्यक रूप से मुद्रांकित विलेख को परिबद्ध कर अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत कार्रवाई प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा। विभाग के कार्यपालिक अनुदेशों की कंडिका 439 के अनुसार (पंजीयन अधिनियम का भाग) जिला पंजीयक द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये लोक कार्यालयों का निरीक्षण किया जाना अपेक्षित है कि ऐसे विलेखों पर मुद्रांक शुल्क सही ढंग से चुकाया जा रहा है।

हमने पांच उप पंजीयक कार्यालयों²⁵ में अप्रैल 2010 से मार्च 2015 के मध्य निष्पादित 993 बंधक विलेखों की नमूना जांच की (अप्रैल 2015 से फरवरी 2016 के मध्य) और पाया कि 17 पट्टा विलेखों में विकास कार्य हेतु बंधक बनाये गये 25 प्रतिशत भू-खण्डों को न तो पंजीकृत किया गया और न ही इन पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस जमा की गयी। यह लेखापरीक्षा के संज्ञान में तब आया जब हमने संबंधित नगर निगम कार्यालय के अभिलेखों का प्रति परीक्षण (क्रॉस चेकिंग) की।

नगर निगम प्राधिकारियों जो लोक अधिकारी के तौर पर भी कार्य करते हैं, को भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत इन विलेखों को परिबद्ध कर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के उचित मूल्यांकन हेतु जिला पंजीयक को भी संदर्भित करना चाहिये था। साथ ही इन विलेखों पर मुद्रांक शुल्क के उचित निर्धारण सुनिश्चित करने हेतु जिला पंजीयक को भी संबंधित नगर निगम कार्यालयों का निरीक्षण करना चाहिये।

मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल द्वारा उपलब्ध करायी गयी दरों के आधार पर भूमि का अनुमानित विकास व्यय ₹ 54.24 करोड़ था। इन भूमि/भूखण्डों के बंधक विलेखों का नियमानुसार पंजीयन नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप मुद्रांक शुल्क ₹ 54.24 लाख एवं पंजीयन फीस ₹ 43.17 लाख का आरोपण नहीं हुआ।

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को प्रतिवेदित किया (मई 2015 एवं मार्च 2016 के मध्य)। विभाग ने बैठक में बताया (सितम्बर 2016) कि विस्तृत उत्तर बाद में दिया जायेगा। विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

2.8 पट्टा विलेखों पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण

पंजीयन प्राधिकारियों ने पट्टा विलेखों के 16 दस्तावेजों पर मुद्रांक शुल्क ₹ 29.03 लाख एवं पंजीयन फीस ₹ 21.78 लाख आरोपित की, जबकि मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस क्रमशः ₹ 86.64 लाख एवं ₹ 60.48 लाख लगाई जानी चाहिये थी। जिसके परिणामस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस ₹ 96.31 लाख की कम प्राप्ति हुई।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 38 (दिनांक 16 सितम्बर 2014 को संशोधित) के अनुसार पट्टा विलेखों पर निर्धारित दर से अनुसार मुद्रांक शुल्क आरोपित किया जायेगा। इसके अलावा पंजीयन अधिनियम 1908 के अंतर्गत पंजीयन फीस की तालिका के अनुच्छेद-2 के अनुसार, ऐसे पट्टा विलेखों पर आरोपित मुद्रांक शुल्क का तीन चौथाई पंजीयन फीस प्रभारणीय है।

हमने जून 2015 एवं मार्च 2016 के मध्य 13 उप पंजीयक कार्यालयों²⁶ की नमूना जांच की एवं पाया कि 16 पंजीकृत पट्टों में पंजीयन अधिकारियों द्वारा या तो मुद्रांक शुल्क आरोपित करने हेतु पट्टा अवधि की गणना सही नहीं की गयी या मुद्रांक शुल्क की

²⁵ आगर, हटा (दमोह), सेंधवा (बड़वानी), सौंसर (छिन्दवाड़ा), सुसनेर (आगर)।

²⁶ छतरपुर, छिंदवाड़ा, डबरा (ग्वालियर), खण्डवा, जबलपुर-2, खरगोन, नवलखा (इन्दौर-2) शहडोल, शाजापुर, सिंगरौली, सौंसर (छिन्दवाड़ा) एवं सुखलिया (इन्दौर 3), परी बाजार भोपाल-1।

गलत दर आरोपित की गयी। आरोपणीय मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस ₹ 147.12 लाख की जगह केवल ₹ 50.81 लाख की मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस आरोपित की गयी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 96.31 लाख की मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ।

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को प्रतिवेदित किया (जुलाई 2015 एवं अप्रैल 2016 के मध्य)। विभाग ने बैठक में बताया (सितम्बर 2016) कि विस्तृत उत्तर बाद में दिया जायेगा। विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

2.9 मुखत्यारनामा के विलेखों पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण

मुखत्यारनामा के 14 विलेखों में, दस्तावेजों को बिना प्रतिफल लिये एक वर्ष से अनाधिक समय का मुखत्यारनामा विलेख मान लिया गया जबकि उसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख नहीं था कि विक्रय के अधिकार एक वर्ष से अनाधिक अवधि के लिये दिये गये हैं। परिणामस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस ₹ 71.90 लाख का कम आरोपण हुआ।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 45(घ) (07.01.2015 को संशोधित अनुच्छेद 50-घ) के अनुसार, जब मध्यप्रदेश में स्थित किसी अचल सम्पत्ति का एक वर्ष से अनाधिक अवधि के लिए विक्रय, दान, विनिमय या स्थायी रूप से संक्रात करने हेतु बिना प्रतिफल के किसी अभिकर्ता को प्राधिकृत करते हुए मुखत्यारनामा दिया जाता है तो ऐसे विलेखों पर ₹ 100/1000 (31.03.2011 तक ₹ 100 एवं उसके बाद ₹ 1000) का शुल्क प्रभारणीय है। आगे जब ऐसे अधिकार प्रतिफल सहित या बिना प्रतिफल के एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए प्रदान किये जाते हैं या जब यह अप्रतिसंहरणीय हों या जब यह किसी निश्चित अवधि के लिए तात्पर्यित न हों तो ऐसे विलेखों पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर हस्तान्तरण के समान शुल्क प्रभारणीय है। अनुच्छेद 19-क (i) के अनुसार जहाँ कोई लिखित मध्यप्रदेश के अतिरिक्त भारत के किसी भाग में इस अधिनियम के अधीन या भारत के किसी भाग में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमित के अधीन शुल्क से प्रभार्य हो तथा इसके पश्चात् धारा 3 के प्रथम परन्तुक के पद (ख) के अधीन मध्यप्रदेश में शुल्क की उच्चतर दर से प्रभार्य होती हो तो धारा 3 के प्रथम परन्तुक में किसी बात के होते हुए ऐसी लिखत पर प्रभार्य शुल्क की रकम वह रकम होगी, जो उस पर भारत में चुकाई जा चुकी रकम का, अनुसूची 1-क के अधीन उस पर प्रभार्य रकम से कम करते हुये आती है।

हमने 10 उप पंजीयक कार्यालयों²⁷ में पंजीकृत (अप्रैल 2013 से मार्च 2015 के मध्य) 6,491 मुखत्यारनामों की नमूना जांच (अप्रैल 2015 एवं मार्च 2016 के मध्य) की एवं 14 विलेखों में पाया कि इनमें विक्रय, दान, विनिमय या स्थायी रूप से संक्रात करने हेतु अधिकार दिया गया था, परन्तु इनमें बिना प्रतिफल के एक वर्ष से अनाधिक अवधि के लिये प्राधिकृत करने का कोई उल्लेख नहीं था। इन प्रकरणों में ऊपर दिये प्रावधानों के तहत ₹ 71.90 लाख का मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस आरोपणीय था। फिर भी, इन समस्त प्रकरणों में इन्हें बिना प्रतिफल के एक वर्ष से अनाधिक अवधि का मुखत्यारनामा मानकर केवल ₹ 100/1,000 का शुल्क आरोपित किया गया। परिणामस्वरूप ₹ 71.90 लाख का मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस कम आरोपित हुआ।

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को प्रतिवेदित किया (अगस्त 2015 एवं अप्रैल 2016 के मध्य)। विभाग ने बैठक में बताया (सितम्बर 2016) कि विस्तृत उत्तर बाद में दिया जायेगा। विभाग का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

²⁷ गोहद (भिण्ड), जावरा (रतलाम), महु (इन्दौर), नीमच, पिछोर (शिवपुरी), सिंगरौली, बेतूल, इन्दौर-1, जबलपुर-2 एवं नवलखा (इन्दौर-2)।

2.10 विकास/निर्माण अनुबंध पर मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस का कम आरोपण

पक्षकारों के मध्य निष्पादित आवासीय सह व्यवसायिक विकास अनुबंधों के सात प्रकरणों को कब्जा रहित विक्रय अनुबंध माना गया था। विलेखों के इस गलत वर्गीकरण से ₹ 42.24 लाख के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (आई एस एक्ट) की अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 5(घ) में प्रावधान है कि किसी भूमि पर ऐसी भूमि के स्वामी या पट्टेदार को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भवन निर्माण हेतु भूमि के विकास से संबंधित अनुबंधों की लिखतों पर 31 मार्च 2011 तक भूमि के बाजार मूल्य के दो प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क आरोपणीय था। अनुच्छेद 5(घ) में 1 अप्रैल 2011 से संशोधन किया गया है, जिसके अन्तर्गत अनुबंध में यथा वर्णित प्रस्तावित निर्माण या विकास के प्राक्कलित व्यय के बराबर बाजार मूल्य का तीन प्रतिशत मुद्रांक शुल्क आरोपित किया जायेगा। इसके बाद 1 अप्रैल 2012 को राज्य सरकार ने आवासीय कॉलोनी के विकास के प्रयोजन के लिये भूमि के विकास से संबंधित अनुबंध की लिखतों पर प्रभार्य मुद्रांक शुल्क को घटाकर एक प्रतिशत कर दिया।

इसके अतिरिक्त, विकास अनुबंध से सम्बन्धित प्रावधान जो कि अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 6 के अधीन लाये गये, यह प्रावधानित करते हैं कि 16 सितम्बर 2014 से प्रभावी भारतीय स्टाम्प अध्यादेश 2014 की अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 6 के अन्तर्गत विकास अनुबंध से सम्बन्धित प्रावधान है कि अनुबंध या अनुबंध का ज्ञापन जिसमें प्रावधानित है कि विकास के पश्चात ऐसी विकसित संपत्ति या उसका भाग विकासकर्ता, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, स्वामी/पट्टेदार के साथ या तो पृथकतः या तो संयुक्ततः धारित/विक्रय किया जायेगा, तो ऐसी लिखित पर वही शुल्क प्रभावी होगा जो कि हस्तांतरण-पत्र पर प्रभार्य होगा।

हमने तीन उप पंजीयक कार्यालयों²⁸ में अप्रैल 2014 से मार्च 2015 के मध्य पंजीयत 7,126 अनुबंधों की नमूना जांच की (दिसम्बर 2015 एवं जनवरी 2016 में) एवं पाया कि सात आवासीय सह-व्यवसायिक विकास अनुबंधों को बिना कब्जे का विक्रय अनुबंध माना गया था। इनके प्रस्तावित विकास का प्राक्कलित व्यय ₹ 16.26 करोड़ था, जिस पर ₹ 79.09 लाख का मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस प्रभार्य थी। परन्तु विभाग ने केवल ₹ 36.85 लाख का मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस आरोपित किया। विलेखों के गलत वर्गीकरण से ₹ 42.24 लाख के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम प्राप्ति हुई।

हमने प्रकरण (दिसम्बर 2015 एवं जनवरी 2016) प्रतिवेदित किया। पंजीयकों ने उत्तर में कहा कि परीक्षण उपरान्त कार्यवाही की जायेगी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण मुद्रांक कलेक्टर को संदर्भित किये जायेंगे।

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को प्रतिवेदित किया (अगस्त 2015 एवं अप्रैल 2016 के मध्य)। विभाग ने चर्चा में बताया (सितम्बर 2016) कि विस्तृत उत्तर बाद में दिया जायेगा। विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

²⁸

गोविन्दपुरा (भोपाल-3), जवाहर चौक (भोपाल-2) एवं परी बाजार (भोपाल-1)।

2.11 मोबाइल टॉवर के पट्टा विलेखों का पंजीयन न होने के फलस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण

मोबाइल टॉवर लगाने हेतु भूमि के 203 पट्टा विलेखों का अधिनियम 1908 की धारा 17 के तहत पंजीयन किया जाना अनिवार्य था। तथापि इन पट्टा विलेखों का पंजीयन नहीं किया गया और केवल ₹ 100 के स्टाम्प पेपर पर निष्पादन किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 35.91 लाख का मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899, अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 33 में निहित सूची दर अनुसार पट्टा विलेखों पर मुद्रांक शुल्क प्रभार्य होगा। पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 17 के तहत एक वर्ष से अधिक समयावधि के लिये निष्पादित विलेख का पंजीयन अनिवार्य है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 में प्रावधान है कि प्रत्येक लोक अधिकारी के लिये असम्यक रूप से मुद्रांकित विलेख को परिबद्ध कर अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत कार्रवाई प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा। पंजीयन विभाग के कार्यपालिक अनुदेशों की कंडिका 469 के अनुसार, जिला पंजीयक द्वारा यह देखने के लिए लोक कार्यालयों के अभिलेखों का निरीक्षण किया जाना अपेक्षित है कि क्या मुद्रांक शुल्क सही ढंग से चुकाया जा रहा है तथा ऐसे दस्तावेज जिनका पंजीयन आवश्यक है, उप पंजीयक कार्यालयों में प्रस्तुत किये जाते हैं।

दस नगर निगम/नगर पालिका कार्यालयों²⁹ से जानकारी एकत्रित करने पर (अप्रैल 2015 से मार्च 2016 के मध्य) पाया गया कि 203 प्रकरणों में नगर निगम/नगर पालिका ने मोबाइल टॉवर लगाने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये थे। इनमें मोबाइल फोन कम्पनियों ने मोबाइल टॉवर लगाने हेतु भू-स्वामी से एक वर्ष से तीस वर्ष तक की अवधि के लिये भूमि पट्टे पर ली थी। पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 17 के अन्तर्गत इन पट्टा विलेखों का पंजीयन अनिवार्य था। परन्तु हमने पाया कि इनका पंजीयन नहीं किया गया एवं मात्र ₹ 100 के स्टाम्प पेपर पर निष्पादन हुआ था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 35.91 लाख के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ।

हमने प्रकरण को शासन तथा विभाग के ध्यान में लाया (मई 2015 एवं अप्रैल 2016 के मध्य)। सितम्बर 2016 में बैठक के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और कहा कि विभाग के राजस्व में बढ़ोत्तरी के लिये ऐसे सभी कार्यालयों के निरीक्षण की प्रणाली को सुदृढ़ किया जायेगा, जहाँ ऐसे विलेखों का निष्पादन होता है।

2.12 विलेखों के गलत वर्गीकरण से मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण

दान-पत्र, हस्तान्तरण पत्र तथा विक्रय के विलेख के आठ प्रलेखों का गलत वर्गीकरण किया गया था एवं कम मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस आरोपित की गई थी। परिणामस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस ₹ 30.14 लाख का कम आरोपण हुआ।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899, के अनुसार विलेखों में दी गयी लिखित के आधार पर अनुसूची 1-क में दी गयी दरों अनुसार मुद्रांक शुल्क या फिर शासन द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर प्रभावी होगा। इसके अलावा अधिनियम की धारा 2(15)(iii) के अनुसार विभाजन की लिखत से अभिप्रेत है कोई ऐसी लिखत जिसके द्वारा किसी संपत्ति के सह-स्वामी ऐसी सम्पत्ति को अनाधिकृत रूप से विभाजित करे और विभाजित करने के लिये सहमति करे और इसके अन्तर्गत ऐसी लिखतें भी है जो सह-स्वामियों

²⁹

दमोह, हटा (दमोह), होशंगाबाद, इन्दौर-1, इन्दौर-4, इटारसी (होशंगाबाद), पेटलाबाद (झाबुआ), राजनगर (छतरपुर), सागर एवं विदिशा।

द्वारा हस्ताक्षरित हो तथा जिनमें सह-स्वामियों के बीच हुए ऐसे विभाजन के निबंधन, चाहे ऐसे विभाजन की घोषणा के रूप में या अन्यथा, अभिलिखित हों।

हमने जून 2015 और मार्च 2016 के मध्य सात उप पंजीयक कार्यालयों³⁰ की नमूना जांच की एवं पाया कि दान-पत्र, हस्तान्तरण-पत्र एवं विक्रय पत्र के आठ विलेखों को गलत रूप से अविभाजित हिन्दु परिवार में संपत्ति का विभाजन, संपत्ति का हस्तांतरण एवं उससे जुड़े अधिकारों के हस्तांतरण की घोषणा माना गया था। उप पंजीयकों ने इन असम्यक मुद्रांकित अभिलेखों को पंजीयन के लिये स्वीकार किया था। परिणामस्वरूप ₹ 30.14 लाख के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ। **(परिशिष्ट-III)**

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर उप पंजीयक जबलपुर-1 (जून 2015) सहमत नहीं हुए और कहा कि संपत्ति का बंटवारा हिंदू परिवार में हुआ है तथा वह संपत्ति स्वामी द्वारा स्वयं खरीदी गयी थी और उसे उसके परिवार में विभाजन के पूरे अधिकार थे, अतः विलेख को विभाजन विलेख माना गया था। जबकि अन्य उप पंजीयकों ने कहा (जून 2015 एवं मार्च 2016 के मध्य) कि प्रकरण को आवश्यक कार्यवाही हेतु मुद्रांक कलेक्टर को भेजा जायेगा। हम उप पंजीयक जबलपुर-1 के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि संपत्ति उसके स्वामी ने स्वयं खरीदी थी। वह न तो पैतृक संपत्ति थी और न ही विभाजनकर्ता उसके सह-स्वामी थे। इसके अलावा संपत्ति की लिखत में ऐसा कोई उल्लेख नहीं था कि संपत्ति अविभाजित हिंदू परिवार की हैसियत से खरीदी जा रही है, अतः दान-पत्र के अन्तर्गत आती है।

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को प्रतिवेदित किया (अगस्त 2016)। विभाग ने बैठक में बताया (सितम्बर 2016) कि विस्तृत उत्तर बाद में दिया जायेगा। विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

2.13 मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस में दी गयी छूट की प्रतिपूर्ति नहीं की गयी

2.13.1 नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एन.वी.डी.ए.) ने मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की प्रतिपूर्ति नहीं की

नर्मदा घाटी विकास परियोजना द्वारा विस्थापित लोगों के पक्ष में निष्पादित पांच विलेखों पर देय मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की प्रतिपूर्ति नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा शासन को की जानी चाहिये थी, परन्तु प्रतिपूर्ति नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप विभाग को मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के ₹ 5.68 लाख कम प्राप्त/नहीं प्राप्त हुये।

मध्यप्रदेश शासन की 12 जुलाई 2002 की अधिसूचना के अनुसार नर्मदा घाटी विकास परियोजना द्वारा विस्थापित हुये परिवार के सदस्यों द्वारा भूमि अधिग्रहण करने पर निष्पादित पट्टा अनुबंध/विक्रय अनुबंध पर उसके मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की प्रतिपूर्ति संबंधित उप पंजीयक द्वारा मांग-पत्र जारी करने पर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा शासन को की जानी थी।

हमने उप पंजीयक हरदा के अभिलेखों की नमूना जांच की (दिसम्बर 2015) एवं पाया कि नर्मदा घाटी परियोजना द्वारा विस्थापित व्यक्तियों के पक्ष में (मई 2014 से मार्च 2015 के मध्य) पांच विलेख निष्पादित किये गये। हमने पाया कि इन विलेखों के निष्पादन पर देय मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की राशि ₹ 5.68 लाख की प्रतिपूर्ति नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा शासन को की जानी थी, परन्तु संबंधित उप पंजीयक द्वारा नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की

³⁰ बड़वानी, ग्वालियर-1, इन्दौर-4, जबलपुर-1, जबलपुर-2, शहडोल एवं शाजापुर।

मांग पत्र जारी न करने के कारण प्रतिपूर्ति नहीं हुई। परिणामस्वरूप ₹ 5.68 लाख के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई।

प्रकरण इंगित किये जाने पर उप पंजीयक हरदा ने कहा कि मांग-पत्र जारी किये जा रहे हैं। प्रकरण महानिरीक्षक पंजीयन एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2016)। विभाग ने बैठक में बताया (सितम्बर 2016) कि विस्तृत उत्तर बाद में दिया जायेगा। विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

2.13.2 वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग द्वारा मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की प्रतिपूर्ति नहीं की गयी

ऑटो टेस्टिंग ट्रैक प्रोजेक्ट, पीथमपुर (जिला धार) के कारण विस्थापित हुये लोगों के पक्ष में निष्पादित 15 विलेखों के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की प्रतिपूर्ति वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग द्वारा की जानी थी, परन्तु प्रतिपूर्ति नहीं की गयी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 17.78 लाख की प्राप्ति नहीं हुई/कम प्राप्ति हुई।

मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 20 नवम्बर 2007 (यथा संशोधित) के अनुसार ऑटो टेस्टिंग ट्रैक प्रोजेक्ट, पीथमपुर (जिला धार) के कारण विस्थापित हुये लोगों के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादन होने पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की छूट दी जायेगी। अधिसूचना में यह भी उल्लेख है कि ऐसे विलेखों के पंजीयन के एक माह के अन्दर उन पर देय मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की प्रतिपूर्ति वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग द्वारा की जायेगी।

हमने उप पंजीयक धार एवं इंदौर-1 कार्यालयों की नमूना जांच की एवं पाया कि अप्रैल 2014 से मार्च 2015 के मध्य ऑटो टेस्टिंग ट्रैक प्रोजेक्ट, पीथमपुर (जिला धार) के कारण विस्थापित हुये लोगों के पक्ष में 15 विलेख निष्पादित किये गये थे। हमने पाया कि इन विलेखों पर इन पर देय मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की राशि ₹ 17.78 लाख की प्रतिपूर्ति शासन को की जानी चाहिये थी, परन्तु प्रतिपूर्ति नहीं की गयी। परिणामस्वरूप ₹ 17.78 लाख के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुयी।

हमारे द्वारा प्रकरण इंगित किये जाने पर उप पंजीयक धार ने कहा कि आठ प्रकरणों में मांग-पत्र जारी किये जा चुके हैं और शेष पांच प्रकरणों में मांग-पत्र बाद में जारी किये जायेंगे, जबकि उप पंजीयक इंदौर ने कहा कि जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को प्रतिवेदित किया (अगस्त 2016)। विभाग ने बैठक में बताया (सितम्बर 2016) कि विस्तृत उत्तर बाद में दिया जायेगा। विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

2.14 हक विलेख के निक्षेप के अनुबंध/अनुबंध का ज्ञापन, पर मुद्रांक शुल्क का कम आरोपण

पांच उप पंजीयक कार्यालयों के हक विलेख के निक्षेप के पांच प्रकरणों में अनियमित दर लगाने के कारण ₹ 29.61 लाख प्रभार्य मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की जगह केवल ₹ 7.88 लाख आरोपित की गयी, परिणामस्वरूप ₹ 21.73 लाख के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ।

हक विलेख के निक्षेप के अनुबंध पर मुद्रांक शुल्क भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1(क) के अन्तर्गत धारा 6(क) के अन्तर्गत समय-समय पर अधिसूचित दरों पर प्रभार्य होगा एवं धारा 6(क) के साथ दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार हक विलेखों के निक्षेप चाहे वह प्रथम उधार के लिये या बाद में लिए गये किसी अतिरिक्त उधार या उधारों के लिये प्रतिभूति के संबंध में हो, हक विलेख के निक्षेप से संबंधित अनुबंध को

साक्षित करने वाली लिखत समझा जायेगा। अतिरिक्त राशि पर मुद्रांक शुल्क भी केवल तभी प्रभारित होगा जब पिछले उधार पर मुद्रांक शुल्क चुकाया गया हो। मध्यप्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993, के अनुच्छेद 75 के अनुसार खण्ड के भीतर संपत्ति के विक्रय, दान या बंधक पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के तहत लगने वाले मुद्रांक शुल्क को उस संपत्ति के मूल्य पर या बंधक के प्रकरण में जितनी राशि बंध के पत्र के प्रलेख द्वारा सुरक्षित की गई उतनी राशि पर एक प्रतिशत बढ़ा दिया गया है, बशर्ते इन बंधको पर आरोपित ऐसा अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क उक्त पर कुल मुद्रांक शुल्क से अधिक न हो।

हमने पांच उप पंजीयक कार्यालयों³¹ के लेखाओं की नमूना जांच की (जून 2015 से मार्च 2016 के मध्य) और पाया कि अप्रैल 2014 से अगस्त 2014 के मध्य हक विलेख के निक्षेप के पांच अनुबंध या विवरण निष्पादित किये गये जिनसे ₹ 254.50 करोड़ की राशि प्राप्त की गयी एवं उन पर ₹ 29.61 लाख का मुद्रांक शुल्क प्रभार्य था। परन्तु गलत दर लगाकर केवल ₹ 7.88 लाख का मुद्रांक शुल्क आरोपित किया गया था। अतः मुद्रांक शुल्क के कम आरोपण के परिणामस्वरूप शासन ₹ 21.73 लाख के राजस्व से वंचित रहा।

हमारे द्वारा प्रकरण इंगित किये जाने पर उप पंजीयकों ने कहा कि प्रकरण मुद्रांक कलेक्टर को संदर्भित किये जायेंगे।

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को प्रतिवेदित किया (अगस्त 2016)। विभाग ने चर्चा में बताया (सितम्बर 2016) कि विस्तृत उत्तर बाद में दिया जायेगा। विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

2.15 खनिज पट्टों के नवीनीकरण में बाजार मूल्य के कम आंकलन के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम प्राप्ति

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एन एम डी सी) के खनिज पट्टे का 20 साल के लिये नवीनीकरण किया गया जिस पर भूमि के बाजार मूल्य की जगह आवंटन मूल्य को आधार मानने की वजह से मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की राशि ₹ 15.22 लाख की कम प्राप्ति हुई।

पंजीयन गाईडलाइन 2014-15 की कंडिका 3 के अनुसार मुख्य खनिज उत्खनन पट्टे (गौण खनिज के अलावा) के लिये चिन्हित भूमि का मूल्यांकन सिंचित भूमि के मूल्य से 50 प्रतिशत अधिक होगा। गाईडलाइन में विभिन्न स्थानों की भूमि का बाजार मूल्य दिया गया है जिसके आधार पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की गणना की जानी चाहिये।

हमने उप पंजीयक पन्ना के अभिलेखों की नमूना जांच की (जनवरी 2016) और पाया कि एन.एम.डी.सी की 280.08 एकड़ भूमि का पट्टा दिनांक 31 जनवरी 2015 को 20 साल के लिये 15 जुलाई 2005 से 14 जुलाई 2025 तक नवीनीकृत किया गया था। पट्टा नवीनीकृत करते समय औसत वार्षिक राज्यांश की गणना के स्थान पर, मूल्यांकन भूमि के बाजार मूल्य पर ₹ 7.65 करोड़ किया जबकि कलेक्टर गाईडलाइन के अनुसार पट्टा भूमि का मूल्य ₹ 9.82 करोड़ था। परिणामस्वरूप ₹ 15.22 लाख के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम प्राप्ति हुई (मुद्रांक शुल्क ₹ 8.70 लाख एवं पंजीयन फीस ₹ 6.52 लाख) (परिशिष्ट-IV)।

हमारे द्वारा प्रकरण इंगित किये जाने पर उप पंजीयक पन्ना ने कहा कि अभिलेखों की जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

³¹ डबरा, ग्वालियर-2, पन्ना, सुखलिया (इन्दौर-3), विदिशा।

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को प्रतिवेदित किया (अगस्त 2016)। विभाग ने बैठक में बताया (सितम्बर 2016) कि विस्तृत उत्तर बाद में दिया जायेगा। विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

2.16 विलेखों में शुल्क को प्रभावित करने वाले तथ्यों का उल्लेख न करने से मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण

पांच विलेखों में संपत्ति के मूल्यांकन तथा उन पर देय मुद्रांक शुल्क/पंजीयन फीस को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों का उल्लेख नहीं किया गया। परिणामस्वरूप ₹ 10.51 लाख के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 47-क के अंतर्गत, यदि पंजीयन अधिकारी किसी विलेख का पंजीयन करते समय यह पाता है कि उल्लिखित संपत्ति का बाजार मूल्य उस बाजार मूल्य से कम है जो बाजार मूल्य गाईडलाइन में दर्शाया गया है, तो उसे ऐसे विलेख को पंजीयन के पूर्व ऐसी सम्पत्ति के सही बाजार मूल्य और उस पर आरोपणीय शुल्क के निर्धारण के लिए मुद्रांक कलेक्टर को संदर्भित कर देना चाहिए।

आगे यह भी कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 27 के अन्तर्गत संपत्ति का बाजार मूल्य और समस्त अन्य तथ्य तथा परिस्थितियां, जिनसे कि किसी लिखत पर शुल्क की प्रभार्यता पर प्रभाव पड़ता हो या शुल्क की वह रकम जो कि उस लिखत पर प्रभार्य है, उसमें (लिखत में) पूर्णतः तथा सही-सही वर्णित किये जायेंगे।

हमने तीन उप पंजीयक कार्यालयों, नवलखा (इन्दौर-2), महु (इंदौर) और विदिशा के लेखाओं की नमूना जांच की (सितम्बर 2015 से मार्च 2016 के बीच) और पाया कि जून 2014 से मार्च 2015 के मध्य निष्पादित पांच विलेखों में पक्षकारों द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा नहीं किया गया था। उप पंजीयक नवलखा (इंदौर-2) के अन्तर्गत पक्षकार द्वारा निर्मित दुकान को प्लिंथ दर्शाया गया, जबकि महु (इंदौर) में यह नहीं दर्शाया गया कि भूमि व्यवसायिक है या आवासीय। विदिशा में 2 प्रकरणों की लिखत में यह उल्लेख नहीं था कि भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग पर है या राजकीय राजमार्ग पर। इन जानकारियों के अभाव में गाईडलाइन में दी गयी उच्च दर प्रभावी होना चाहिये थी। परिणामस्वरूप ₹ 10.51 लाख के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ।

प्रकरण इंगित किये जाने पर उप पंजीयकों ने कहा (सितम्बर 2015 से मार्च 2016 के मध्य) कि प्रकरण मुद्रांक कलेक्टर को संदर्भित किये जायेंगे।

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को प्रतिवेदित किया (अक्टूबर 2015 से अप्रैल 2016 के बीच)। विभाग ने बैठक में बताया (सितम्बर 2016) कि विस्तृत उत्तर बाद में दिया जायेगा। विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

अध्याय – 3
वाणिज्यिक कर

अध्याय—3 वाणिज्यिक कर



3.1 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रण तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है एवं सामान्यतः इसे समस्त नियंत्रणों के नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया गया है। आंतरिक लेखापरीक्षा संगठन को यह सुनिश्चित करने में सहायक होती है कि समस्त निर्धारित प्रणालियाँ यथोचित रीति से सुचारू रूप से कार्यरत हैं।

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा (अगस्त 2016 में) सूचित किया गया कि विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा अस्तित्व में नहीं थी। यह विषय पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी विशिष्ट रूप से दर्शाया गया था तथापि आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली अभी भी विभाग में स्थापित नहीं की गई है।

3.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

हमने वाणिज्यिक कर विभाग की 114 इकाईयों¹ जिनमें वर्ष 2015-16 की कुल राजस्व ₹ 19,883.30 करोड़ की राशि अन्तर्निहित थी, की नमूना जांच की एवं 1,072 प्रकरणों में ₹ 290.02 करोड़ के कर का कम निर्धारण एवं अन्य अनियमितताएं पाई जिन्हें तालिका 3.1 में निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

**तालिका 3.1
लेखापरीक्षा के परिणाम**

(₹ करोड़ में)


क्र. सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	धनराशि
1	मध्यप्रदेश वैट अधिनियम 2002 की धारा 46 के अन्तर्गत अपील एवं रिमाण्ड प्रकरणों का निवर्तन	1	23.49
2	प्रवेशकर की वसूली नहीं किया जाना/कम वसूली	197	21.99
3	त्रुटिपूर्ण दर से कर निरूपण किया जाना	191	50.11

¹ 32 संभागीय कार्यालय, 18 क्षेत्रीय कार्यालय, 64 वृत्त कार्यालय

क्र. सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	धनराशि
4	कर योग्य टर्नओवर का कम निर्धारण	176	47.97
5	अमान्य छूट/कटौती का स्वीकार्य किया जाना	181	63.42
6	अन्य अनियमिततायें	326	83.04
योग		1,072	290.02

चार्ट 3.1

लेखापरीक्षा परिणाम (1,072 प्रकरणों में ₹ 290.02 करोड़ की अंतर्निहित है)



उपरोक्त सभी लेखापरीक्षा आपत्तियों को माह मई 2015 से जुलाई 2016 के दौरान विभाग तथा शासन को प्रेषित किया गया था। विभाग/लेखापरीक्षा द्वारा 236 प्रकरणों में, जो वर्ष 2015-16 के दौरान इंगित किये गये थे राशि ₹ 145.42 करोड़ के कम निर्धारण व अन्य अनियमितताओं को मान्य किया गया और सूचित किया गया कि 45 प्रकरणों में राशि ₹ 30.46 लाख की वसूली की जा चुकी है।

‘मध्यप्रदेश वैट अधिनियम 2002 की धारा 46 के अंतर्गत अपील एवं रिमाण्ड प्रकरणों का निवर्तन’ विषय पर लेखापरीक्षा के दौरान पाई आपत्तियाँ जिसमें राशि ₹ 23.49 करोड़ अंतर्निहित थी तथा कुछ अन्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ जिसमें राशि ₹ 84.06 करोड़ अंतर्निहित थी की चर्चा निम्नलिखित कड़िकाओं में की गई है:-

3.3 मध्यप्रदेश वैट अधिनियम 2002 की धारा 46 के अर्न्तगत अपील एवं रिमाण्ड प्रकरणों का निवर्तन

3.3.1 प्रस्तावना

मूल्य संवर्धित कर (वैट), प्रवेशकर, केन्द्रीय विक्रय कर, विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर का आरोपण एवं संग्रहण, स्व-करनिर्धारण प्रणाली के अर्न्तगत किया जाता है। कर निर्धारण प्रणाली का समग्र उद्देश्य व्यवसायों के स्वैच्छिक अनुपालन के स्तर को उच्चतम सीमा तक लाकर व कर अपवंचन/चोरी को हतोत्साहित कर अधिकतम कर संग्रहण करना है। स्वयं व्यवसायी अपने कर दायित्व की गणना कर, देय कर का भुगतान करता है, जबकि वाणिज्यिक कर विभाग बाद में करनिर्धारण के माध्यम से स्व-करनिर्धारण की समीक्षा करता है एवं यह सुनिश्चित करता है कि कानूनी रूप से देय कर, करदाताओं द्वारा घोषित एवं भुगतान किया गया था।

मध्यप्रदेश वैट अधिनियम की धारा 46 के अर्न्तगत यदि कोई व्यापारी या व्यक्ति अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के नियम (ग) से (च) में निर्दिष्ट किसी निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अथवा धारा 57 की उपधारा (14) के अर्न्तगत किसी निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट है तो वह इस आदेश के विरुद्ध निर्धारित विधि से, अपीलीय प्राधिकारी के पास (प्रथम अपील) अपील कर सकता है। पुनः, यदि वह प्रथम अपील आदेश से असंतुष्ट है तो वह इस अपील आदेश के विरुद्ध निर्धारित विधि से अपीलीय मण्डल को (द्वितीय अपील) कर सकता है। प्रत्येक अपील, उस संबंधित अधिकारी जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की जा रही हो उसके सूचित करने के निर्धारित समय के भीतर, दायर की जा सकती है।

संभागीय उपायुक्त द्वारा पारित निर्धारण आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील संबंधित क्षेत्र के अतिरिक्त आयुक्त, अपील्य अधिकारी हों, के समक्ष अपील दायर की जा सकती है। अन्य प्रकरणों में (उपायुक्त श्रेणी तक के प्राधिकारी द्वारा पारित निर्धारण आदेशों), संबंधित क्षेत्र के अपीलीय उपायुक्त के समक्ष प्रथम अपील दायर की जा सकती है। धारा 47 (1) के अर्न्तगत उपायुक्त द्वारा पारित पुनरीक्षण आदेश (पुनरीक्षण कर निर्धारण) के विरुद्ध धारा 46 (1) अर्न्तगत अतिरिक्त आयुक्त के समक्ष अपील दायर की जा सकती है।

“मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976” जो सामान्यतः प्रवेशकर (ई.टी.) अधिनियम, 1976 के रूप में जाना जाता है की धारा 13 के अर्न्तगत, मध्यप्रदेश वैट अधिनियम के प्रावधानों और नियमों/आदेशों/अधिसूचनाओं जो निर्धारण आदेशों, अपील, शास्ति आदि के संबंध में जारी किये हैं प्रवेश कर अधिनियम के अर्न्तगत पंजीकृत व्यापारियों पर यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे। आगे, केन्द्रीय विक्रय कर (सी.एस.टी) अधिनियम, 1956 की धारा 9 (2) एवं विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 2011, की धारा 8 के अर्न्तगत मध्यप्रदेश वैट अधिनियम के निर्धारण, अपील, ब्याज, शास्ति आदि के प्रावधान भी सी.एस.टी. अधिनियम और विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर के संबंध में पंजीकृत व्यापारियों पर यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।


3.3.2 संगठनात्मक ढाँचा

करारोपण प्राधिकारी एवं अन्य अधिकारी

प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग के सर्वोच्च स्तर पर विभाग के प्रशासनिक प्रमुख हैं। आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग के प्रमुख हैं। वाणिज्यिक कर विभाग आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग के समग्र नियंत्रण में कार्य करता है। अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर अधिकारी, सहायक वाणिज्यिक कर

अधिकारी एवं वाणिज्यिक कर निरीक्षक अधिनियम के अन्तर्गत आवंटित कार्यों के निर्वहन में सहायता करते हैं। विभाग का संगठनात्मक ढाँचा दर्शाने वाला चार्ट निम्नानुसार है:

चार्ट 3.2: संगठन ढाँचा दर्शाने वाला चार्ट



अपीलीय प्राधिकारी

मध्यप्रदेश वैट अधिनियम की धारा 3 (ए) के अनुसार राज्य शासन ऐसे अधिकारी, जो वाणिज्यिक कर उपायुक्त स्तर से कम के न हो, को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्ति के आदेश दे सकती है। राज्य शासन द्वारा सत्रह² अधिकारियों को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

अपीलीय मण्डल

मध्यप्रदेश वैट अधिनियम की धारा 4 के अनुसार राज्य शासन अपीलीय मण्डल का गठन करेगी जो इस अधिनियम के द्वारा अथवा अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के कर्तव्यों का निर्वाह करेगा। अपीलीय मण्डल में एक अध्यक्ष एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित संख्या में न्यायिक तथा लेखा सदस्य होंगे। यह अपीलीय मण्डल दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत न्यायिक निकाय एवं भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1860 के अन्तर्गत दीवानी अदालत का दर्जा प्राप्त करेगा।

² अतिरिक्त आयुक्त भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर परिक्षेत्र-1, इन्दौर परिक्षेत्र-2 और जबलपुर, उपायुक्त भोपाल, छिन्दवाड़ा, ग्वालियर, इन्दौर-एक, इन्दौर-दो, इन्दौर-तीन, जबलपुर, खण्डवा, रतलाम, सागर, सतना और उज्जैन

3.3.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य इन तथ्यों की जांच करना था कि—

- क्या अपील दाखिल करने एवं स्वीकार करने के संबंध में निर्धारित प्रावधानों/प्रक्रियाओं का दृढ़ता से पालन किया गया था,
- अपील प्रकरणों के निराकरण अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों एवं न्यायालयों के निर्णयों के अनुसार किए गए थे और
- अधिनियम के प्रावधानों एवं नियमों में अपील प्रकरणों में राजस्व हित के रक्षा के लिये पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है।

3.3.4 लेखापरीक्षा के मापदण्ड

निम्न लिखित मापदण्डों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पादित की गई—

- मध्यप्रदेश वैट अधिनियम की धारा 46
- मध्यप्रदेश वैट अधिनियम, 2002, ई.टी. (प्रवेश कर) अधिनियम, 1976, सी.एस.टी. (केन्द्रीय विक्रय कर) अधिनियम, 1956 और (विलासिता मनोरंजन आमोद एवं विज्ञापन कर) एल.ई.ए.टी. अधिनियम, 2011,
- मध्यप्रदेश राज्य शासन के नियमों, निर्देशों, परिपत्रों/छूट के संबंध में जारी की गई अधिसूचनाओं तथा अपीलीय मण्डल और न्यायालयों के निर्णय।

3.3.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

सत्रह अपीलीय कार्यालयों में से नौ³ कार्यालयों का चयन सरल यादृच्छिक नमूनाकरण विधि के आधार पर किया जाकर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त, अपील/अतिरिक्त आयुक्त, अपील) द्वारा माह अप्रैल 2011 और 31 मार्च 2016 के मध्य पारित अपील आदेशों की जांच के लिये लेखापरीक्षा (माह जनवरी 2016 और जून 2016 के मध्य) की गई। लेखापरीक्षा में अपीलीय मण्डल के अभिलेख से यह जांच भी की गई कि अपील मण्डल द्वारा क्या अपील दाखिल करने एवं स्वीकार करने के संबंध में निर्धारित प्रावधानों/प्रक्रियाओं का दृढ़ता से पालन किया गया था।

नमूना जांच के लिये चयनित इकाईयों के प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा वर्ष 2011-12 और 2015-16 के मध्य कुल 19,821 अपील प्रकरणों का निराकरण किया गया था। इसमें से 10,108 प्रकरणों (लगभग 50 प्रतिशत) की हमारे द्वारा लेखापरीक्षा की गई और 6,237 प्रकरणों जिनमें ₹ 434.51 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षण अंतर्निहित थे इंगित किये गये।

• अभिस्वीकृति

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग, लेखापरीक्षा करने के लिये सहयोग तथा आवश्यक जानकारी और अभिलेख प्रदाय करने के लिये वाणिज्यिक कर विभाग का आभारी है। दिनांक 7 अप्रैल 2016 को विभाग के प्रमुख सचिव के साथ लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली पर चर्चा हेतु प्रवेश सम्मेलन किया गया। लेखापरीक्षा आपत्तियों को राज्य शासन एवं विभाग को जून 2016 में अग्रेषित किया गया था और विभाग के प्रमुख सचिव के साथ दिनांक 3 सितम्बर 2016 को निर्गम सम्मेलन में चर्चा की गई। सरकार/विभाग के दृष्टिकोण को उचित रूप से संबंधित कंडिकाओं के साथ सम्मिलित किया गया। सरकार/विभाग द्वारा लेखापरीक्षा की सभी अनुसंशाओं को स्वीकार किया गया।

³ अतिरिक्त आयुक्त इन्दौर परिक्षेत्र—दो, जबलपुर, उपायुक्त अपील भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर—दो, इन्दौर—तीन, जबलपुर,सागर और सतना

अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकायें जो इस अध्याय में शामिल की गई हैं उन पर भी निर्गम सम्मेलन में चर्चा की गई। विभाग द्वारा बताया गया कि इन कंडिकाओं का विस्तृत उत्तर निर्धारित अवधि में लेखापरीक्षा को भेज दिया जायेगा। यद्यपि विभाग के उत्तर प्राप्त नहीं हुये थे (अक्टूबर 2016)।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ

3.3.6 अपील प्रकरणों के निराकरण में विलम्ब

3.3.6.1 प्रथम अपीलीय प्राधिकारी


प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान अपील में निराकृत प्रकरणों की स्थिति तालिका 3.2 में दर्शाई गई है।

तालिका 3.2
प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा निराकृत अपील प्रकरण

वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में लंबित प्रकरणों की संख्या	वर्ष के दौरान संस्थापित प्रकरणों की संख्या	योग	वर्ष के दौरान निराकृत प्रकरणों की संख्या	वर्ष के अन्त में लंबित प्रकरणों की संख्या
2011-12	5494	8131	13625	8548	5077
2012-13	5077	7031	12108	7377	4731
2013-14	4731	6341	11072	6497	4575
2014-15	4575	9119	13694	7716	5978
2015-16	5978	8809	14787	8460	6327
योग				38598	

(स्रोत : वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध की गई जानकारी)

चार्ट 3.3



उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि लंबित अपील प्रकरणों की संख्या पिछले तीन वर्षों से बढ़ रही है। विभाग के लिये आवश्यक है कि नियमित रूप से लंबित प्रकरणों को कम करने के लिये अपेक्षाकृत अधिक प्रयास करे।

3.3.6.2 अपीलीय मण्डल (द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी)

वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान 3,291 अपील प्रकरण दाखिल किये गये जबकि 1,956 प्रकरण वर्ष 2011-12 के प्रारम्भ से ही लंबित थे। केवल 2,106 अपील प्रकरणों का निराकरण वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान किया गया। इस प्रकार 3,141 प्रकरण विभिन्न स्तरों पर निराकृत किये जाने के लिये लंबित थे।

मध्यप्रदेश वैट अधिनियम की धारा 46 (8) के अनुसार अपीलीय मण्डल प्रत्येक अपील को अपील दाखिल किये जाने के दिनांक से दो कैलेंडर वर्षों के अन्दर निराकृत करेगा। लंबित प्रकरणों के वर्षवार विवरण एवं उससे संबंधित राशि की जानकारी अपीलीय मण्डल तथा विभाग द्वारा संधारित नहीं की गई थी। द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान निराकृत प्रकरणों की स्थिति तालिका 3.3 में दर्शाई गई है।


तालिका 3.3
द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निराकृत अपील प्रकरण

वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में लंबित अपील प्रकरणों की संख्या	वर्ष के दौरान संस्थापित अपील प्रकरणों की संख्या	योग	वर्ष के दौरान निराकृत अपील प्रकरणों की संख्या	वर्ष के अन्त में लंबित अपील प्रकरणों की संख्या
2011-12	1956	1108	3064	489	2575
2012-13	2575	1156	3731	389	3342
2013-14	3342	1027	4369	448	3921
2014-15	3921	1076	4997	486	4511
2015-16	4511	1319	5830	294	5536
योग				2106	

(स्रोत: अपीलीय मण्डल द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

चार्ट 3.4

वर्ष के अन्त में लंबित अपील प्रकरणों की संख्या



उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2011-12 के प्रारम्भ में 1,956 अपील प्रकरण द्वितीय अपील में लंबित थे जो वर्ष 2015-16 के अन्त में बढ़कर 5,536 अपील प्रकरण हो गए। इस प्रकार पांच वर्ष की अवधि में लंबित अपील प्रकरणों की संख्या दोगुनी हो गई। अपीलीय मण्डल द्वारा लंबित प्रकरणों के समय पर निराकृत नहीं किये जाने के कारण अवगत नहीं कराये गये।

यह भी पाया गया कि वर्ष 2011-12 के प्रारम्भ में 1,956 अपील प्रकरण द्वितीय अपील में लंबित थे और वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान 3,291 अपील प्रकरण दाखिल किये गये। निराकरण के लिये दो वर्षों की समय सीमा निर्धारित है, इसलिये, कुल 5,247 अपील प्रकरणों का वर्ष 2015-16 तक निराकरण अवश्य किया जाना चाहिये था, यद्यपि, केवल 2,106 अपील प्रकरणों का निराकरण पांच वर्षों के दौरान किया गया था। निराकरण की इस गति से शेष 3,141 प्रकरणों के निराकरण में आठ वर्ष लगेंगे। इसका प्रभाव कर से प्राप्त होने वाले राजस्व के साथ-साथ निर्धारण आदेशों के विरुद्ध अपील करने वाले व्यापारियों पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा।

अपीलीय मण्डल द्वारा उत्तर (जून 2016) में बताया गया कि मध्यप्रदेश वैट अधिनियम की धारा 46(8)(ब) में अपील प्रकरणों के निराकरण के लिये समय सीमा बढ़ाने के लिये संशोधन प्रस्ताव शासन स्तर पर विचारार्थ लंबित है।

निर्गम सम्मेलन के दौरान शासन द्वारा बताया गया कि इस मामले को अपीलीय मण्डल के समक्ष लाया जायेगा।

हम अनुशंसा करते हैं कि अपील प्रकरणों के निराकरण के संबंध में समय सीमा (जैसा की अधिनियम में प्रावधानित है) का विभिन्न स्तरों पर दृढ़तापूर्वक पालन किया जाना चाहिये जिससे विभाग का राजस्व हित सुरक्षित रहे, असंतुष्ट व्यापारियों की शिकायतों का निराकरण भी समय पर किया जा सके।

3.3.7 अपीलों का निराकरण

3.3.7.1 कर घटाने के संबंध में अपील आदेशों को पारित करने के पूर्व कर निर्धारण प्राधिकारियों का अभिमत प्राप्त नहीं किया जाना

कुल 6,229 प्रकरणों में, जिसमें कर राशि ₹ 434.17 करोड़ सम्मिलित थी, करदाता के पक्ष में आदेश पारित करने के पूर्व संबंधित निर्धारण प्राधिकारियों का अभिमत नहीं लिया गया।

मध्यप्रदेश वैट अधिनियम की धारा 46(8) के प्रावधानानुसार, यदि आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है एक पक्षीय नहीं है तो अपीलीय प्राधिकारी ऐसे आदेश के विरुद्ध, पुष्टि, कमी, वृद्धि या निर्धारण को समाप्त या कर अथवा ब्याज का पुर्ननिर्धारण या शास्ति का निरूपण या दोनों या जैसा उचित पाया जाये वैसा आदेश पारित कर सकता है। अपीलीय प्राधिकारी किसी अपील के निराकरण के पूर्व जैसा वह उचित समझे संबंधित निर्धारण प्राधिकारी से पूछताछ कर सकता है। पुनः आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक 60 दिनांक 20 जनवरी 2014 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अपीलीय प्राधिकारी को अपीलकर्ता द्वारा उठाये गये सभी बिन्दुओं पर निर्धारण प्राधिकारी का लिखित अभिमत लिया जाना अनिवार्य है।

हमने नौ अपील कार्यालयों⁴ में जनवरी 2016 और जून 2016 के मध्य पाया कि 6,229 प्रकरणों जिसमें कर ₹ 434.17 करोड़ निहित था, जो अप्रैल 2011 और मार्च 2016 के मध्य निराकृत किये गये थे, संबंधित निर्धारण प्राधिकारी का पक्ष जाने बिना अपील आदेश अपीलकर्ता के पक्ष में पारित किये गये थे। निर्धारण प्राधिकारियों का लिखित पक्ष लेने के लिये दिनांक 20 जनवरी 2014 के आयुक्त के निर्देश के बाद भी 1,829 प्रकरण जिसमें ₹ 138.57 करोड़ के कर की राहत प्रदान की थी, निर्धारण प्राधिकारियों का पक्ष अपीलीय प्राधिकारियों ने नहीं प्राप्त किया। उदाहरणार्थ दो प्रकरणों को **तालिका 3.4** में दर्शाया गया है।

⁴ अतिरिक्त आयुक्त परिक्षेत्र—दो इन्दौर और जबलपुर, उपायुक्त अपील भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर—दो, इन्दौर—तीन, जबलपुर, सागर और सतना

तालिका 3.4

उदाहरणार्थ ऐसे प्रकरण जिसमें निर्धारण प्राधिकारी का पक्ष प्राप्त नहीं किया गया

(₹ लाख में)

क्र. स.	इकाई का नाम/ प्रकरण की संख्या	कर राहत की राशि	लेखापरीक्षा प्रेक्षण	उत्तर और हमारी टिप्पणियाँ
1	उपायुक्त अपील, सतना/01	9.38	<p>चेकपोस्ट अधिकारी द्वारा परिवहनकर्ता पर कर निरूपित किया गया तथा शास्ति आरोपित की गई क्योंकि जांच में यह पाया गया कि परिवहनकर्ता प्लांट एवं मशीनों की दुलाई बिना प्रपत्र-49 के कर रहा था।</p> <p>अपीलकर्ता द्वारा अपील में यह तर्क दिया गया कि उसकी कर अपवंचन की मंशा नहीं थी क्योंकि वह उत्तरप्रदेश से मध्यप्रदेश में सिविल निर्माण ठेके के लिये प्लांट एवं मशीनों का परिवहन कर रहा था, वह निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् उपरोक्त प्लांट एवं मशीनों को वापस ले जायेगा। इसलिये प्रपत्र-49 आवश्यक नहीं था।</p> <p>अपीलीय प्राधिकारी ने अपील स्वीकार की तथा बिना किसी विस्तृत व्याख्या के और निर्धारण प्राधिकारी के पक्ष लिये बिना ही राहत स्वीकार की। चेकपोस्ट अधिकारी द्वारा परिवहनकर्ता पर सही रूप से शास्ति आरोपित की गयी थी क्योंकि प्रपत्र-49 प्रस्तुत नहीं किया गया था, जबकि अधिसूचित सामग्री की दुलाई के संबंध में सभी उद्देश्यों के लिये प्रपत्र-49 होना अनिवार्य थी। इसके अतिरिक्त जिस व्यापारी की सामग्री का परिवहन किया जा रहा था उसका पंजीयन दिनांक मई 30 2014 से निरस्त था। इसलिये, मध्यप्रदेश वैट अधिनियम की धारा 57(8) के अनुसार निर्धारण प्राधिकारी का शास्ति आदेश सही था।</p>	<p>अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर (मई 2016) में बताया कि व्यापारी ने मशीनों का आयात केवल ठेके कार्य में उपयोग के लिये किया था मध्यप्रदेश वैट अधिनियम की धारा 57(8) के "स्पष्टीकरण खण्ड" के अनुसार उसकी मंशा कर अपवंचन की नहीं थी।</p> <p>हम उत्तर से सहमत नहीं हैं, क्योंकि मशीनें अधिसूचित सामग्री हैं और किसी भी उद्देश्य के लिये सभी अधिसूचित सामग्री के परिवहन के लिये प्रपत्र-49 अनिवार्य है। प्रपत्र-49 के अभाव में यह संभावना है कि आयातित सामग्री को क्रय लेखे में सम्मिलित नहीं किया जाये, चूंकि यह क्रय विभाग के पूर्व संज्ञान में नहीं थे। इसलिये व्यापारी के कर अपवंचन की मंशा से इन्कार नहीं किया जा सकता है।</p>
2	उपायुक्त अपील, इन्दौर-तीन/01	7.02	<p>निर्धारण प्राधिकारी ने व्यापारी के लेखा पुस्तकों एवं वैट विवरणी के आधार पर विक्रय निर्धारित किया तथा वैट और ब्याज निरूपित किया।</p> <p>अपीलीय प्राधिकारी ने व्यवहार को शाखा अन्तरण मानते हुये राहत स्वीकार की। निर्धारण प्राधिकारी का पक्ष जाने बिना अपील आदेश पारित किया गया। यह प्रावधानानुसार नहीं था क्योंकि व्यापारी ने इस शाखा अन्तरण विक्रय पर कर संग्रहित किया तथा विक्रय अंकक्षित लेखे के अनुसार सत्यापित थी।</p>	<p>अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर (मई 2016) में बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी।</p>

अपील की प्रक्रिया अपीलकर्ता के पक्ष में पूर्वाग्रह पर आधारित है क्योंकि मूल निर्धारण प्राधिकारी का पक्ष सुनने के लिये कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया था। पुनः विभाग ने किसी भी ऐसे प्रकरणों को जिसमें अपीलकर्ता के पक्ष में निर्णय पारित किया गया है,

द्वितीय अपील के लिये अधिमान्य नहीं किया है जैसा कि उत्तरवर्ती कंडिकाओं में इंगित किया गया है।

निर्धारण प्राधिकारी के पक्ष पर विचार किये बिना अपील आदेशों के पारित करने का परिणाम यह हो सकता है कि प्रकरणों के सभी तथ्यों का अपर्याप्त विवेचना करने से विभाग को, कर, शास्ति और ब्याज के रूप में राजस्व से वंचित होने की संभावना थी।

निर्गम सम्मेलन के दौरान, लेखापरीक्षा आपत्ति को शासन ने स्वीकार किया और यह बताया गया कि इस संबंध में जारी पुराने परिपत्र की समीक्षा की जायेगी और आवश्यक हुआ तो नया परिपत्र जारी किया जायेगा जिसमें अपीलीय प्राधिकारी को यह निर्देशित किया जाएगा कि निर्धारण प्राधिकारी के पक्षों को निश्चित रूप से प्राप्त करें। विभाग ने परिपत्र क्रमांक 60 दिनांक 20 जनवरी 2014 का अनुसरण करने और अपील आदेश पारित करने के पूर्व निर्धारण प्राधिकारियों का लिखित पक्ष प्राप्त करने के लिये अपीलीय प्राधिकारियों को निर्देशित किया (अक्टूबर 2016)।

हम अनुशंसा करते हैं कि संहिता के प्रावधानों में संशोधन किए जायें जिनसे अपील प्रकरणों में निष्पक्ष कार्यवाही के लिये निर्धारण प्राधिकारी को उनके पक्ष शामिल करने के लिये एक अवसर प्रदान करने का स्पष्ट प्रावधान सम्मिलित हो सके एवं अपील प्रकरणों का समाधान करने की प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाया जा सके।

3.3.7.2 अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा घोषणा पत्रों को यांत्रिक रूप से स्वीकार किया जाना

दो सौ छप्पन प्रकरणों में अपीलीय प्राधिकारियों ने घोषणा पत्रों या प्रमाण पत्रों को स्वीकार किया और राशि ₹ 19.92 करोड़ की राहत अपीलकर्ताओं को दी, यद्यपि निर्धारण और अपील नस्ती में घोषणा पत्रों/प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने के लिये समय बढ़ाने हेतु आवेदन नहीं पाए गए थे।

केन्द्रीय विक्रय कर (पंजीयन तथा टर्नओवर), 1957 के नियम 12(7) के प्रावधानों के अनुसार प्रपत्र-ग या प्रपत्र-च घोषणा पत्र के रूप में या प्रपत्र-ई एक या प्रपत्र-ई दो प्रमाण पत्र के रूप में विहित प्राधिकारी को उस अवधि की अंतिम तिथि से, जिससे घोषणा या प्रमाण पत्र संबंधित है, तीन माहों के अन्दर प्रस्तुत करेगा। पुनः यह प्रावधान किया गया है कि यदि विहित प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट होता है कि घोषणा या प्रमाण पत्र को संबंधित व्यक्ति को उपरोक्त समय में प्रस्तुत करने से रोकने के लिये पर्याप्त कारण है तो विहित प्राधिकारी द्वारा संबंधित घोषणा या प्रमाण पत्र को उस बढ़ाए हुए समय के अन्दर, जो विहित प्राधिकारी को उपयुक्त लगे, प्रस्तुत किया जा सकता है। आयुक्त वाणिज्यिक कर, मध्य प्रदेश, के परिपत्र दिनांक 20.09.2011 के अनुसार अपीलीय प्राधिकारी घोषणा या प्रमाणपत्र को यांत्रिक रूप से स्वीकार नहीं करेंगे। वे अपील आदेश पारित करने के पूर्व जांच करेंगे कि संबंधित व्यक्ति को घोषणा या प्रमाण पत्र उपरोक्त समय के अन्दर प्रस्तुत करने से रोकने के लिये पर्याप्त कारण थे।

घोषणा पत्र के विलम्ब से प्रस्तुत करने की क्रिया, अपवंचन एवं बच निकलने के जोखिम से भरपूर है। साथ ही दोष/अनियमिततायें/फार्मों की अपूर्णता/जाली प्रपत्रों का समय पर पता नहीं लगाया जा सकता।

हमने नौ अपील कार्यालयों⁵ में जनवरी 2016 और जून 2016 के मध्य पाया कि 1,053 प्रकरणों में से 256 प्रकरण जो अप्रैल 2011 और मार्च 2016 के मध्य निराकृत किये गये

⁵ अरिक्त आयुक्त परिक्षेत्र-दो इन्दौर और जबलपुर, उपायुक्त अपील भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर-दो, इन्दौर-तीन, जबलपुर, सागर और सतना

थे, अपीलीय प्राधिकारियों ने घोषणा तथा प्रमाणपत्रों को स्वीकार किया और कर राशि ₹ 19.92 करोड़ की राहत अपीलकर्ता के पक्ष में प्रदान की। विलम्ब से प्रस्तुत किये गये ऐसे घोषणाओं तथा प्रमाणपत्रों को, जो अन्तिम निर्धारण के समय प्रस्तुत नहीं किये गये थे, के संबंध में समय बढ़ाने हेतु प्रार्थना पत्र निर्धारण आदेश तथा अपील नस्ती में नहीं पाये गये। यह संकेत देता है कि इन प्रकरणों में संबंधित व्यक्तियों को घोषणा या प्रमाण पत्र को निर्धारित समय के अन्दर प्रस्तुत करने से रोकने वाले कारणों की वास्तविकता को सुनिश्चित किये बिना उपरोक्त आदेश पारित किये गये। उदाहरणार्थ दो प्रकरणों को तालिका 3.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.5

अपीलीय प्राधिकारियों ने समयवृद्धि के प्रार्थना के बिना कर में राहत प्रदान की

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	इकाई का विवरण/ प्रकरणों की संख्या	प्रदान किया गया कर राहत	अपीलीय प्राधिकारियों का उत्तर	लेखापरीक्षा अभिमत
1	अतिरिक्त आयुक्त, जबलपुर परिक्षेत्र/22	7.66	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर (अप्रैल 16) में बताया कि घोषणाएँ जो नियम के अनुसार एवं वैधानिक थीं सत्यापन के पश्चात् स्वीकार की गई थी।	उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि अपीलीय प्राधिकारी ने यह सत्यापित नहीं किया कि क्या अपीलकर्ता ने घोषणा पत्रों को निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करने के लिये समय वृद्धि हेतु आवेदन किया था।
2	उपायुक्त वाणिज्यिक कर अपील इन्दौर तीन/60	4.35	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर (मई 16) में बताया कि व्यापारी सभी केन्द्रीय प्रपत्र-ग,च,ज क्रेता व्यापारी से प्राप्त करते हैं जो उनके नियंत्रण में नहीं होता है। इसलिये विलम्ब न्यायसंगत है। यह प्रक्रियात्मक मुद्दा है और इसका राजस्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।	उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि विलम्ब से प्रस्तुत किये गये ऐसे घोषणाओं तथा प्रमाणपत्रों को, जो अन्तिम निर्धारण के समय प्रस्तुत नहीं किये गये थे, के संबंध में समय बढ़ाने हेतु प्रार्थनापत्र निर्धारण आदेश तथा अपील नस्ती में नहीं पाये गये थे।

निर्गम सम्मेलन के दौरान, लेखापरीक्षा आपत्ति को शासन ने स्वीकार किया और यह बताया गया कि इस मुद्दे के संबंध में उचित कार्यवाही की जाएगी। बाद में विभाग ने अपीलीय प्राधिकारियों को निर्देशित (अक्टूबर 2016) किया कि विलम्ब से प्रस्तुत किये गये प्रपत्रों के संबंध में अपीलकर्ता से विलम्ब के कारणों को लिखित अनिवार्य रूप से प्राप्त करेंगे और अपील आदेशों में विलम्ब के कारणों को दर्ज करेंगे।

3.3.7.3 मध्यप्रदेश वैट अधिनियम की धारा 57 की शास्ति को त्रुटिपूर्ण रीति से माफ किया जाना

अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा 12 व्यवसायियों के 30 प्रकरणों में राशि ₹ 1.08 करोड़ की शास्ति त्रुटिपूर्ण रीति से माफ किया गया।

मध्यप्रदेश वैट अधिनियम, 2002 की धारा 57(2) के अनुसार वाहन चालक या वाहन के मालिक या सामग्री का दुलाई करने वाला परिवहन के दौरान— (क) सामग्री के प्रेषक या प्रेषितीय द्वारा जारी किया गया एक बीजक, देयक या चालान या अन्य प्रपत्र और निर्धारित घोषणा प्रपत्र अपने साथ अवश्य लेकर चलेगा और (ख) राज्य की सीमा में प्रवेश करने और छोड़ने पर प्रत्येक जांच चौकी पर वाहन को रोकेंगा और यदि परिवहनकर्ता अपने साथ परिवहित सामग्री से संबंधित इलेक्ट्रानिक संचार माध्यम से जारी किया गया घोषणा जो वाक्य (क) में विनिर्दिष्ट है, जिसके विवरणी में दिनांक, मध्य प्रदेश राज्य में प्रवेश या छोड़ने का अनुमानित समय, जैसा भी प्रकरण हो जो विभाग के कार्यालयीन वेब पोर्टल पर अपलोड किया गया है, अभिलेखों के साथ लेकर चलता है, वह वाक्य (ख) के अर्न्तगत आवश्यकता का पालनकर्ता माना जायेगा। जहां परिवहनकर्ता निर्धारित घोषणा के साथ सभी अभिलेख जांच चौकी अधिकारी के सामने प्रस्तुत करने में असफल रहता है, वहां वह मध्यप्रदेश वैट अधिनियम की धारा 57(8) एवं धारा 57(10) के अनुसार उसके उपर शास्ति लगाये जाने के लिये दायी होगा। पुनः मध्यप्रदेश वैट अधिनियम की धारा 57(8) में प्रावधान है कि जहां प्रस्तुत स्पष्टीकरण से मुख्यतः निष्कर्ष निकलता है कि सामग्री को मध्यप्रदेश राज्य के अन्दर विक्रय करने की संभावना नहीं है या जहां सामग्री के संबंध में कर अपवंचन का प्रयास नहीं है, यह मान लिया जायेगा कि उपधारा (2) के प्रावधानों का अतिक्रमण नहीं है।

मध्यप्रदेश राज्य शासन ने कुछ वस्तुओं को 'संवेदनशील' रूप में अधिसूचित⁶ किया है इन वस्तुओं का परिवहन निर्धारित वैधानिक घोषणाओं (प्रपत्र-49) के साथ किया जाना चाहिये। प्रपत्र-49 एक नियंत्रक अभिलेख है जो सामग्री के प्रेषण, प्रेषक, प्रेषिती और जहां से सामग्री लाई गई तथा गंतव्य के संबंध में जानकारी प्रदाय करता है।

हमने पांच अपील कार्यालयों⁷ में जनवरी 2016 और जून 2016 के मध्य पाया कि 12 व्यापारियों के 30 प्रकरण जो नवम्बर 2011 और अक्टूबर 2015 के मध्य निराकृत किये गये थे, अपीलीय प्राधिकारियों ने इलेक्ट्रानिक संचार माध्यम से जारी किये गये घोषणा प्रपत्र के आधार पर यह मानते हुये कि व्यापारी की कर अपवंचन की मंशा नहीं थी राशि ₹ 1.08 करोड़ की शास्ति को माफ किया। यद्यपि, प्रकरण नस्तीयों में, यह पाया जाता है कि निर्धारण अधिकारी ने मध्यप्रदेश वैट अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उन प्रकरणों में शास्ति अधिरोपित की जिनमें परिवहनकर्ता के पास प्रपत्र-49 उपलब्ध नहीं थे या वे ऐसे प्रपत्र-49 प्रस्तुत किये जो पूर्व में उपयोग किये जा चुके थे, अधूरे डाउनलोड किये गये घोषणाओं को प्रस्तुत किया या निर्धारण प्राधिकारी ने पाया कि क्रेता/विक्रेता के ब्यौरे/देयक के अन्य ब्यौरे संदिग्ध थे। इसलिये अपीलीय प्राधिकारी को इन प्रकरणों में निर्धारण अधिकारी का पक्ष जानना चाहिये था कि वह क्यों अनुभव करते थे कि ये कर चोरी के प्रकरण थे और उन्होंने शास्ति अधिरोपित की। इन प्रकरणों का ब्यौरा, अपीलीय प्राधिकारियों के उत्तर और हमारा टिप्पणी परिशिष्ट-V में दी गई है। उदाहरणार्थ दो प्रकरणों को तालिका 3.6 में दर्शाया गया है:

⁶ अधिसूचना कमांक ए-3-195-2005-1-व्ही-(25) दिनांक 31.03.2006
⁷ उपायुक्त अपील ग्वालियर, इन्दौर-तीन, जबलपुर, सागर और सतना

तालिका 3.6
त्रुटिपूर्ण रूप से शास्ति को माफ करना

(₹ लाख में)

क्र. स.	इकाई का विवरण/ प्रकरणों की संख्या	माफ की गई शास्ति की राशि	लेखापरीक्षा आपत्तियां	उत्तर और हमारे अभिमत
1	उपायुक्त अपील, इन्दौर-तीन/04 (परिशिष्ट-V के स.क्र.5 पर दिया गया है)	24.61	अपीलकर्ता द्वारा अपील में यह तर्क दिया गया कि उसकी कर अपवंचन का मंशा नहीं था। निर्धारण अधिकारी ने तकनीकी/लिपिकीय त्रुटि के आधार पर शास्ति लगाई है। अपीलकर्ता ने यह भी बताया कि प्रेषक एवं प्रेषिती एक ही है और फर्म द्वारा अमिश्रित चाय का अन्तरण गुवाहाटी से किया गया। चाय का मिश्रण तथा पैकिंग के बाद मध्यप्रदेश में और राज्य के बाहर विक्रय किया जाता है। अपीलीय प्राधिकारी ने अपीलकर्ता के पक्ष में अपील यह विचार करते हुये स्वीकार की कि प्रस्तुत किया गया प्रपत्र-49 नया था और उसी प्रविष्टि के साथ प्रपत्र-49 को दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता है तथा यह केवल लिपिकीय त्रुटि है। यद्यपि जांच चौकी अधिकारी ने परिवहनकर्ता पर नकली प्रपत्र-49 (उपयोग किया गया, अधूरा डाउनलोड और कटे-फटे प्रपत्र) जो चार वाहनों के पास उपलब्ध थे तथा जिनके मध्यप्रदेश में अमिश्रित चाय के परिवहन के लिये प्रवेश करने और वाहनों के जब्त होने के 12 दिनों के बाद संबंधित प्रपत्र-49 डाउनलोड किये जाने के आधार पर शास्ति का सही अधिरोपण किया गया। इसलिये परिवहनकर्ता के कर अपवंचन की मंशा से इंकार नहीं किया जा सकता।	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में (मई 2016) बताया कि वास्तविकता के सत्यापन के बाद कार्यवाही किया जायेगा।
2	उपायुक्त अपील, इन्दौर-तीन/01 (परिशिष्ट-V के स.क्र. 7 पर दिया गया है)	27.81	अपीलकर्ता द्वारा अपील में यह तर्क दिया गया कि उसकी कर अपवंचन की मंशा नहीं थी क्योंकि उसके द्वारा पूंजीगत सामग्री को स्थापना के लिये आयात किया जा रहा था न कि बेचने के लिये। उसने वाहन जब्त किये जाने के बाद में प्रपत्र-49 भी प्रस्तुत कर दिया था। अपीलीय प्राधिकारी ने अपील स्वीकार की और शास्ति से राहत प्रदान की, यद्यपि जांच चौकी अधिकारी ने परिवहनकर्ता पर प्रपत्र-49 प्रस्तुत नहीं करने के आधार पर शास्ति का सही अधिरोपण किया था। परिवहनकर्ता के कर अपवंचन की मंशा से इन्कार नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रपत्र-49 वाहन जप्त किये जाने के बाद डाउनलोड किया गया था।	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में (मई 2016) बताया कि धारा 57(2) के अर्न्तगत "स्पष्टीकरण-वाक्य" के अनुसार कर अपवंचन की मंशा नहीं थी क्योंकि सामग्री मध्यप्रदेश में विक्रय के लिये नहीं थी इसलिये शास्ति नहीं लगाई। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि व्यापारी सभी प्रावधानों को अच्छी तरह से जानता था और उसे प्रपत्र-49 डाउनलोड की सुविधा भी उपलब्ध थी

				लेकिन वह डाउनलोड नहीं किया गया था। प्रपत्र-49 नहीं होने से सामग्री के लेखे से बाहर रहने की संभावना थी और प्रपत्र-49 के न होने से क्रय विभाग के जानकारी में भी नहीं आता। इसलिये व्यापारी की कर अपवंचन की मंशा थी।
--	--	--	--	--

तथापि, निर्गम सम्मेलन के दौरान शासन ने उत्तर दिया कि तथ्यों की जांच की जाएगी और उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

3.3.7.4 सामग्री के राज्य के बाहर स्टॉक अन्तरण के प्रकरण में आगतकर छूट की वापसी नहीं की गई/कम वापसी की गई

सात व्यवसायियों के नौ प्रकरणों में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा राशि ₹ 87.15 लाख आगतकर छूट वापसी नहीं करते हुए राहत स्वीकार की गई।

मध्यप्रदेश वैट अधिनियम 2002 के धारा 14(5) (ए) (i) के अनुसार जहां एक पंजीकृत व्यवसायी ने अपने विवरणी के अनुसार देय कर के संबंध में आगतकर छूट का दावा प्रस्तुत कर समायोजन किया है, वहां अनुसूची-11 में निर्दिष्ट ऐसी छूट प्राप्त सामग्री/सामग्रियों अथवा ऐसी सामग्रियों से निर्मित या उद्धरित वस्तुओं के निपटान की स्थिति में अथवा राज्य के अंदर/भीतर देश की सीमा के बाहर विक्रय के अलावा अन्य रूप से निस्तारण की स्थिति में वह व्यवसायी उन सामग्री/सामग्रियों पर प्राप्त आगत कर छूट के रूप में उस राशि का वापस भुगतान करेगा जो क्रय मूल्य का चार प्रतिशत, आगत कर छूट की राशि, शुद्ध आगत कर में से, जो भी कम हो, के बराबर होगी।

हमने चार अपील कार्यालयों⁸ के अपील प्रकरणों की जनवरी 2016 और जून 2016 के मध्य नमूना जांच की और सात व्यापारियों के नौ प्रकरण, जो सितम्बर 2011 से अगस्त 2014 में निराकृत किये गये थे, में पाया कि अपीलीय प्राधिकारी ने राशि ₹ 87.15 लाख आगतकर छूट की वापसी किये बिना राहत प्रदान की। अपीलीय प्राधिकारियों के उत्तर और उस पर हमारी टिप्पणी परिशिष्ट-VI में दिए गए हैं। उदाहरणार्थ कुछ प्रकरणों को तालिका 3.7 में दर्शाया गया है:

⁸ अतिरिक्त आयुक्त अपील जबलपुर उपायुक्त अपील भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर

तालिका 3.7
आगतकर छूट का उत्क्रम नहीं करने / कम उत्क्रम करने के उदाहरणार्थ प्रकरण

(₹ लाख में)

क्र. स.	इकाई का विवरण	अपीलकर्ता का नाम, टिन, अवधि, अपील प्रकरण क्रमांक और अपील आदेश का दिनांक	उत्क्रम नहीं किये गये आगत कर छूट की राशि	लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	उत्तर और हमारे अभिमत
1	अतिरिक्त आयुक्त जबलपुर	मेसर्स शारदा माँ इण्टरप्राइजेज प्रा. लि., कटनी, 2371620 4180, 2010-11, 80/2013-14 वैट एवं 25/2013-14 सी.एस.टी. 21.04.2014	39.92	प्रपत्र-च प्रस्तुत नहीं करने के कारण निर्धारण अधिकारी ने ₹ 20,58,18,458 के स्टॉक अन्तरण को अमान्य कर दिया गया था इसलिये इस विक्रय को अन्तर्राज्यीय विक्रय मानते हुए केन्द्रीय विक्रय कर निरूपित किया गया और दावा किए गए पूर्ण आगतकर छूट को बिना वापसी के पूर्ण रूप से मान्य किया गया। अपील में प्रपत्र-च प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय प्राधिकारी ने ₹ 20,58,18,458 के स्टॉक अन्तरण को नये स्थिति में सामग्री का अन्यथा निस्तारण मान्य करते हुये आगतकर छूट की वापसी के बिना सी.एस.टी. की राहत प्रदान की।	कोई उत्तर नहीं दिया गया।
2	अतिरिक्त आयुक्त जबलपुर	मेसर्स बिरला कारपोरेशन लिमिटेड सतना, 23757000140, 2008-09 133/12 21.01.13	16.59	क्रय किये गये प्लाण्ट एवं मशीनरी पर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा उत्पादित सामग्री के स्टॉक अन्तरण के संबंध में अनुपातिक आधार पर आगतकर छूट की वापसी की गयी थी। अपील के दौरान अपीलीय प्राधिकारी ने आगत कर की छूट वापसी की इस व्याख्या के साथ राहत प्रदान की कि उत्पादित सामग्री के स्टॉक अन्तरण पर भी क्रय किये गये प्लाण्ट एवं मशीनरी पर अनुपातिक आधार पर आगतकर छूट की वापसी नहीं की जाएगी। यद्यपि निर्धारण प्राधिकारी ने मध्यप्रदेश वैट अधिनियम की धारा 14(5)(ए)(i) के अनुसार वापसी की थी।	कोई उत्तर नहीं दिया गया।
3	उपायुक्त वाणिज्य कर भोपाल	मेसर्स सनफिल्ड इण्डिया भोपाल, 23893602638, 2010-11 404/13 26.03.14	5.48	प्रपत्र-च प्रस्तुत नहीं करने के कारण निर्धारण अधिकारी ने ₹ 8,73,77,566 के स्टॉक अन्तरण को अमान्य कर दिया गया था इसलिये इस राशि को अन्तर्राज्यीय विक्रय मानते हुए कर निरूपित किया गया और दावा किये गये पूर्ण आगतकर छूट को मान्य करते हुए वापसी नहीं की गई। अपील में प्रपत्र-च प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय प्राधिकारी ने ₹ 8,73,77,566 के स्टॉक अन्तरण को नई स्थिति में सामग्री का अन्यथा निस्तारण मान्य करते हुये आगतकर छूट की वापसी के बिना सी. एस.टी. की राहत प्रदान की।	अपीलीय प्राधिकारी ने बताया कि जांच के बाद उत्तर प्रस्तुत किया जायेगा।

निर्गम सम्मेलन के दौरान शासन ने उत्तर दिया कि तथ्यों की जांच की जाएगी और उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

3.3.7.5 अपीलीय प्राधिकारी द्वारा त्रुटिपूर्ण दर से कर लगाना

अपीलीय प्राधिकारी द्वारा 11 व्यापारियों को 11 प्रकरणों में न्यून दर से कर लगाकर कर ₹ 86.98 लाख की त्रुटिपूर्ण राहत अपीलकर्ता के पक्ष में मान्य की गई।

मध्यप्रदेश वैट अधिनियम, सहपठित केन्द्रीय विक्रय कर (सी.एस.टी.) अधिनियम और उनके अधीन जारी की गई अधिसूचनायें विभिन्न वस्तुओं पर लगने वाले वैट की दर निर्धारित करती हैं। मध्यप्रदेश वैट अधिनियम के अधीन, अधिनियम की धारा 21 (2) के अंतर्गत जहां निर्धारण में चूक व्यवसायी की मानी गई है वहां व्यवसायी निर्धारित कर की न्यूनतम तीन गुना, लेकिन 3.5 गुना से अनधिक, शास्ति का भुगतान करने के लिये दायी है।

हमने छः अपील कार्यालयों⁹ के अपील प्रकरणों की जनवरी 2016 और जून 2016 के मध्य नमूना जांच की और पाया कि 11 व्यापारियों के 11 प्रकरण जो जून 2011 से अक्टूबर 2014 में निराकृत किये गये थे, निर्धारण अधिकारी ने अनुसूची दर से मोटर पार्ट्स, वायरिंग हारनेस और पुराने/सेकेण्ड हैंड मोटर कार, होम यूपीएस, मशीनरी और सीमेंट के विक्रय पर कर लगाया था जबकि अपीलीय प्राधिकारी ने निम्न दरों से कर लगा कर त्रुटिपूर्ण राहत अपीलकर्ता को प्रदान की। जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 86.98 लाख को कर का कम निरूपण किया गया जैसा परिशिष्ट-VII में अपीलीय प्राधिकारियों के उत्तर के और उस पर हमारे अभिमत सहित दर्शाया गया है। उदाहरणार्थ कुछ प्रकरणों को तालिका 3.8 में दर्शाया गया है:

तालिका 3.8
अपीलीय प्राधिकारी द्वारा त्रुटिपूर्ण दर से कर लगाना

(₹ लाख में)

क्र. स.	इकाई का विवरण/ प्रकरणों की संख्या	वस्तु	लगने वाले/लगाये गये कर का दर	राहत की राशि	लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	उत्तर और हमारे अभिमत
1	उपायुक्त वाणिज्यिक कर जबलपुर/04 (परिशिष्ट-VII के सरल क्रमांक 3,4,5, और 6 पर दिया गया)	पुरानी मोटर कार	12.5 / 1.5	7.29	अपीलीय प्राधिकारी ने पुराने कार/वाहन के विक्रय पर व्यवसायी को छूट प्रदान की। यद्यपि, वर्ष 2006-07 में पुराने कार/वाहन पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर देय था।	अपीलीय प्राधिकारी जबलपुर, सागर ने उत्तर में बताया कि अधिनियम में द्वितीय संशोधन (1.04.06 से प्रभावी) के अनुसूची के प्रविष्टि क्रमांक दो/तीन/नौ के अनुसार मध्यप्रदेश परिवहन विभाग में पंजीकृत वाहनों पर 1.5 प्रतिशत की दर से कर निरूपित किया जायेगा। उत्तर मानने योग्य नहीं हैं क्योंकि अनुसूची की प्रविष्टि के अनुसार,
	उपायुक्त वाणिज्यिक कर सागर/01 (परिशिष्ट-VII के			0.15		

⁹ अतिरिक्त आयुक्त जबलपुर उपायुक्त अपील इन्दौर-दो, इन्दौर-तीन, जबलपुर, सागर और सतना

	सरल क्रमांक 11 पर दिया गया)						“पुराने और सेकेन्ड हैंड मोटर वाहनों” पर 1.5 प्रतिशत से कर वहाँ लगेगा जहाँ मोटर कार क्रय-विक्रय करने का मुख्य व्यवसाय किया जाता है। यद्यपि, इन प्रकरणों में व्यवसायी का मुख्य व्यवसाय मोटर कारों के क्रय-विक्रय का न होकर अन्य व्यवसाय है इसलिये विक्रित वाहन संबंधित अधिसूचना के अर्न्तगत नहीं आते हैं। अपीलीय प्राधिकारी उपायुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर-तीन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया।
	उपायुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर-तीन / 01 (परिशिष्ट-VII के सरल क्रमांक 9 पर दिया गया)			0.66			
2	उपायुक्त वाणिज्यिक कर अपील सतना / 01 (परिशिष्ट-VII के सरल क्रमांक 7 पर दिया गया)	पुराना मोटर कार	12.5 / 1.5	1.756	अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उच्च दर से विक्रय कर योग्य राशि की गलत गणना के कारण कम वैट निरूपित किया गया।	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि प्रकरण के निराकरण के पश्चात् मूल निर्धारण अभिलेख निर्धारण अधिकारी को वापस कर दिया गया इसलिये अपील स्तर पर कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि अपीलीय प्राधिकारी के इस आदेश से वैट का कम निरूपण किया गया।	

निर्गम सम्मेलन के दौरान शासन ने उत्तर दिया कि तथ्यों का जांच की जाएगी और उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी। पुनः उत्तर नहीं प्राप्त हुआ (अक्टूबर 2016)।

3.3.7.6 प्रवेशकर का निरूपण नहीं/कम निरूपण किया गया

अपीलीय प्राधिकारी ने 12 व्यवसायियों को 12 प्रकरणों में प्रवेशकर राशि ₹ 74.47 लाख की त्रुटिपूर्ण राहत प्रदान की।

प्रवेशकर अधिनियम 1976 तथा नियम एवं उसके अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसार सामग्री के स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, उपयोग या विक्रय हेतु प्रवेश पर प्रवेशकर (ई.टी.), प्रवेशकर अधिनियम एवं मध्यप्रदेश वैट अधिनियम, 2002 में निर्दिष्ट दरों पर निरूपित किया जाएगा।

हमने प्रवेशकर मामलों से संबंधित प्रकरण नस्ती की नमूना जांच में पाया कि निर्धारण प्राधिकारियों ने अंकेक्षित लेखे/क्रय सूची/देयक बीजक आदि के आधार पर कर योग्य टर्नओवर निर्धारित करने के बाद तथापि, जनवरी 2016 एवं जून 2016 के मध्य पारित किये गये अपील आदेशों में प्रवेशकर अनुसूची के अनुसार कर प्रवेशकर निरूपित किया। हमने पाया कि सात अपील कार्यालयों¹⁰ के 12 व्यापारियों के 12 प्रकरण जो नवम्बर 2011 और अक्टूबर 2015 के मध्य निराकृत किये गये थे, अपीलीय प्राधिकारी ने

¹⁰ अतिरिक्त आयुक्त अपील इन्दौर-दो और जबलपुर, उपायुक्त अपील ग्वालियर, इन्दौर-तीन, जबलपुर, सागर और सतना

त्रुटिपूर्ण प्रवेशकर राशि ₹ 74.47 लाख का राहत प्रदान की जैसा परिशिष्ट-VIII में अपीलीय प्राधिकारियों के उत्तर के साथ और उस पर हमारे अभिमत सहित दर्शाया गया है। उदाहरणार्थ कुछ प्रकरणों को तालिका 3.9 में दर्शाया गया है:

तालिका 3.9
प्रकरण जिनमें अपीलीय प्राधिकारी ने प्रवेशकर की त्रुटिपूर्ण राहत प्रदान की
(₹ लाख में)

क्र. स.	इकाई का विवरण	अपीलकर्ता का नाम, टिन, अवधि, प्रकरण क्रमांक और अपील आदेश का दिनांक	वस्तु का नाम/ प्रवेशकर की राशि	लेखापरीक्षा आपत्तियां	उत्तर और हमारे अभिमत
1	अतिरिक्त आयुक्त जबलपुर	मेसर्स शारदा माँ इन्टरप्राइजेज प्रा. लि कटनी, 23716204180 2010-11 118/13-14 21.04.14	कोयला 29.42	मेसर्स प्रिज्म सीमेंट टिन 2331700844 द्वारा प्रदाय किये गये घोषणा प्रमाणपत्र के आधार पर अपीलकर्ता ने प्रवेश छूट की मांग की, यद्यपि विक्रय देयक के अनुसार प्रमाणित होता है कि उपरोक्त विक्रय दूसरे व्यापारी मेसर्स प्रिज्म सीमेंट टिन 23127002475 को किया गया था।	अपीलीय प्राधिकारी ने कोई उत्तर नहीं दिया।
2	अतिरिक्त आयुक्त इन्दौर परिक्षेत्र-दो	मेसर्स प्रकाश सालवेक्स इन्दौर, 23361400981/ 2008-09 08/11 21.03.12	आरबीडी पाम आइल/7 .65	अपीलीय प्राधिकारी ने अपीलकर्ता को अन्तिम स्कन्ध की सामग्री (2008-09) के आधार पर कर में राहत दी जबकि स्टाक अन्तरण 2009-10 में किया गया। अपीलीय प्राधिकारी ने यह वास्तविकता सत्यापित नहीं की कि अपीलकर्ता द्वारा उस स्टाक अन्तरण के संबंध में क्रय मूल्य की प्रवेशकर गणना में छूट हेतु वर्ष 2009-10 में ही दावा किया था। यद्यपि, निर्धारण प्राधिकारी ने स्टाक अन्तरण के आधार पर ही 2009-10 में छूट प्रदान की थी।	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि केवल कल्पना के आधार पर आपत्ती ली गई। उत्तर मानने योग्य नहीं है क्योंकि यह आगामी वर्ष (2009-10) प्रवेशकर के निर्धारण आदेश से स्वयं प्रमाणित होता है कि व्यवसाई से हस्तांतरित सामग्री के क्रय मूल्य पर पूरी भंडार सामग्री पर छूट का दावा किया जिसे निर्धारण प्राधिकारी द्वारा मान्य किया गया।
3	उपायुक्त वाणिज्यिक कर अपील, इन्दौर-तीन	मेसर्स एसोसीयेट अलकोहल एण्ड बरेवरीज लिमिटेड, इन्दौर, 23581200555/ 2004-05 173/10	सड़ा अनाज/ 16.61	आयात किये गये सड़े अनाज पर निर्धारण अधिकारी ने अनुसूची- दो के प्रविष्टि 57 "सभी प्रकार के अनाज और दालें" के अनुसार एक प्रतिशत की दर से प्रवेशकर	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि तथ्यों की जांच के बाद

		14.11.11		निरूपित किया था। अपीलीय प्राधिकारी ने सड़े अनाज को मनुष्यों एवं जानवरों के लिये अनुपयोगी होने से अनाज नहीं मानते हुये अपीलकर्ता को प्रवेशकर से राहत प्रदान की। यद्यपि, सड़े अनाज के संबंध में कोई विशिष्ट प्रविष्टि नहीं है और व्यवसायी ने सड़े अनाज को कच्चे सामग्री के रूप में मदिरा बनाने के लिये उपयोग किया, इसलिये अनुसूची-तीन की प्रविष्टि क्रमांक एक "अनुसूची एक और दो में सम्मिलित वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य वस्तुयें एक प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं" अनुसार कर योग्य है।	कार्यवाही से अवगत करवाया जायेगा।
--	--	----------	--	--	----------------------------------

निर्गम सम्मेलन के दौरान शासन ने उत्तर दिया कि तथ्यों की जांच की जाएगी और उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

3.3.8 अनुज्ञेय प्रकरणों के लिये द्वितीय अपील अधिमान्य नहीं किया जाना

यद्यपि आयुक्त को अधिनियम के अनुसार द्वितीय अपील में जाने का अधिकार है, अपीलीय प्राधिकारी ने 476 प्रकरणों में राशि ₹ 291.86 करोड़ कर की राहत अपीलकर्ता के पक्ष में प्रदान की लेकिन विभाग ने किसी भी प्रकरण में द्वितीय अपील में जाने के संबंध में विचार नहीं किया। इसके अतिरिक्त अधिनियम में आयुक्त के अतिरिक्त किसी अन्य प्राधिकारी को द्वितीय अपील में जाने हेतु सक्षम बनाने हेतु प्रावधान नहीं है।

अधिनियम की धारा 46 (3) के प्रावधान के अनुसार, जहां आयुक्त के विचार में उपायुक्त के अतिरिक्त किसी अन्य अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो वह उस आदेश के विरुद्ध अपीलीय मण्डल के समक्ष उस आदेश के दिनांक से दो कैलेण्डर वर्ष के भीतर अपील दाखिल कर सकता है।

हमने मार्च 2016 और अप्रैल 2016 के मध्य दो अपीलीय प्राधिकारी- अतिरिक्त आयुक्त, इन्दौर परिक्षेत्र-दो और जबलपुर के अपील आदेशों के नमूना जांच के दौरान पाया कि 1,216 प्रकरणों का निराकरण अप्रैल 2011 से मार्च 2015 के मध्य किया गया जिसमें से 476 प्रकरणों में अपीलीय प्राधिकारियों ने राशि ₹ 291.86 करोड़ का राहत अपीलकर्ता के पक्ष में प्रदान की, जैसा कि तालिका 3.10 में दर्शाया गया है:

तालिका 3.10
प्रकरण जिनमें विभाग ने द्वितीय अपील को अधिमान्य नहीं किया

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	अपीलीय प्राधिकारी कार्यालय का नाम	प्रकरणों की संख्या जिसमें अपीलकर्ता के पक्ष में आदेश पारित किया गया	अपील आदेश की राशि
1	अतिरिक्त आयुक्त, अपील जबलपुर परिक्षेत्र	209	43.10
2	अतिरिक्त आयुक्त, अपील इन्दौर परिक्षेत्र-दो	267	248.76
योग		476	291.86

यद्यपि आयुक्त को द्वितीय अपील अधिमान्य करने का अधिकार था तथापि प्रथम अपील में अपीलकर्ता के पक्ष में निर्णित प्रकरणों में से एक भी अनुज्ञेय प्रकरण द्वितीय अपील हेतु अधिमान्य नहीं किया गया।

आगे अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके द्वारा आयुक्त उन प्रकरणों में द्वितीय अपील अधिमान्य कर सके जिसमें उसके विचार से उपायुक्त (अपील) ने त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है। पुनः अधिनियम में आयुक्त के अलावा अन्य किसी प्राधिकारी को द्वितीय अपील अधिमान्य करने हेतु सक्षम बनाने हेतु प्रावधान नहीं है।

निर्गम सम्मेलन में, विभाग ने इस तथ्य को स्वीकार किया और बताया कि अधिनियम में संशोधन किया जायेगा इसलिये भविष्य में उन सभी प्रकरणों में जिनमें अपीलीय प्राधिकारी ने करदाता के पक्ष में निर्णय दिया है, उसमें अपील आदेशों की सक्षम प्राधिकारी द्वारा समीक्षा की जाएगी और उनके अनुसार अनुज्ञेय प्रकरणों को द्वितीय अपील के लिये अधिमान्य किया जायेगा एवं निर्धारित कार्यवाही की जाएगी।

हम अनुशंसा करते हैं कि उन प्रकरणों में जिनमें निर्धारण प्राधिकारी का अभिमत है कि अधिनियम के कुछ प्रावधानों की उपेक्षा की गई है या उनकी उपेक्षा करते हुए अपीलकर्ता व्यवसायी के पक्ष में आदेश पारित किया गया है, उन प्रकरणों हेतु अधिनियम में पर्याप्त प्रावधान करते हुए निर्धारण प्राधिकारियों को अपीलीय प्राधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध अपील करने का अधिकार दिया जाए।

3.3.9 निष्कर्ष

- प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों ने उन व्यवसायियों की अपील स्वीकार की जिनके द्वारा अपील दाखिल करते समय निर्धारित राशि जमा नहीं की गई थी।
- प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों ने अपील दर्ज करने हेतु निर्धारित अवधि के बाद दाखिल किये गये अपील प्रकरणों को स्वीकार किया। द्वितीय अपील में निर्धारित समय-सीमा में अपील का निराकरण नहीं किया गया।
- प्रथम अपील में अपीलकर्ता के पक्ष में निर्णित प्रकरणों में, विभाग ने अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील को अधिमान्य नहीं किया। अभिलेखों में ऐसा कुछ नहीं पाया गया जिससे इस बात की पुष्टि हो कि जहां अपीलीय प्राधिकारी ने अपीलकर्ता के पक्ष में निर्णय दिया है वहां प्रकरणों की जांच

कर आयुक्त ने यह सुनिश्चित किया हो कि द्वितीय अपील अधिमान्य करने की आवश्यकता नहीं है।

3.3.10 अनुशंसाएँ

- मध्यप्रदेश वैट अधिनियम की धारा 46 (5) के अनुसार, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा केवल उन अपील प्रकरणों को स्वीकार करना चाहिये जिसमें निर्धारित राशि अपील ज्ञापन के साथ जमा की गई है।
- संहिता के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन कर ऐसा प्रावधान सम्मिलित किया जा सकता है जिससे निर्धारण प्राधिकारी को अपना पक्ष रखने का एक अवसर अवश्य दिया जाए और उसका अभिमत नियमानुसार सम्मिलित कर अपील प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाया जाए।
- उन प्रकरणों में जिनमें निर्धारण प्राधिकारी का अभिमत है कि व्यवसायी की अपील स्वीकार करते हुए प्रावधानों की उपेक्षा अपीलकर्ता के पक्ष में आदेश पारित किया गया है तो अधिनियम में पर्याप्त प्रावधान कर अपीलीय प्राधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध अपील करने के लिये निर्धारण सशक्त बनाने के लिये प्राधिकारियों को अधिकार दिया जा सकता है।

सभी अनुशंसाओं को विभाग द्वारा स्वीकार किया गया (सितम्बर 2016)।

अन्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ

3.4 कर कटौती की अनियमित छूट

कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा टर्नओवर निर्धारित करते समय विक्रय मूल्य में कर शामिल न होने पर भी कुल विक्रय राशि पर कर की छूट दी गई। इस अनियमित छूट की स्वीकृति के परिणामस्वरूप ₹ 8.76 करोड़ के कर एवं ₹ 22.60 करोड़ की शास्ति का कम आरोपण हुआ।

मध्यप्रदेश वैट अधिनियम, 2002 की धारा 2(x)(iii) के अंतर्गत कर योग्य टर्नओवर की गणना हेतु एक सूत्र निर्धारित किया गया है। इसमें यह भी प्रावधान है कि इस सूत्र के आधार पर कोई कटौती नहीं की जायेगी, यदि पंजीकृत व्यवसायी द्वारा संग्रहित कर की राशि या तो विक्रय मूल्य में सम्मिलित ही नहीं है अथवा कुल विक्रय मूल्य में से अन्यथा काटी जा चुकी है।

हमने चार संभागीय कार्यालयों¹¹, दो क्षेत्रीय कार्यालयों¹² एवं पांच वृत्त कार्यालय¹³ में जुलाई 2015 एवं अप्रैल 2016 के मध्य 18,850 कर निर्धारण आदेशों की नमूना जांच की और पाया कि जून 2013 तथा फरवरी 2015 के मध्य निर्धारित 2010-11 तथा 2012-13 की अवधि के 11 व्यवसायियों से संबंधित 12 प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारियों ने टर्नओवर निर्धारित करते समय कुल विक्रय मूल्य में से कर की कटौती स्वीकार की। चूंकि विक्रय मूल्य में कर शामिल नहीं था, इसलिये कोई कटौती नहीं की जानी चाहिए थी। कटौती की इस अनियमित स्वीकृति के परिणाम स्वरूप ₹ 22.60 करोड़ की शास्ति सहित ₹ 31.37 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ जिसका विवरण परिशिष्ट-IX में दर्शाया गया है।

हमने प्रकरण अप्रैल 2016 तथा जुलाई 2016 के मध्य शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित किया। विभाग ने बैठक (सितम्बर 2016) में उत्तर दिया कि प्रकरणों के परीक्षण उपरांत विस्तृत उत्तर भेजा जायेगा। विभाग का उत्तर अप्राप्त था (अक्टूबर 2016)।

¹¹ संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल-1, ग्वालियर-1, इन्दौर-2 तथा उज्जैन

¹² सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर-1 तथा इन्दौर 2

¹³ वाणिज्यिक कर अधिकारी भिण्ड, भोपाल-1, नरसिंहपुर, इन्दौर-14 तथा शिवपुरी

3.5 कर की गलत दर लगाया जाना

कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा ₹ 75.29 करोड़ के टर्नओवर पर गलत दर से कर का आरोपण किये जाने के परिणामस्वरूप शास्ति ₹5.70 करोड़ सहित ₹ 11.23 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

मध्यप्रदेश वैट अधिनियम, 2002 की धारा 9 (1) के प्रावधानों के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत कर भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यवसायियों के कर योग्य टर्नओवर पर अधिनियम की अनुसूची-II में संबंधित सामग्री के समक्ष कॉलम-तीन में दी गई प्रविष्टि के अनुसार कर का आरोपण किया जाएगा। फोटोकापी मशीन/पुर्जे/सहायक सामग्री, बैटरी इन्वर्टर, चाकू, गैस लाईटर, ट्रेक्टर की सहायक सामग्री जैसी वस्तुएँ वैट अधिनियम की अनुसूची-दो के भाग-IV की प्रविष्टि क्र. 1 के अनुसार 13 प्रतिशत की दर से कर योग्य है।

हमने अप्रैल 2015 और अप्रैल 2016 के मध्य दो संभागीय कार्यालयों¹⁴ दो क्षेत्रीय कार्यालयों¹⁵ और 14 वृत्त कार्यालयों¹⁶ में 26,076 प्रकरणों से संबंधित कर निर्धारण आदेशों, अंकेक्षित लेखों, विवरणियों, क्रय सूची आदि अभिलेखों की नमूना जांच की और पाया कि अप्रैल 2010 से मार्च 2013 की अवधि से संबंधित ऐसे कर प्रकरण जिनका कर निर्धारण अप्रैल 2013 से सितम्बर 2015 के मध्य किया गया था, उनमें 24 व्यवसायियों के 27 प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 75.29 करोड़ के विक्रय टर्नओवर पर सामग्रियों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के परिणामस्वरूप गलत दरों से कर आरोपित किया था। इसके परिणामस्वरूप वैट ₹ 5.53 करोड़ एवं शास्ति ₹ 5.70 करोड़ का कम आरोपण हुआ जिसका उल्लेख **परिशिष्ट-X** में किया गया है। कर निर्धारण अधिकारियों के उत्तर एवं उन पर हमारा अभिमत **परिशिष्ट-X** में दिये गये हैं।

हमने प्रकरण नवम्बर 2015 तथा अगस्त 2016 के मध्य शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित किया। विभाग ने बैठक (सितम्बर 2016) में उत्तर दिया कि प्रकरणों के परीक्षण उपरांत विस्तृत उत्तर भेजा जायेगा। विभाग का उत्तर अप्राप्त था (अक्टूबर 2016)।

3.6 आगत कर की छूट

3.6.1 अमान्य आगत कर की छूट की स्वीकृति

कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा ₹ 6.76 करोड़ की आगत कर की छूट स्वीकृत की गई जो कि वैट अधिनियम के प्रावधानों एवं नियमों के अनुसार नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप शास्ति ₹ 3.56 करोड़ सहित ₹ 10.32 करोड़ के कर का कम संग्रहण हुआ।

मध्यप्रदेश वैट अधिनियम की धारा 14 के अनुसार जहां कोई पंजीकृत व्यवसायी मध्यप्रदेश राज्य के भीतर किसी अन्य पंजीकृत व्यवसायी से आगत कर के भुगतान के पश्चात् अधिनियम की अनुसूची-II में निर्दिष्ट वस्तुओं, इसी अनुसूची के भाग-III में निर्दिष्ट वस्तुओं को छोड़कर, का क्रय करता है तो उसे उसी वर्ष हेतु ऐसी आगत कर की राशि के बराबर आगत कर छूट (आई.टी.आर.) प्रदान की जायेगी। मध्यप्रदेश वैट नियम 2006 के नियम 9 के अंतर्गत यदि देयक, बीजक व नगद पर्ची में पंजीकृत विक्रय व्यवसायी द्वारा संग्रहित कर का विवरण पृथक से प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो आगत कर में छूट का न तो व्यवसायी द्वारा दावा प्रस्तुत किया जा सकेगा, न ही ऐसी छूट स्वीकृत की जायेगी।

¹⁴ उपायुक्त भोपाल 2 एवं खण्डवा

¹⁵ सहायक आयुक्त छिंदवाडा, इंदौर 2, इंदौर 9 एवं नीमच

¹⁶ वाणिज्यिक कर अधिकारी अनुपपुर, बैतूल, भिण्ड, ग्वालियर 4, इन्दौर 2, इन्दौर 7, इन्दौर 9, इन्दौर 12, इन्दौर 14, इन्दौर 15, जबलपुर 1, खण्डवा शिवपुरी एवं बैहन

हमने तीन संभागीय कार्यालयों¹⁷, चार क्षेत्रीय कार्यालयों¹⁸ एवं 20 वृत्त कार्यालयों¹⁹ के 35,209 प्रकरणों में कर निर्धारण आदेशों, अंकेक्षित खातों, विवरणियों, क्रय सूची इत्यादि की नमूना जांच (मार्च 2015 और मार्च 2016 के मध्य) की तथा पाया कि अवधि 2010-11 से 2013-14 के मध्य निर्धारित किये गये 51 प्रकरण जो 47 व्यवसायियों से संबंधित थे तथा जिनका निर्धारण जुलाई 2013 से मार्च 2015 के मध्य किया गया था, आगत कर की छूट प्रदान की गई। जिनमें पेट्रोल एवं डीजल के वाष्पीकरण पर कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा अमान्य आगत कर छूट, अंकेक्षित लेखों में दर्शायी राशि से अधिक की सामग्री के क्रय पर आगत कर की अनियमित छूट तथा अधिसूचित सामग्रियों पर आगत कर छूट जैसे प्रकरण सम्मिलित थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.75 करोड़ की अमान्य आगत कर छूट दी गई। ₹ 3.56 करोड़ की शास्ति भी अमान्य आगत कर पर आरोपणीय थी। अमान्य आगत कर छूट स्वीकार करने के परिणामस्वरूप ₹ 10.32 करोड़ के राजस्व की कम प्राप्ति हुई जिसका विवरण परिशिष्ट—XI में दर्शाया गया है। कर निर्धारण अधिकारियों के उत्तर एवं उन पर हमारा अभिमत परिशिष्ट में दिया गया है।

हमने प्रकरण नवम्बर 2015 एवं जुलाई 2016 के मध्य शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित किया। विभाग ने बैठक (सितम्बर 2016) में उत्तर दिया कि प्रकरणों के परीक्षण उपरांत विस्तृत उत्तर भेजा जायेगा। विभाग का उत्तर अप्राप्त था (अक्टूबर 2016)।

3.6.2 राज्य से बाहर स्टॉक स्थानांतरित किये जाने की स्थिति में आगतकर में स्वीकार्य छूट की वापसी न होना/कम वापसी होना

कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा शाखा कार्यालयों को स्थानांतरित स्टॉक के अनुपात में आगत कर छूट की वापसी नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप ₹ 11.46 लाख के आगत कर छूट वापसी नहीं की गयी।

व्यवसायियों को आगत कर छूट उनके द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणियों एवं प्रमाणित अंकेक्षित लेखों में दर्शित क्रय के संपूर्ण सत्यापन व जांच के उपरांत ही दी जानी चाहिए। साथ ही मध्यप्रदेश वैट अधिनियम, 2002 की धारा 14 (5) (a) (i) के अनुसार जहां पंजीकृत व्यवसायी, प्रस्तुत विवरणी के अनुसार, स्वयं के द्वारा भुगतान योग्य कर की राशि के विरुद्ध आगत कर में छूट का दावा प्रस्तुत करता है तथा उसका दावा मान्य कर छूट प्रदान की जाती है वहां अधिनियम की अनुसूची-दो में निर्दिष्ट सामग्री/सामग्रियों से निर्मित/व्युत्पन्न वस्तुओं के मध्यप्रदेश के भीतर विक्रय के अलावा अन्य किसी तरीके से निर्वर्तन अथवा अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान अथवा देश की सीमा के बाहर विक्रय करने पर व्यवसायी आगत कर या ऐसी सामग्री की क्रय राशि में से आगत कर घटाकर क्रय मूल्य का चार प्रतिशत, जो भी कम हो, उपरोक्त सामग्री पर उसके द्वारा समायोजित आगत कर छूट के रूप में भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा।

हमने संभागीय कार्यालय, संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर, सागर एवं वृत्त कार्यालय, वाणिज्यिक कर अधिकारी बालाघाट के कार्यालयों में 35,029 प्रकरणों से संबंधित कर निर्धारण आदेश, अंकेक्षित खातों, विवरणियों, क्रय सूचियों आदि की नमूना जांच (जुलाई 2015 से सितम्बर 2015 के मध्य) की एवं पाया कि कर निर्धारण अधिकारियों के द्वारा अवधि 2010-11 से 2012-13 से संबंधित तीन व्यवसायियों के तीन प्रकरणों में कर निर्धारण (सितम्बर 2013 से जनवरी 2015 के मध्य) के दौरान शाखा कार्यालयों को स्थानांतरित स्टॉक के अनुपात में आगत कर छूट की वापसी नहीं की गई अथवा कम वापसी की गई जिसके परिणामस्वरूप ₹ 11.46 लाख के आगत कर छूट की वापसी नहीं

¹⁷ उपायुक्त भोपाल 2, ग्वालियर 1 और जबलपुर 2

¹⁸ सहायक आयुक्त ग्वालियर 1, इन्दौर 2, रतलाम और सागर

¹⁹ वाणिज्यिक कर अधिकारी अनूपपुर, बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा 1, दमोह, ग्वालियर 2, ग्वालियर 3, ग्वालियर 4, इन्दौर 2, इन्दौर 9, इन्दौर 14, जबलपुर 1, गुना, इटारसी, कटनी 2, खण्डवा, नरसिंहपुर, रीवा, सागर और शिवपुरी

हुई। गलत दावों के विरुद्ध ₹ 1.35 लाख की शास्ति भी आरोपित नहीं की गई।
(परिशिष्ट—XII)

इसे इंगित किये जाने पर वाणिज्यिक कर अधिकारी, बालाघाट द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी; संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर, सागर द्वारा दो प्रकरणों के संदर्भ में बताया गया कि शाखा कार्यालय को स्थानांतरण एवं सकल विक्रय के अनुपातमें ही आगत कर की छूट की वापसी की गई थी।

हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि स्टॉक स्थानांतरण एवं सकल विक्रय की गणना स्क्रैप विक्रय, कैंटीन विक्रय तथा वैट की राशि सकल टर्नओवर में से कम कर कीजानी थी, जो इन प्रकरणों में नहीं किया गया।

हमने प्रकरण नवम्बर 2015 एवं जुलाई 2016 के मध्य शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित किया। विभाग ने बैठक (सितम्बर 2016) में उत्तर दिया कि प्रकरणों के परीक्षण उपरांत विस्तृत उत्तर भेजा जायेगा। विभाग का उत्तर अप्राप्त था (अक्टूबर 2016)।

3.7 टर्नओवर का गलत निर्धारण

कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा व्यवसायियों के अंकेक्षित खाते/विक्रय सूची एवं सुसंगत अभिलेखों में दर्ज कर योग्य टर्नओवर के विरुद्ध राशि ₹ 51.63 करोड़ के कर के कम निर्धारण किये जाने के परिणामस्वरूप शास्ति ₹ 5.22 करोड़ तथा ब्याज ₹ 1.90 करोड़ सहित कुल राशि ₹ 10.24 करोड़ के कर का आरोपण नहीं किया जा सका।

मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 एवं मध्यप्रदेश वैट अधिनियम, 2002 की धारा 2 के अनुसार किसी अवधि के टर्नओवर से तात्पर्य व्यवसायी द्वारा उस अवधि में सामग्रियों के विक्रय, आपूर्ति अथवा वितरण से प्राप्त अथवा प्राप्य कुल विक्रय मूल्य है जिसमें निर्धारित अवधि के भीतर उपरोक्त सामग्री का वापसी मूल्य सम्मिलित नहीं है। कर योग्य टर्नओवर के निर्धारण हेतु अधिनियम और मध्यप्रदेश वैट अधिनियम के अंतर्गत कुल टर्नओवर में से कर चुका माल एवं कर की राशि, यदि सकल विक्रय मूल्य में सम्मिलित है तो, कम की जायेगी। आगे धारा 21 (3) में यह प्रावधान है कि उप धारा (1) के प्रावधान के अनुसार कार्यवाही के प्रारम्भ होने की तिथि से एक कैलेण्डर वर्ष के भीतर निर्धारण या पुनर्निर्धारण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त धारा 18 (4) (a) के अन्तर्गत व्यवसायी 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज के भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा, यदि व्यवसायी सामयिक विवरणी के अनुसार कर का भुगतान करने में विफल रहता है तथा यदि वह स्वयं कर का भुगतान न करने के लिए उत्तरदायी पाया जाता है तो, अधिनियम की धारा 21 (2) के अंतर्गत उस पर निर्धारित कर की राशि की न्यूनतम तीन गुना शास्ति अधिरोपित की जायेगी।

हमने सात संभागीय कार्यालयों²⁰, सात क्षेत्रीय कार्यालयों²¹ एवं 20 वृत्त कार्यालयों²² के 2010-11 से 2012-13 के मध्य की अवधि के 35,274 प्रकरणों में कर निर्धारण आदेशों, अंकेक्षित लेखों, क्रय सूची आदि अभिलेखों की नमूना जांच (मार्च 2015 और अप्रैल 2016 के मध्य) की और पाया कि 53 व्यवसायियों के 56 प्रकरणों में जुलाई 2013 तथा मार्च 2015 के मध्य की अवधि में कर निर्धारित करते समय व्यवसायियों के अंकेक्षित लेखा पुस्तकों, विक्रय सूची एवं सुसंगत अभिलेखों में अभिलिखित टर्नओवर से ₹ 51.63 करोड़ का कम कर योग्य टर्नओवर निर्धारित किया गया। इसके परिणामस्वरूप शास्ति ₹ 5.22 करोड़ एवं ब्याज ₹ 1.90 करोड़ सहित कुल ₹ 10.24 करोड़ के कर का कम

²⁰ उपायुक्त छिंदवाड़ा इन्दौर 2, इन्दौर (एलटीपीयू), खण्डवा और सागर

²¹ सहायक आयुक्त ग्वालियर 1, ग्वालियर 2, इन्दौर 1, 2, 3 इन्दौर 11 और सागर 1

²² वाणिज्यिक कर अधिकारी अनूपपुर, बालाघाट, बैतूल, भोपाल 6, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा 1, छिंदवाड़ा 2, ग्वालियर 3, 4 ग्वालियर 14, होशंगाबाद, इन्दौर 2, इन्दौर 14, जबलपुर 1, खंडवा, मंदसौर, नौगांव, रतलाम 2, रीवा और सागर

आरोपण हुआ। विभाग के उत्तर एवं उस पर हमारा विस्तृत अभिमत परिशिष्ट—XIII में दर्शाया गया है।

हमने प्रकरण नवम्बर 2015 एवं जुलाई 2016 के मध्य शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित किया। विभाग ने बैठक (सितम्बर 2016) में उत्तर दिया कि प्रकरणों के परीक्षण उपरांत विस्तृत उत्तर भेजा जायेगा। विभाग का उत्तर अप्राप्त था (अक्टूबर 2016)।

3.8 प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण/बिना घोषणा पत्र के छूट

कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा लोहा एवं इस्पात, मशीनरी, एच.डी.पी.ई. शीट, टी.एम.टी. बार, कोयला, चूना पत्थर, टाइल्स इत्यादि, वस्तुओं के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर ₹ 184.43 करोड़ का प्रवेशकर या तो आरोपित नहीं किया गया था अथवा गलत दर से आरोपित किया गया था अथवा व्यवसायियों से निर्धारित प्रोफार्मा में घोषणा-पत्र प्राप्त किये बिना प्रवेश कर की छूट दी गई जिसके परिणामस्वरूप शास्ति ₹ 2.01 करोड़ सहित ₹ 9.27 करोड़ के प्रवेश कर की वसूली नहीं हुई।

मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 तथा इसके अंतर्गत जारी नियमों एवं अधिसूचनाओं के अनुसार स्थानीय क्षेत्र में स्वयं के उपयोग अथवा विक्रय प्रयोजन से लाई गई सामग्री के प्रवेश पर निर्धारित दरों पर प्रवेश कर का आरोपण किया जाएगा। इस अधिनियम तथा मध्यप्रदेश वैट अधिनियम, 2002 के अनुसार जहां कर निर्धारण में त्रुटि के लिए विक्रेता उत्तरदायी पाया जाएगा, वहां विक्रेता पर शास्ति भी आरोपित की जा सकेगी।

अधिसूचना क्र. 21 एवं 22 दिनांक 4 अप्रैल 2005 के अनुसार, यदि कोई पंजीकृत व्यवसायी मध्यप्रदेश राज्य में नई औद्योगिक इकाई की स्थापना करता है तथा प्रवेश कर छूट योजना 2004 के अंतर्गत प्रवेश कर का भुगतान करने से छूट प्राप्त करता है, तो वह प्रवेश कर का भुगतान नहीं करेगा यदि वह मध्यप्रदेश वैट अधिनियम की अनुसूची-II एवं III में निर्दिष्ट/शामिल ऐसी सामग्री लाता है जो स्थानीय क्षेत्र में उसके द्वारा औद्योगिक उपयोग हेतु कच्चे माल के तौर पर या प्रासंगिक उपयोग हेतु अथवा औद्योगिक इकाई में बनी सामग्री के पैकिंग हेतु प्रयुक्त होना है; अथवा, यदि वह अनुसूची-II में शामिल सामग्री को स्थानीय क्षेत्र में किसी अन्य विक्रेता को उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार इस लिखित घोषणा पत्र के साथ बेचता है कि खरीदी जा रही सामग्री उपभोग हेतु, कच्चे माल के तौर पर या उसकी औद्योगिक इकाई में प्रासंगिक प्रयोग हेतु उपयोग की जाएगी।

हमने छः संभागीय कार्यालयों²³, आठ क्षेत्रीय कार्यालयों²⁴ एवं 22 वृत्त कार्यालयों²⁵ के अभिलेख जैसे-कर निर्धारण आदेशों, अंकक्षित लेखों, क्रय सूची आदि की नमूना जांच (मई 2015 और मार्च 2016 के मध्य) में पाया गया कि 2010-11 से 2013-14 की अवधि के 36,037 कर निर्धारण/पुनर्निर्धारण प्रकरणों में (सितम्बर 2013 और मार्च 2015 के मध्य) 58 व्यवसायियों के 59 प्रकरणों में लोहा एवं इस्पात, मशीनरी, एच.डी.पी.ई. शीट, टी.एम.टी. बार, कोयला, चूना पत्थर, टाइल्स आदि पर ₹ 102.77 करोड़ की राशि पर प्रवेश कर का या तो आरोपण ही नहीं हुआ था या गलत दर से आरोपण हुआ था। व्यवसायी द्वारा प्रवेश कर छूट योजना 2004 के अंतर्गत छूट प्राप्त औद्योगिक इकाई में उपभोग हेतु किसी अन्य व्यवसायी को विक्रय की गई सामग्री के संदर्भ में निर्धारित प्रपत्र में घोषणा-पत्र न दिये जाने पर भी प्रवेश कर की अनियमित छूट प्रदान की गई। इसके परिणामस्वरूप शास्ति ₹ 2.01 करोड़ सहित राशि ₹ 9.27 करोड़ प्रवेश कर का

²³ उपायुक्त भोपाल 1, भोपाल 2, छिंदवाड़ा, इन्दौर 2, सागर और उज्जैन

²⁴ सहायक आयुक्त सागर 2, इन्दौर 1, इन्दौर 2, इन्दौर 3, छिंदवाड़ा, सागर 1, ग्वालियर 1 और रतलाम

²⁵ वाणिज्यिक कर अधिकारी सतना 2, जबलपुर 2, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, टैक्स आडिट विंग 2 इन्दौर, इन्दौर 3, इन्दौर 9, शहडोल, जबलपुर 4, इन्दौर 7, भोपाल 6, इन्दौर 8, बालाघाट, अनूपपुर, बैदण, दमोह, बैतूल, मुरैना, इन्दौर 14, इन्दौर 8, इन्दौर 9 और ग्वालियर 4

आरोपण नहीं हुआ। विभाग के उत्तर और हमारे अभिमत सहित विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-XIV** में दिये गये हैं।

हमने प्रकरण नवम्बर 2015 एवं जुलाई 2016 के मध्य शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित किया। विभाग ने बैठक (सितम्बर 2016) में उत्तर दिया कि प्रकरणों के परीक्षण उपरांत विस्तृत उत्तर भेजा जायेगा। विभाग का उत्तर अप्राप्त था (अक्टूबर 2016)।

3.9 शास्ति का अनारोपण

कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा धारा 21 के अन्तर्गत वसूली योग्य शास्ति का आरोपण नहीं किया गया जबकि कर निर्धारण में त्रुटियों के लिए व्यवसायी उत्तरदायी था जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 5.39 करोड़ के राजस्व का कम संग्रहण हुआ।

मध्यप्रदेश वैट अधिनियम की धारा 21 के अनुसार, जहां किसी व्यापारी का कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण अधिनियम के अधीन किया जा चुका है और कर के दायित्वाधीन माल के किसी विक्रय या क्रय पर किसी कारण से किसी कालावधि के दौरान, कम कर निर्धारण हुआ है या वह कर निर्धारण से छूट गया है या कोई अमान्य कटौती स्वीकार की गई हो या कर निर्धारण करते समय आगत कर की गलत छूट दी गई है अथवा ऐसी त्रुटि राजस्व प्राप्ति के हित में न हो तो आयुक्त निर्धारित अवधि के भीतर किसी भी समय, व्यवसायी को लिखित सूचना देकर उसके भुगतान योग्य कर के लिये निर्धारण या पुनर्निर्धारण कर सकेगा। जहां त्रुटिपूर्ण कर निर्धारण व्यापारी की गलती के कारण हुआ वहाँ व्यापारी पर इस प्रकार निर्धारित कर राशि की न्यूनतम तीन गुना शास्ति आरोपित करेगा।

हमने एक क्षेत्रीय कार्यालय (सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इंदौर-2) तथा तीन वृत्त कार्यालयों (वाणिज्यिक कर अधिकारी-दमोह, धार व बैढन) में 3,832 प्रकरणों से संबंधित अभिलेख जैसे-कर निर्धारण आदेश, अंकक्षित लेखे, विवरणियां व क्रय सूची आदि की नमूना जांच की (मार्च 2014 से मार्च 2015 के बीच) तथा यह पाया गया कि अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत चार विक्रेताओं (जांचे गये 3,832 प्रकरणों में से) के 2009-10 एवं 2011-12 के मध्य निर्धारित कर निर्धारण प्रकरणों में दिसम्बर 2013 से फरवरी 2015 के बीच कर निर्धारण अधिकारियों ने कर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत शास्ति का आरोपण न करते हुए अधिनियम की धारा 18 व 39 के अंतर्गत ब्याज व शास्ति का आरोपण किया, जैसा कि कर सूचना विनिमय प्रणाली (TINXSYS) से सत्यापित होता है कि विक्रेता द्वारा वास्तविक विक्रय मूल्य से अधिक सी-फार्म प्राप्त किए गए थे। यह विक्रेता का सोचा-समझा कृत्य था जिसके कारण कर का कम निर्धारण हुआ। इसके परिणामस्वरूप **परिशिष्ट-XV** में दर्शित विवरण अनुसार ₹ 5.39 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई। कर निर्धारण अधिकारी के उत्तर एवं उस पर हमारा अभिमत **परिशिष्ट-XV** में दर्शाया गया है।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर वाणिज्यिक कर अधिकारी, बैढन ने उत्तर दिया (मार्च 2016) कि करारोपण, सामयिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर धारा-21 एवं नियम 31 (2) (3) के अंतर्गत कर का सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर किया गया है।

हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि नियम 31 (2) और (3) केवल उन प्रकरणों पर लागू होता है जहाँ व्यवसायी द्वारा निर्धारण या पुनर्निर्धारण के समय कोई साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हों तथा उन साक्ष्यों की जांच एवं व्यवसायी द्वारा दर्ज आपत्तियों को ध्यान में रख कर, कर निर्धारण या पुनर्निर्धारण किया गया हो। यद्यपि इस प्रकरण में व्यवसायी स्वयं उपस्थित नहीं हुआ न ही कोई लेखा प्रस्तुत किया। व्यवसायी द्वारा कोई आपत्ति भी दर्ज नहीं की गई, अतः धारा 21 (2) के प्रावधानों के अनुसार व्यवसायी पर शास्ति आरोपणीय थी।

हमने शासन और विभाग को अप्रैल 2016 एवं अगस्त 2016 में प्रकरण प्रतिवेदित किया। विभाग द्वारा बैठक में (सितम्बर 2016) उत्तर दिया कि विस्तृत उत्तर प्रकरण के परीक्षण उपरांत दिया जायेगा। विभाग का उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2016)।

3.10 अनुबंधित कार्य हेतु क्रय की गई सामग्री पर कर का अनारोपण

कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा टर्नओवर की त्रुटिपूर्ण गणना की गई व ठेकेदार द्वारा परियोजना में उपयोग हेतु क्रय की गई कुछ सामग्रियों पर कर आरोपित नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.48 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

मध्यप्रदेश वैट अधिनियम 2002 की धारा 2 (Z) के अनुसार किसी भी अवधि से संबंधित टर्नओवर का तात्पर्य विक्रेता द्वारा उस अवधि में किसी भी विक्रय, आपूर्ति अथवा वितरण के परिणाम स्वरूप प्राप्त किया गया अथवा प्राप्य सकल विक्रय मूल्य है भले ही वह पूर्ण अथवा आंशिक टर्नओवर कर योग्य हो। किन्तु यदि उस सामग्री का क्रय छः माह की अवधि के भीतर क्रय की गई उक्त सामग्री का पूर्ण भाग या अंश किसी कारणवश वापस करता है तो उस वापस की गई सामग्री का विक्रय मूल्य, यदि विक्रेता द्वारा क्रय को वापस किया गया हो तो, विक्रेता के टर्नओवर से घटा दिया जाएगा।

हमने संभागीय कार्यालय, जबलपुर के 117 प्रकरणों के अभिलेखों जैसे कर निर्धारण आदेशों, अंकेक्षित लेखों, विवरणियों, क्रय सूची आदि की नमूना जांच (फरवरी 2016 में) की तथा पाया कि ऑकारेश्वर परियोजना के कार्य में संलग्न एक व्यवसायी (मेसर्स जी. के. सी. प्रोजेक्ट्स लिमिटेड) का वर्ष 2011-12 का कर निर्धारण, विभाग द्वारा अप्रैल 2014 में किया गया था, तथा कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण प्रकरण करते समय कर योग्य टर्नओवर ₹ 94.05 करोड़ की गणना की जबकि भुगतान सूची (मेमोरेण्डम ऑफ पेमेंट) एवं चलित देयकों से स्पष्ट था कि कर योग्य टर्नओवर ₹ 143.66 करोड़ (स्टील क्रय ₹ 101,63,87,240 तथा पाईप्स ₹ 42,02,87,175) था। परिणामस्वरूप टर्नओवर के अंतर की राशि ₹ 49.62 करोड़ पर पांच प्रतिशत की दर से वाणिज्यिक कर ₹ 2.48 करोड़ की कम वसूली हुई।

हमारे द्वारा इंगित करने पर कर निर्धारण अधिकारी ने उत्तर (फरवरी 2016) में बताया कि एक वर्ष में निर्माण कार्य के लिये हस्तांतरित सामग्री का कुल विक्रय मूल्य सकल टर्नओवर (जी.टी.ओ.) होता है न कि सकल प्राप्ति, क्योंकि सकल प्राप्ति में मजदूरी, आपूर्ति, मजदूरी पर लाभ आदि सन्निहित होते हैं जो कि "सामग्री" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते। अतः इन प्राप्तियों पर कर नहीं लगाया जा सकता है। लेखापरीक्षा आपत्ति में सकल टर्नओवर व सकल प्राप्ति का भेद किए बिना कर की गणना की गई है, जो कि सिद्धांतों के विरुद्ध है तथा अनुचित है क्योंकि किसी भी अवस्था में सकल प्राप्ति पर कर नहीं लगाया जा सकता है।

हम विभाग के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि कुल प्राप्ति ₹ 152.16 करोड़ में से विक्रेता को दिये गये मोबिलाईजेशन व मशीनरी अग्रिमों को घटाने के बाद, जैसा कि भुगतान के मेमोरेण्डम क्र. 15, 11वां चलित बिल एवं मेमोरेण्डम क्र. 16, 9वां चलित बिल से स्पष्ट था कि ₹ 101.64 करोड़ का भुगतान एम एस प्लेट (स्टील का क्रय) एवं ₹ 42.03 करोड़ का भुगतान पाईपों के क्रय हेतु किया गया था।

हमने प्रकरण को शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित किया (जुलाई 2016)। विभाग द्वारा बैठक (सितम्बर 2016) में बताया कि प्रकरणों की जांच के बाद विस्तृत उत्तर प्रेषित किया जाएगा। विभाग का उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2016)।

3.11 केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत कर का कम आरोपण/छूट अथवा रियायत की अनियमित स्वीकृति

निर्धारण अधिकारियों द्वारा दो प्रकरणों में निर्धारण के समय, रियायती दरों पर विक्रय स्वीकृत किये गये जो कि प्रपत्र "सी" से समर्थित नहीं थे, एक प्रकरण में मध्यप्रदेश के प्रपत्र "सी" पर रियायती दरस्वीकृत किये गये, जो कि असत्य घोषणा-पत्रों के आधार पर छूट दी गई थी जबकि दूसरे प्रकरण में गलत गणना पर छूट दी गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.34 करोड़ के कर की कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त ₹ 55.84 लाख की शास्ति भी आरोपणीय थी।

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत प्रत्येक व्यवसायी जो अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में स्वयं के पंजीकरण प्रमाण-पत्र में उल्लिखित श्रेणियों की सामग्री किसी अन्य पंजीकृत व्यवसायी को विक्रय करता है, वह टर्नओवर पर दो प्रतिशत की दर से कर के भुगतान का उत्तरदायी होगा, बशर्ते ऐसा विक्रय प्रपत्र "सी" में घोषणा-पत्रों से समर्थित हो। विक्रेता व्यवसायी, पंजीकृत क्रेता व्यवसायी से निर्धारित घोषणा-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो वह अपने अन्तर्राज्यीय विक्रय टर्नओवर पर ऐसी सामग्री के राज्य के भीतर क्रय एवं विक्रय पर लागू अनुसूची दर से कर के भुगतान का उत्तरदायी होगा।

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 8 (2) के अनुसार अन्तर्राज्यीय विक्रय जो निर्धारित प्रपत्र "सी" में दिए घोषणा-पत्रों से समर्थित है उस पर दो प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय होगा। अन्यथा राज्य में प्रचलित अनुसूची दर से कर का निर्धारण किया जायेगा। आगे केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 9 (2) सहपठित वाणिज्यिक कर अधिनियम की धारा 21 (2) के अनुसार यदि कर निर्धारण या पुनर्निर्धारण में त्रुटि व्यवसायी की चूक के कारण हुई हो व्यवसायी पर इस प्रकार निर्धारित की गई कर की राशि की न्यूनतम तीन गुना शास्ति अधिरोपित की जायेगी।

हमने दो संभागीय कार्यालयों (संभागीय उपायुक्त संभाग-दो इंदौर एवं टैक्स ऑडिट विंग इन्दौर), तीन क्षेत्रीय कार्यालयों²⁶ एवं दो वृत्त कार्यालयों²⁷ एवं संभागीय उपायुक्त टैक्स ऑडिट विंग ग्वालियर के 954 प्रकरणों के अभिलेखों जैसे कर निर्धारण आदेशों, अंकेक्षित खातों, विवरणियों एवं क्रय सूची आदि की नमूना जांच (जुलाई 2014 तथा मार्च 2016 के मध्य) में अवलोकित किया कि चार व्यवसायियों के प्रकरणों (2011-12 एवं 2012-13 की अवधि से सम्बन्धित) का निर्धारण जून 2014 से फरवरी 2015 के मध्य किया गया। निर्धारण प्राधिकारियों ने दो प्रकरणों का निर्धारण करते समय रियायती दर पर विक्रय की छूट दी जो कि प्रपत्र "सी" से समर्थित नहीं थी, जबकि शेष दो प्रकरणों में से एक में मध्यप्रदेश राज्य के सी-फार्म पर रियायती दर की छूट दी गई तथा दूसरे प्रकरण में गलत गणना की गयी। परीक्षण किये गए कुल 4,064 प्रकरणों में से पांच व्यवसायियों के पांच प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ₹ 371.99 लाख की अन्तरप्रांतीय विक्रय, जो सी-फार्म समर्थित थी, पर रियायती दर से कर का आरोपण किया गया। कर सूचना विनिमय प्रणाली (TINXSYS) में पुनःसत्यापन से पता चला कि ये जारी घोषणा-पत्र या तो दूसरे राज्यों से संबंधित वृत्त कार्यालयों द्वारा जारी ही नहीं किए गए थे या किसी अन्य विक्रेता के नाम जारी किए गए थे या व्यवसायी द्वारा दर्शायी गयी राशि से कम राशि के जारी हुए थे।

इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.34 करोड़ के कर एवं ₹ 55.84 लाख की शास्ति की कम वसूली हुई। प्रत्येक प्रेक्षण के साथ इसका विवरण तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिया गया उत्तर तथा उस पर हमारा अभिमत परिशिष्ट-XVI में दिया गया है।

²⁶ सा.आ.वा.क. ग्वालियर 2, इन्दौर 3 एवं रतलाम
²⁷ वा.क.अ. इन्दौर 12 एवं मुरैना

हमने प्रकरण शासन और विभाग को जून 2016 में प्रतिवेदित किया। विभाग द्वारा बैठक (सितम्बर 2016) में बताया गया कि विस्तृत उत्तर प्रकरण की संवीक्षा के पश्चात् दिया जायेगा। विभाग का उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2016)।

3.12 विक्रय को त्रुटिपूर्ण तरीके से कर मुक्त अथवा कर चुका माना गया

कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा कर निर्धारण के दौरान ₹ 3.87 करोड़ मूल्य की कर योग्य सामग्रियाँ जैसे आटो एल.पी.जी., ड्रिप लाइन, कीटनाशक इत्यादि को कर मुक्त सामग्री मानते हुए करारोपण नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 69.08 लाख के कर का कम आरोपण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 15.71 लाख की शास्ति भी आरोपणीय थी।

मध्यप्रदेश वैट अधिनियम तथा उसके अंतर्गत जारी की गई अधिसूचनाओं में अधिनियम की अनुसूची-I में निर्दिष्ट वस्तुओं या अधिसूचनाओं के माध्यम से कर मुक्त की गई वस्तुओं को छोड़कर विभिन्न वस्तुओं पर आरोपणीय कर की दरें निर्धारित की गई हैं। अधिनियम की धारा 21 (2) के अनुसार, यदि निर्धारण में हुई चूक के लिए व्यवसायी जिम्मेदार हैं तो वह निर्धारित किए गये कर के न्यूनतम तीन गुना शास्ति के भुगतान के लिए दायी होगा।

हमने चार वृत्त कार्यालयों²⁸ के 7,961 प्रकरणों में कर निर्धारण आदेश, अंकक्षित खातों, विवरणियों, क्रय सूची इत्यादि अभिलेखों की नमूना जांच, मई 2015 और सितम्बर 2015 के मध्य की तथा पाया कि 2011-12 एवं 2012-13 तक की अवधि के कर निर्धारण प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मई 2014 एवं सितम्बर 2014 के मध्य निर्धारित पांच व्यवसायियों के प्रकरणों में ₹ 3.87 करोड़ मूल्य के लुब्रीकेंट, स्प्रींकलर पाइप, जूट, पेट्रोल एवं डीजल के विक्रय पर कोई करारोपण नहीं किया गया बल्कि वस्तुओं को कर मुक्त/कर चुका माना गया। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 69.08 लाख के कर का कम संग्रहण हुआ। जबकि कर योग्य सामग्री को गलत ढंग से कर मुक्त (परिशिष्ट-XVII) माना जाने के कारण ₹ 15.71 लाख की शास्ति भी आरोपणीय थी।

हमारे द्वारा इन प्रकरणों को इंगित किये जाने (मई 2015 से सितम्बर 2015 के मध्य) पर कर निर्धारण अधिकारियों ने उत्तर में बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी।

हमने प्रकरण शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित (मई 2016) किया। विभाग ने बैठक (सितम्बर 2016) में उत्तर दिया कि प्रकरणों के विस्तृत उत्तर भेजे जायेंगे। विभाग का उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2016)।

3.13 प्रशमन के प्रकरणों में कटौती की अनियमित स्वीकृति एवं कर की गलत दर लगाया जाना

कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा प्रशमन के दो प्रकरणों में धारा 2 (x)(III) के अन्तर्गत अनियमित छूट दी गई एवं अपंजीकृत डीलर से क्रय के विरुद्ध सेवाकर एवं अपंजीकृत डीलर से क्रय के प्रकरणों में कर की गलत दर लगायी गई। जिसके परिणामस्वरूप शास्ति ₹ 33.14 लाख सहित ₹ 50.58 लाख के कर का कम आरोपण हुआ।

मध्यप्रदेश वैट अधिनियम 2002 की धारा 11 के अनुसार यदि कोई व्यवसायी, अनुसूची-II के अंतर्गत निर्दिष्ट वस्तुयें किसी अन्य व्यवसायी से राज्य के भीतर मध्यप्रदेश वैट अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत कर काउसे भुगतान कर क्रय करता है और/अथवा अनुसूची-I में निर्दिष्ट सामग्रियों का क्रय करता है तो वह धारा 9 के अंतर्गत देय कर

²⁸

वाणिज्यिक कर अधिकारी बालाघाट, बैतूल, इन्दौर और जबलपुर

के बदले में एक मुश्त राशि का भुगतान का विकल्प ले सकता है। आगे मध्यप्रदेश वैट अधिनियम 2006, के नियम 8-A (4) (अधिसूचना क्र. 27 दिनांक 24 सितम्बर 2009 द्वारा संशोधित) के अनुसार प्रशमन के रूप में भुगतान की जाने वाली एक मुश्त राशि का निर्धारण कार्य संविदा के अन्तर्गत व्यापारी को प्राप्त अथवा प्राप्त होने वाली निर्धारित कुल राशि पर दर्शायी गयी दर से निर्धारित किया जायेगा। यदि व्यवसायी अनुसूची-I में निर्दिष्ट सामग्री अथवा अनुसूची-II में निर्दिष्ट सामग्री राज्य के भीतर अन्य डीलर से धारा 9 के अनुसार कर चुका कर क्रय कर थोक सामग्री प्रदाय करता है तो कर की दर एक प्रतिशत रहेगी अन्यथा व्यवसायी को पांच प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करना होगा। आगे यह भी कि उपरोक्त अधिनियम की धारा 21 (2) के अंतर्गत यदि निर्धारण में हुई चूक के लिये यदि व्यवसायी जिम्मेदार है तो निर्धारित कर की राशि की न्यूनतम तीन गुना शास्ति व्यवसायी द्वारा देय होगी।

हमने एक क्षेत्रीय कार्यालय (सहा. आयुक्त वाणिज्यिक कर संभाग-एक, सागर) एवं एक वृत्त कार्यालय (वा.क. अधिकारी, अनूपपुर) में 792 प्रकरणों के कर निर्धारण आदेश, अंकेक्षित खातों, विवरणियों, क्रय सूची आदि अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त 2015 से दिसम्बर 2015 के मध्य) की और पाया कि दो व्यवसायियों के अवधि 2011-12 व 2012-13 के दो प्रकरण जो कि जुलाई 2014 एवं दिसम्बर 2014 के मध्य निर्धारित हुए थे (सहा. आयुक्त, वाणिज्यिक कर संभाग-एक, सागर का निर्धारिती व्यवसायी-ड्रिपलेक्स वाटर इंजीनियरिंग लि0, जिन्होंने जी.ए.आई.एल.एवं जबलपुर नगर निगम की कार्य संविदायें निष्पादित की) एवं (वा.क.अधिकारी, अनूपपुर द्वारा निर्धारिती व्यवसायी- एस.के. मिनरल जिन्होंने एम.पी.आर.आर.डी.ए. द्वारा दिये गये कार्य संविदाओं को निष्पादित किया); कर निर्धारण प्राधिकारी सागर संभाग द्वारा कर निर्धारण के समय धारा 2 (x)(iii) के अंतर्गत त्रुटिपूर्ण कटौती स्वीकृत की गई एवं सेवा कर की अनियमित छूट दी गई जबकि व्यवसायी द्वारा प्राप्त कुल मौद्रिक प्रतिफल पर बिना कटौती की स्वीकृति के कर का आरोपण किया जाना चाहिए था। अनूपपुर वृत्त में डीलर द्वारा कम्पोजीशन कार्य से सम्बन्धित क्रय पर पांच प्रतिशत के स्थान पर एक प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया, यद्यपि पंजीकृत डीलर से क्रय के दावे के समर्थन में लेखापरीक्षा में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। परिणामतः ₹ 17.44 लाख के कर का कम संग्रहण हुआ जिसका विवरण तालिका 3.11 में दिया गया है:

तालिका 3.11
व्यवसायी पर कम करारोपण की राशि का विवरण

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	कुल मौद्रिक प्रतिफल	कर की दर	कर	कर निर्धारण आदेश में लिया गया मौद्रिक प्रतिफल	कर निर्धारण आदेशानुसार कर का निर्धारण	अंतर	कर का अंतर
सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर, संभाग-एक, सागर							
1	23.38 करोड़	5%	1.17 करोड़	21.22 करोड़	1.06 करोड़	10.81 लाख	—
2	1.52 करोड़	4%	6.10 लाख	1.47 करोड़	5.86 लाख	23,472	—
योग						11.05 लाख	
वाणिज्यिक कर अधिकारी अनुपपूर							
1	1.59 करोड़	5%	1%	4%	7.98 लाख	1.59 लाख	6.38 लाख

चूंकि व्यवसायी ने त्रुटिपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया (सहा. आयु. वाणिज्यिक कर डिवीजन-1 सागर), अतः वह धारा 21(2) के अन्तर्गत निर्धारित कर की न्यूनतम तीन गुना शास्ति ₹ 33.14 लाख का दायी था। इस प्रकार कुल ₹ 50.58 लाख के कर का कम आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारियों ने उत्तर दिया (अगस्त 2015 से दिसम्बर 2015 के मध्य) कि परीक्षण उपरान्त कार्यवाही की जाएगी।

हमने प्रकरण शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित (मई 2016) किया। विभाग ने बैठक (सितम्बर 2016) में उत्तर दिया कि प्रकरणों की संवीक्षा उपरांत विस्तृत उत्तर भेजा जायेगा। विभाग का उत्तर अप्राप्त था (अक्टूबर 2016)।

3.14 क्रय कर का अनारोपण

धारा 10 (ए) के अंतर्गत क्रय कर छूट के लिये निर्धारित शर्तों का पालन न करने पर भी एक व्यवसायी पर ₹ 38.37 लाख के क्रय कर का आरोपण नहीं किया गया।

मध्यप्रदेश वैट अधिनियम 2002 की धारा 10 (ए) के अंतर्गत प्रत्येक ऐसे व्यवसायी, जो अपने व्यवसाय के अनुक्रम में किसी वर्ष में ऐसी अधिसूचित सामग्री का क्रय करता है, जिसका मूल्य ₹ पांच करोड़ से अधिक है तो वह ऐसी सामग्री के क्रय मूल्य का चार प्रतिशत कर चुकाने हेतु दायित्वाधीन होगा।

धारा 10(ए)(2) आगे यह भी प्रावधानित करती है कि इस धारा के अधीन कोई कर नहीं लिया जायेगा यदि ऐसे पंजीकृत व्यवसायी से सामग्री क्रय की गई हो जिसके द्वारा इस धारा के अन्तर्गत कर भुगतान किया जाना है, एवं उस व्यवसायी द्वारा क्रय देयक में लिखित घोषणा की गई हो कि इस धारा के अंतर्गत वह कर भुगतान का उत्तरदायी है, तब कर का आरोपण नहीं होगा।

हमने सहायक आयुक्त, खण्डवा कार्यालय के 384 प्रकरणों से संबंधित अभिलेखों जैसे कर निर्धारण आदेश, अंकेक्षित खातों एवं क्रय सूचियों आदि की अगस्त 2015 में नमूना जांच की और पाया कि फरवरी 2015 में अवधि 2012-13 के लिये निर्धारित एक व्यवसायी द्वारा ₹ 9.5 करोड़ मूल्य का गेहूँ क्रय किया गया था जिस पर क्रय कर वसूली योग्य था फिर भी निर्धारण अधिकारी ने उसे कर मुक्त मानकर क्रय कर का आरोपण नहीं किया। परिणामस्वरूप क्रय कर राशि ₹ 38.37 लाख का आरोपण नहीं किया गया।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित (फरवरी 2015) किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने उत्तर दिया कि व्यवसायी ने भारतीय खाद्य निगम से गेहूँ क्रय किया था जो कि एक पंजीकृत व्यवसायी (टिन-23594000697) है जिस पर कर आरोपणीय नहीं था।

हम धारा 10(ए)(2) के परिप्रेक्ष्य में उत्तर से सहमत नहीं हैं, क्योंकि भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी देयक में यह घोषणा नहीं पाई गई कि निगम की इस धारा के अंतर्गत कर के भुगतान का उत्तरदायी भारतीय खाद्य निगम है।

हमने प्रकरण शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित (जुलाई 2016) किया। विभाग ने बैठक (सितम्बर 2016) में उत्तर दिया कि प्रकरणों के परीक्षण उपरांत विस्तृत उत्तर भेजा जायेगा। विभाग का उत्तर अप्राप्त था (अक्टूबर 2016)।

अध्याय – 4 विद्युत शुल्क

अध्याय-4 विद्युत शुल्क



4.1 लेखापरीक्षा के परिणाम


हमने वर्ष 2015-16 के दौरान विद्युत शुल्क से संबंधित 24 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की और 5,09,704 प्रकरणों में राशि ₹ 686.02 करोड़ के विद्युत शुल्क, फीस तथा उपकर की अप्राप्ति/कम प्राप्ति तथा अन्य अनियमितताएं होना पाया जिन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में तालिका 4.1 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.1
लेखापरीक्षा परिणाम

(₹ लाख में)

क्र. स.	श्रेणियां	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	विद्युत शुल्क, फीस तथा उपकर का आरोपण एवं संग्रहण	1	67,902.44
2.	विद्युत संस्थापनाओं के निरीक्षण में कमी के कारण हानि	5,09,323	675.68
3.	नियमों के उल्लंघन के लिए शास्ति का अनारोपण	209	4.06
4.	उपकर का कम आरोपण तथा विद्युत शुल्क के विलंब से जमा पर, देय ब्याज	3	15.52
5.	विद्युत शुल्क के बकाया राजस्व शेष	20	1.28
6.	अन्य प्रेक्षण	148	3.21
	कुल	5,09,704	68,601.75

चार्ट 4.1: लेखापरीक्षा परिणाम



सभी लेखापरीक्षा प्रेक्षण विभाग को भेज दिए गये थे तथा विभाग ने 41,552 प्रकरणों में ₹ 1.11 करोड़ के राजस्व की अप्राप्ति/कम प्राप्ति तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया जो वर्ष 2015-16 में लेखापरीक्षा के दौरान इंगित किये गये थे। वर्ष 2015-16 के दौरान विभाग द्वारा 23 प्रकरणों में ₹ 97,000 की राशि वसूल की गई।

“विद्युत शुल्क, फीस तथा उपकरण का आरोपण एवं संग्रहण” पर लेखापरीक्षा जिसमें राशि ₹ 679.02 करोड़ के लेखापरीक्षा निष्कर्ष अंतर्निहित है, की चर्चा निम्नलिखित कंडिकाओं में की गई हैं:

4.2 विद्युत शुल्क, फीस तथा उपकरण का आरोपण एवं संग्रहण

4.2.1 परिचय

भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण, व्यापार, विद्युत के उपयोग तथा आपूर्ति आदि से संबंधित कानून को नियंत्रित करता है। मध्यप्रदेश शासन ने विद्युत आपूर्ति/उपभोक्ताओं को विक्रय पर कर एवं शुल्क के आरोपण एवं संग्रहण हेतु मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949, मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 और उसके अन्तर्गत नियमों को निर्मित किया है। विद्युत ऊर्जा का प्रत्येक वितरक/वितरण अनुज्ञापिधारी¹ (वि.वि.कं)/फ्रेंचाइजी, प्रत्येक उत्पादक कंपनी, केप्टिव विद्युत उत्पादक संयंत्र और विद्युत ऊर्जा के उत्पादक पूर्ववर्ती माह के दौरान उपभोक्ता को विक्रय या आपूर्ति की गई या उसके द्वारा स्वयं निजी उद्देश्यों हेतु उपभोग की गई विद्युत ऊर्जा की इकाईयों पर निर्धारित समय पर तथा निर्धारित तरीके से निर्दिष्ट दर पर परिकलित शुल्क का भुगतान प्रत्येक माह राज्य शासन को करेगा। मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क नियम, 1949 के अन्तर्गत प्रत्येक उत्पादक तथा विद्युत ऊर्जा का वितरक प्रत्येक माह के विद्युत शुल्क का भुगतान आगामी माह की समाप्ति से पहले शासकीय कोषालय में करेगा तथा कोषालय रसीद के साथ प्रपत्र 'जी' में एक मासिक विवरणी ऐसे भुगतान के 15 दिवस के भीतर विद्युत निरीक्षकों को प्रेषित करेगा। देय तथा भुगतान के लिए शेष शुल्क की राशि पर ऐसी दर से ब्याज लगाया जायेगा जैसे की उस परिस्थितियों में निर्धारित किये जायें तथा उसकी वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी। मध्यप्रदेश उपकरण अधिनियम, 1981 तथा उसके संशोधन के अंतर्गत विद्युत ऊर्जा के विक्रय या खपत पर ऊर्जा विकास उपकरण भी आरोपणीय है। इसके अतिरिक्त, भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 (2003 में संशोधित) तथा भारतीय विद्युत नियम, 1956


¹ मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, भोपाल, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, इन्दौर, पूर्वक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, जबलपुर

के अन्तर्गत विद्युत संस्थापना के निरीक्षण हेतु फीस आरोपित तथा संग्रहित की जाती है। विभाग के प्राप्तियाँ मुख्य शीर्ष 0043-“विद्युत पर कर तथा शुल्क” के अंतर्गत की जाती है।

4.2.2 संगठनात्मक संरचना

कार्यालय मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक के प्रमुख मुख्य विद्युत निरीक्षक हैं जबकि ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव, शासन स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख हैं। विद्युत संस्थापनाओं के निरीक्षण कार्य हेतु मुख्य विद्युत निरीक्षक की सहायता के लिए चार उप मुख्य विद्युत निरीक्षक, संभागीय स्तर पर चौदह संभागीय विद्युत निरीक्षक, तथा उप संभागीय स्तर पर 51 सहायक विद्युत निरीक्षक होते हैं। वे विद्युत के केप्टिव उत्पादक तथा अन्य उपभोक्ताओं के संबंध में शुल्क, उपकरण तथा निरीक्षण फीस के आरोपण तथा संग्रहण की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं।

चार्ट 4.2
संगठनात्मक संरचना तथा कर्तव्य एवं कार्य



4.2.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा इस दृष्टि से निष्पादित की गई कि-

- विद्युत शुल्क, निरीक्षण फीस तथा ऊर्जा विकास उपकरण के आरोपण एवं संग्रहण की प्रणाली की दक्षता तथा प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना,

- यह सुनिश्चित करना कि क्या विद्युत संस्थापनाओं का संविधिक निरीक्षण किया जा रहा था तथा ऐसे निरीक्षण हेतु फीस की वसूली समय पर की जा रही थी तथा
- क्या प्रदाय की गई छूट, यदि कोई हो तो, भारतीय विद्युत अधिनियम, मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम तथा समय समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं के प्रावधानों के अनुरूप थी।

4.2.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित अधिनियम, नियमों, परिपत्रों तथा जारी किये गए अधिसूचनाओं के प्रावधानों के तहत विनियमित किये गये:

- भारतीय विद्युत अधिनियम 1910² (2003 में निरसन);
- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति से सम्बंधित उपाय)विनियम 2010;
- भारतीय विद्युत नियम, 1956;
- मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949;
- मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क नियम, 1949;
- मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012;
- मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, 1981; तथा
- शासन एवं विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गए विभिन्न अधिनियम तथा परिपत्र।

4.2.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र तथा प्रणाली

मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत विद्युत शुल्क, निरीक्षण फीस तथा ऊर्जा विकास उपकरका आरोपण तथा संग्रहण की प्रणाली की प्रभावशीलता, दक्षता तथा कार्यविधि के मूल्यांकन हेतु मुख्य विद्युत निरीक्षक, उप मुख्य विद्युत निरीक्षक, संभागीय विद्युत निरीक्षक तथा सहायक विद्युत निरीक्षक के वर्ष 2011-12 और 2015-16 के मध्य की अवधि के अभिलेखों की जाँच की गई तथा यह भी जाँचा गया कि क्या इस विषय पर नियंत्रक एवं महालेखारीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन "राजस्व प्राप्तियाँ" वर्ष 2009-10 में समीक्षा में दी गई सिफारिशों को लागू किया गया था।

अक्टूबर 2015 से जून 2016 के मध्य 70 इकाईयों में से 17 इकाईयों की लेखापरीक्षा की गई थी जिसमें एक मुख्य विद्युत निरीक्षक, चार उप मुख्य विद्युत निरीक्षक, सात संभागीय विद्युत निरीक्षक, तथा पाँच सहायक विद्युत निरीक्षक शामिल थे। मुख्य विद्युत निरीक्षक तथा उप मुख्य विद्युत निरीक्षक का चयन शत प्रतिशत किया गया था जबकि संभागीय विद्युत निरीक्षक तथा सहायक विद्युत निरीक्षक इकाईयों का चयन साधारण यादृच्छिक नमूना विधि के आधार पर किया गया था।

वर्ष 2009-10 में आयोजित समीक्षा पर लोक लेखा समिति की सिफारिशें 22 जुलाई 2015 को विधान सभा में प्रस्तुत की गई थीं यद्यपि, उसपर कार्यवाही प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर-2016)।

² विद्युत अधिनियम 2003 से भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 को निरसन किया गया है तथा भारतीय विद्युत नियम 1956 को भी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपायों) विनियम 2010 से बदला गया है। तथापि यह अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियम जैसे विद्युत अधिनियम 2003 में प्रावधानित हैं कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 की धारा 37 के तहत भारतीय विद्युत नियम 1956 के रूप में इसे खड़ा करने से पहले ऐसे निरसन तब तक लागू रहेंगे जब तक इस अधिनियम की धारा 53 के तहत विनियम बना लिया गया हो।

4.2.6 अभिस्वीकृति

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग, लेखापरीक्षा को जानकारी एवं अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए ऊर्जा विभाग के सहयोग का आभारी है। लेखापरीक्षा के उद्देश्यों तथा लेखापरीक्षा के कार्य क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए 17 फरवरी 2016 को विभाग के प्रमुख सचिव तथा मुख्य विद्युत निरीक्षक के प्रतिनिधियों के साथ एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया था। लेखापरीक्षा निष्कर्ष जून 2016 में राज्य शासन को भेजे गये थे।

लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर दिनांक 3 सितम्बर 2016 को आयोजित निर्गम सम्मेलन में विभाग के प्रमुख सचिव के साथ चर्चा की गई। शासन/विभाग के विचारों को कंडिकाओं में विधिवत शामिल किया गया है।

4.2.7 राजस्व की प्रवृत्ति

बजट मैनुअल के अध्याय 3 ब (1) में प्रावधान है कि अनुमानों में केवल ऐसी प्राप्तियों को शामिल करना चाहिये जिन्हें अनुमानकर्ता अधिकारी बजट वर्ष के दौरान वास्तव में वसूल किए जाने की उम्मीद करता है। बजट मैनुअल में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि यदि परिशुद्धता के परीक्षण का समाधान किया जाना है तो न केवल पूर्वानुमानित सभी मदों के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए बल्कि यह भी कि केवल उतना ही प्रावधान किया जाना चाहिए जितना आवश्यक है, उससे अधिक नहीं।

31 मार्च 2016 को समाप्त विगत पाँच वर्षों के दौरान विद्युत शुल्क, निरीक्षण फीस तथा ऊर्जा विकास उपकर की प्राप्तियों की प्रवृत्ति निम्नानुसार है:-


तालिका 4.2 राजस्व की प्रवृत्ति (पुनरीक्षित अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियाँ)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पुनरीक्षित अनुमान (पु.अ.)	वास्तविक प्राप्तियाँ (वित्त लेखे के अनुसार)				पुनरीक्षित अनुमानों पर अधिकता/कमी का प्रतिशत	राज्य का कुल राजस्व कर	वास्तविक प्राप्तियों का कुल राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत
		विद्युत शुल्क	ऊर्जा विकास उपकर	निरीक्षण फीस	कुल			
2011-12	1700.00	1297.25	230.95	245.12	1773.32	(+) 4.31	26973.44	6.57
2012-13	1370.00	1249.71	148.73	79.27	1477.71	(+) 7.86	30581.70	4.83
2013-14	1700.00	1537.11	304.63	130.46	1972.20	(+) 16.01	32552.16	5.88
2014-15	2050.00	1565.36	193.17	251.67	2010.20	(-) 1.94	36567.31	5.49
2015-16	2200.00	1769.50	313.13	175.20	2257.83	(+) 2.63	40240.43	5.61

(स्रोत:- म.प्र.शासन के वित्त लेखे अवधि वर्ष 2011-12 से 2015-16)

चार्ट-4.3




तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2014-15 को छोड़कर सभी वर्षों में वास्तविक प्राप्तियाँ पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में अधिक थे, वर्ष 2012-13 में पुनरीक्षित अनुमान में अत्याधिक कमी हुई थी जो वर्ष 2011-12 के ₹ 1,700 करोड़ के विरुद्ध ₹ 1,370 करोड़ थी। पुनरीक्षित अनुमान तथा वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नता (-) 1.94 प्रतिशत से (+) 16.01 प्रतिशत तक था।

पुनरीक्षित अनुमानों और वास्तविक प्राप्तियों के बीच अंतर के बारे में विभाग ने उत्तर में बताया (मार्च 2016) कि वर्ष 2011-12 में विद्युत वितरण कंपनियों से प्राप्त बकाया शेष के कारण वास्तविक प्राप्ति, पुनरीक्षित अनुमान से ₹ 73.32 करोड़ अधिक प्राप्त हुई थी। इसी तरह बकाया राजस्व तथा ब्याज प्राप्ति के कारण वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 में पुनरीक्षित अनुमान से वास्तविक प्राप्तियाँ ₹ 107.71 करोड़ तथा ₹ 272.20 करोड़ अधिक हुई थी। 2014-15 में ग्रिड से जोड़ने हेतु नये संयोजन पर (मार्च 2014) तथा जनवरी 2013 में केप्टिव पावर उत्पादक से ऊर्जा विकास उपकरण को खत्म किए जाने से संबंधित जारी अधिसूचना के कारण वास्तविक प्राप्तियाँ पुनरीक्षित अनुमान की अपेक्षा ₹ 39.80 करोड़ कम प्राप्त हुई थी। इसके अलावा वर्ष 2012-13 में मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012³, जो 25 अप्रैल 2012 से लागू था के कारण पुनरीक्षित अनुमान पिछले वर्ष के पुनरीक्षित अनुमान ₹ 1,700 करोड़ से कम कर ₹ 1,370 करोड़ कर दिये गए थे।

चार्ट-4.4

विद्युत पर कर तथा शुल्क की वास्तविक प्राप्तियों का राज्य के कुल कर राजस्व का अंश प्रतिशत



³ म.प्र.वि.श.अ., 2012 के अनुसार ऐसी उत्पादन द्वारा जिसमें मध्यप्रदेश शासन में कम से कम इक्यावन प्रतिशत का इक्विटी हो, बेची गई / प्रदाय की गई या उपभुक्त विद्युत के संबंध में कोई शुल्क देय नहीं होगा।

वर्ष 2011-12 तथा 2015-16 के बीच विद्युत शुल्क, निरीक्षण फीस तथा ऊर्जा विकास उपकर की वास्तविक प्राप्तियाँ, राज्य के कुल कर राजस्व का 4.83 प्रतिशत से 6.57 प्रतिशत के बीच था। वर्ष 2012-13, 2014-15 तथा 2015-16 में इस प्रतिशत में अधिक गिरावट आई जो क्रमशः 4.83 प्रतिशत, 5.49 प्रतिशत तथा 5.61 प्रतिशत थी, जबकि वर्ष 2011-12 में यह राज्य के कुल कर राजस्व का 6.57 प्रतिशत था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

4.2.8 बकाया की स्थिति

मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम की धारा 5 तथा मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 की धारा 7 के अनुसार देय तथा भुगतान के लिए शेष शुल्क की राशि पर ब्याज देय होगा तथा इसकी वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी। 31 मार्च 2016 को समाप्त विगत पांच वर्षों की अवधि के विद्युत शुल्क, निरीक्षण फीस तथा ऊर्जा विकास उपकर सहित बकाया राजस्व की स्थिति नीचे दी गई है:-

तालिका 4.3
बकाया राजस्व की स्थिति


(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	कुल बकाया शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	वर्ष के अंत में शेष	पाँच वर्षों से अधिक बकाया राशि
2011-12	70.67	8.64	79.31	11.83	67.49	14.69
2012-13	67.49	123.37	190.86	5.73	185.13	15.11
2013-14	185.13	4.94	190.07	13.09	176.98	15.15
2014-15	176.98	13.10	190.08	33.12	156.96	24.20
2015-16	156.96	4.88	161.8	3.89	157.95	26.76

(स्रोत:-विभाग से प्राप्त जानकारी)

चार्ट-4.5

बकाया की स्थिति



हमने अवलोकित किया कि वर्ष के दौरान कुल बकाया शेष की तुलना में वर्ष के दौरान वसूली में विगत पांच वर्षों के दौरान 2.40 प्रतिशत तथा 17.42 प्रतिशत के मध्य भिन्नता देखी गई। 31 मार्च 2016 को राशि ₹ 157.95 करोड़ बकाया के रूप में शेष थी, जिसमें से राशि ₹ 26.76 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थी। जैसा कि उपरोक्त तालिका में देखा जा सकता है, बकाया की स्थिति बिगड़ी है जो वर्ष 2011-12 में ₹ 67.49 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ₹ 157.95 करोड़ हो गई। इसी प्रकार पांच वर्ष से अधिक बकाया वर्ष 2011-12 में ₹ 14.69 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 26.76 करोड़ हो गये थे। बकाया शेष के मामलों में प्रमुख बकायादारों के विश्लेषण से पता चला कि पांच बड़े बकायादार मेसर्स जे.पी.रीवा (₹ 71.28 करोड़), मेसर्स जे.पी. बेला (₹ 35.15 करोड़), मेसर्स हॉटलाईन सी.पी.टी.मालनपुर (₹ 7.61 करोड़), मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट (₹ 1.50 करोड़) तथा मेसर्स रेमण्ड लिमिटेड, सौसर (₹ 1.47 करोड़) थे।

शासन ने बताया (सितम्बर 2016) कि बकाया राजस्व ₹ 157.94 करोड़ में से विद्युत शुल्क, निरीक्षण फीस तथा ऊर्जा विकास उपकर के राशि ₹ 126.95 करोड़ की वसूली हेतु राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी किये जा चुके हैं, न्यायालयीन प्रकरणों में बकाया राशि ₹ 9.64 करोड़ थी, ₹ 3.67 करोड़ का बकाया बीमार कपड़ा मिलों से था, ₹ 27.91 लाख का बकाया राज्य सरकार के पास विचाराधीन थे, तथा ₹ 17.41 करोड़ का बकाया अन्य से देय था। आगे यह भी बताया गया कि विभाग देयताओं की वसूली हेतु उपभोक्ताओं को, समय-समय पर सूचना भेजता है जबकि न्यायालयीन मामलों में वसूली लम्बे समय से लंबित है। जिन प्रकरणों में राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं, यह बताया गया कि संबंधित जिला कलेक्टरों द्वारा सहयोग में कमी के कारण कोई प्रभावी वसूली नहीं हुई थी। ऐसे सभी मामलों में जहाँ एक करोड़ से अधिक के राजस्व बकाया है, विभाग ऐसे उपभोक्ताओं की एक सूची तैयार कर इसे शासन को भेजता है एवं शासन इन सभी प्रकरणों को संबंधित जिला कलेक्टरों को अग्रेषित करता है।

4.2.9 ऊर्जा विकास उपकर को विद्युत विकास निधि में या तो जमा नहीं किया या विलंब से जमा किया तथा इसे निहित प्रयोजनों से अन्य हेतु उपयोग किया गया

ऊर्जा विकास उपकर की राशि ₹ 325.17 करोड़ का उपयोग उन प्रयोजनों में नहीं किया गया था जिसके लिये उपकर आरोपित किया था तथा विभाग ने भी ऊर्जा विकास उपकर की राशि ₹ 88.22 करोड़ समय से विद्युत विकास निधि में स्थानांतरित नहीं की।

मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम की धारा 3(2) के अनुसार ऊर्जा विकास उपकर को प्रथमतः राज्य के समेकित निधि में जमा करना चाहिए तथा राज्य शासन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य द्वारा प्राप्त किये गये उपकर की राशि को एक अलग निधि में जमा करे जो विद्युत विकास निधि कहलायेगा और इस तरह उक्त निधि में किया गया जमा, राज्य की संचित निधि पर भारित होगा।

इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम की धारा 3(3) प्रावधानित करता है कि निधि में जमा राशि का उपयोग ऊर्जा के क्षेत्र में विकास तथा अनुसंधान, उत्पादन की दक्षता में सुधार, प्रेषण, वितरण तथा पारेषण में घाटे की कमी सहित ऊर्जा का उपयोग, डिजाईन, निर्माण, संधारण, संचालन में अनुसंधान, ऊर्जा स्रोतों के सर्वेक्षण सहित गैर-परंपरागत स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की कमी को दूर करने तथा अन्य कार्यों के लिए किया जायेगा। ऊर्जा विकास उपकर का संग्रहण तथा उसका विद्युत विकास निधि में जमा का विवरण निम्न तालिका में वर्णित है :-

तालिका 4.4
ऊर्जा विकास उपकर का संग्रहण तथा विद्युत विकास निधि में जमा का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उपकर की वास्तविक प्राप्तियाँ	आगामी वित्त वर्ष में विद्युत विकास निधि में जमा की गई राशि	ऊर्जा विकास उपकर का विद्युत विकास निधि में अधिक (+)/कम (-)	विद्युत विकास निधि का संवितरण
2010-11	349.15			
2011-12	230.95	305.00	(-) 44.15	33.45
2012-13	148.73	275.00	(+) 44.05	291.72
2013-14	304.62	(-) 148.73	153.34
2014-15	193.17	68.20	(-) 236.42
2015-16		490.20	(+) 297.03	108.15
कुल	1226.62	1138.40	(-) 88.22	586.66

(स्रोत :- मध्यप्रदेश शासन के वित्त लेखे)

उपरोक्त तालिका से, यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2010-11 तथा 2014-15 की अवधि के दौरान राज्य की समेकित निधि में ऊर्जा विकास उपकर की राशि ₹ 1,226.62 करोड़ जमा की गई। जिसमें से वर्ष 2011-12 तथा 2015-16 के अवधि में विद्युत विकास निधि में ₹ 1,138.40 करोड़ जमा किया गया था, जिसमें वित्तीय वर्ष के प्रारंभ के स्थान पर 31 मार्च 2016 को जमा राशि ₹ 490.20 करोड़ शामिल थी। इस प्रकार राशि ₹ 88.22 करोड़ विद्युत विकास निधि के बाहर रही जो कि मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत था।

आगे, यह भी पाया गया कि वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान ऊर्जा विकास उपकर में स्थानांतरित राशि ₹ 1,138.40 करोड़ के विरुद्ध राशि ₹ 586.66 करोड़ वितरित की गई थी तथा ₹ 551.74 करोड़ वितरण हेतु शेष था। इसमें से राशि ₹ 325.17 करोड़ मुख्य शीर्ष 4801-05-190 (विद्युत परियोजनाओं के लिए पूंजीगत व्यय)⁴ को वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के उद्देश्य से स्थानांतरित किया गया था जो कि विद्युत के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास, उत्पादन की दक्षता में सुधार, उत्पादन, वितरण तथा पारेषण में हानि को कम करने सहित ऊर्जा के उपयोग आदि में उपयोग किया जाना था। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि न तो ऊर्जा विकास उपकर की राशि को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विद्युत विकास निधि में नियमित रूप से जमा किया गया था और न ही ऊर्जा विकास उपकर का संग्रहण जिस प्रयोजन के लिए किया गया था उसके लिए विद्युत विकास निधि का संवितरण किया गया था।

शासन ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2016) कि विद्युत विकास निधि का उपयोग मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम की धारा 4 में निहित प्रयोजनों के लिये किया गया है। भविष्य में ऊर्जा विकास उपकर को विद्युत विकास निधि में निर्धारित अवधि में स्थानांतरित कर दिया जायेगा।

⁴ मुख्य शीर्ष 4801-विद्युत परियोजनाओं के लिए पूंजीगत व्यय, 05-पारेषण तथा वितरण, 190-सरकारी क्षेत्र तथा अन्य उपक्रम में निवेश।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विद्युत विकास निधि का निहित प्रयोजनों में उपयोग मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम 1981 की धारा 3(3) में वर्णित था न कि धारा 4 में तथा विद्युत विकास निधि की राशि का वितरण मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, 1981 की धारा 3(3) में वर्णित निहित प्रयोजनों के स्थान पर पूंजीगत व्यय पर किया गया था।

शासन को ऊर्जा विकास उपकर के विद्युत विकास निधि में समय पर स्थानांतरण तथा ऊर्जा विकास उपकर का समय पर तथा प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने हेतु तंत्र की स्थापना करना चाहिए।

4.2.10 विद्युत वितरण कम्पनियों पर बकाया शेष पर ब्याज का अनारोपण

वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत शुल्क एवं ऊर्जा विकास उपकर की राशि ₹ 6,018.79 करोड़ का संग्रहण किया गया था किन्तु राज्य शासन द्वारा केवल राशि ₹ 5,993.52 करोड़ ही ऋण के रूप में विद्युत वितरण कंपनी को स्थानांतरित/समायोजित किये गये थे। विद्युत वितरण कंपनी को विद्युत शुल्क एवं ऊर्जा विकास उपकर की राशि एक महीने से लेकर ग्यारह महीने विलंब से सतत् ऋण के रूप में स्थानांतरित/समायोजित किया गया था। इस प्रकार विद्युत वितरण कंपनी विलंब की अवधि के लिये ब्याज मार्च 2016 तक ₹ 272.11 करोड़ के भुगतान के लिये उत्तरदायी थी।

मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क नियम के नियम 3 के अनुसार विद्युत ऊर्जा का प्रत्येक वितरक तथा प्रत्येक उत्पादक प्रत्येक माह के लिए विद्युत शुल्क अगले महीने की समाप्ति से पहले शासकीय कोषालय में शीर्ष "0043-विद्युत पर कर तथा शुल्क, विद्युत की खपत तथा बिक्री पर कर" में जमा करेगा तथा कोषालय की रसीद को जमा करने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर विद्युत निरीक्षकों को प्रेषित करेगा। मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क नियम के नियम 5 के अन्तर्गत, जहाँ शुल्क, नियम 3 के में निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है तो उसपर समय-समय पर राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा निर्धारित दर⁵ पर ब्याज लगेगा, जो कि अधिकतम 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक होगा। मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क नियम के नियम 7 के अनुसार विद्युत ऊर्जा का प्रत्येक वितरक एवं प्रत्येक उत्पादक विद्युत निरीक्षक को मासिक विवरणी प्रपत्र 'जी' में तथा वार्षिक विवरणी प्रपत्र 'के' में प्रस्तुत करेगा।

हमने मुख्य विद्युत निरीक्षक के अभिलेखों के अवलोकन पर पाया कि विद्युत वितरण कंपनीद्वारा वार्षिक विवरणी प्रपत्र 'के' प्रस्तुत नहीं किया जा रहा था तथा मासिक विवरणी प्रपत्र 'जी', निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा था। वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा विद्युत शुल्क तथा ऊर्जा विकास उपकर की राशि ₹ 6,018.79 करोड़⁶ का संग्रहण किया गया था लेकिन राज्य शासन द्वारा ऋण के रूप में राशि ₹ 5,993.52 करोड़⁷ विद्युत वितरण कंपनी को स्थानांतरित/समायोजित की गई थी। शेष राशि ₹ 25.27 करोड़ विद्युत वितरण कंपनी के पास थी, जिसे शासन द्वारा सतत् ऋण में परिवर्तित नहीं किया गया था। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा संग्रहित विद्युत शुल्क एवं ऊर्जा विकास उपकर की राशि को एक माह से ग्यारह माह के विलम्ब से सतत् ऋण के रूप में स्थानांतरित/समायोजित किया गया था। परिणामतः मार्च 2016 तक विद्युत वितरण कंपनी राशि ₹ 272.11 करोड़

⁵ अधिसूचना दिनांक 22 जुलाई 1975 के अनुसार ब्याज की दर 3 महीने तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष, 3 महीने से अधिक 6 महीने तक 15 प्रतिशत प्रति वर्ष, 6 महीने से अधिक 12 महीने तक 20 प्रतिशत प्रति वर्ष, 12 महीने से अधिक 24 प्रतिशत प्रति वर्ष होगा।

⁶ वि.शु. की राशि ₹ 5901.26 करोड़ तथा ऊ.वि.उ. की राशि ₹ 117.53 करोड़

⁷ वि.शु. की राशि ₹ 5876.56 करोड़ तथा ऊ.वि.उ. की राशि ₹ 116.96 करोड़

के ब्याज के भुगतान हेतु उत्तरदायी थी, जिसकी गणना शुल्क के भुगतान की अवधि तथा देय राशि के सतत् ऋण में परिवर्तित करने के बीच की अवधि के लिये की गई।

आगे यह भी देखा गया कि वर्ष 2011-12 के दौरान विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत शुल्क की राशि ₹ 878.37 करोड़ तथा ऊर्जा विकास उपकर की राशि ₹ 105.56 करोड़ संग्रहित की गई थी किंतु विद्युत वितरण कंपनी को विद्युत शुल्क की राशि ₹ 883.32 करोड़ तथा ऊर्जा विकास उपकर की राशि ₹ 105.38 करोड़ सतत् ऋण के रूप में स्थानांतरित/समायोजित की गई थी। परिणामतः विद्युत वितरण कंपनी द्वारा संग्रहित विद्युत शुल्क से अधिक राशि ₹ 4.94 करोड़ सतत् ऋण के रूप में स्थानांतरित/समायोजित की गई थी जबकि ऊर्जा विकास उपकर की राशि ₹ 18.02 लाख विद्युत वितरण कंपनी ने अपने पास रोक ली थी। जो कि सतत् ऋण के रूप में असमायोजित शेष रही।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर, शासन ने बताया (सितम्बर 2016) कि कैबिनेट नोट के अनुसार विद्युत वितरण कंपनी द्वारा संग्रहित विद्युत शुल्क/ऊर्जा विकास उपकर की राशि को मासिक आधार पर सतत् ऋण में परिवर्तित किया जाता है।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विद्युत वितरण कंपनी द्वारा संग्रहित विद्युत शुल्क तथा ऊर्जा विकास उपकर को सतत् ऋण में परिवर्तन विलंब से किया गया तथा कैबिनेट नोट के कार्यान्वयन के लिये अधिसूचना जारी कर संबंधित अधिनियम/नियम संशोधित नहीं किये गये थे।

शासन द्वारा एक तंत्र तैयार किया जाना चाहिए जिसके द्वारा विद्युत वितरण कंपनी के विरुद्ध देय विद्युत शुल्क या तो तुरन्त सतत् ऋण में परिवर्तित कर दिया जाए या विद्युत शुल्क के भुगतान के विलम्ब के मामले में शासन द्वारा ब्याज आरोपित किया जाना चाहिए।

4.2.11 छूट के लिए पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना विद्युत शुल्क का भुगतान न किया जाना

ओरियंट पेपर मिल्स, अमलाई द्वारा 30 मेगावॉट तथा 25 मेगावॉट के दो थर्मल जनरेटर (टी.जी.) केप्टिव विद्युत संयंत्र स्थापित किये गये तथा विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट के लिए औपचारिक आवेदन किये बिना तथा छूट के लिए पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त होना मान लिया। परिणामस्वरूप ₹ 51.79 करोड़ का विद्युत शुल्क ब्याज की राशि सहित प्राप्त नहीं हो सका।



Orient Paper Mills, Amlai (Shahdol)

अधिसूचना दिनांक 12 जुलाई 2006 के अनुसार, राज्य शासन द्वारा परियोजनाओं (मेगा प्रोजेक्ट) में स्थायी पूंजी ₹ 25 करोड़ से अधिक तथा ₹ 100 करोड़ तक, ₹ 100 करोड़ से अधिक तथा ₹ 500 करोड़ तक तथा ₹ 500 करोड़ से अधिक निवेश करने पर निश्चित शर्तों के अधीन केप्टिव विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत ऊर्जा पर क्रमशः पाँच वर्ष, सात वर्ष तथा दस वर्ष तक विद्युतशुल्क के भुगतान से छूट दी गई थी।

अधिसूचना दिनांक 19 अगस्त 2008 के अनुसार दिनांक 02 मई 2005 को निवेश संवर्धन अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में लिए गये निर्णय के आधार पर उक्त अधिसूचना को दिनांक 02 मई 2005 (भूतलक्षी प्रभाव से) प्रभावी किया गया।

हमने कार्यालय मुख्य विद्युत निरीक्षक, भोपाल में अवलोकित किया कि ओरियंट पेपर मिल्स, अमलाई ने ₹ 161.16 करोड़ के निवेश से 25 मेगावाट व 30 मेगावाट के दो टी. जी. सेट केप्टिव विद्युतसंयंत्र स्थापित किये थे। दिनांक 25 जुलाई 2012 को मुख्य विद्युत निरीक्षक, भोपाल द्वारा उक्त संयंत्र को चलाने हेतु अस्थाई अनुमति प्रदान की थी और 25 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र तथा 30 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र द्वारा क्रमशः माह सितम्बर 2012 तथा माह अक्टूबर 2012 से विद्युत का उत्पादन प्रारंभ किया गया था। ओरियन्ट पेपर मिल्स द्वारा विद्युत शुल्क से छूट हेतु औपचारिक आवेदन किये बिना तथा विद्युत निरीक्षक से विद्युत शुल्क से छूट की पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना विद्युत शुल्क के भुगतान से स्वतः छूट प्राप्त होना मान लिया तथा विद्युत शुल्क का कोई भुगतान नहीं किया। यह दिनांक 12 जुलाई 2006 की अधिसूचना की शर्तों के प्रतिकूल था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 51.79 करोड़ (मार्च 2016 तक ₹ 15.75 करोड़ ब्याज सहित) विद्युत शुल्क की हानि हुई। आगे हमने अवलोकित किया कि दोनों ताप विद्युत संयंत्रों का प्रपत्र 'जी' केवल दिसम्बर 2012 तक प्रेषित किया गया। विभाग, कम्पनी द्वारा प्रपत्र "जी" प्रस्तुत न करने को संज्ञान में लेने में विफल रहा तथा विद्युत शुल्क भुगतान न करने पर कम्पनी के विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। विद्युत शुल्क की गणना दानों ताप विद्युत संयंत्रों से क्रमशः चार तथा तीन माह में विद्युत के औसत उत्पादन तथा खपत के आधार पर सितम्बर 2012 से जनवरी 2016 तक की गई है।

शासन ने बताया (सितम्बर 2016) की ओरियन्ट पेपर मिल्स ने न तो मासिक विवरणी प्रपत्र 'जी' प्रस्तुत किये और न ही यूनिट के खपत पर विद्युत शुल्क जमा किया था। उपभोक्ता ने परीक्षण अवधि के लिए विद्युत शुल्क का भुगतान नहीं किया तथा विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट मान लिया था। नियम के उल्लंघन के लिए कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

4.2.12 विद्युत ऊर्जा के शुल्क योग्य एवं शुल्क अयोग्य खपत हेतु अलग-अलग मीटर स्थापित करने में विफल होने से राजस्व की हानि

चौबीस उच्चदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में शुल्क योग्य एवं शुल्क अयोग्य विद्युत ऊर्जा की खपत के लिए अलग-अलग मीटर स्थापित नहीं गये थे परिणामतः राशि ₹ 16.00 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क नियम के नियम 10 के अनुसार विद्युत ऊर्जा का प्रत्येक वितरक एवं प्रत्येक उत्पादक प्रत्येक श्रेणी जिसके लिए लागू शुल्क की दरें अलग-अलग हैं, पृथक रूप से एक मीटर स्थापित करेगा। इसके अलावा अधिनियम की धारा (3) में संशोधन द्वारा प्रावधानित किया गया कि यदि विद्युत के वितरक या उत्पादक की सहमति के बिना किसी भी प्रयोजन की खपत किसी अन्य उद्देश्य की खपत हेतु जिसके लिए शुल्क की उच्चतर दर प्रभारणीय है, पूर्ण या आंशिक रूप से उपभोग की जाती है तो विक्रय या आपूर्ति की गई सम्पूर्ण ऊर्जा पर उच्चतम लागू दर प्रभारित की जाएगी। यदि शुल्क योग्य तथा शुल्क अयोग्य दोनों प्रकार की विद्युत ऊर्जा की खपत एक मीटर द्वारा अभिलेखित की जाती है तो विभिन्न श्रेणियों की शुल्क आरोपण योग्य ऊर्जा की खपत का निर्धारण विद्युत निरीक्षक द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाएगा (ऐसे समय तक जबकि प्रत्येक श्रेणी के लिए मीटर स्थापित किया जाता है)। आगे यह विषय पर पूर्व निष्पादन लेखापरीक्षा (2009-10) में भी सम्मिलित किया गया था। जिसमें मुख्य विद्युत निरीक्षक, भोपाल ने उत्तर में बताया था (अप्रैल 2010) कि शुल्क योग्य एवं शुल्क अयोग्य खपत के लिए अलग-अलग मीटर स्थापित करने के लिए वितरण कम्पनियों को लिखित सूचना द्वारा निर्देशित किया गया था। लोक लेखा समिति ने भी अनुशंसा की थी कि :-

- (1) शुल्क योग्य एवं शुल्क अयोग्य विद्युत ऊर्जा के उपभोग के लिए अलग-अलग मीटर स्थापित किये बिना विद्युत शुल्क के आधार से लोक लेखा समिति को अवगत करायें।
- (2) भोपाल एवं हबीबगंज रेलवे स्टेशनों के विरुद्ध लेखापरीक्षा द्वारा निकाली गई वसूली हेतु की गई कार्यवाही से लोक लेखा समिति को अवगत करायें।
- (3) विद्युत शुल्क के शुल्क योग्य एवं शुल्क अयोग्य खपत के निर्धारण हेतु आवश्यक निर्देश समयबद्ध तरीके से जारी किये जायें।

- हमने 17 उच्चदाब उपभोक्ताओं⁸ (16 रेलवे स्टेशनों तथा एक गैरीसन इंजीनियर) के संबंध में अवलोकित किया कि विद्युत के शुल्क योग्य तथा शुल्क अयोग्य खपत के लिए अलग-अलग मीटर स्थापित नहीं किये गये थे, यद्यपि विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उच्चदाब उपभोक्ताओं को संयुक्त उद्देश्य के लिए 146.44 मेगा यूनिट विद्युत ऊर्जा प्रदाय की गई थी। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा केवल 69.11 मेगा यूनिट (47.19 प्रतिशत) विद्युत ऊर्जा पर ही विद्युत शुल्क संग्रह किया था, शेष खपत को शुल्क अयोग्य खपत मानते हुए विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की गई। शुल्क योग्य यूनिट पर, लागू दर से, पिछले पाँच वर्षों में ₹ 6.32 करोड़ शुल्क आरोपणीय थी। यहाँ तक कि शुल्क योग्य खपत के गणना के लिए भी मुख्य विद्युत निरीक्षक के पास कोई आधार नहीं था। हमने आगे अवलोकित किया कि यद्यपि विद्युत वितरण कंपनी द्वारा संभागीय विद्युत निरीक्षक को नियमित रूप से मासिक विवरणियाँ प्रस्तुत की गई थीं तथापि वे (संभागीय विद्युत निरीक्षक) एकल मीटर द्वारा अभिलेखित शुल्क योग्य तथा शुल्क अयोग्य खपत का पुनर्निर्धारण करने में विफल रहे। इस विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 6.32 करोड़ के विद्युत शुल्क का अनारोपण हुआ (परिशिष्ट-XVIII)।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर, शासन ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2016) कि विद्युत वितरण कंपनी को शुल्क योग्य तथा शुल्क अयोग्य ऊर्जा की खपत के लिए अलग-अलग मीटर स्थापना हेतु निर्देश वर्ष 2010 में जारी किये गये थे। लेकिन छह वर्ष व्यतीत होने के बाद भी शुल्क योग्य तथा शुल्क अयोग्य विद्युत ऊर्जा के खपत के लिए अलग-अलग मीटर स्थापित नहीं किये गये। 17 उच्चदाब उपभोक्ताओं में से 12 का पुनर्निर्धारण लेखापरीक्षा की आपत्तियों के पश्चात् जनवरी 2016 तथा सितम्बर 2016 के मध्य किया गया। शेष उच्चदाब उपभोक्ताओं का पुनर्निर्धारण सितम्बर 2011 तथा नवम्बर 2014 के मध्य किया गया था। जिन उपभोक्ताओं के निर्धारण किये गए थे उनमें से एक उच्चदाब उपभोक्ता की शुल्क योग्य खपत 47 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गई थी तथा तदनुसार अप्रैल 2015 एवं इससे आगे के बिल में संशोधन किया गया था।

- हमने अवलोकित किया कि सात उच्चदाब उपभोक्ताओं⁹ ने ऊर्जा के शुल्क योग्य एवं शुल्क अयोग्य खपत के लिए अलग-अलग मीटर स्थापित नहीं किये थे, जबकि तीनों विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा संयुक्त उद्देश्यों के लिए सातों उच्चदाब उपभोक्ताओं को 181.02 मेगा यूनिट विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति की गई थी। तथापि

⁸ (1)सम्भागीय अधीक्षक,मऊ, (2)संभागीय अधीक्षक, प.रे., इन्दौर, (3)सिनीयर डिबीजनल इलेक्ट्रीकल इंजीनियर पश्चिम म.रे. जबलपुर, (4) सिनीयर डिबीजनल इलेक्ट्रीकल इंजीनियर (जी)म.रे.ए भोपाल (बीना स्टेशनद्वारा कार्यालय तथा क्वार्टर),(5) संभागीय इलेक्ट्रीकल इंजीनियर (जी) म.रे.ए भोपाल (बीना स्टेशनद्वारा), (6) डी.ई.ई.(जी) म.रे.ए भोपाल (बीना नदी), (7) संभागीय अधीक्षक, म.रे. कटनी, (8) संभागीय अधीक्षक,द.पु.रेलवे,मंडला, (9) संभागीय अधीक्षक प.रे., फर्स्ट पॉइन्ट, रतलाम, (10) संभागीय अधीक्षक प.रे., उज्जैन, (11) संभागीय रेलवे प्रबंधक प.रे., कोटा, शामगढ़, (12) संभागीय रेलवे प्रबंधक प.रे., रतलाम नीमच रेलवे स्टेशन, (13) वरिष्ठ डी.ई.ई. रेलवे स्टेशन, हरदा, (14) संभागीय अधीक्षक (म.रे.) रेलवे स्टेशन, ग्वालियर, (15) संभागीय विद्युत यंत्री (म.रे.) बैट्टी चार्जर, ग्वालियर, (16) संभागीय रेलवे प्रबंधक, म.रे., भोपाल बारातवा एवं (17) गैरीसन इंजीनियर, क्रं-1, मऊ

⁹ (1)गैरीसन इंजीनियर, एम.ई.एस., मऊ, (2) अधीक्षक, एम.वाई. अस्पताल, इन्दौर, (3) गैरीसन इंजीनियर, एम.ई.एस, वेस्ट, जबलपुर, (4) गैरीसन इंजीनियर, एम.ई.एस, वेस्ट, जबलपुर, (5) स्टेशन कमांडेन्ट सी.आर.पी.एफ., नीमच, (6)संयुक्त निदेशक, चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर, (7)वरिष्ठ संभागीय इलेक्ट्रीकल इंजीनियर (रेलवे स्टेशन) हबीबगंज

इन विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत ऊर्जा की केवल 53.25 मेगा यूनिट (29.42 प्रतिशत) पर विद्युत शुल्क प्रत्येक माह एक निश्चित यूनिटों की खपत के आधार पर संग्रहित किया गया था तथा शेष खपत को शुल्क अयोग्य खपत मानते हुए विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की गई थी। शुल्क योग्य यूनिटों पर प्रचलित दर से पिछले पाँच वर्षों में ₹ 9.68 करोड़ के आरोपणीय शुल्क की गणना की गई (परिशिष्ट—XIX)। यद्यपि मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा 2010 में वितरण कम्पनियों को शुल्क योग्य एवं शुल्क अयोग्य खपत के लिए अलग-अलग मीटर की स्थापना के लिए निर्देशित किया गया था, छह वर्ष का समय व्यतीत होने के पश्चात् भी इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके अलावा विभाग ने उपरोक्त आदेश को कार्यान्वित करने के लिए कोई कार्यवाही भी प्रारम्भ नहीं की।

शासन ने बताया (सितम्बर 2016) कि एक उच्चदाब उपभोक्ता (कमांडेट सी.आर.पी. एफ., नीमच) का पुनर्निर्धारण जनवरी 2016 में किया गया था तथा शुल्क योग्य खपत 0.024 प्रतिशत से बढ़कर 67 प्रतिशत हो गई थी। जिसके वसूली के आदेश जारी कर दिये गये थे। रेलवे स्टेशन, हबीबगंज का भी पुनर्निर्धारण अक्टूबर 2014 में किया गया था जिसमें पाया गया कि शुल्क योग्य खपत 20,250 यूनिट प्रति माह से बढ़कर 34,390 यूनिट प्रति माह हो गई थी जिसे जनवरी 2015 में निर्धारित किया गया था। फील्ड अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ऊर्जा के शुल्क योग्य तथा शुल्क अयोग्य खपत की गणना के लिए स्थल का निरीक्षण करें तथा तदनानुसार विद्युत शुल्क की वसूली करें। विभाग द्वारा रेलवे, गैरीसन इंजीनियर और मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद शुल्क योग्य तथा शुल्क अयोग्य खपत के लिए अलग-अलग मीटर स्थापित करने का फैसला किया है।

उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि छह वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भी विद्युत ऊर्जा के शुल्क योग्य/शुल्क अयोग्य खपत के लिए अलग-अलग मीटर स्थापित नहीं किये गये थे। पूर्व निष्पादन लेखापरीक्षा 2009-10 में यह विषय उठाया गया था तथा उचित कार्यवाही के लिए लोक लेखा समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी। फिर भी विभाग द्वारा उपचारी कार्यवाही नहीं की गई तथा ऐसी सतत अनियमितताएं जारी रही जिनमें हबीबगंज रेलवे स्टेशन भी शामिल था जो पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा में भी प्रकट हुई थी।

इस विषय पर पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा पर लोक लेखा समिति में विद्युत ऊर्जा के शुल्क योग्य एवं शुल्क अयोग्य खपत के मुद्दों को समयबद्ध तरीके से सुलझाने की अनुशंसा की गई थी तथा विभाग को शुल्क योग्य तथा शुल्क अयोग्य विद्युत खपत पर अलग-अलग मीटर स्थापित किए बिना विद्युत शुल्क आरोपित करने का आधार बताने को कहा गया था। हम पुनः अनुशंसा करते हैं कि विभाग विद्युत ऊर्जा के शुल्क योग्य एवं शुल्क अयोग्य खपत के लिए अलग-अलग मीटर स्थापित करे। शुल्क योग्य तथा शुल्क अयोग्य विद्युत खपत के लिए अलग-अलग मीटर के अभाव में जहाँ विद्युत शुल्क कम आरोपित किया गया था ऐसे सभी मामलों में समयबद्ध वसूली होना चाहिए।

4.2.13 विद्युत निरीक्षण में कमी

विभाग विद्युत संस्थापनाओं के वार्षिक निरीक्षण का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका, जिससे मध्यम तथा उच्चदाब विद्युत संस्थापनाओं की सुरक्षा जोखिम में थी। इसके अतिरिक्त निरीक्षण फीस राशि ₹ 11.35 करोड़ भी प्राप्त नहीं हो सकी।


भारतीय विद्युत नियमों के अन्तर्गत प्रत्येक संस्थापना को, संयोजन भार पर आधारित निर्धारित दरों पर अग्रिम फीस के भुगतान पर किसी निरीक्षक या किसी अन्य अधिकारी

द्वारा आवधिक रूप से ऐसे अन्तराल पर जो पाँच वर्ष से अधिक न हो, निरीक्षण तथा परीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्युत संस्थापनाओं की सुरक्षा तथा विद्युत दुर्घटना की रोकथाम करना है।

हमने सात संभागीय विद्युत निरीक्षक¹⁰ तथा दो सहायक विद्युत निरीक्षक¹¹ कार्यालयों में अवलोकित किया कि विभाग द्वारा निरीक्षण किये जाने हेतु अपेक्षित 10.59 लाख उच्चदाब तथा मध्यमदाब विद्युत संस्थापनाओं में से 2011-12 से 2014-15 की अवधि के दौरान केवल 2.59 लाख संस्थापनाओं का निरीक्षण विभाग द्वारा किया गया, शेष 8.00 लाख संस्थापनाओं का निरीक्षण नहीं किया गया। वर्ष 2011-12 से 2014-15 के बीच विद्युत संस्थापनाओं के निरीक्षण में औसत कमी 75.58 प्रतिशत थी।

यह स्पष्ट है कि विभाग द्वारा विद्युत संस्थापनाओं के वार्षिक निरीक्षण का पूर्ण लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं किया गया। विद्युत संस्थापनाओं के, समय पर निरीक्षण में कमी के कारण विद्युत संस्थापनाओं की सुरक्षा पर विपरीत प्रभाव हो सकता है। इसके अतिरिक्त निरीक्षण फीस की राशि ₹ 11.35 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति नहीं हो सकी।

चार्ट 4.6



शासन ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2016) कि पर्याप्त निरीक्षण स्टॉफ के कमी के कारण विद्युत संस्थापनाओं का शत प्रतिशत निरीक्षण किया जाना सम्भव नहीं है। तकनीकी स्टॉफ की उपलब्धता के अनुसार संस्थापनाओं के निरीक्षण का लक्ष्य हासिल किया गया है तथा संस्थापनाओं की सुरक्षा से समझौता नहीं किया गया।

उत्तर स्वीकार नहीं था क्योंकि विद्युत दुर्घटनाओं से सुरक्षा हेतु विद्युत संस्थापनाओं का निरीक्षण विभाग का एक प्रमुख प्राथमिक कार्य है; प्रावधानों के अनुसार विद्युत संस्थापनाओं का निरीक्षण न कर उनकी सुरक्षा से समझौता किया गया।

शासन को विद्युत संस्थापनाओं का आवधिक निरीक्षण करने संबंधी प्रावधानों का निष्ठापूर्वक पालन सुनिश्चित करना चाहिए ताकि इन विद्युत संस्थापनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

¹⁰ कार्यपालनयंत्री (वि. सु.) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक, गुना, होशंगाबाद, छिन्दवाडा, सागर, ग्वालियर, शहडोल तथा रतलाम

¹¹ सहायक यंत्री (वि. सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक, भोपाल 02 एवं इन्दौर 02

4.2.14 उच्चदाब उपभोक्ताओं से शुल्क की कम प्राप्ति

आठ उच्चदाब औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा 18.04 मेगायूनिट (एम.यू.) विद्युत ऊर्जा की खपत की गई थी तथा उनके व्यवसाय के गलत वर्गीकरण के कारण विद्युत शुल्क का भुगतान, 15 प्रतिशत की टैरिफ दर के स्थान पर नौ प्रतिशत की दर पर किया गया था। इस गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप से विद्युत शुल्क तथा उस पर ब्याज की राशि ₹ 1.43 करोड़ की कम प्राप्ति हुई।

मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम (संशोधित), 2011 (10 अगस्त 2011 से प्रभावी) की धारा 3 तथा मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम की धारा 3(1)(ए) के अनुसार विद्युत ऊर्जा का प्रत्येक वितरक/वितरण अनुज्ञापतिधारी/फ्रेन्चायजी, उपभोक्ताओं को पिछले महीने बेची गई या प्रदाय की गई या उसके द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए खपत की गई विद्युत ऊर्जा की यूनिटों पर विनिर्दिष्ट दरों पर संगणित किये गये शुल्क को विहित समय पर तथा विहित रीति से राज्य शासन को प्रत्येक माह संदाय करेगा। मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम (संशोधित), 2011 के धारा 3 के भाग-ब तथा मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम के भाग-क के अनुसार उच्चदाब¹² औद्योगिक संयोजन के लिए प्रतिमाह शुल्क की दर विद्युत के प्रति यूनिट टैरिफ का 15 प्रतिशत होगी। इसके अलावा विद्युत शुल्क की अदेय राशि पर राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित ब्याज¹³ की दर आरोपित होगी जो कि अधिकतम 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी।

हमने 6,316 उच्चदाब औद्योगिक उपभोक्ताओं में से 4,480 उच्चदाब उपभोक्ताओं की नमूना जाँच के दौरान अवलोकित किया कि आठ उच्चदाब औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा 18.04 मेगा यूनिट विद्युत ऊर्जा की खपत की गई तथा शुल्क का भुगतान 15 प्रतिशत की टैरिफ दर के स्थान पर नौ प्रतिशत की दर पर किया गया। इन आठ उपभोक्ताओं में से चार उपभोक्ता, प्लास्टिक पैकिंग सामग्री जैसे लचीला मध्यवर्ती बल्क कंटेनर, प्लास्टिक उत्पाद, (पी.पी.) उच्च घनत्व पोलिथीलिन से बुनी बोरियाँ तथा पी.पी. एवं एच.डी.पी.ई. (HDPE) से बुने कपड़े के उत्पादन में शामिल थे फिर भी इन्हें कपड़ा मिलों, बुनाई मिलों तथा कताई मिलों में वर्गीकृत किया गया था। शेष तीन उच्चदाब उपभोक्ता खाद्य सामग्री के उत्पादन में शामिल थे जिन्हें आटा मिलों की तरह माना गया था। एक उच्चदाब उपभोक्ता मेसर्स रूचि सोया उद्योग, गुना जो बड़े पैमाने पर खाद्य तेल का उत्पादन तथा शोधन करने में शामिल था, को आईल एक्सपेलर माना गया। परिणामतः उद्योग/व्यापार के गलत वर्गीकरण के कारण विद्युत शुल्क तथा उस पर देय ब्याज की राशि ₹ 1.43 करोड़ की कम प्राप्ति हुई जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

तालिका 4.5
उच्चदाब उपभोक्ताओं से शुल्क की कम प्राप्ति

(₹ लाख में)

क्र. स.	उपभोक्ता का नाम	अनुबंधित माँग	अवधि	इकाई यों की खपत (मेगा यूनिट)	देय वि.शु.	वि.शु. का भुगतान	वसूली योग्य वि.शु. की राशि	ब्याज की राशि
1	मेसर्स सीता श्री फूड प्रोडक्ट,	1000 के.व्ही.ए.	03/13 से 04/14	2.71	26.43	15.86	10.57	5.68

¹² के.व्ही एवं अधिक के संयोजन उच्चदाब संयोजन माना जावेगा।

¹³ अधिसूचना दिनांक 22 जुलाई 1975 के अनुसार ब्याज की दर 3 महीने तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष, 3 महीने से अधिक 6 महीने तक 15 प्रतिशत प्रति वर्ष, 6 महीने से अधिक 12 महीने तक 20 प्रतिशत प्रति वर्ष, 12 महीने से अधिक 24 प्रतिशत प्रति वर्ष होगा।

	इन्दौर							
2	मेसर्स एड-मेनम पैकेजिंग लिमिटेड, मउ	900 के.व्ही.ए.	09/12 से 07/15	1.24	97.57	58.54	39.03	17.56
3	मेसर्स मुकेश एसोसियेट, इन्दौर	250 के.व्ही.ए.	05/13 से 07/15	3.50	27.36	16.42	10.94	3.66
4	मेसर्स पार्थ प्लास्ट पैक प्राइवेट लिमिटेड, इन्दौर	460 के.व्ही.ए.	08/13 से 07/15	3.14	25.13	15.08	10.05	3.06
5	मेसर्स मालवा एग्रो फूड प्राइवेट लिमिटेड, देपालपुर इन्दौर	350 के.व्ही.ए.	07/12 से 04/14	1.04	10.89	6.53	4.36	3.73
6	मेसर्स मनीष फलेक्सीपैक, इन्दौर	450 के.व्ही.ए.	04/15 से 07/15	0.85	7.26	4.35	2.90	0.34
7	मेसर्स मालवा एग्रो फूड प्राइवेट लिमिटेड, इन्दौर	700 के.व्ही.ए.	09/13 से 10/13	0.49	3.89	2.33	1.56	0.85
8	मेसर्स रुचि सोया, गुना	1250 के.व्ही.ए.	09/11 से 12/12	5.07	37.16	22.30	14.87	14.03
कुल				18.04	235.69	141.41	94.28	48.91

शासन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2011 के धारा 3 के 9 में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि पावर लूम, फ्लोर मिल, आईल एक्सपेलर तथा कपड़ा मिलों पर 9 प्रतिशत की दर से विद्युत शुल्क प्रभारित होगा। इसके अलावा यह बताया कि चार उपभोक्ताओं (तालिका के क्र.सं. 2, 3, 4 तथा 6) कपड़ा मिल, तीन उपभोक्ता (तालिका के क्र.सं. 1, 5 तथा 7) फ्लोर मिल तथा एक उपभोक्ता (क्र.सं. 8) आईल एक्सपेलर थे। अतः शुल्क की दर नौ प्रतिशत प्रभारित की गई थी।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि सभी इकाईयाँ बड़े पैमाने पर प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री, लचीला मध्यवर्ती बल्क कंटेनर, उच्च घनत्व पोलिथिलिन (एचडीपीई) से बुनी बोरियाँ, प्लास्टिक उत्पाद तथा पी.पी. एवं एच.डी.पी.ई. से बुना कपड़ा, खाद्य उत्पाद (बड़े पैमाने पर बेकर मैदा, सूजी, रवा, तन्दूरी आटा, नियमित आटा, दलिया इत्यादि) के निर्माण तथा उत्पादन बड़े पैमाने पर खाद्य तेल उत्पादन तथा शोधन से सम्बन्धित थी जिसे कपड़ा मिल/फ्लोर मिल/आईल एक्सपेलर के रूप में नहीं मान्य किया जा सकता। आगे, यह भी कि ये सभी उपभोक्ता उच्चदाब से संयोजित थे अतः सभी इकाईयाँ को उच्चदाब औद्योगिक के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए था जिन पर मध्यप्रदेश

विद्युत शुल्क अधिनियम के भाग-क के अनुसार विद्युत शुल्क की दर 15 प्रतिशत आरोपणीय थी।

4.2.15 मासिक विवरणियाँ प्रस्तुत न किए जाने के कारण अर्थदण्ड का अनारोपण

चार उप मुख्य विद्युत निरीक्षक तथा सात संभागीय विद्युत निरीक्षक कार्यालयों में 1,083 कैप्टिव उत्पादकों द्वारा न तो प्रपत्र 'जी' प्रस्तुत किया गया और न ही कैप्टिव पावर से उत्पादन/खपत के विरुद्ध शुल्क का भुगतान किया गया था। फिर भी विभाग ने प्रपत्र 'जी' प्रस्तुत न करने पर अर्थदण्ड आरोपित करने के लिए न्यायाधिकार न्यायालय में प्रकरण दाखिल नहीं किया था।

मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क नियम के नियम 7 के अनुसार, प्रत्येक वितरक एवं प्रत्येक निर्माता विद्युत निरीक्षक को प्रपत्र 'जी' में मासिक विवरण कोषालय चालान के साथ प्रस्तुत करेगा जिसमें शुल्क की राशि के साथ शुल्क योग्य एवं शुल्क अयोग्य विद्युत ऊर्जा की खपत का विवरण होगा। इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, की धारा 8 के अनुसार प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी या फ्रेन्चाईजी या प्रत्येक उत्पादक, केप्टिव उत्पादक संयंत्र, उत्पादक कम्पनी तथा खुले अभिगम के माध्यम से विद्युत अभिप्राप्त करने वाले उपभोक्ता, पुस्तकें, लेखे तथा अभिलेख ऐसे प्रारूप में संधारित करेगा तथा ऐसी विवरणियाँ ऐसे समयों पर ऐसे प्राधिकारियों को प्रस्तुत करेगा जैसा कि विहित किया जाए। मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम की धारा 11 के अनुसार यदि कोई फ्रेन्चाईजी, उत्पादक, केप्टिव उत्पादक संयंत्र, उत्पादक कम्पनी या उपभोक्ता लेखाओं या अभिलेखों का संधारण करने एवं प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो वह शास्ति जो पाँच हजार रुपये तक होगा, से दण्डनीय होगा। इस उद्देश्य हेतु विभाग को इन उत्पादकों/केप्टिव उत्पादक संयंत्र/उत्पादक कम्पनी/फ्रेन्चाईजी को मासिक विवरणी प्रस्तुत नहीं करने पर सूचना/अनुस्मारक जारी किया जाना चाहिए। इन सूचनाओं के अनुपालन न करने पर विभाग द्वारा लागू प्रावधानों के साथ न्यायालय में शास्ति अधिरोपण की कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए।

हमने अवलोकित किया कि चार उप मुख्य विद्युत निरीक्षक¹⁴ तथा सात संभागीय विद्युत निरीक्षक¹⁵ कार्यालयों में 3,910 केप्टिव उत्पादकों में से 1,083 केप्टिव उत्पादकों द्वारा न तो प्रपत्र 'जी' प्रस्तुत किये गये थे तथा न ही केप्टिव पावर के माध्यम से उत्पादित/उपयोग की गई ऊर्जा के विरुद्ध शुल्क का भुगतान किया गया। इस पर अधिकतम शास्ति ₹ 54.15 लाख तक आरोपणीय थी जिसके लिए विभाग द्वारा न्यायालय में प्रकरण दाखिल नहीं किये। प्रपत्र 'जी' के अभाव में हम आरोपणीय विद्युत शुल्क की राशि का आंकलन नहीं कर सके।

लेखापरीक्षा में इंगित करने पर शासन ने बताया (सितम्बर 2016) कि, फील्ड अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वितरकों तथा उत्पादकों से मासिक विवरणी प्रपत्र 'जी' प्राप्त न होने पर शास्ति आरोपित करें। भविष्य में प्रपत्र 'जी' प्राप्त करने के लिए ऑन लाईन प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

विभाग द्वारा वितरण कम्पनी/केप्टिव पावर उत्पादकों से प्राप्त विवरणियों का परिवीक्षण सख्ती से किया जाना चाहिए एवं इसके निवारण के लिए चूककर्ता कम्पनियों के विरुद्ध शास्ति का आरोपण किया जाना चाहिये।

¹⁴ अधीक्षण यंत्री (वि.सु.) एवं उप मुख्य विद्युत निरीक्षक, इन्दौर, जबलपुर, उज्जैन तथा रीवा

¹⁵ कार्यपालनयंत्री (वि. सु.) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक, होशंगाबाद, गुना, छिन्दवाडा, सागर, ग्वालियर, शहडोल तथा रतलाम

4.2.16 विद्युत वितरण कंपनी को स्वयं खपत के लिए विद्युत शुल्क की अप्राप्ति तथा विद्युत बिक्री के लिए ऊर्जा विकास उपकरण की कम आरोपण।

विभाग ने, एच.ई.जी.लिमिटेड द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए विद्युत खपत पर विद्युत शुल्क की राशि ₹ 10.59 लाख का आरोपण नहीं किया था तथा विद्युत वितरण कंपनी को विक्रय किये गये विद्युत पर ऊर्जा विकास उपकरण की राशि ₹ 26.75 लाख आरोपित नहीं की गई।

मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम 2012 की धारा 3(3) के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य के भीतर प्रत्येक उत्पादक कंपनी, कैप्टिव उत्पादक संयंत्र और उत्पादक, प्रत्येक महीने उसके स्वयं के द्वारा उपभुक्त या उपभोक्ताओं को बेची गई विद्युत यूनिटों पर विहित समय पर तथा विहित रीति से अनुसूची के भाग-ग में वर्णित दर पर शुल्क की गणना कर राज्य शासन को भुगतान करेगा। धारा 3(3) के भाग-ग के अनुसार, विद्युत शुल्क, टैरिफ का 15 प्रतिशत प्रभारित किया जायेगा, यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत की आपूर्ति की गई है। मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 की धारा 7(1) के अनुसार, शुल्क की उस रकम पर, जो देय हो, तथा असंदत्त हो ऐसी दर से तथा ऐसी परिस्थितियों में, जैसा कि विहित किया जाए, ब्याज¹⁶ लगेगा।

हमने कार्यालय मुख्य विद्युत निरीक्षक, भोपाल के अवलोकन में पाया कि मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड, जो कि इटारसी में एक जल विद्युत उत्पादक हैं, के द्वारा 2x6.75 मेगावाट उत्पादक इकाइयों द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। माह फरवरी 2015 एवं जुलाई 2015 में विद्युत ऊर्जा की क्रमशः 10,73,088 यूनिट तथा 8,550 यूनिटों की खपत एच.ई.जी. लिमिटेड से ग्रेफाईट ईकाई द्वारा की गई, लेकिन इस खपत के लिए विद्युत शुल्क का भुगतान नहीं किया गया। विभाग के अधिकारी कंपनी द्वारा प्रस्तुत 'जी' प्रपत्र में प्रस्तुत जानकारी का विश्लेषण करने में विफल रहे। परिणामस्वरूप ₹ 10.59 लाख¹⁷ का विद्युत शुल्क (मार्च 2016 तक ₹ 2.31 लाख ब्याज सहित) प्रभारित नहीं किया गया।

- मध्यप्रदेश उपकरण अधिनियम (संशोधित), 2012 दिनांक 11 जनवरी 2013 की धारा 3(1)(ख) के अनुसार किसी कैप्टिव उत्पादन संयंत्र का स्वामी या उसका संचालन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, उस विद्युत ऊर्जा की, जो विहित कालावधि के दौरान मध्यप्रदेश राज्य में किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी या किसी उपभोक्ता को बेची गई या प्रदाय की गई हो या उसके कर्मचारियों द्वारा उपभुक्त की गई हो, कुल यूनिटों पर ऊर्जा विकास उपकरण पन्द्रह पैसे प्रतियूनिट की दर से, विहित रीति से, यथा विहित समय पर, राज्य सरकार को चुकायेगा। विलंब से भुगतान किये गये अ.वि. उ. पर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत ब्याज भी आरोपणीय होगा।

हमने मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड के प्रपत्र 'जी' की संवीक्षा में अवलोकित किया कि कंपनी ने वितरण अनुज्ञप्तिधारियों (मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनियों) को अगस्त 2015 से नवम्बर 2015 के मध्य 2,57,94,848 यूनिट विद्युत ऊर्जा बेची थी लेकिन ऊर्जा विकास उपकरण केवल 94,37,319 यूनिट के लिए ही भुगतान किया गया। परिणामतः ₹ 26.75 लाख¹⁸ (मार्च 2016 तक ₹ 2.22 लाख ब्याज सहित) का ऊर्जा विकास उपकरण कम आरोपण किया गया।

¹⁶ अधिसूचना दिनांक 22 जुलाई 1975 के अनुसार ब्याज की दर 3 महीने तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष, 3 महीने से अधिक 6 महीने तक 15 प्रतिशत प्रति वर्ष, 6 महीने से अधिक 12 महीने तक 20 प्रतिशत प्रति वर्ष, 12 महीने से अधिक 24 प्रतिशत प्रति वर्ष होगा।

¹⁷ वि. शु. तथा ब्याज की गणना

वि. शु. 1073088 यूनिट @ 5.10x15 प्रतिशत = ₹ 820912/- एवं ब्याज = 820912 x 14 महीने x 24 प्रतिशत = ₹ 229855/-

वि. शु. 8550/- यूनिट / 5.65 x 15 प्रतिशत = ₹ 7246/- एवं ब्याज 7245 x 9 महीने x 20 प्रतिशत = ₹ 1087/-

¹⁸ ऊ.वि. उ. तथा ब्याज की गणना

अगस्त 2015(76,06,509 -31,39,100) = 44,67,409 यूनिट @ 0.15 = ₹ 6,70,111/- तथा ब्याज = ₹ 6,70,111 x 8 महीने x 20 प्रतिशत = ₹ 89,348/-

इसी प्रकार सितम्बर 2015 में ₹ 31,004/- अक्टूबर 2015 में ₹ 39,024/- तथा नवम्बर 2015 में ₹ 62,341/-

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर, शासन ने बताया (सितम्बर 2016) कि एच.ई.जी. लिमिटेड, तवा की जल विद्युत परियोजना ग्रेफाइट इकाई मण्डीदीप एक कैप्टिव पावर संयंत्र है तथा ऊर्जा का पारेषण एच.ई.जी. संयंत्र में स्वयं के उपयोग के लिए किया जाता है। मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम 2012 की धारा 3 की अनुसूची 14 के अनुसार शुल्क की दर टैरिफ दर ₹ 5.65 प्रति यूनिट का 15 प्रतिशत का भुगतान सहायक तथा स्वयं (आवासीय कॉलोनी) खपत हेतु नियमित रूप से आदेश के अनुसार एच.टी. 3.1 में 33 के.व्ही. लाईन पर मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के आदेश के अनुसार किया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि एच.ई.जी लिमिटेड एक उत्पादक/कैप्टिव पावर उत्पादक है। अतः सहायक/स्वयं खपत (आवासीय परिसर तवा नगर तथा ग्रेफाइट यूनिट) पर विद्युत शुल्क टैरिफ का 15 प्रतिशत की दर से आरोपणीय है। माह फरवरी 2015 तथा जुलाई 2015 में एच.ई.जी. लिमिटेड की ग्रेफाइट इकाई द्वारा कुल 10,73,088 यूनिट तथा 8,550 यूनिट विद्युत ऊर्जा खपत की गई थी लेकिन अभी तक विद्युत शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था। विद्युत शुल्क तथा ऊर्जा विकास उपकर के सम्बंध में विभाग द्वारा तीन माह अगस्त 2015 से अक्टूबर 2015 तक उदाहरण दिए गये थे जबकि उन माहों में सहायक तथा स्वयं खपत के बाद शेष यूनिटों के लिए कोई टिप्पणी नहीं की गई थी। तथ्य यह था कि इन यूनिटों को विद्युत वितरण कंपनी या अन्य उपभोक्ता को बेचा गया था तथा इसलिए बेचे गये शेष यूनिटों पर उपकर आरोपित किया जाना चाहिये था।

4.2.17 उच्चदाब उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क की अनियमित छूट

विभाग ने पुराने उपभोक्ताओं को नये उपभोक्ता मानते हुए विद्युत शुल्क का अनियमित छूट दी। इसके परिणामस्वरूप विद्युत शुल्क की राशि ₹ 25.76 लाख की प्राप्ति नहीं हो सकी।

ऊर्जा विभाग की अधिसूचना दिनांक 04 मार्च 2014 के अनुसार राज्य शासन द्वारा 33 के.व्ही., 132 के.व्ही. और 220 के.व्ही. के नये उच्चदाब उपभोक्ताओं को ग्रिड से प्रदाय की गई विद्युत ऊर्जा की खपत पर क्रमशः पाँच वर्ष, सात वर्ष तथा दस वर्ष तक विद्युत शुल्क के भुगतान पर छूट प्रदान की गई थी। यह छूट नये उच्चदाब उपभोक्ताओं को उपलब्ध होगी जो अधिसूचना जारी होने के दिनांक के पाँच वर्ष के भीतर राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों से संयोजन लेते हैं, इस प्रतिबंध के साथ कि यह छूट राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों के वर्तमान में संयोजित उपभोक्ताओं को उपलब्ध नहीं होगी।

हमने कार्यालय उप मुख्य विद्युत निरीक्षक, इन्दौर में पाया कि ग्रिड से संयोजित तीन उच्चदाब उपभोक्ताओं को विद्युत वितरण कम्पनियों के पुराने उपभोक्ता होने के बावजूद विद्युत शुल्क से छूट प्रदान की गई थी। परिणामतः विद्युत शुल्क की अनियमित छूट ₹ 25.76 लाख (दिसम्बर 2015 तक के ब्याज सहित) दी गई थी जिसका विवरण नीचे दर्शाया गया है:-

तालिका 4.6

उच्चदाब उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क की अनियमित छूट

(₹ लाख में)

क्र.सं.	उपभोक्ताओं के नाम	पूर्व उच्चदाब/ अनुबंधित माँग	वर्तमान उच्चदाब/ अनुबंधित माँग	छूट प्रदाय का माह	उपभुक्त विद्युत यूनिट	विद्युत शुल्क की राशि	ब्याज की राशि
1	मेसर्स अग्रोहा इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	11 के. व्ही/ 300 के. व्ही.ए.	33 के. व्ही/ 400 के. व्ही.ए.	अगस्त 2014 से जुलाई 2015	1109120	8.48	1.69
2	मेसर्स आरोन डेवलपर्स प्रा.लि., इन्दौर	33 के.व्ही / 200 के.व्ही. ए.	33 के.व्ही / 200 के.व्ही. ए.	मई 2014 से जुलाई 2015	1280628	9.80	2.30
3	मेसर्स साँईनाथ स्टोन केशर, इन्दौर	33 के.व्ही / 125 के.व्ही. ए.	33 के.व्ही / 146 के.व्ही. ए.	जून 2014 से जुलाई 2015	140300	2.86	0.63
कुल					2530048	21.14	4.62

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर, शासन ने बताया (सितम्बर 2016) कि मेसर्स साँईनाथ स्टोन केशर, इन्दौर ने नया संयोजन 4 मार्च 2014 के बाद लिया था अतः विद्युत शुल्क भुगतान योग्य नहीं था तथा शेष दो उपभोक्ताओं के विरुद्ध वि.शु. की वसूली प्रारम्भ कर दी गई है।

मेसर्स साँईनाथ स्टोन केशर, इन्दौर के सम्बंध में शासन का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विद्यमान इकाईयों राज्य के विद्युत वितरण कम्पनी के उपभोक्ताओं को छूट प्राप्त नहीं था।

4.2.18 निष्कर्ष

- ऊर्जा विकास उपकर न तो ऊर्जा विकास निधि में समय से जमा किया गया और न ही उन उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया, जिसके लिए उपकर का आरोपण किया गया था।
- विभाग ने विद्युत वितरण कम्पनी से बकाया विद्युत शुल्क को सतत् ऋण में परिवर्तित करने में विलंब किया तथा विद्युत वितरण कम्पनी को बकाया विद्युत शुल्क की राशि तथा उस विद्युत शुल्क को सतत् ऋण में परिवर्तित करने के बीच की अवधि के लिए कोई ब्याज आरोपित नहीं किया।
- शुल्क योग्य तथा शुल्क अयोग्य विद्युत खपत के आंकलन के लिए अलग से मीटर नहीं लगाये जाने से राजस्व की अधिक मात्रा में हानि हुई थी।
- विभाग उच्चदाब और निम्न दाब के विद्युत संस्थापनाओं के वार्षिक निरीक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका जिसमें विद्युत संस्थापनाओं की सुरक्षा खतरे में रही। इसके परिणामस्वरूप निरीक्षण फीस की बड़ी राशि भी अप्राप्त रही।
- मुख्य विद्युत निरीक्षक एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक कार्यालयों में वितरण कम्पनियों और कैप्टिव विद्युत उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों

की निगरानी अपर्याप्त थी जिससे शुल्क के कम आरोपण का पता लगाने में विफलता रही।

4.2.19 अनुशंसाएं

- हम अनुशंसा करते हैं कि शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि ऊर्जा विकास उपकरण का ऊर्जा विकास निधि में स्थानांतरण समय पर हो तथा ऊर्जा विकास उपकरण का समय पर निहित प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाए।
- शासन द्वारा एक तंत्र तैयार किया जाना चाहिए जिसके द्वारा विद्युत वितरण कंपनी के विरुद्ध देय विद्युत शुल्क या तो तुरन्त सतत् ऋण में परिवर्तित किया जाना चाहिए या विद्युत शुल्क के भुगतान के विलम्ब के मामले में शासन द्वारा ब्याज आरोपित किया जाना चाहिए।
- इस विषय पर पिछली समीक्षा पर लोक लेखा समिति ने विद्युत ऊर्जा के शुल्क योग्य एवं शुल्क अयोग्य खपत के मुद्दों को समयबद्ध तरीके से सुलझाने की अनुशंसा की गई थी तथा विभाग को शुल्क योग्य तथा शुल्क अयोग्य विद्युत खपत पर अलग मीटर स्थापित किए बिना विद्युत शुल्क आरोपित करने का आधार देने को कहा गया था। हम पुनः अनुशंसा करते हैं कि विभाग, विद्युत ऊर्जा के शुल्क योग्य एवं शुल्क अयोग्य खपत के लिए अलग-अलग मीटर स्थापित करें तथा शुल्क योग्य तथा शुल्क अयोग्य विद्युत खपत के लिए अलग-अलग मीटर के अभाव में जहाँ विद्युत शुल्क कम आरोपित किया गया था ऐसे सभी मामलों में समयबद्ध वसूली होना चाहिए।
- विद्युत संस्थापनाओं का आवधिक निरीक्षण करने संबंधी प्रावधानों का पालन निष्ठापूर्वक करना चाहिए ताकि इन विद्युत संस्थापनाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।
- वितरण कंपनी/केप्टिव पावर उत्पादकों से प्राप्त विवरणों का परिवीक्षण विभाग द्वारा सख्ती से किया जाना चाहिए एवं इसके निवारण के लिए चूककर्ता कंपनियों के विरुद्ध शास्ति का आरोपण किया जाना चाहिये।

अध्याय – 5
खनन प्राप्तियाँ

अध्याय-5 खनन प्राप्तिर्याँ




5.1 कर प्रशासन

खनिज संसाधन विभाग, सचिव खनन, मध्यप्रदेश शासन के समग्र प्रभार के अधीन कार्य करता है। संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म विभाग प्रमुख है, जिसकी सहायता के लिए चार क्षेत्रीय प्रमुख इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर तथा रीवा में, 50 जिला खनिज अधिकारी, जिला स्तर पर तथा एक हीरा अधिकारी, पन्ना में है। सहायक जिला खनिज अधिकारी एवं खनन निरीक्षक जिला खनिज अधिकारियों को उनके कार्य में सहायता करते हैं। जिला खनिज अधिकारी, सहायक जिला खनिज अधिकारी तथा खनन निरीक्षक जिला स्तर पर कलेक्टर के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन रहते हैं। खनन प्राप्तिर्याँ निम्नलिखित अधिनियमों तथा नियमों के प्रावधानों एवं उनके अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं के अधीन संग्रहीत की जाती है :

- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957;
- खनिज रियायत नियम, 1960,
- खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 1988,
- संगमरमर विकास एवं संरक्षण नियम, 2002,
- मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996,
- मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण की रोकथाम) नियम, 2006,
- मध्यप्रदेश ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास अधिनियम, 2005,
- कोयला खदान नियंत्रण नियम, 2004, तथा
- कोल बियरिंग क्षेत्र अधिनियम, 1957

चार्ट 5.1 : संगठनात्मक ढांचा



5.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है और प्रायः इसे सभी नियंत्रणों के नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह संगठन को सुनिश्चित करने में सहायता करता है कि संगठन निर्धारित प्रणाली के अनुरूप कार्य कर रहा है। विभाग ने बताया कि विभाग में कोई आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा विद्यमान नहीं है, एवं इसीलिए विभाग द्वारा खनिज इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई।

इस अध्याय की कंडिका 5.4 से 5.13 तक में सम्मिलित सभी लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को हमारे पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी सम्मिलित किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा के न होने से ये लेखापरीक्षा प्रेक्षण पुनः वर्ष-प्रतिवर्ष परिलक्षित हो रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप विभाग को राजस्व की कम प्राप्ति हो रही है।

5.3 लेखापरीक्षा परिणाम


हमने वर्ष 2015-16 में खनन प्राप्तियों से संबंधित प्रकरणों की 51 इकाइयों में से 32 इकाइयों के अभिलेखों की जिसकी नमूना जांच में 1,501 प्रकरणों में ₹ 227.96 करोड़ के राजस्व की वसूली न होना/कम वसूली होना एवं अन्य अनियमितताएं प्रकट हुईं, जिन्हें तालिका 5.1 में उल्लेखित निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया है।

तालिका 5.1

(₹ करोड़ में)			
स.क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	अनिवार्य किराया/रायल्टी के अनारोपण के प्रकरण	418	5.03
2.	ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास कर के अवनिर्धारण के प्रकरण जिनका निर्धारण नहीं किया गया	244	74.47
3.	व्यापारिक खदानों में संविदा राशि की कम वसूली	31	0.95
4.	विलंबित भुगतानों पर ब्याज का अनारोपण	226	6.23

(₹ करोड़ में)			
स.क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
5.	अन्य प्रेक्षण (ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास कर के विलंबित भुगतान पर शास्ति के प्रकरण, शासकीय कंपनी द्वारा तांबा निर्यात के प्रकरण जो कि राजस्व से संबंधित नहीं, पर्यावरण अनुमति न मिलने के कारण खदानों की नीलामी एवं संचालन न होना, इत्यादि)	582	141.28
योग		1,501	227.96

**चार्ट 5.2 : लेखापरीक्षा परिणाम
(1501 प्रकरणों में ₹ 227.96 करोड़ राशि सम्मिलित)**



विभाग ने 1,500 प्रकरणों में ₹ 227.71 करोड़ के राजस्व की वसूली न होना/कम वसूली होना एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया जिन्हे वर्ष 2015-16 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था।

विभाग द्वारा 151 प्रकरणों में ₹ 4.97 करोड़ की वसूली की गई, जिसे तालिका 5.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.2

लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के विरुद्ध विभाग द्वारा की गई वसूली को दर्शाने वाली तालिका :-

वर्ष जिससे वसूली संबंधित है	राशि (लाख में)	प्रकरण
2011-12	4.94	7
2012-13	7.88	16
2013-14	11.09	25
2014-15	472.93	103
योग	496.84	151

समस्त प्रेक्षणों को शासन एवं संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म को संसूचित किया था।

इस अध्याय में सम्मिलित कंडिकाओं पर चर्चा हेतु विभाग के साथ दिनांक 28 सितम्बर 2016 को एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान विभाग द्वारा दिए गए उत्तर संबंधित कंडिकाओं में सम्मिलित किए गए।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को दर्शाते हुये कुछ उदाहरणात्मक प्रकरण जिनमें ₹ 43.91 करोड़ की राशि अंतर्निहित है, का उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है।

5.4 मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस पर छूट की वसूली नहीं किया जाना

पट्टेदार द्वारा आवंटित खदानों पर निर्धारित तिथि तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया गया जबकि उसके द्वारा राज्य शासन की औद्योगिक नीति के तहत मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस में लाभ लिया गया। पट्टा आवंटन के अनुबन्ध की शर्तों को पूर्ण न करने के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस पर दी गई छूट की राशि ₹ 9.46 करोड़ एवं उस पर देय ब्याज की राशि ₹ 8.08 करोड़ की विभाग द्वारा वसूली नहीं की गई।

मध्यप्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना के उद्देश्य से स्थानीय जनसंख्या के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने एवं राज्य के खनिज संसाधनों का वैज्ञानिक तरीके से दोहन करने हेतु मेसर्स अभिजीत सीमेन्ट लिमिटेड, नागपुर (ए.सी.एल.) एवं राज्य शासन के मध्य दिनांक 16 फरवरी 2008 को यंत्र स्थापना के लिए; (अ) 2.5 एम.टी.पी.ए. की क्षमता का सीमेंट प्लांट, (ब) 2.5 एम.टी.पी.ए. की क्षमता की चूना पत्थर खदान, (स) 50 एम.डब्ल्यू. का केस्टिव पावर प्लांट एवं (द) प्रथम चरण में कोयला खदान के लिए ₹ 800 करोड़ के निवेश के लिए एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया। ए.सी.एल. द्वारा मध्यप्रदेश में कुल ₹ 1,210 करोड़ का निवेश प्रस्तावित किया गया।

तत्पश्चात् 26 जून 2010 को राज्य शासन द्वारा प्रबन्ध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इनवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड एवं ए.सी.एल. के मध्य मुरैना जिला में ₹ 1,162 करोड़ का निवेश सीमेंट उत्पादन हेतु अनुबंधित किया गया। उद्योग विभाग के पत्र दिनांक 23.11.2009 के अनुसार कम्पनी को इस छूट की उपलब्धता दिनांक 31.03.2012 तक उत्पादन प्रारम्भ किए जाने की शर्त पर थी। आगे, राज्य शासन द्वारा जारी पत्र दिनांक 16 जून 2016 के अनुसार समझौते के अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य शासन को इस सुविधा को कम्पनी से वापस लेने या राशि की वसूली 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित करने का अधिकार था, यदि राज्य शासन के विचार में कम्पनी द्वारा किसी बिन्दु पर कोई सारभूत तथ्य छुपाया या कोई असत्य विवरण ऐसा लाभ प्राप्त करने हेतु दिया है।

दिनांक 3 जुलाई 2010 के अनुबंध अनुसार कम्पनी को 645.636 हेक्टेयर भूमि पर चूना पत्थर खदान का पट्टा 30 वर्ष हेतु आवंटित किया गया। आगे, शासन के पत्र दिनांक 16 जून 2010 के अनुसार खनि पट्टे के पंजीयन पर मुद्रांक शुल्क में छूट प्रदान की गई, जिसके अनुसार कम्पनी को केवल दो प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क या ₹ 2 लाख, जो भी कम हो, का आरोपणीय था।

शासन के पत्र दिनांक 07 जनवरी 2009 द्वारा ए.सी.एल. को चूना पत्थर खदान का आवंटन निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों के अधीन किया गया :—

1. आवेदक कम्पनी यह सुनिश्चित करे कि आवंटित क्षेत्र वन संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों से प्रभावित नहीं है।
2. भारत शासन, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दिनांक 14 सितम्बर 2006 को जारी अधिसूचना के अनुसार कार्यवाही की जावे। मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के पत्र अनुसार कम्पनी को 31 मार्च 2012 तक वाणिज्यिक उत्पादन

प्रारंभ करना था। इस पत्र में आगे यह भी उल्लेखित किया गया कि कम्पनी को उक्त सभी लाभ लेने की पात्रता केवल तभी होगी जब वह 31 मार्च 2012 या उसके पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर देगी।

कम्पनी के निवेदन पर, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग, भोपाल के पत्र दिनांक 23 नवम्बर 2009 के अनुसार वाणिज्यिक उत्पादन हेतु 31 मार्च 2012 तक अवधि बढ़ाई गई, जो पूर्व में 31 मार्च 2011 थी।

जिला खनिज अधिकारी, मुरैना की लेखापरीक्षा के दौरान हमने अवलोकित किया (जुलाई 2015) कि ए.सी.एल को खनि पट्टे अनुबंध के पंजीयन हेतु मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस में राशि ₹ 9.46 करोड़ की छूट प्रदान की गई। आगे अवलोकित किया कि ए.सी.एल द्वारा चूना पत्थर खदान में वाणिज्यिक उत्पादन जुलाई 2015 तक भी प्रारंभ नहीं किया, यद्यपि उक्त शर्तों के अनुसार 31 मार्च 2012 या उसके पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर देना चाहिए था। अतः अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन के कारण, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की राशि ₹ 9.46 करोड़ की दी गई छूट कम्पनी से वसूली योग्य थी। आगे, दिनांक 16 जून 2010, को निष्पादित अनुबंध की शर्त 5 के अनुसार, 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज की राशि ₹ 8.08 करोड़ (3 जुलाई 2010 से 31 मार्च 2015 तक) भी आरोपणीय थी। इस प्रकार, कुल राशि ₹ 17.54 करोड़ कम्पनी से वसूली योग्य थी जैसा कि **परिशिष्ट-XX** में दर्शाया गया है।

हमारे द्वारा इंगित करने (जुलाई 2015) पर जिला खनिज अधिकारी, मुरैना द्वारा बताया गया कि चूंकि छूट शासकीय समिति द्वारा प्रदान की गई थी इसलिए कार्यवाही शासन द्वारा की जाएगी।

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को (जुलाई 2016) प्रतिवेदित किया। विभाग द्वारा भी कहा गया कि कार्यवाही शासन द्वारा की जाएगी क्योंकि छूट शासन द्वारा प्रदान की गई थी (सितम्बर 2016)। विभाग द्वारा बैठक (सितम्बर 2016) में बताया कि जिला खनिज अधिकारी, मुरैना से विस्तृत जानकारी मांगी गई है एवं प्रतीक्षित है एवं विस्तृत उत्तर तदनुसार प्रस्तुत किया जाएगा।

5.5 मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का अनारोपण/कम आरोपण

5.5.1 खनि पट्टे/उत्खनि पट्टे

बाईस खनि पट्टों/उत्खनि पट्टों के अनुबन्ध, असम्यक रूप से मुद्रांकित अनुबंधपत्र पर निष्पादित किये गये। इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 4.19 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का अनारोपण/कम आरोपण हुआ।

मध्यप्रदेश शासन खनिज संसाधन विभाग के अनुदेशों (मार्च 1993) के अनुसार नये खनि पट्टों पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस, औसत वार्षिक रॉयल्टी/बाजार मूल्य पर आरोपणीय है जिसकी गणना, खनि पट्टे हेतु आवेदन में दर्शायी गई मात्रा या माइनिंग प्लान में दी गई उत्पादन मात्रा जो भी अधिक हो, के आधार पर की जायेगी। आगे, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 33 के अनुसार मुद्रांक शुल्क का आरोपण हस्तांतरित संपत्ति के बाजार मूल्य की राशि पर लगने वाली दर से या पांच से 30 वर्ष तक अवधि के पट्टे के लिए मुद्रांक शुल्क की राशि औसत वार्षिक रॉयल्टी के बाजार मूल्य के डेढ़ से पांच गुने पर पट्टे की अवधि पर निर्भर करेगी या पांच प्रतिशत की दर से आरोपणीय होगी। इसके अतिरिक्त भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 के प्रावधानों के अनुसार देय मुद्रांक शुल्क का 75 प्रतिशत पंजीयन फीस के रूप में देय होगा। आगे, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 33 के साथ पठित धारा 35 के अनुसार, प्रत्येक लोक अधिकारी, उसकी राय में शुल्क से प्रभार्य कोई लिखत उसके कृत्यों के पालन में पेश की जाती है या आ जाती है, उस दशा में उसे परिबद्ध करेगा जिसमें यह प्रतीत होता है कि ऐसी लिखत सम्यक रूप से स्ताम्पित नहीं है उसे देय

उचित मुद्रांक शुल्क के निर्धारण के लिए मुद्रांक कलेक्टर को संदर्भित करेगा। अपर्याप्त रूप से मुद्रांकित विलेख साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किए जा सकेंगे जब तक कि ऐसे विलेखों में कम भुगतान किये गये शुल्क के भुगतान के साथ कम भुगतान किये गये शुल्क के दस गुना के बराबर शास्ति की राशि का भुगतान कर सम्यक रूप से मुद्रांकित नहीं कर दिया जाता।

हमने छ: जिला खनिज कार्यालयों¹ के (मई 2015 से जनवरी 2016 के मध्य) 63 खनि पट्टेदारों में से 21 एवं 170 उत्खनि पट्टेदारों में से 118 की नमूना जांच की, जांच के दौरान पाया कि मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड (एम.पी.एस.एम.सी.एल.) को 2011-15 की अवधि के लिए पट्टे स्वीकृत थे एवं निगम द्वारा पट्टेदारों के साथ 22 खनि/उत्खनि पट्टों का अनुबंध किया। अनुबंधों पर राशि ₹ 4.26 करोड़ मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस आरोपण योग्य थी। इसके विरुद्ध केवल ₹ सात लाख की राशि का आरोपण किया गया। परिणामस्वरूप ₹ 4.19 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण/अनारोपण हुआ (परिशिष्ट-XXI)। संबंधित जिला खनिज अधिकारियों को लोक अधिकारी होने के नाते अनुचित रूप से मुद्रांकित अनुबंधों को स्वीकार नहीं कर उन्हें मुद्रांक संग्राहक को उचित शुल्क के निर्धारण हेतु संदर्भित किया जाना चाहिये था।

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को (दिसम्बर 2015 एवं अप्रैल 2016 के मध्य) प्रतिवेदित किया। विभाग द्वारा लेखापरीक्षा प्रेक्षकों को स्वीकार किया एवं उनके उत्तर (जुलाई 2016) में बताया कि इन सभी प्रकरणों में संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

तथापि विभाग द्वारा बैठक (सितम्बर 2016) में बताया कि उनके द्वारा समस्त प्रकरण जिला पंजीयक को मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस भारित किए जाने हेतु अग्रेषित किये जाते हैं जिसके आधार पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस राशि की वसूली की गई है।

हम उत्तर से सहमत नहीं है, क्योंकि व्यापारिक खदानों के प्रकरण में, ₹ 100 के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित किए गए थे। इससे स्पष्ट होता है कि जिला पंजीयक द्वारा मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की राशि का निर्धारण नहीं किया गया था।

5.5.2 व्यापारिक खदानें

विभागीय निर्देशों के अनुसार संविदा धन की पूरी राशि पर मुद्रांक शुल्क का आरोपण करने के स्थान पर व्यापारिक खदानों के अनुबंध कम राशि के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किये गये। परिणामस्वरूप ₹ 7.66 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की वसूली नहीं हुई/कम वसूली हुई।

मध्यप्रदेश शासन, खनिज संसाधन विभाग द्वारा जारी अनुदेशों (मार्च 1993) के अनुसार, मुद्रांक शुल्क के आरोपण हेतु व्यापारिक खदानों पर संविदा राशि की सम्पूर्ण राशि को प्रीमियम माना जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त, भारतीय पंजीयन अधिनियम, 1908 के अनुसार, मुद्रांक शुल्क के 75 प्रतिशत की दर से पंजीयन फीस आरोपणीय होगी।

हमने जिला खनिज कार्यालय हरदा के प्रकरणों की संवीक्षा के दौरान (मई 2015 से जनवरी 2016 के मध्य) पाया कि नमूना जांच किये गये सभी तीन प्रकरणों में उक्त निर्देशों के अनुसार मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस ₹ 7.66 करोड़ आरोपणीय थी। तथापि ₹ 100 के स्टाम्प पेपर पर संविदा अनुबंध निष्पादित किये गये। परिणामस्वरूप ₹ 7.66 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ। (परिशिष्ट-XXII)

¹ छतरपुर, छिंदवाड़ा, डिंडौरी, हरदा, सिंगरौली एवं उमरिया

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को (दिसम्बर 2015 एवं अप्रैल 2016 के मध्य) प्रतिवेदित किया। विभाग द्वारा लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया एवं उत्तर (जुलाई 2016) में बताया कि इन सभी प्रकरणों में संबंधित जिला कलेक्टरों द्वारा वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

तथापि विभाग ने बैठक (सितम्बर 2016) में बताया कि उनके द्वारा समस्त प्रकरण जिला पंजीयक को मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस भारित किए जाने हेतु अग्रेषित किये जाते हैं, जिसके आधार पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस राशि की वसूली की गई है।

हम उत्तर से सहमत नहीं हैं, क्योंकि व्यापारिक खदानों के प्रकरण में, ₹ 100 के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित किए गए थे। इससे स्पष्ट होता है कि जिला पंजीयक द्वारा भारित किए जाने योग्य मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की राशि का निर्धारण नहीं किया गया था।

5.6 ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास कर का अनारोपण/कम वसूली होना

अवधि 2014-15 के लिए 99 खनि पट्टेदारों द्वारा देय ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास कर की भुगतान योग्य राशि ₹ 17.89 करोड़ के विरुद्ध ₹ 11.91 करोड़ का भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 5.98 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई।

मध्यप्रदेश ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास अधिनियम, 2005 के प्रावधानों एवं सितम्बर 2005 की अधिसूचना के अनुसार, ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास कर का आरोपण, उत्पादित मुख्य खनिजों के बाजार मूल्य में से पट्टाधारक द्वारा वास्तविक रूप से भुगतान की गई रॉयल्टी की राशि घटाने के बाद शेष राशि के पांच प्रतिशत वार्षिक दर से एवं शिथिल खदानों पर ₹ 4,000 प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष की दर से खनि पट्टों के पट्टाधारकों पर किया जायेगा। आगे, कार्यशील खदानों के प्रकरण में ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास कर, दो पूर्ववर्ती वर्षों के विक्रय मूल्य के औसत के पांच प्रतिशत वार्षिक दर से देय होगा। अधिनियम के नियम-7 के अनुसार प्रत्येक पट्टाधारक को प्रत्येक तिमाही के अंतिम दिन तक कर जमा करना था। यदि कर जमा नहीं किया जाता तो पट्टाधारक को युक्तियुक्त अवसर देते हुए सुनवाई के उपरांत सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 4(2) के अन्तर्गत देय कर के अधिकतम तीन गुना तक शास्ति आरोपित करने का अधिकार था। धारा 4 की उपधारा 5 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा भुगतान न की गई कर एवं शास्ति की राशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया के तौर पर की जायेगी।

हमने 10 जिला खनिज कार्यालयों² में मुख्य खनिजों के खनि पट्टों की वैयक्तिक नस्तियों की संवीक्षा के दौरान अवलोकित किया (अप्रैल 2015 एवं मार्च 2016 के मध्य) कि नमूना जांच किये गये 314 पट्टेदारों में से 98 पट्टेदारों ने 2012-15 की अवधि हेतु शिथिल खदानों पर ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास कर की राशि ₹ 2.34 करोड़ का भुगतान नहीं किया एवं केवल एक पट्टेदार द्वारा भुगतान योग्य राशि ₹ 15.55 करोड़ के विरुद्ध राशि ₹ 11.91 करोड़ का भुगतान किया गया। विभाग निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कर संग्रहण की तिमाही व्यवस्था के अनुपालन में विफल रहा एवं नियमानुसार कर का संग्रहण नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.98 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई।

हमारे द्वारा इन प्रकरणों को इंगित किये जाने पर जिला खनिज अधिकारी, कटनी ने बताया कि राशि ₹ 6.57 लाख की वसूली की जा चुकी है एवं शेष राशि हेतु मांग पत्र

जारी किए गए हैं; जिला खनिज अधिकारी, दमोह द्वारा बताया कि वसूली हेतु मांग पत्र जारी किए गए हैं; अन्य जिला खनिज अधिकारियों (अप्रैल 2015 एवं मार्च 2016 के मध्य) ने बताया कि भुगतान योग्य राशि की वसूली कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा।

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को (सितम्बर 2015 एवं अप्रैल 2016 के मध्य) प्रतिवेदित किया। विभाग द्वारा लेखापरीक्षा प्रेक्षकों को स्वीकार किया एवं उनके उत्तर (जुलाई 2016) में बताया कि जिला खनिज अधिकारी, शहडोल द्वारा राशि ₹ 0.27 लाख की वसूली की गई है एवं अन्य प्रकरणों में संबंधित जिला कलेक्टरों द्वारा वसूली की कार्यवाही की जा रही है। विभाग द्वारा बैठक (सितम्बर 2016) में बताया कि वसूली प्रक्रियाधीन है।

5.7 खनिपट्टों पर रॉयल्टी के विलंबित भुगतानों पर ब्याज की वसूली न होना/कम वसूली होना

पट्टेधारकों द्वारा रॉयल्टी के विलंबित भुगतान पर विभाग द्वारा नियमों के प्रावधानों के अनुसार 18 खनि पट्टेधारकों पर ब्याज ₹ 5.67 करोड़ का आरोपण नहीं किया।

खनिज रियायत नियम 1960 के नियम 64(ए) के अनुसार पट्टाधारक को निर्धारित तिथि पर रॉयल्टी एवं अनिवार्य किराया का भुगतान करना होता है, इसमें विफल होने पर वह निश्चित तिथि की समाप्ति के 60 दिन से ऐसे रॉयल्टी के भुगतान होने तक 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के भुगतान का दायी होगा।

हमने छः जिला खनिज कार्यालयों³ में प्रकरणों की संवीक्षा के दौरान अवलोकित किया (अप्रैल 2015 एवं मार्च 2016 के मध्य) कि नमूना जांच किए गए 218 पट्टेदारों में से 18 पट्टेदारों ने अप्रैल 2013 से मार्च 2015 की अवधि हेतु रॉयल्टी का भुगतान जुलाई 2011 से जनवरी 2015 के मध्य 60 दिनों की निर्धारित तिथि व्यतीत होने के पश्चात् 45 से 1,101 दिन के विलम्ब से किया। जिला खनिज अधिकारियों द्वारा विलम्बित भुगतानों पर ब्याज की राशि ₹ 5.67 करोड़ की वसूली नहीं की गई। परिणामस्वरूप रॉयल्टी के विलम्बित भुगतान पर ब्याज की राशि ₹ 5.67 करोड़ की वसूली नहीं की गई।

हमारे द्वारा इन प्रकरणों को इंगित किये जाने पर (मार्च 2015), जिला खनिज अधिकारी कटनी ने बताया कि राशि ₹ 9.99 लाख की पूर्ण वसूली की जा चुकी है; जिला खनिज अधिकारी, खरगोन द्वारा बताया गया कि भुगतान योग्य राशि की वसूली कर लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाएगा। अन्य जिला खनिज अधिकारियों द्वारा बताया गया कि प्रकरणों की संवीक्षा कर वसूली की कार्यवाही की जाएगी।

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को (दिसम्बर 2015 एवं अप्रैल 2016 के मध्य) प्रतिवेदित किया। संचालक, भौमिकी एवं खनन द्वारा लेखापरीक्षा प्रेक्षकों को स्वीकार किया एवं उत्तर (जुलाई 2016) में बताया कि जिला खनिज अधिकारी नीमच द्वारा राशि ₹ 80,000 की वसूली की गई है एवं अन्य प्रकरणों में संबंधित जिला कलेक्टरों द्वारा वसूली की कार्यवाही की जा रही है। विभाग द्वारा एक बैठक (सितम्बर 2016) में बताया कि राशि की वसूली की जाएगी।

³ कटनी, खरगोन, नीमच, रीवा, सतना एवं सीधी

5.8 उत्खनि पट्टे/खनि पट्टों के लिए अनिवार्य किराये की वसूली न होना/कम वसूली होना

विभाग द्वारा 131 उत्खनि एवं खनि पट्टेधारकों से अनिवार्य किराये की वसूली योग्य राशि ₹ 1.23 करोड़ के विरुद्ध ₹ 9.82 लाख वसूल किये। परिणामस्वरूप ₹ 1.13 करोड़ के अनिवार्य किराये की वसूली नहीं हुई।

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम, 30 (1) (क) के अनुसार प्रत्येक पट्टेदार प्रथम वर्ष को छोड़कर, प्रत्येक वर्ष के लिए प्रत्येक माह की 20 तारीख या उससे पूर्व अनुसूची चार में विनिर्दिष्ट दरों पर पूरे वर्ष के लिए अनिवार्य किराये का अग्रिम भुगतान करेगा।

खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम 1957 की धारा 9(क)(i) एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार प्रत्येक पट्टेधारक को प्रत्येक वर्ष पट्टे में सम्मिलित सभी क्षेत्रों के सम्बन्ध में अनुसूची-III में उल्लिखित दरों से राज्य शासन को अनिवार्य किराये का भुगतान करना होगा लेकिन जहाँ पट्टाधारक निष्कासित या उपयोग किये गये किसी खनिज के लिए रॉयल्टी का भुगतान करने का दायी हो जाता है तो वह उसे क्षेत्र के संबंध में ऐसे रॉयल्टी या अनिवार्य किराये, जो भी अधिक हो, का भुगतान करने के दायित्वाधीन होगा।

हमने 14 जिला खनिज कार्यालयों⁴ के पट्टेदारों की वैयक्तिक नस्तियों की संवीक्षा के दौरान अवलोकित किया (अप्रैल 2015 से फरवरी 2016 के मध्य) कि नमूना जांच किये गये 407 पट्टेदारों में से 95 पट्टेदारों ने अनिवार्य किराये की राशि का भुगतान नहीं किया था एवं 36 पट्टेदारों द्वारा अप्रैल 2011 से मार्च 2015 की अवधि हेत अनिवार्य किराए की राशि का कम भुगतान किया गया। परिणामस्वरूप राशि ₹ 1.13 करोड़ के अनिवार्य किराए की कम प्राप्ति हुई।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर (अप्रैल 2015 एवं जनवरी 2016 के मध्य) जिला खनिज अधिकारी डिंडौरी द्वारा ₹ 40,000 की वसूली प्रतिवेदित की; जिला खनिज अधिकारी कटनी द्वारा बताया कि उत्खनि पट्टों पर ₹ नौ लाख एवं खनि पट्टों पर ₹ 8.20 लाख की वसूली की जा चुकी है एवं शेष राशि के लिए मांग पत्र जारी किए गए हैं एवं अन्य जिला खनिज अधिकारियों ने बताया कि संवीक्षा के पश्चात् लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा, एवं भुगतान योग्य राशि की वसूली की जायेगी।

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को (सितम्बर 2015 एवं अप्रैल 2016 के मध्य) प्रतिवेदित किया। संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म द्वारा लेखापरीक्षा प्रेक्षकों को स्वीकार किया एवं उनके उत्तर (जुलाई 2016) में बताया कि उत्खनि पट्टों पर ₹ 37.99 लाख के अनिवार्य किराए की वसूली पांच जिला खनिज अधिकारियों⁵ द्वारा की गई एवं खनि पट्टों पर ₹ 0.35 लाख की वसूली जिला खनिज अधिकारी नीमच एवं शहडोल द्वारा की गई एवं अन्य प्रकरणों में संबंधित जिला कलेक्टरों द्वारा वसूली की कार्यवाही की जा रही है। विभाग द्वारा बैठक (सितम्बर 2016) में बताया कि राशि की वसूली की जाएगी।

⁴ छतरपुर, डिंडौरी, जबलपुर, कटनी, खरगोन, मंदसौर, मुरैना, नीमच, रीवा, सतना, शहडोल, सीधी, सिंगरोली एवं टीकमगढ़

⁵ डिंडौरी, खण्डवा, नीमच, शहडोल एवं उज्जैन

5.9 व्यापारिक खदानों में संविदा राशि की वसूली न होना/कम वसूली होना

विभाग द्वारा 15 ठेकेदारों से व्यापारिक खदानों के अनुबंध के लिए वसूली योग्य राशि ₹ 81.96 लाख के विरुद्ध संविदा राशि मात्र ₹ 23.16 लाख की वसूली की गयी। परिणामस्वरूप संविदा राशि ₹ 58.80 लाख की वसूली नहीं हुई/कम वसूली हुई।

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम, 37(1) एवं संविदा अनुबंध की शर्त क्रमांक 5(1) एवं 9 के तहत व्यापारिक खदानों के ठेकेदारों को उनके संविदा अनुबंध में अधिसूचित दिनांक को संविदा राशि का भुगतान राज्य शासन को करना होता है। यदि, संविदा राशि का भुगतान एक माह से अधिक अवधि तक नहीं होता है तो ठेका निरस्त कर दिया जायेगा एवं खदान की पुनर्नीलामी की जायेगी। इसके फलस्वरूप खदान की पुनर्नीलामी होने पर, यदि शासन को कोई हानि होती है तो वह चूककर्ता ठेकेदार से भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूल की जायेगी, परन्तु इसके पूर्व ठेकेदार को 30 दिवस में अतिदेय राशि जमा करने हेतु सूचना पत्र जारी किया जायेगा।

हमने तीन जिला खनिज कार्यालयों⁶ की 31 व्यापारिक खदानों की नस्तियों की संवीक्षा के दौरान अवलोकित किया (नवम्बर 2015 से जनवरी 2016 के मध्य) की अवधि 2012-2015 हेतु ठेकाधन भुगतान के लिए देय राशि ₹ 81.96 लाख के विरुद्ध ठेकेदारों द्वारा केवल राशि ₹ 23.16 लाख का भुगतान किया गया था। परिणामस्वरूप 15 ठेकेदारों से संविदा राशि ₹ 58.80 लाख की वसूली नहीं हुई/कम वसूली हुई। इन 15 ठेकेदारों में से जिला खनिज अधिकारी पन्ना के 11 ठेकेदारों द्वारा संविदा राशि का कोई भुगतान नहीं किया। जिला खनिज अधिकारी द्वारा निर्धारित एक माह पश्चात् व्यापारिक खदानों को निरस्त करने की कार्यवाही की जानी चाहिये थी। जिला खनिज अधिकारी नियमों के अनुसार व्यापारिक खदान की नीलामी निरस्त करने की कार्यवाही कर पुनर्नीलामी करने में विफल रहे।

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को (जनवरी 2016 एवं जून 2016 के मध्य) प्रतिवेदित किया। विभाग द्वारा लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया एवं उनके उत्तर (जुलाई 2016) में बताया कि जिला खनिज अधिकारी राजगढ़ द्वारा राशि ₹ 1.42 लाख की वसूली की गई एवं अन्य प्रकरणों में संबंधित जिला कलेक्टरों द्वारा वसूली की कार्यवाही की जा रही हैं। विभाग द्वारा बैठक (सितम्बर 2016) में बताया कि राशि की वसूली की जाएगी।

5.10 खनि पट्टे पर रॉयल्टी की कम वसूली

एक पट्टेदार ने खनिजों के उपभोग/परिवहन हेतु अवधि जून 2013 से मार्च 2015 के मध्य खनि पट्टों पर देय रॉयल्टी की राशि ₹ 3.69 करोड़ के विरुद्ध रॉयल्टी राशि ₹ 3.29 करोड़ का भुगतान किया, परिणामस्वरूप ₹ 40 लाख के राजस्व की कम वसूली हुई।

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) के अनुसार, खनि पट्टे से सम्बन्धित प्रत्येक पट्टेधारक को उसके द्वारा हटाये गये या उपयोग किए खनिजों के लिए अनुसूची-II में निर्धारित दरों से रॉयल्टी का भुगतान करना होगा। आगे, संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म द्वारा सितम्बर 2005, में निर्देश जारी किये गये कि प्रत्येक छमाही अर्थात् जनवरी से जून एवं जुलाई से दिसम्बर का कर निर्धारण क्रमशः 30 जुलाई एवं 31 जनवरी तक पूर्ण हो जाना चाहिए।

⁶ गुना, पन्ना एवं राजगढ़

हमने जिला खनिज कार्यालय कटनी के पट्टेदारों की नस्तियां, कर निर्धारण एवं वार्षिक उत्पादन विवरण की संवीक्षा के दौरान अवलोकित किया (जून 2015) कि मुख्य खनिजों के 80 पट्टेदारों की नमूना जांच में से एक पट्टेदार द्वारा जून 2013 से मार्च 2015 की अवधि के लिए भुगतान योग्य राशि ₹ 3.69 करोड़ के विरुद्ध ₹ 3.29 करोड़ का रॉयल्टी का भुगतान किया। जिला खनिज अधिकारी द्वारा बताया गया कि पट्टेदार द्वारा विभाग को प्रतिवेदन एवं अभिलेख समय पर प्रस्तुत नहीं किए, इसलिए रॉयल्टी की वसूली नहीं हुई। यदि डी.जी.एम. के निर्देशों के अनुसार जिला खनिज अधिकारी द्वारा समय पर विवरणियों की संवीक्षा की गई होती तो रॉयल्टी की कम वसूली को टाला जा सकता था। परिणामस्वरूप ₹ 40 लाख के राजस्व की कम वसूली हुई।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर (जून 2015); जिला खनिज अधिकारी कटनी द्वारा (अप्रैल 2016) पूर्ण राशि की वसूली प्रतिवेदित की गई। यद्यपि वसूली के विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं किए गये (अक्टूबर 2016)।

5.11 जारी किये गये अस्थायी अनुज्ञापत्र के विरुद्ध रॉयल्टी की वसूली न होना/कम वसूली होना

जिला खनिज अधिकारी, तीन ठेकेदारों से अग्रिम रॉयल्टी ₹ 31.00 लाख की वसूली करने में विफल रहे जिन्हें शासकीय कार्य के लिए गौण खनिज के खनन, हटाने एवं परिवहन करने की अनुमति दी गयी थी।

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68 (1) के अनुसार कलेक्टर किसी विनिर्दिष्ट खदान अथवा भूमि पर किसी भी गौण खनिज जिसकी किसी विभाग एवं केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के किसी विभाग के उपक्रम के कार्यों के लिये आवश्यकता हो उत्खनन करने, हटाने तथा परिवहन के लिये अनुज्ञा दे सकेगा। उप-नियम (3) के अंतर्गत ऐसी अनुज्ञा तभी दी जायेगी जबकि अनुसूची-III में विनिर्दिष्ट दरों पर संगणित अग्रिम रॉयल्टी का भुगतान कर दिया गया हो।

हमने अवधि 2012-15 हेतु तीन जिला खनिज कार्यालयों⁷ के प्रकरणों की नस्तियों एवं ठेकेदारों को जारी स्थायी अनुज्ञापत्रों की संवीक्षा के दौरान अवलोकित किया (अप्रैल 2015 एवं नवम्बर 2015 के मध्य) कि 13 अस्थाई अनुज्ञापत्रों में से नमूना जांच किये गये चार अस्थाई अनुज्ञापत्र तीन ठेकेदारों को शासकीय निर्माण कार्य में खनिज के उपयोग हेतु जारी किये गये। जिला खनिज अधिकारियों द्वारा सम्पूर्ण भुगतान योग्य अग्रिम रॉयल्टी की वसूली किए बगैर अपूर्ण भुगतान के विरुद्ध ठेकेदारों को अनुज्ञापत्र जारी किये गये। परिणामस्वरूप विभाग द्वारा ₹ 71 लाख के विरुद्ध ₹ 40 लाख की वसूली की गई, इस प्रकार राशि ₹ 31 लाख की कम वसूली हुई।

हमारे द्वारा प्रकरण इंगित किए जाने पर (अप्रैल एवं नवम्बर 2015 के मध्य), जिला खनिज अधिकारी कटनी द्वारा उत्तर दिया गया कि भुगतान योग्य राशि की वसूली हेतु मांग पत्र जारी किए गए एवं जिला खनिज अधिकारी मंदसौर द्वारा बताया गया कि भुगतान योग्य राशि की वसूली कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा तथा जिला खनिज अधिकारी सतना द्वारा बताया गया कि संवीक्षा पश्चात् वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को (दिसम्बर 2015 एवं अप्रैल 2016 के मध्य) प्रतिवेदित किया। संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म द्वारा लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया गया एवं उनके उत्तर (जुलाई 2016) में बताया कि संबंधित जिला कलेक्टरों द्वारा वसूली की कार्यवाही की जायेगी। यद्यपि विभाग द्वारा बैठक (सितम्बर 2016) में बताया

7

कटनी, मंदसौर एवं सतना

गया कि अस्थायी अनुज्ञा प्रकरणों में विभाग द्वारा उत्खनित मात्रा के आधार पर वसूली की जा रही है।

विभाग का उत्तर मान्य किए जाने योग्य नहीं है क्योंकि मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 68 (1) के प्रावधानों के अनुसार अस्थायी अनुज्ञापत्रों के प्रकरणों में रायल्टी की वसूली हमेशा अग्रिम के रूप में की जानी चाहिए।

5.12 उत्खनि पट्टों पर अनिवार्य किराए के विलंबित भुगतानों पर ब्याज का अनारोपण

विभाग द्वारा नियमों के प्रावधानों के अनुसार उत्खनि पट्टों से संबंधित 147 पट्टेदारों द्वारा राँयल्टी/अनिवार्य किराये के विलंबित भुगतानों पर ब्याज ₹ 29.72 लाख का आरोपण नहीं किया।

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियमावली के नियम 30(1)(घ) के अनुसार, उत्खनि पट्टों के प्रत्येक पट्टाधारी को वर्ष के प्रथम माह की 20 तारीख या इससे पूर्व राज्य शासन को उप-नियम (क) एवं (ख) के अनुसार अनिवार्य किराये या राँयल्टी का भुगतान किया जाना अपेक्षित है जिसमें विफल रहने की स्थिति में पट्टाधारी, नियमों के अंतर्गत उसके विरुद्ध की जाने वाली किसी दाण्डिक कार्रवाई के अतिरिक्त, भुगतान न किये जाने तक 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज का भुगतान का दायी होगा।

हमने 16 जिला खनिज कार्यालयों⁸ में उत्खनि पट्टों से संबंधित अनिवार्य किराये तथा राँयल्टी की प्रकरण नस्तियों की संवीक्षा के दौरान अवलोकित किया (मई 2015 तथा फरवरी 2016 के मध्य) कि नमूना जांच किये गये, 527 पट्टेदारों में से 147 पट्टेदारों द्वारा अप्रैल 2011 एवं मार्च 2015 के मध्य अनिवार्य किराये का भुगतान आठ दिनों से 1,165 दिनों के विलम्ब से किया। विभाग द्वारा विलंबित भुगतानों पर कोई ब्याज आरोपित नहीं किया गया। परिणामस्वरूप विलंबित भुगतानों पर राशि ₹ 30.13 लाख के ब्याज की वसूली नहीं हुई।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर (मई 2015 और फरवरी 2016 के मध्य) जिला खनिज अधिकारी होशंगाबाद ने भुगतान योग्य ब्याज राशि ₹ 73,000 में से ₹ 41,000 की वसूली कर ली। जिला खनिज अधिकारी हरदा ने बताया कि ब्याज राशि ₹ 11,427 की वसूली की जा चुकी है, एवं शेष राशि हेतु मांग पत्र जारी किए गए हैं। जिला खनिज अधिकारी कटनी ने बताया कि राशि ₹ 18,944 की वसूली की जा चुकी है, शेष राशि हेतु मांग पत्र जारी किए गए हैं जबकि अन्य जिला खनिज अधिकारियों ने बताया कि भुगतान योग्य राशि की वसूली कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा। राशि ₹ 29.42 लाख वसूली हेतु लंबित है (अप्रैल 2016)।

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को (दिसम्बर 2015 एवं अप्रैल 2016 के मध्य) प्रतिवेदित किया। विभाग द्वारा लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया एवं उत्तर (जुलाई 2016) में बताया कि संबंधित जिला कलेक्टरों द्वारा वसूली की कार्यवाही की जा रही है। विभाग द्वारा बैठक (सितम्बर 2016) में बताया कि राशि की वसूली की जाएगी।

8 अलीराजपुर, अनूपपुर, डिंडौरी, गुना, हरदा, होशंगाबाद, इंदौर, झाबुआ, खण्डवा, खरगोन, कटनी, मुरैना, पन्ना, सीधी, सिंगरौली एवं उज्जैन

5.13 उत्खनि पट्टों पर रॉयल्टी की वसूली नहीं किया जाना/कम वसूली किया जाना

उन्नीस पट्टेदारों ने खनिजों के उपभोग/परिवहन हेतु अवधि जनवरी 2008 से मार्च 2015 के मध्य देय रॉयल्टी की राशि ₹ 57.92 लाख के विरुद्ध रॉयल्टी राशि ₹ 42.09 लाख का भुगतान किया, परिणामस्वरूप ₹ 15.83 लाख की रॉयल्टी कम वसूली गई।

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियमावली के नियम 30(1)(क) के अनुसार, उत्खनि के प्रत्येक पट्टाधारी द्वारा वर्ष के प्रथम माह की 20 तारीख को या इससे पूर्व राज्य शासन को अनिवार्य किराये या राजस्व का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। आगे, मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 30 (1)(ख) में उल्लिखित उत्खनित पट्टे की सामान्य शर्तों के अनुसार पट्टेदार प्रत्येक खनिज के सम्बन्ध में, अनिवार्य किराया या रॉयल्टी में जो भी अधिक हो, का भुगतान करेगा लेकिन दोनों का नहीं। पट्टेदार पट्टा क्षेत्र से उपयोग या परिवहन किये जाने हेतु खनिज की मात्रा के सम्बन्ध में रॉयल्टी का भुगतान करेगा, यदि उसके द्वारा पूर्व में भुगतान की गई अनिवार्य किराये की राशि उपयोग या परिवहित किये गये खनिज की मात्रा रॉयल्टी के बराबर हो जाती है।

हमने नौ जिला खनिज कार्यालयों⁹ के उत्खनि पट्टाधारियों से सम्बन्धित प्रकरण नस्तियों तथा विवरणियों से अवलोकित किया (मई 2015 एवं जनवरी 2016 के मध्य) कि नमूना जांच किये गये 344 पट्टेदारों में से 19 पट्टेदारों ने अवधि जनवरी 2008 एवं मार्च 2015 के मध्य हटाये गये खनिजों पर भुगतान योग्य राशि ₹ 57.92 लाख के विरुद्ध ₹ 42.09 लाख के रॉयल्टी का भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 15.83 लाख के रॉयल्टी की प्राप्ति नहीं हुई। विभागीय निर्देशों के अनुसार जिला खनिज अधिकारियों द्वारा विवरणियों की जांच समय पर नहीं की गई एवं अतः उत्खनि पट्टों पर देय रॉयल्टी की वसूली नहीं की गई/कम वसूली की गई।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर (मई 2015 और जनवरी 2016 के मध्य) जिला खनिज अधिकारी हरदा ने बताया कि देय राशि हेतु मांग पत्र जारी किए गए हैं; जिला खनिज अधिकारी अलीराजपुर, पन्ना एवं सिंगरौली ने बताया कि देय राशि की वसूली कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा एवं अन्य जिला खनिज अधिकारियों ने बताया कि संवीक्षा कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को अप्रैल 2016 में प्रतिवेदित किया। विभाग द्वारा लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया एवं उनके उत्तर (जुलाई 2016) में बताया कि जिला खनिज अधिकारी राजगढ़ एवं हरदा द्वारा ₹ 5.47 लाख की वसूली की गई है एवं अन्य प्रकरणों में संबंधित जिला कलेक्टरों द्वारा वसूली की कार्यवाही की जाएगी। विभाग द्वारा बैठक (सितम्बर 2016) में बताया कि राशि की वसूली की जाएगी।

⁹ अलीराजपुर, अनूपपुर, गुना, हरदा, झाबुआ, पन्ना, राजगढ़, सिवनी एवं सिंगरौली

अध्याय – 6
राज्य उत्पाद शुल्क

अध्याय – 6


राज्य उत्पाद शुल्क

6.1 कर प्रशासन

प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, शासन स्तर पर आबकारी विभाग के प्रशासकीय प्रमुख हैं। आबकारी आयुक्त विभाग प्रमुख हैं, जिनकी सहायता के लिये मुख्यालय ग्वालियर पर एक अपर आबकारी आयुक्त, तीन आबकारी उपायुक्त, संभागों में सात आबकारी उपायुक्त, संभागीय उड़नदस्ता, जिलों में 15 सहायक आयुक्त आबकारी तथा 54 जिला आबकारी अधिकारी हैं। जिले में, जिला कलेक्टर आबकारी प्रशासन का प्रमुख होता है तथा मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों के फुटकर विक्रय की दुकानों के व्यवस्थापन के लिए सक्षम है साथ ही आबकारी राजस्व की वसूली के लिए भी उत्तरदायी हैं।

विभाग का संगठनात्मक चार्ट निम्नानुसार है:

चार्ट 6.1 : संगठनात्मक ढांचा



आसवनियों, बोतल भराई संयंत्र (भारत में निर्मित विदेशी मदिरा) तथा यवासवनियों के कार्य संचालन का परीक्षण जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा, आसवनियों/यवासवनियों तथा बोतल भराई संयंत्रों में पदस्थ सहायक जिला आबकारी अधिकारियों एवं उपनिरीक्षकों की सहायता से किया जाता है।

राज्य के आबकारी राजस्व में, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत अधिरोपित या आदेशित किसी शुल्क, फीस, शास्ति या राजसातकरण से प्राप्तियाँ संचिन्हित होती हैं। इसमें विक्रय के लिये मदिरा के

विनिर्माण, आधिपत्य तथा प्रदाय, भाँग एवं पॉपी स्ट्रा से प्राप्त राजस्व भी सम्मिलित होता है।

राज्य आबकारी राजस्व का उदग्रहण निम्न अधिनियमों, नियमों एवं अधिसूचनाओं के तहत किया जाता है :

- मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915
- मध्यप्रदेश डिस्टिलरी नियम, 1995
- मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996
- मध्यप्रदेश देशी मदिरा नियम, 1995
- मध्यप्रदेश ब्रूअरीज एवं मद्य नियम,
- औषधीय एवं शौचालयी निर्माण (आबकारी शुल्क) अधिनियम, 1955
- शासन/आबकारी आयुक्त द्वारा जारी आदेश, परिपत्र एवं अधिसूचनाएं

6.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

आबकारी आयुक्त कार्यालय में एक आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष की स्थापना वर्ष 1978 में की गई थी। संयुक्त संचालक इसका प्रमुख होता है, जो मध्यप्रदेश कोष एवं लेखा के अधिकारियों की सहायता से विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य का निष्पादन करता है। अधीनस्थ कार्यालयों की लेखापरीक्षा हेतु विभाग द्वारा प्रतिवर्ष रोस्टर तैयार किया जाता है।

विभाग ने सूचित किया (मई 2016) कि विभाग प्रमुख एवं अन्य कर्मचारियों के शाखा कार्यालयों से संबंधित कार्य में व्यस्त होने एवं समयाभाव के कारण 2015-16 में आंतरिक लेखापरीक्षण रोस्टर सिस्टम के अनुसार नहीं किया जा सका। विभाग द्वारा 2015-16 में लेखापरीक्षा योजना हेतु 69 में से मात्र 16 इकाइयों का ही लेखापरीक्षण किया गया। आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सामान्य प्रकृति की 93 कंडिकाओं को शामिल किया गया एवं अधिकारियों को विभागीय मेनुअल एवं वित्त विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा दर्शाई गई अनवरत अनियमितताओं को दूर करने के लिये विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, जिनमें से कुछ पर इस अध्याय में चर्चा की गयी है।

6.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

हमने वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य उत्पाद शुल्क प्राप्तियों से संबंधित 61 इकाइयों में से 43 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच की तथा शुल्क की प्राप्ति नहीं/कम प्राप्ति, राजस्व की हानि एवं शास्ति के अनारोपण इत्यादि के 9,094 प्रकरण जिनमें ₹ 230.56 करोड़ की राशि सन्निहित थी अवलोकित किए जिन्हें आगामी तालिका 6.1 में दर्शाये अनुसार वर्गीकृत किया है।

तालिका 6.1

लेखापरीक्षा के परिणाम


(₹ करोड़ में)

क्र. स.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	फुटकर लायसेंसधारियों को अनुचित लाभ	8	1.39

क्र. सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
2	सत्यापन प्रतिवेदनों की अप्राप्ति के प्रकरणों में शुल्क की वसूली में विफलता	615	26.16
3	स्पिरिट/मदिरा की अधिक हानियों पर शास्ति/शुल्क का कम आरोपण	3,236	3.35
4	मदिरा दुकानों से लायसेंस फीस की प्राप्ति न होना/कम प्राप्ति होना	113	34.25
5	देशी/विदेशी मदिरा का अनियमित प्रदाय	207	97.01
6	लायसेंस की शर्तों के उल्लंघन पर शास्ति का अनारोपण	1,373	21.30
7	अन्य प्रेक्षण	3,542	47.10
योग		9,094	230.56

चार्ट 6.2

लेखापरीक्षा परिणाम (9,094 प्रकरणों में ₹ 230.56 की राशि अंतर्निहित था)
श्रेणी



सभी प्रेक्षण शासन एवं विभाग को संसूचित किये गये। वर्ष 2015-16 में लेखापरीक्षा के दौरान इंगित किये गये 8,938 प्रकरणों में ₹ 198.84 करोड़ के प्रेक्षण जिनमें शुल्क की वसूली न होना/कम वसूली होना, शास्ति का अनारोपण एवं राजस्व की हानि आदि है विभाग द्वारा स्वीकार किये गये तथा 855 प्रकरणों में ₹ 16.17 लाख की वसूली प्रतिवेदित की गयी।

कुछ उदाहरणात्मक लेखापरीक्षा प्रेक्षण का, जिनमें ₹ 26.39 करोड़ की राशि अंतर्निहित है का उल्लेख निम्नलिखित कंडिकाओं में किया गया है। इस अध्याय में शामिल कंडिकाओं पर चर्चा हेतु दिनांक 28 सितम्बर 2016 को विभाग के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में विभाग द्वारा दिये गये उत्तर को कंडिकाओं में सम्मिलित किया गया है।

6.4 लायसेंसियों द्वारा प्राप्त अनुज्ञा पत्र पर परिवहन की गयी विदेशी मदिरा/बीयर के लिये आबकारी सत्यापन प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किये गये

विदेशी मदिरा/बीयर के लायसंसधारियों द्वारा निर्यात/परिवहन की गई 7,93,797.56 प्रुफ लीटर विदेशी मदिरा एवं 3,87,165 बल्क लीटर बीयर जिसमें उत्पाद शुल्क ₹ 0.62 करोड़ की राशि बीयर पर एवं ₹ 16.99 करोड़ की राशि मदिरा पर अंतर्निहित थी, के आबकारी सत्यापन प्रमाणपत्र गन्तव्य इकाईयों के प्रभारी अधिकारियों से प्राप्त कर निर्यात/परिवहन के परमिट जारी करने वाले प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं किये गये।

मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम के नियम 12, 13 एवं 14 के अनुसार विदेशी मदिरा/बीयर का निर्यात/परिवहन, शुल्क के भुगतान पर या बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर या फार्म एफ.एल.23¹ में अंतर्निहित शुल्क की राशि की पर्याप्त शोधक्षम प्रतिभूतियों के साथ निष्पादित बंध पत्र प्रस्तुत करने पर अनुमत्य है। मदिरा के परिवहन के पश्चात्, लाईसेंसी गन्तव्य इकाई प्रभारी अधिकारी से आबकारी सत्यापन प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा एवं परिवहन/निर्यात परमिट जारी करने वाले प्राधिकारी को परमिट की वैधता समाप्त होने के 40 दिन के भीतर प्रस्तुत करेगा। लाईसेंसी से चूक होने पर शुल्क की वसूली, जमा राशि, प्रस्तुत बैंक गारंटी या लाईसेंसी द्वारा निष्पादित प्रतिभूति बंधपत्र (बांड) से की जायेगी। यह राशि मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत अधिरोपित शास्ति के अतिरिक्त होगी।

हमने जिला आबकारी अधिकारी ग्वालियर, मुरैना एवं सहायक आबकारी आयुक्त रायसेन में निर्यात एवं परिवहन परमिट पंजियों एवं आबकारी सत्यापन प्रमाणपत्र की प्राप्ति पंजियों में अवलोकित किया (अक्टूबर एवं दिसम्बर 2015 के मध्य) कि अनुज्ञप्तिधारियों को जारी 175 में से 175 परमिटों पर 7,93,797.56 प्रुफ लीटर विदेशी मदिरा एवं 3,87,165 बल्क लीटर बीयर निर्यात/परिवहन की गई जिसमें शुल्क ₹ 17.61 करोड़ की राशि अंतर्निहित थी। किन्तु इन आबकारी सत्यापन प्रमाणपत्रों को उन प्राधिकारियों को प्रस्तुत नहीं किया गया जिन्होंने परिवहन/निर्यात परमिट जारी किये थे।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने के पश्चात् जिला आबकारी अधिकारी ग्वालियर ने बताया (अक्टूबर 2015) की प्रकरण आगे की कार्यवाही के लिये आयुक्त कार्यालय को भेजे गये थे एवं जिला आबकारी अधिकारी मुरैना ने बताया (दिसम्बर 2015) कि लंबित आबकारी सत्यापन प्रमाणपत्र आगामी लेखापरीक्षा दल को प्रस्तुत किये जायेंगे जबकि सहायक आबकारी आयुक्त, रायसेन ने बताया (अक्टूबर 2015) की आबकारी सत्यापन प्रमाणपत्र एकत्रित किये जाकर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये जायेंगे।

हमने शासन एवं विभाग को प्रकरण अप्रैल 2016 में सूचित किया। विभाग ने एक बैठक में बताया (सितम्बर 2016) कि आबकारी सत्यापन प्रमाणपत्र के इन्टरनेट/ब्रॉडबैंड के द्वारा ऑन-लाईन जारी करने एवं सत्यापन के संबंध में एक प्रारंभिक अध्ययन चल रहा है एवं इसके कार्यान्वयन के पश्चात् यह विषय सुलझा लिया जाएगा।

तथापि वर्तमान में तथ्य यही है कि आबकारी सत्यापन प्रमाणपत्र के अभाव में ₹ 17.61 करोड़ के विदेशी मदिरा एवं बीयर के निर्यात/परिवहन का सत्यापन नहीं किया जा सका।

1 विदेशी मदिरा की एफ.एल.9/जी.एल.9ए/एफ.एल.10ए/एफ.एल.10बी/बी-3 अनुज्ञापत्र पर भण्डागारों में परिवहन/निर्यात के लिये अनुज्ञप्त परिसर से निकासी पर बांड के प्रपत्र का निष्पादन किया जाना चाहिये

6.5 पॉपी स्ट्रॉ के लायसेंसों पर लायसेंस शुल्क की कम वसूली

जिला कलेक्टरों द्वारा 11 पॉपी स्ट्रॉ लायसेंसियों के लायसेंसों का प्रतिसंहरण नहीं किया जिन्होंने लाइसेंस शुल्क ₹ 12.15 करोड़ का भुगतान नहीं किया था।

राजपत्र अधिसूचना (असाधारण) दिनांक 30 अप्रैल 2015 के खंड 10.3 के अनुसार पॉपी स्ट्रा के थोक व्यापार का लायसेंस उच्चतम बोली लगानेवाले को दिया जाएगा। लायसेंस शुल्क 10-1/2 भागों में विभाजित की जायेगी एवं लायसेंसी किसी माह का लायसेंस शुल्क उस माह के समाप्त होने के पूर्व जमा करेगा। यदि लायसेंसी किसी माह का लायसेंस शुल्क उस माह के समाप्त होने के पूर्व जमा नहीं करता है तो जिला कलेक्टर पॉपी स्ट्रा के थोक विक्रेता के लायसेंस को प्रतिसंहरण कर उसे आगे पॉपी स्ट्रा के व्यवसाय (क्रय/विक्रय) करने से निषेध करेगा एवं संबंधित लायसेंसी की लागत पर नयी निविदा जारी करने की प्रक्रिया शुरु करेगा। शासन को हुए राजस्व के समस्त हानि की वसूली पिछले लायसेंसी से राजस्व वसूली प्रमाणपत्र जारी कर की जायेगी।

अधिसूचना के उपरोक्त खंड में यह उल्लेख कहीं नहीं है कि लायसेंसी द्वारा वार्षिक लायसेंस शुल्क की जमा न की गई मासिक किस्त की वसूली के लिये कलेक्टर लायसेंसी को नोटिस जारी करेगा। खंड यह स्पष्ट बताता है कि यदि किसी माह की लायसेंस फीस उस माह की अंतिम तारीख तक जमा नहीं की जाती है तो, थोक विक्रेता का लायसेंस वापस ले लिया जायेगा एवं लायसेंसी की लागत पर पुनः निविदा बुलाई जायेगी। उपरलिखित खंड यह भी प्रावधानित करता है कि कलेक्टर व्यतिक्रमी लायसेंसी को पॉपी स्ट्रा की बिक्री करने से रोकेंगा।

हमने जिला आबकारी अधिकारी मंदसौर एवं रतलाम के अभिलेखों की नमूना जाँच अप्रैल 2015 एवं मार्च 2016 के मध्य की एवं अवलोकित किया कि जिला आबकारी अधिकारी मंदसौर एवं रतलाम ने 32 लायसेंसियों को 38 लायसेंस आवंटित किये। पॉपी स्ट्रा की थोक बिक्री के लिये लायसेंस दिनांक 13 मई 2015 को 15 मई 2015 से 31 मार्च 2016 की साढ़े दस माह की अवधि के लिये जारी किये गये। यद्यपि, 11 लायसेंसियों जिनके पास 12 लायसेंस थे, उनके द्वारा प्रति माह की लायसेंस फीस की मासिक किस्तों के विरुद्ध दिये गये उत्तरतिथिय चेक माह जून 2015 से आगे बैंक द्वारा संबंधित खातों में अपर्याप्त धन न होने की वजह से अमान्य कर दिये गये थे।

अधिसूचना में एक माह की लायसेंस फीस के भुगतान न करने की चूक होने की स्थिति में लायसेंस वापस लेने के प्रावधान होने के बावजूद भी, जिला कलेक्टरों द्वारा व्यतिक्रमी लायसेंसी को भुगतान करने के लिये (जुलाई 2015 से फरवरी 2016 के मध्य) सूचना पत्र जारी किये गये। इसके अलावा, जिला कलेक्टरों द्वारा लायसेंसियों के चेक अमान्य होने पर अपराधिक कार्यवाही भी प्रारंभ नहीं की गई।

परिणामस्वरूप ना केवल ₹ 12.15 करोड़ के राजस्व की वसूली कम हुई बल्कि स्वापक पदार्थ का व्यापार लगातार उन लोगों के हाथों में रहा जो अनुबंध की शर्तों का पालन करने के लिये प्रतिबद्ध नहीं थे।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने के पश्चात्, जिला आबकारी अधिकारी एवं सहायक आबकारी अधिकारी द्वारा बताया गया (फरवरी 2016) कि राशि की वसूली के पश्चात् लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा।

प्रकरण आबकारी आयुक्त एवं शासन को (जुलाई 2016) सूचित किया गया था, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (अक्टूबर 2016)।

6.6 भाण्डागारों में अति लघु अपरचर टर्मिनल (वीसेट) संयोजना का संस्थापन न किये जाने पर शास्ति का आरोपण नहीं किया गया।

निविदा प्रलेख के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मध्यप्रदेश के 51 जिलों के 107 भाण्डागारों में वीसेट संयोजन के प्रबंध नहीं किये गए। विभाग द्वारा भाण्डागारों पर राशि ₹ 6.05 करोड़ की शास्ति आरोपित नहीं की गई।

आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 3 जनवरी 2014 द्वारा मध्यप्रदेश के 51 जिलों में सील बंद बोतलों में देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु जारी निविदा सूचना के खण्ड 6(XXxii) में यह प्रावधानित किया गया था कि सील बंद बोतलों में देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु सफल निविदाकार को भाण्डागारों में वीसेट संयोजन का प्रबंध स्वयं की लागत पर करना होगा। मध्यप्रदेश देशी मदिरा नियम 1995 का नियम 12(1) प्रावधानित करता है कि इन नियमों में से किसी भी नियम के भंग करने पर आबकारी आयुक्त ₹ 50,000 से अनधिक (12 जनवरी 2014 तक) एवं ₹ दो लाख से अनधिक (13 जनवरी 2014 के पश्चात्) एवं लगातार उल्लंघन की स्थिति में अतिरिक्त शास्ति ₹ 1,000 प्रतिदिन से अनधिक जिस अवधि में उल्लंघन जारी रहा, आरोपित कर सकता है। देशी मदिरा भाण्डागारों में वीसेट की स्थापना का उद्देश्य परमितों का ऑनलाईन जारी किया जाना था।

हमने कार्यालय आबकारी आयुक्त, ग्वालियर के अगस्त 2014 से जुलाई 2015 की अवधि के अभिलेखों नमूना जांच की एवं पाया कि मध्यप्रदेश के 51 जिलों के 107 भाण्डागारों में से किसी भी भाण्डागार द्वारा वीसेट संयोजना के प्रबंध नहीं किये थे। इसके परिणामस्वरूप, भाण्डागारों से ऑनलाईन परमित जारी नहीं किये गये। संबंधित प्राधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई एवं सफल निविदाकार द्वारा नियमों के भंग करने तथा लगातार उल्लंघन पर राशि ₹ 6.05² करोड़ की शास्ति आरोपित नहीं की गई। आगे परिवहन/निर्यात परमिट्स के द्वारा प्रदायित मदिरा के विरुद्ध आबकारी सत्यापन प्रमाणपत्र भी जारी नहीं किये गये। इसके परिणामस्वरूप मदिरा का परिवहन जिनमें आबकारी शुल्क राशि ₹ 17.61 करोड़ की राशि अन्तर्निहित थी, की अभिस्वीकृति अप्राप्त रही जिसका उल्लेख इस अध्याय की कंडिका 6.4 में किया गया है।

हमने प्रकरण विभाग एवं शासन को अप्रैल 2016 में प्रतिवेदित किया। विभाग द्वारा एक बैठक (सितम्बर 2016) में उत्तर दिया गया कि ठेका एक वर्ष के लिये दिया गया है, एवं यदि अगले वर्ष में, वही ठेकेदार फिर से ठेका नहीं पाता है तो वीसेट पर उसका व्यय व्यर्थ हो जाएगा। आगे यह भी बताया गया कि विभाग सभी भाण्डागारों को ब्रॉडबैंड से संयोजित करने पर कार्य कर रहा है।

हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि निविदा की प्रावधानित शर्तों से विचलन ठेकेदार को अनुचित लाभ के सदृश्य है तथा इससे निविदा प्रक्रिया कमजोर हुई।

6.7 भाण्डागारों एवं बाटलिंग इकाईयों में देशी मदिरा का निर्धारित न्यूनतम स्कन्ध बनाये रखने में विफल रहने पर शास्ति का अनारोपण

देशी मदिरा लायसेंसियों द्वारा बोतल बंद देशी मदिरा का न्यूनतम स्कन्ध देशी मदिरा भाण्डागारों एवं देशी मदिरा बॉटलिंग इकाईयों में नहीं रखा गया। तथापि, लायसेंसियों द्वारा नियमों के भंग एवं लगातार उल्लंघन पर राशि ₹ 2.76 करोड़ की शास्ति आरोपित नहीं की गई।

मध्यप्रदेश देशी मदिरा नियम 1995 का नियम 4(4) प्रावधानित करता है कि लायसेंसी प्रत्येक विनिर्माण एवं स्टोरेज भाण्डागारों में बोतलबंद मदिरा/परिशोधित मदिरा का एक

²

(₹ 2,00,000 + ₹ 3,65,000 = ₹ 5,65,000 प्रति भाण्डागार)*107 = ₹ 6,04,55,000

न्यूनतम स्कंध रखेगा जो पिछले महिने की सप्लाई के पाँच दिन के औसत के बराबर हो। मध्यप्रदेश देशी मदिरा नियम 1995 का नियम 12(1) प्रावधानित करता है कि इन नियमों में से किसी भी नियम के उल्लंघन पर आबकारी आयुक्त ₹ 50,000 से अनधिक (12 जनवरी 2014 तक) एवं ₹ 2 लाख से अनधिक (13 जनवरी 2014 के पश्चात) एवं लगातार उल्लंघन की स्थिति में अतिरिक्त शास्ति ₹ 1,000 प्रतिदिन से अनधिक जिस अवधि में उल्लंघन जारी रहा आरोपित कर सकता है।

(i) भाण्डागारों में न्यूनतम स्कंध बनाये ना रखा जाना

हमने 10 सहायक आबकारी आयुक्तों³ एवं 11 जिला आबकारी अधिकारियों⁴ के अभिलेखों जैसे स्कंध पंजी, मासिक पंजी इत्यादि से अवलोकित (अप्रैल 2015 एवं मार्च 2016 के मध्य) किया कि 25 लायसेंसियों द्वारा अगस्त 2011 से फरवरी 2016 के मध्य बोटलबंद देशी मदिरा का न्यूनतम स्कंध नहीं रखा गया। यह मध्यप्रदेश देशी मदिरा नियम 1995 के नियम 4(4) में दिये गये प्रावधानों का उल्लंघन था। मध्यप्रदेश देशी मदिरा नियम 1995 के नियम 12(1) के अनुसार नियमों के भंग एवं लगातार उल्लंघन करने पर लायसेंसियों पर ₹ 1.96 करोड़ की शास्ति अधिरोपित नहीं की गई।

(ii) देशी मदिरा बॉटलिंग इकाईयों में न्यूनतम स्कंध न रखा जाना

हमने तीन सहायक आबकारी आयुक्त कार्यालयों⁵ एवं दो जिला आबकारी अधिकारी कार्यालयों⁶ के अभिलेखों जैसे स्कंध पंजी, मासिक पंजी इत्यादि से अवलोकित (मई 2015 से मार्च 2016 के मध्य) किया कि पाँच लायसेंसियों द्वारा (फरवरी 2014 से फरवरी 2016 के मध्य) देशी मदिरा बॉटलिंग इकाईयों पर मदिरा एवं बोटलों का न्यूनतम स्कंध जो पिछले महिने की सप्लाई के पाँच दिन के औसत के बराबर हो, नहीं रखा गया। यह मध्यप्रदेश देशी स्पिरिट नियम 1995 के नियम 4(4) में दिये गये प्रावधानों का उल्लंघन था। मध्यप्रदेश देशी स्पिरिट नियम 1995 के नियम 12(1) के अनुसार नियमों के भंग तथा लगातार उल्लंघन करने के कारण लायसेंसधारियों पर ₹ 79.67 लाख की शास्ति अधिरोपित नहीं की गई।

हमने प्रकरण शासन को फरवरी 2016 एवं जुलाई 2016 में प्रतिवेदित किया। विभाग द्वारा एक बैठक (सितम्बर 2016) में उत्तर दिया की शास्ति का अधिरोपण एवं वसूली की प्रक्रिया जारी है।

6.8 अधिक हानि/कमी पर शास्ति का अनारोपण

विदेशी मदिरा, बीयर एवं एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल (ई.एन.ए) के निर्यात/परिवहन के दौरान विदेशी मदिरा, बीयर एवं ई.एन.ए का कुल हानि क्रमशः 1,57,108.59 प्रूफ लीटर, 12,814.30 बल्क लीटर एवं 26,439.27 प्रूफ लीटर थी। यह विदेशी मदिरा के प्रकरण में 1,22,329.50 प्रूफ लीटर, बीयर के प्रकरण में 9,035.58 बल्क लीटर एवं ई.एन.ए. के प्रकरण में 15,940.79 प्रूफ लीटर अनुमत्य सीमा से अधिक था। तथापि, विभाग द्वारा ₹ 2.51 करोड़ की शास्ति आरोपित नहीं की गई और न ही वसूल की गई।

6.8.1 निर्यात/परिवहन के दौरान विदेशी मदिरा/बीयर

मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 16 एवं 19 प्रावधानित करते हैं कि बोटलों में भरी हुई विदेशी मदिरा/बीयर के सभी निर्यात पर दूरी का विचार किए बिना हानि की अधिकतम सीमा 0.25 प्रतिशत होगी। यदि क्रेता एवं विक्रेता लायसेंसि एक ही

³ भोपाल, छतरपुर, छिंदवाड़ा, जबलपुर, खंडवा, रायसेन, रतलाम, सागर, शिवपुरी एवं उज्जैन

⁴ अनूपपुर, बड़वानी, धार, होशंगाबाद, मंदसौर, मुरैना, सिवनी, शाजापुर, श्योपुर, उमरिया एवं विदिशा

⁵ छिंदवाड़ा, खंडवा एवं शिवपुरी

⁶ धार एवं राजगढ़

जिले से संबंधित हैं तो यह सीमा 0.1 प्रतिशत एवं यदि भिन्न जिलों से संबंधित हैं तो 0.25 प्रतिशत होगी। अनुमत्य सीमा से अधिक हानि होने पर, लायसेंसी, शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर शास्ति का भागी होगा। आबकारी आयुक्त या प्राधिकृत अधिकारी इस शास्ति को नियम 19(2) के अधीन माफ कर सकते हैं यदि उनकी संतुष्टि तक यह सिद्ध कर दिया जाय कि ऐसा अधिक हानि या कमी अपरिहार्य कारणों जैसे आग या दुर्घटना से हुई थी और उसकी प्रथम सूचना प्रतिवेदन पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई थी।

हमने उपायुक्त कार्यालय, इंदौर, सहायक आबकारी आयुक्त कार्यालय, भोपाल एवं तीन जिला आबकारी अधिकारी कार्यालयों⁷ के विदेशी मदिरा बॉटलिंग इकाईयों एवं मद्यनिर्माणशालाओं के आबकारी सत्यापन प्रमाणपत्रों में पाया (सितम्बर एवं दिसम्बर 2015 के मध्य) कि निर्यात/परिवहन के दौरान, 2,469 परमितों पर विदेशी मदिरा का कुल छीजन 1,57,108.59 प्रूफ लीटर था जो कि अनुमत्य सीमा 34,779.09 प्रूफ लीटर से 1,22,329.50 प्रूफ लीटर अधिक था। आगे, निर्यात/परिवहन के दौरान 250 परमितों पर बीयर का कुल छीजन (नवम्बर 2014 एवं अक्टूबर 2015 के मध्य) 12,814.30 बल्क लीटर था जो कि 3,778.72 बल्क लीटर की अनुमत्य सीमा से 9,035.58 बल्क लीटर अधिक पाया गया। छीजन के इस आधिक्य पर ₹ 2.36 करोड़ की शास्ति लायसेंसियों पर आरोपणीय थी परन्तु विभाग द्वारा ना तो अधिरोपित की गई ना ही वसूल की गई।

हमने प्रकरण शासन को मार्च 2016 में प्रतिवेदित किया। विभाग ने एक बैठक (सितम्बर 2016) में उत्तर दिया कि शास्ति का आरोपण एवं वसूली की प्रक्रिया जारी है।

6.8.2 एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल (ईएनए)

मध्यप्रदेश आसवनी नियम 1995 के नियम 6(4) एवं 8(4) के अनुसार स्पिरिट/ईएनए का टेंकर द्वारा दूरी के अनुसार एक आसवनी/भाण्डागार से दूसरे आसवनी/ भाण्डागार तक परिवहन या निर्यात करने पर रिसाव या वाष्पीकरण कुल निर्यात या परिवहन का 0.1 से 0.2 प्रतिशत तक अनुमत्य है। अनुमत्य सीमा से अधिक हानि या कमी के प्रकरण में लायसेंसी उस समय प्रचलित देशी स्पिरिट पर प्रति प्रूफ लीटर देय शुल्क से अनधिक शास्ति के भुगतान हेतु उत्तरदायी था।

हमने जिला आबकारी अधिकारी खरगौन के मैसर्स एसोसिएट एल्कोहल एण्ड ब्रूअरीज लिमिटेड से संबंधित आबकारी सत्यापन प्रमाणपत्रों में अवलोकित किया (दिसम्बर 2015) कि जारी किए गए 141 परमितों के माध्यम से 52,49,240 प्रूफ लीटर ईएनए मध्यप्रदेश से दूसरे राज्यों को अगस्त 2014 से अक्टूबर 2015 के मध्य निर्यात किया गया, जिसके विरुद्ध उधार लेने/आयात करने वाले राज्यों को 52,22,800.73 प्रूफ लीटर ईएनए प्राप्त हुआ। परिणामस्वरूप 26,439.27 प्रूफ लीटर की हानि हुई। इस प्रकार कुल हानि अनुमत्य सीमा 10,498.48 प्रूफ लीटर से 15,940.79 प्रूफ लीटर अधिक थी। इस अधिक हानि पर ₹ 14.92⁸ लाख की शास्ति आरोपणीय थी। तथापि, विभाग ने शास्ति आरोपित नहीं की।

हमने प्रकरण विभाग एवं शासन को मार्च 2016 में सूचित किया। विभाग ने एक बैठक (सितम्बर 2016) में उत्तर दिया कि प्रकरण प्रक्रियाधीन है। आगे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2016)।

⁷ ग्वालियर, मुरैना एवं शाजापुर

⁸ वर्ष 2014-15 के लिये - 12699.54 प्रूफ लीटर *₹ 92 (2014-15 में ईएनए की दर) = ₹ 11,68,358
वर्ष 2015-16 के लिये - 3241.25 प्रूफ लीटर *₹ 100 (2015-16 में ईएनए की दर) = ₹ 3,24,125
योग (₹ 11,68,358 + ₹ 3,24,125 = ₹ 14,92,483)

6.9 मदिरा के पुराने स्कंध पर मूल्य संवर्धन कर (वैट) वसूल ना किया जाना

वैट अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विभाग द्वारा खुदरा व्यापारियों के पास देशी मदिरा के 31 मार्च 2013 के अंतिम स्कंध पर वैट की वसूली नहीं की गई। परिणामस्वरूप अंतिम स्कंध की राशि ₹ 45.25 करोड़ पर वैट की राशि ₹ 2.26 करोड़ की वसूली नहीं की जा सकी।

मध्यप्रदेश शासन ने मार्च 2013 में अधिसूचित किया कि, मदिरा, वैट एक्ट की अनुसूची II के भाग III -ए में विनिर्दिष्ट है, जिस पर कर संदेय है एवं जो कि एक व्यापारी द्वारा मध्यप्रदेश के अन्दर पंजीकृत व्यापारी से क्रय की गई है "कर-चुकि वस्तु" होगी। मदिरा, जब एक व्यापारी द्वारा विक्रय की गई हो, को वैट एक्ट की अनुसूची II के भाग III-ए में पाँच प्रतिशत की दर से करारोपण हेतु शामिल किया गया था।

यह भी विनिर्दिष्ट किया गया कि 1 अप्रैल 2013 को या उसके बाद राज्य में देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा दोनों के विक्रय पर वैट उदग्रहणीय होगा।

हमने चार सहायक आबकारी आयुक्त⁹ एवं 11 जिला आबकारी अधिकारी¹⁰ के अभिलेखों की नमूना जांच (मार्च 2014 एवं अक्टूबर 2015 के मध्य) में पाया कि खुदरा व्यापारियों के पास अंतिम स्कंध राशि ₹ 45.25 करोड़ वित्तीय वर्ष 2012-13 के अंतिम स्कंध के रूप में शेष था जिसे 1 अप्रैल 2013 को या उसके पश्चात् विक्रय किया गया। अतः उपर्युक्त स्कंध पर वैट राशि ₹ 2.26 करोड़ वसूली योग्य थी। तथापि, ना ही व्यापारियों द्वारा वैट जमा किया गया ना ही विभाग द्वारा वैट की वसूली हेतु कोई कार्यवाही की गई।

प्रकरण शासन एवं विभाग को मई 2016 में सूचित किया गया। विभाग द्वारा एक बैठक (सितम्बर 2016) में उत्तर दिया गया कि लायसेंसी के पुराने स्कंध पर वैट आरोपणीय नहीं था क्योंकि इसका विक्रय व्यापारियों को गत वर्ष में किया गया था जबकि वैट कलेक्शन की प्रक्रिया आयुक्त वाणिज्यिक कर द्वारा 1 अप्रैल 2013 से लागू की गई थी। यह भी बताया गया कि विदेशी मदिरा भाण्डागारों से जारी करते समय प्रभारी अधिकारियों द्वारा खुदरा व्यापारियों से वैट वसूल कर लिया गया था, जबकि देशी मदिरा भाण्डागारों के प्रकरणों में इसे प्रदायकर्ता द्वारा खुदरा व्यापारियों से वसूल कर लिया गया था। अतः खुदरा दुकानों से वसूली का कोई प्रावधान नहीं था।

हम विभाग के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि मार्च 2013 के आदेश में निहित है कि वैट संबंधित खुदरा व्यापारियों से उदग्रहित किया जाना चाहिये ना कि अंतिम उपयोगकर्ता से। इसके अतिरिक्त, विभाग विदेशी मदिरा पर पूर्व से ही वैट उदग्रहित कर रहा था।

6.10 उच्चतम बोलीकर्ता का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करने से राजस्व की हानि

₹ 8,68,77,777 की उच्चतम बोली का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि वित्तीय बोली के साथ प्रस्तुत बयाना राशि का चेक निर्धारित राशि ₹ 72,39,814.75 से 75 पैसे कम था, जो कि प्रस्ताव राशि के 1/12 वें भाग के बराबर था। दुकानें द्वितीय उच्चतम बोलीकर्ता को दी गई जिसका प्रस्ताव ₹ 8.01 करोड़, उच्चतम बोलीकर्ता से ₹ 67.65 लाख कम था।

राजपत्र अधिसूचना दिनांक 21 जनवरी 2015 की कंडिका 16.11 के अनुसार, प्रत्येक बोलीकर्ता को वित्तीय बोली के साथ प्रस्तावित राशि के 1/12 वें भाग के बराबर की राशि का चेक प्रस्तुत करना था। अधिसूचना में आगे यह भी प्रावधानित था कि यदि

⁹ छतरपुर, देवास, धार एवं होशंगाबाद

¹⁰ अशोक नगर, बड़वानी, छिंदवाड़ा, दमोह, डिंडोरी, कटनी, खरगोन, सतना, सीहोर, सिवनी एवं श्योपुर

लिफाफे में, बोलीकर्ता प्रस्ताव राशि के 1/12 वें भाग के बराबर की राशि का चेक प्रस्तुत नहीं करता है तो उसके प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।

जिला आबकारी अधिकारी खण्डवा के कार्यालय की लेखापरीक्षा के दौरान, हमने पाया (दिसम्बर 2015) कि वर्ष 2015-16 में समूह सी-1 में एक विदेशी मदिरा दुकान एवं तीन देशी मदिरा दुकानों के निष्पादन के लिए, एक बोलीकर्ता ने ₹ 8.69 करोड़ उच्चतम प्रस्ताव दिया। उसका प्रस्ताव इसलिए स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि उसके द्वारा वित्तीय बोली के लिफाफे में प्रस्तुत चेक, प्रस्ताव के 1/12 वें भाग ₹ 72.40 लाख की राशि से 75 पैसे कम था। विभाग ने दुकानें द्वितीय उच्चतम बोलीकर्ता को आवंटित कर दी जिसका प्रस्ताव ₹ 8.01 करोड़, इन दुकानों के लिये उच्चतम बोलीकर्ता से ₹ 67.65 लाख कम था।


हमारे द्वारा लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर जिला आबकारी अधिकारी ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2015) कि राजपत्र अधिसूचना की कंडिका 16.14 प्रावधानित करती है कि यदि वित्तीय बोली के लिफाफे में, ठेकेदार द्वारा दिये गये प्रस्ताव के 1/12 वें भाग के बराबर की राशि का चेक जमा नहीं करता है तो उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा।

हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि राजपत्र अधिसूचना की कंडिका 16.11 यह भी प्रावधानित करती है कि बयाना राशि का चेक सफल ठेकेदार द्वारा प्रतिभूति राशि जमा किये जाने के बाद उसे वापस कर दिया जाएगा। अतः यह स्पष्ट था कि उक्त प्रस्ताव के साथ चेक मात्र सुरक्षा की दृष्टि से प्राप्त किया गया था। विभागीय प्राधिकारी ने एक ऐसा प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जिसमें बयाना राशि मात्र 75 पैसे कम थी परिणामस्वरूप राजकोष को ₹ 67.65 लाख की हानि हुई। राजस्व अधिकारी द्वारा राजस्व हितों को ध्यान में रखते हुए मामले को उच्चतम बोलीकर्ता ठेकेदार के साथ हल करके राज्य के राजस्व को सुरक्षित किया जाना चाहिये था। ऐसा नहीं करने के परिणामस्वरूप इस सीमा तक राजस्व की हानि हुई।

हमने प्रकरण शासन एवं विभाग को सूचित किया (जनवरी 2016)। विभाग ने एक बैठक (सितम्बर 2016) में बताया कि विस्तृत उत्तर प्रकरण की समीक्षा के बाद दिया जावेगा। आगे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2016)।

अध्याय – 7 वाहनों पर कर

अध्याय – 7 वाहनों पर कर

 **Madhya Pradesh** TransPort Department - "eSewa"
ई - गवर्नेंस की तरफ बढ़ते कदम

» MP Transport Website » e-Sewa Home » New Search : RC DL LL

Vehicle Registration Search

Registration No.	:	<input type="text"/>	<small>If Vehicle No. is MP 04 A 2300 then enter "MP04A2300" and click "Submit" Button</small>
Engine No.	:	<input type="text"/>	<small>If Engine No. is DFMBJC58332 then enter complete numeric and character "DFMBJC58332" and click "Submit" Button</small>
Chassis No.	:	<input type="text"/>	<small>If chassis No. is DFFBJC22641 then enter complete numeric and character "DFFBJC22641" and click "Submit" Button</small>
Search Criteria	:	<input checked="" type="radio"/> Exact <input type="radio"/> Start With <input type="radio"/> Anywhere <input type="radio"/> End With	

7.1 कर प्रशासन

परिवहन विभाग पूर्ण रूप से प्रमुख सचिव (परिवहन) के अधीन कार्य करता है। चालक अनुज्ञप्ति/परमिट का जारी किया जाना एवं वाहनों पर कर/शुल्क/शास्ति का आरोपण एवं संग्रहण की प्रक्रिया का प्रशासनिक नियंत्रण एवं परिवीक्षण, परिवहन आयुक्त द्वारा किया जाता है। इसकी सहायता के लिए मुख्यालय स्तर पर एक अतिरिक्त परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन), दो संयुक्त परिवहन आयुक्त (प्रशासन/वित्त), तीन उप परिवहन आयुक्त एवं एक आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा है। मैदानी स्तर पर 10 संभागीय परिवहन उपायुक्त, 10 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (क्षे.प.का.), 10 अपर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (अ.क्षे.प.का.) एवं 30 जिला परिवहन कार्यालय (जि.प.का.) है। अतिरिक्त परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन), विभाग के कम्प्यूटरीकरण कार्यकलापों का परिवीक्षण करते हैं।

विभाग का संगठनात्मक चार्ट निम्नानुसार है :

चार्ट 7.1 : संगठनात्मक ढाँचा



वाहनों पर कर का संग्रहण निम्नलिखित अधिनियमों तथा नियमों के प्रावधानों एवं उनके अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं के अधीन किया जाता है :

- मोटरयान अधिनियम, 1988 ;
- केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 ;
- मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम (अधिनियम), 1991 तथा
- मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान नियम (नियम), 1994

7.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसे सभी नियंत्रणों के नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी संगठन को यह सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है कि निर्धारित प्रणालियाँ सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं।

विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना 1992 में परिवहन आयुक्त के सीधे नियंत्रण में की गई थी। आन्तरिक लेखापरीक्षा सभी अधीनस्थ कार्यालयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा निष्पादित करने तथा ऐसे परीक्षण के दौरान संसूचित अनियमितताओं पर उचित सुधारात्मक कार्रवाही करने हेतु अनुदेश जारी करने के उद्देश्य के साथ संयुक्त परिवहन आयुक्त (वित्त) के पर्यवेक्षण में निष्पादित की जा रही है।

वर्ष 2015-16 के दौरान विभाग द्वारा 40 इकाइयों की लेखापरीक्षा की योजना बनाई गई थी जिसके विरुद्ध केवल 20 इकाइयों की लेखापरीक्षा निष्पादित की गई। विभाग द्वारा बताया गया कि स्टाफ की कमी होने के कारण शेष 20 इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी। आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा वाहनों पर कर व शास्त्र के अनारोपण, वाहनों की फिटनेस, विभागीय आय, लोक लेखा समिति की लंबित कंडिकाएं

तथा अन्य आपत्तियाँ ली गई थीं। लेखापरीक्षित इकाईयों को आपत्तियों का अनुपालन करने तथा नियमों के अनुसार रजिस्टर/रिटर्न संधारित करने के लिए निर्देशित किया गया था।

7.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2015-16 के दौरान वाहनों पर कर से संबंधित 51 में से 28 इकाईयों (परिवहन आयुक्त कार्यालय क्षे.प.का.-08, स.क्षे.प.का.-5 एवं जि.प.का.-14) जिसमें ₹ 3,776.09 करोड़ का कुल राजस्व अन्तर्निहित था, की नमूना जाँच में कर के अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं के ₹ 42.37 करोड़ के 63,869 प्रकरण अवलोकित किये, जो तालिका 7.1 में निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत दर्शाये गये हैं :-


तालिका 7.1

(₹ करोड़ में)

क. सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	लोक सेवा वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण	6,386	24.28
2.	माल वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण	2,805	7.01
3.	मैक्सी कैब वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण	2,725	4.10
4.	अन्य	51,953	6.98
योग		63,869	42.37

चार्ट 7.2

लेखापरीक्षा के परिणाम (63,869 प्रकरणों में ₹ 42.37 करोड़ की राशि अंतर्निहित है)



लेखापरीक्षा प्रेक्षण विभाग को प्रेषित किये गये। वर्ष के दौरान विभाग ने 263 प्रकरणों में ₹ 26.99 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया जिन्हें वर्ष 2015-16 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था तथा 9 प्रकरणों में ₹ 2.81 लाख की वसूली प्रतिवेदित की गई।

इस अध्याय में शामिल की गई कंडिकाओं पर चर्चा करने के लिए 20 सितम्बर 2016 व 30 सितम्बर 2016 को विभाग के साथ दो बैठकें आयोजित की गईं। बैठक के दौरान विभाग द्वारा दिये गये उत्तरों को संबंधित कंडिकाओं में शामिल कर लिया गया है।

कुछ उदाहरणात्मक लेखापरीक्षा प्रकरण जिसमें ₹ 24.77 करोड़ की राशि सन्निहित है, की चर्चा आगामी कंडिकाओं में की गई है।

7.4 वाहन कर व शास्ति की प्राप्ति न होना

आरक्षित यानों के रूप में रखे गये लोक सेवा यानों, माल यानों, मेक्सी कैब यानों, मंजिली गाड़ियों, अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञापत्र पर प्रचालित लोक सेवा यानों तथा अर्थमूवर/हार्वेस्टर पर वाहन कर ₹ 13.09 करोड़ तथा शास्ति ₹ 9.14 करोड़ का भुगतान न तो वाहन स्वामियों द्वारा किया गया और न ही कराधान प्राधिकारियों द्वारा इसके माँग पत्र जारी किये गये पाये गये।

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 की धारा 3 (1) के प्रावधानों के अनुसार राज्य में उपयोग लाए गये या राज्य में उपयोग के लिए रखे गये प्रत्येक मोटरयान पर कर का उदग्रहण अधिनियम की प्रथम अनुसूची के मद क्रमांक 5(अ) में विनिर्दिष्ट दर से किया जायेगा। यदि वाहन स्वामी द्वारा वाहन के देय कर का भुगतान निर्धारित समयावधि में नहीं किया जाता है, तो अधिनियम की धारा-13 के प्रावधानों के अनुसार, वाहन स्वामी, कर की असंदत्त रकम पर प्रति माह चार प्रतिशत की दर से शास्ति के लिए दायी होगा जो कि असंदत्त कर की रकम के दुगने से अधिक नहीं होगी।

हमने अनुज्ञापत्र जारी पंजी, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी पंजी, वाहन जमा पंजी तथा कम्प्यूटर डाटाबेस की जाँच की (अप्रैल 2015 एवं जुलाई 2016 के मध्य) और पाया कि अप्रैल 2010 एवं मार्च 2015 के मध्य की अवधि के लिये नमूना जाँच किये गये 11,916 वाहनों में से 4,031 वाहनों पर अप्रैल 2010 से मार्च 2015 के लिए वाहन कर का भुगतान न तो वाहन स्वामियों द्वारा किया गया और न ही कराधान प्राधिकारियों द्वारा इसके लिए माँग पत्र जारी किये गये। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 13.09 करोड़ के कर की प्राप्ति नहीं हुई। इसके अतिरिक्त असंदत्त कर की रकम पर ₹ 9.14 करोड़ की शास्ति आरोपित नहीं की गई थी। इस प्रकार तालिका 7.2 में दर्शाये अनुसार ₹ 22.23 करोड़ की राशि की प्राप्ति नहीं हुई।

तालिका 7.2

वाहन कर व शास्ति की प्राप्ति न होना

(₹ करोड़ में)

वाहनों के प्रकार/चूककर्ता वाहनों की संख्या	शामिल कार्यालयों की संख्या	कर जो प्राप्त नहीं किया गया	कर का भुगतान न करने पर शास्ति	योग
आरक्षित वाहन के रूप में रखा लोक सेवा यान 660	8 क्षे.प.कार्या. 4 स.क्षे.प.कार्या. 13 जि.प.कार्या. कुल 25 कार्यालय ¹	4.27	2.97	7.24
माल यान 1550	8 क्षे.प.कार्या. 5 स.क्षे.प.कार्या. 13 जि.प.कार्या. कुल 26 कार्यालय ²	3.43	2.57	6.00

¹ क्षे.प.कार्या. भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, मुरैना, रीवा, सागर तथा उज्जैन
स.क्षे.प.कार्या. छतरपुर, छिंदवाड़ा, गुना तथा सतना
जि.प.कार्या. अनूपपुर, बड़वानी, बैतूल, दमोह, देवास, हरदा, झाबुआ, मंडला, नीमच, पन्ना, रायसेन, रतलाम तथा शिवपुरी

² क्षे.प.कार्या. भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, मुरैना, रीवा, सागर तथा उज्जैन

मैक्सी कैब / टैक्सी कैब 885	5 क्षे.प.कार्या. 2 स.क्षे.प.कार्या. 10 जि.प.कार्या. कुल 17 कार्यालय ³	1.52	1.09	2.61
मंजिली गाड़ी 213	7 क्षे.प.कार्या. 2 स.क्षे.प.कार्या. 7 जि.प.कार्या. कुल 16 कार्यालय ⁴	1.41	0.89	2.30
अखिल भारतीय अनुज्ञापत्र पर प्रचालित वाहन 57	4 क्षे.प.कार्या. 3 स.क्षे.प.कार्या. 2 जि.प.कार्या. कुल 9 कार्यालय ⁵	1.20	0.85	2.05
अर्थमूवर / हार्वेस्टर 666	5 क्षे.प.कार्या. 4 स.क्षे.प.कार्या. 6 जि.प.कार्या. कुल 15 कार्यालय ⁶	1.26	0.77	2.03
योग - 4031		13.09	9.14	22.23

हमने प्रकरण, शासन तथा विभाग को दिसम्बर 2015 से अप्रैल 2016 के बीच प्रतिवेदित किया। विभाग द्वारा लेखापरीक्षा अभियुक्तियों को एक बैठक (सितम्बर 2016) में स्वीकार किया तथा ₹ 1.24 करोड़ की वसूली प्रतिवेदित की (अक्टूबर 2016)।

7.5 शैक्षणिक संस्था वाले वाहनों के लिए लागू दरों से निजी सेवा यानों पर कर का गलत आरोपण

155 निजी सेवा यानों के संबंध में वाहन कर त्रुटिपूर्ण ढंग से शैक्षणिक संस्था वाले वाहनों के लिए लागू दर से लगाया गया था। वाहन कर की त्रुटिपूर्ण दर लगाये जाने का पता लगाने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.20 करोड़ के कम राजस्व की प्राप्ति हुई।

मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 2 (11) के अनुसार शैक्षणिक वाहन से तात्पर्य उस वाहन से है जो महाविद्यालय, विद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था के स्वामित्व में हो तथा जिसका पूर्णतः शैक्षणिक संस्था के छात्रों या शैक्षणिक संस्था के कर्मचारियों के लिए संस्था की गतिविधियों के संबंध में परिवहन हेतु उपयोग हो। इन वाहनों पर ₹ 30 प्रति सीट प्रति तिमाही (अक्टूबर 2014 से ₹ 3 प्रति सीट प्रति तिमाही) की रियायती दर से करारोपण किया जायेगा।

स.क्षे.प.कार्या. जि.प.कार्या.	छतरपुर, छिंदवाड़ा, गुना, सतना तथा सिवनी अनूपपुर, बड़वानी, बैतूल, दमोह, देवास, हरदा, झाबुआ, मंडला, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन तथा रतलाम
³ क्षे.प.कार्या. स.क्षे.प.कार्या. जि.प.कार्या.	भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा तथा उज्जैन सतना तथा सिवनी
⁴ क्षे.प.कार्या. स.क्षे.प.कार्या. जि.प.कार्या.	अनूपपुर, बड़वानी, बैतूल, दमोह, हरदा, झाबुआ, मंडला, नीमच, रायसेन तथा रतलाम भोपाल, इंदौर, जबलपुर, मुरैना, रीवा, सागर तथा उज्जैन
⁵ क्षे.प.कार्या. स.क्षे.प.कार्या. जि.प.कार्या.	छिंदवाड़ा तथा सिवनी बड़वानी, दमोह, झाबुआ, नीमच, पन्ना, रतलाम तथा शिवपुरी
⁶ क्षे.प.कार्या. स.क्षे.प.कार्या. जि.प.कार्या.	ग्वालियर, इंदौर, मुरैना तथा सागर छतरपुर, छिंदवाड़ा तथा सिवनी देवास तथा शिवपुरी
क्षे.प.कार्या. स.क्षे.प.कार्या. जि.प.कार्या.	भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा तथा उज्जैन छतरपुर, गुना, सतना तथा सिवनी झाबुआ, मंडला, नीमच, रायसेन, रतलाम तथा शिवपुरी

आगे, केन्द्रिय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 2 (33) के अनुसार निजी सेवा यान से तात्पर्य उस वाहन से है जो वाहन चालक को छोड़कर, छह से अधिक व्यक्तियों को ले जाने के लिए निर्मित या अनुकूलित की गई हो तथा ऐसे यान के स्वामी द्वारा या उसकी ओर से उसे अपने व्यापार या कारोबार के लिए या उसके संबंध में व्यक्तियों को किराए अथवा पारितोषिक पर न होकर अन्यथा ले जाने के लोक प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता हो। अधिनियम की प्रथम अनुसूची की धारा 7 के अनुसार, इन वाहनों पर ₹ 450 प्रति सीट प्रति तिमाही (अक्टूबर 2014 से ₹ 480 प्रति सीट प्रति तिमाही) की दर से करारोपण किया जायेगा।

हमने 11 कार्यालयों⁷ में अप्रैल 2011 से मार्च 2015 के बीच की अवधि के लिए अनुज्ञापत्र जारी पंजी, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी पंजी, वाहन जमा पंजी तथा कम्प्यूटर डाटाबेस की जाँच (मई 2015 एवं जनवरी 2016 के मध्य) की। हमने 1,425 वाहनों की नमूना जाँच की और पाया कि 155 निजी सेवा यानों पर वाहन कर का भुगतान "शैक्षणिक संस्था के यान" के लिए निर्धारित दर से किया गया। करारोपण प्राधिकारियों द्वारा गलत दर से कर का पता लगाने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.20 करोड़ के कम यान कर की प्राप्ति हुई।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर जिला परिवहन अधिकारी, रायसेन ने बताया (मई 2016) कि वसूली हेतु माँग पत्र जारी किये जा रहे हैं। क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी, उज्जैन द्वारा 91 में से 90 मामलों में लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार नहीं किया गया और कहा (जून 2016) कि वाहन मालिकों द्वारा शैक्षणिक संस्थानों से पट्टा करार किया गया है। हम क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी, उज्जैन के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि पट्टा करार की प्रतिलिपि न तो लेखापरीक्षा दल को प्रस्तुत की गई, और ना ही उत्तर के साथ प्रेषित की गई।

हमने प्रकरण, शासन तथा विभाग को दिसम्बर 2015 से अप्रैल 2016 के मध्य प्रतिवेदित किया। विभाग द्वारा एक बैठक (सितम्बर 2016) में बताया गया कि क्षेत्रिय परिवहन कार्यालय, उज्जैन से संबंधित मामलों में जानकारी प्रतिक्षित है, जबकि शेष मामलों में वसूली प्रगति पर थी (सितम्बर 2016)।

7.6 मंजिली गाड़ी अनुज्ञापत्र पर प्रचालित यानों पर यान कर व शास्ति का कम आरोपण

मंजिली गाड़ी अनुज्ञापत्र पर प्रचालित 80 लोकसेवा यानों के यान कर ₹ 33.72 लाख का भुगतान न तो यान स्वामियों द्वारा किया गया और न ही करारोपण प्राधिकारियों द्वारा कोई माँग पत्र जारी किये गये। करों का भुगतान नहीं करने के लिए ₹ 17.21 लाख की शास्ति भी आरोपणीय थी।

मध्यप्रदेश मोटरयान करारोपण अधिनियम, 1991 की धारा 3 (1) के प्रावधानों के अनुसार राज्य में उपयोग लाए गये या राज्य में उपयोग के लिए रखे गये प्रत्येक मोटरयान पर कर का उदग्रहण अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से किया जायेगा। लोक सेवा यानों के मामलों में, कर की गणना वाहन की बैठक क्षमता तथा अनुमत्य मार्ग की दूरी के आधार पर की जायेगी। यदि वाहन के देय कर का भुगतान निर्धारित समयावधि में नहीं किया जाता है, तो अधिनियम की धारा-13 के प्रावधानों में निर्दिष्ट दर से शास्ति भी आरोपणीय होगी।

हमने आठ कार्यालयों⁸ में अप्रैल 2009 से मार्च 2015 की अवधि के लिए 1,305 यानों की अनुज्ञापत्र जारी पंजी, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी पंजी, वाहन जमा पंजी तथा कम्प्यूटर

⁷ क्षे.प.कार्या. इंदौर, उज्जैन तथा सीवा
स.क्षे.प.कार्या. छतरपुर तथा सतना
जि.प.कार्या. बड़वानी, देवास, नरसिंहपुर, नीमच, रायसेन तथा रतलाम
⁸ क्षे.प.कार्या. इंदौर, जबलपुर तथा सीवा

डाटाबेस से जाँच (अप्रैल 2015 एवं जनवरी 2016 के मध्य) की। यह पाया गया कि 80 यानों के संबंध में वाहन स्वामियों द्वारा यान कर का कम भुगतान किया गया था। कम दर से यान कर के भुगतान का कारण, वाहन स्वामियों द्वारा यानकर की गलत दर से गणना करना था। यद्यपि वाहन-वार अद्यतन डाटा विभाग के पोर्टल <http://www.mptransport.org> पर ऑन-लाईन उपलब्ध था, फिर भी कराधान प्राधिकारी, वाहन स्वामियों द्वारा कम भुगतान के प्रकरण पता लगाने में विफल रहे। परिणामस्वरूप, वाहन कर ₹ 33.72 लाख का भुगतान न तो वाहन स्वामियों द्वारा किया गया और न ही विभाग द्वारा वसूल किया गया। इसके अतिरिक्त ₹ 17.21 लाख की शास्ति भी आरोपणीय थी।

हमने प्रकरण, शासन तथा विभाग को दिसम्बर 2015 से अप्रैल 2016 के मध्य प्रतिवेदित किया। विभाग द्वारा एक बैठक (सितम्बर 2016) में ₹ 56,000 की वसूली सूचित की गई, जबकि शेष प्रकरणों के बारे में बताया गया कि वसूली प्रगति पर थी।

7.7 लोकसेवा यानों की बैठक क्षमता के त्रुटिपूर्ण आकलन के कारण यानकर का कम आरोपण

सत्तावन वाहन उनकी व्हील बेस व मॉडल के अनुसार निर्धारित बैठक क्षमता से दो से लेकर छह सीट तक कम बैठक क्षमता के लिए पंजीकरण प्राधिकारियों द्वारा पंजीकृत किये गये थे। जिसके परिणाम स्वरूप ₹ 40.08 लाख के कर की कम प्राप्ति हुई।

मोटर यान नियम, 1994 के नियम 158 (3) तथा परिवहन आयुक्त द्वारा 31 मई 2005 को जारी निर्देशों के अनुसार, पंजीकरण अधिकारी द्वारा बसों की बैठक क्षमता का निर्धारण, संबंधित वाहन के व्हील बेस/मॉडल के आधार पर मोटरयान अधिनियम प्रावधानों के तहत किया जायेगा।

हमने आठ कार्यालयों⁹ में अप्रैल 2011 से मार्च 2015 की अवधि के लिए अनुज्ञापत्र जारी पंजी, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी पंजी, वाहन जमा पंजी तथा कम्प्यूटर डाटाबेस से जाँच (मई एवं अगस्त 2015 के मध्य) की और पाया कि 57 वाहनों को पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा उनके व्हील बेस और मॉडल के अनुसार निर्धारित बैठक क्षमता से कम बैठक क्षमता में पंजीकृत किया गया था। वाहनों को दो से लेकर छह सीट तक कम बैठक क्षमता के लिए पंजीकृत किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप ₹ 40.08 लाख के कम वाहन कर का आरोपण हुआ।

हमने प्रकरण, शासन तथा विभाग को दिसम्बर 2015 से अप्रैल 2016 के मध्य प्रतिवेदित किया। विभाग द्वारा एक बैठक (सितम्बर 2016) में बताया कि वसूली प्रगति पर थी।

7.8 व्यापार शुल्क का आरोपण न किया जाना

अप्रैल 2011 से मार्च 2015 के बीच पंजीकृत 32,345 दो पहिया वाहनों तथा 6,714 चार पहिया वाहनों के लिए, वाहनों के डीलरों से व्यापार शुल्क ₹ 29.60 लाख (₹ 50 प्रति दो पहिया वाहन तथा ₹ 200 प्रति वाहन अन्य वाहनों से) वसूलने में विभाग असफल रहा।

केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 34 के अनुसार, व्यापार प्रमाणपत्र दिये जाने या नवीनीकरण किये जाने के लिए आवेदन, फार्म 16 में नियम 81 में निर्दिष्ट उचित फीस (₹ 50 प्रति दो पहिया वाहन तथा ₹ 200 प्रति अन्य वाहन) के साथ किया जायेगा। परिवहन आयुक्त द्वारा नियम 81 के तहत प्रत्येक वाहन के लिए व्यापार

9 जि.प.कार्या. बड़वानी, दमोह, मंडला, नीमच तथा रतलाम

क्षे.प.कार्या. उज्जैन

जि.प.कार्या. बड़वानी, दमोह, देवास, झाबुआ, मंडला, रायसेन तथा रतलाम

प्रमाणपत्र नवीनीकरण/जारी करते समय व्यापार शुल्क आरोपण के लिए निर्देशित (जनवरी 2012) किया गया था।

हमने तीन कार्यालयों¹⁰ के वाहन पंजीकरण डाटा तथा व्यापार पंजीकरण प्रमाण-पत्र/व्यापार शुल्क पंजी के जाँच (मार्च 2015 से अक्टूबर 2015 के मध्य) में पाया कि अप्रैल 2011 से मार्च 2015 के मध्य विभिन्न पंजीकृत डीलरों द्वारा 39,059 वाहन विक्रय किये गये थे जिन पर व्यापार शुल्क ₹ 29.60 लाख का आरोपण व वसूली कराधान प्राधिकारियों द्वारा नहीं की गई।

हमने प्रकरण, शासन तथा परिवहन आयुक्त को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2015 से अप्रैल 2016 के बीच)। विभाग द्वारा एक बैठक (सितम्बर 2016) में बताया गया कि वसूली प्रगति पर थी।

7.9 विलम्ब से की गई कर की अदायगी पर शास्ति प्राप्त न होना

वाहन स्वामियों द्वारा 130 वाहनों के संबंध में वाहन कर का भुगतान एक से लेकर 81 महीने तक विलंब से किया गया था। तथापि, ₹ 13.31 लाख की शास्ति की माँग, न तो कराधान प्राधिकारियों द्वारा वाहन स्वामियों से कर के साथ की गई और न ही स्वामियों द्वारा इसका भुगतान किया गया।

अधिनियम की धारा 13 के प्रावधानों के अनुसार, यदि किसी मोटर यान के संबंध में देय कोई कर, धारा 5 में विनिर्दिष्ट नियत दिनांक को संदत्त नहीं किया गया है, तो स्वामी, देय कर के अतिरिक्त, असंदत्त रकम के चार प्रतिशत प्रति माह की दर से शास्ति के लिए भी दायी होगा जो कर की असंदत्त रकम के दुगने से अधिक नहीं होगी। कर का भुगतान प्राप्त न होने की स्थिति में, कराधान प्राधिकारी माँग पत्र जारी करेगा तथा बकाया की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भाँति करेगा।

हमने ग्यारह क्षेत्रीय/अति-क्षेत्रीय/जिला परिवहन कार्यालयों¹¹ के अभिलेखों¹² की जाँच की (मई 2015 से मार्च 2016 के मध्य) तथा पाया कि जाँच किये गये 2,638 यानों में से 130 यानों के अप्रैल 2011 से मार्च 2015 के बीच के कर का भुगतान स्वामियों द्वारा एक से लेकर 81 माह के विलम्ब से किया गया था। तथापि, ₹ 13.31 लाख की शास्ति की माँग, न तो कराधान प्राधिकारियों द्वारा कर के साथ की गई और न ही स्वामियों द्वारा इसका भुगतान किया गया।

हमने प्रकरण, शासन तथा विभाग को प्रतिवेदित किया (मई 2015 से जून 2016 के मध्य)। विभाग द्वारा एक बैठक (सितम्बर 2016) में ₹ 2.79 लाख की वसूली प्रतिवेदित की, तथा शेष प्रकरणों के बारे में विभाग ने बताया कि संबंधित कार्यालयों से जानकारी प्रतीक्षित थी।

¹⁰ जि.प.कार्या. दमोह, रायसेन तथा रतलाम

¹¹ क्षे.प.कार्या. सागर, रीवा तथा उज्जैन

स.क्षे.प.कार्या. सतना

जि.प.कार्या. बडवानी, दमोह, झाबुआ, मंडला, पन्ना, रायसेन तथा रतलाम

¹² माँग व वसूली पंजी, अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी पंजी, साथ ही कम्प्यूटर डाटा बेस

अध्याय – 8
भू-राजस्व

अध्याय 8

भू-राजस्व




8.1 कर प्रशासन

शासन स्तर पर प्रमुख सचिव राजस्व विभाग का प्रमुख होता है। प्रमुख राजस्व आयुक्त विभाग प्रमुख होता है जिसकी सहायता के लिए आयुक्त, बंदोबस्त एवं भू-अभिलेख होता है। संभागीय आयुक्त, संभाग में सम्मिलित जिलों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक जिले में विभाग की गतिविधियों पर कलेक्टर का प्रशासनिक नियंत्रण होता है। जिले के उप-संभाग के प्रभार हेतु एक या अधिक सहायक कलेक्टर या संयुक्त कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर की पदस्थापना करने का दायित्व जिला कलेक्टर का होता है। उप-संभाग के प्रभार में इस प्रकार पदस्थापित अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी कहलाते हैं। वे कलेक्टर की उन शक्तियों का उपयोग करते हैं जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निर्देशित की जाये। राजस्व अभिलेख एवं बंदोबस्त के संधारण हेतु कलेक्टर कार्यालय में अधीक्षक/सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख (एस.एल.आर./ए.एस.एल.आर) की पदस्थापना की जाती है। तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार को तहसीलों में राजस्व विभाग के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जाता है। राज्य में 10 राजस्व संभाग (जिनमें प्रत्येक का प्रमुख आयुक्त होता है), 50 जिले (जिनमें प्रत्येक का प्रमुख कलेक्टर होता है) तथा 341 तहसीलें हैं।

विभाग की संगठनात्मक संरचना निम्नानुसार है:

चार्ट 8.1 संगठनात्मक संरचना



सभी भूमि, चाहे किसी भी उद्देश्य के लिए अथवा किसी भी स्थान पर स्थित हो, राज्य शासन को राजस्व भुगतान के लिए दायित्वाधीन है। केवल वे भूमि राजस्व भुगतान के दायित्व से पूर्णतः मुक्त होंगी जिन्हें राज्य शासन द्वारा किसी नियम के प्रावधानों अथवा समय-समय पर प्रचलित नियमों के तहत मुक्त रखा गया हो। शासन को भूमि के लिए भुगतान योग्य सभी धन राशियां, चाहे वह धन राशियां प्रीमियम या लगान के रूप में वर्णित हों, भू-राजस्व कहलाती हैं। जब कृषि भूमि आवासीय/वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए व्यपवर्तित की जाती है तब अनुविभागीय अधिकारी द्वारा व्यपवर्तित की गई भूमि पर प्रीमियम एवं व्यपवर्तन लगान का निर्धारण किया जाता है। राज्य में स्थायी अथवा अस्थायी पट्टे के रूप में आवंटित की जाने वाली नजूल¹/शासकीय भूमि पर भू-भाटक, प्रीमियम तथा ब्याज का आरोपण किया जाता है। पंचायत क्षेत्र में स्थित भूमि पर आरोपणीय भू-राजस्व पर पंचायत उपकर भी आरोपित किया जाता है। पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा-74 के अनुसार ग्राम पंचायत क्षेत्र में व्यपवर्तन लगान

¹ नजूल भूमि वह शासकीय भूमि है जिस पर निर्माण या जनोपयोगी उद्देश्यों जैसे बाजार और मनोरंजन स्थल आदि का उपयोग किया जाता है।

एवं प्रीमियम पर उपकर का भी आरोपण किया जाता है। मध्यप्रदेश शासन के अन्तर्गत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग इस राशि का प्रशासक एवं उपयोगकर्ता है। इस निधि का उपयोग पंचायतों के विकास कार्यों के लिये किया जाता है। वर्ष 2011-12 से 2015-16 के मध्य राजस्व विभाग ने पंचायत उपकर के रूप में ₹ 69.40 करोड़ का संग्रहण किया।

भू-राजस्व प्राप्तियों का विनियमन निम्नलिखित अधिनियमों तथा नियमों के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं के अनुसार किया जाता है:

- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (एम.पी.एल.आर.सी), 1959;
- मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम (एम.पी.पी.आर.ए.), 1993;
- मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, 1982;
- मध्यप्रदेश लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम (एम.पी.एल.ए.), 1987; एवं
- राजस्व पुस्तक परिपत्र (आर.बी.सी.)

8.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने हेतु एक महत्वपूर्ण कार्य प्रणाली है कि विभागीय क्रिया-कलाप, लागू कानूनों, विनियमों तथा अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार मितव्ययता एवं निपुणता के साथ प्रभावी तरीके से कार्यान्वित किये जाते हैं, अधीनस्थ कार्यालय विभिन्न अभिलेख पंजियाँ/लेखापुस्तकों का संधारण उचित रीति व परिशुद्धता से कर रहे हैं और राजस्व का संग्रहण न होने/कम संग्रहण या अपवंचन की रोकथाम के लिए समुचित रक्षोपाय किये जा रहे हैं।

अगस्त 2016 में विभाग ने बताया कि आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा (आई.ए.डब्ल्यू.) वर्तमान में गठित नहीं है। हालांकि, आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना का प्रस्ताव प्रशासन विभाग को प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेजा जा चुका है।

आंतरिक लेखापरीक्षा के अभाव में वर्ष दर वर्ष कई अनियमितताएं नियमित रूप से जारी हैं एवं अधिकारी मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता के कुछ प्रावधानों पर अलग-अलग दृष्टिकोण अपना रहे हैं।

8.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

हमने वर्ष 2015-16 में 384 भू-राजस्व की इकाइयों में से 79 इकाइयों (26 कलेक्ट्रेट एवं 53 तहसील कार्यालयों) के अभिलेखों की नमूना जांच की तथा कुल 56,832 प्रकरणों में ₹ 625.73 करोड़ के राजस्व के कम निर्धारण तथा अन्य अनियमितताएं अंतर्निहित हैं, जिन्हें तालिका 8.1 में दर्शायी गई विभिन्न श्रेणियों में रखा जा सकता है:

तालिका 8.1


लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)			
क्र. सं.	श्रेणियां	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	गलत दरों के कारण प्रीमियम एवं भू-भाटक की हानि	167	5.67
2.	नजूल भूमि पट्टों का नवीनीकरण	10,543	6.80
3.	व्यपवर्तन लगान एवं प्रीमियम का कम निर्धारण	912	5.80
4.	व्यपवर्तन लगान, प्रीमियम एवं शास्ति की मांग सृजित न करना	4,520	13.81

क्र. सं.	श्रेणियां	प्रकरणों की संख्या	राशि
5.	प्रक्रिया व्यय का अनारोपण एवं वसूली न होना	3,296	12.30
6.	राजस्व वसूली प्रमाणपत्रों का पंजीयन न होना	55	21.98
7.	अन्य प्रेक्षण (भू-राजस्व के बकाया की वसूली प्रक्रिया का प्रारम्भ न किया जाना, राजस्व वसूली प्रमाणपत्रों के विरुद्ध वसूली प्रभावी नहीं होना एवं फार्म बी-7 में चूककर्ताओं की सूची संघारित न किया जाना।	37,339	559.37
योग		56,832	625.73

चार्ट 8.2

लेखापरीक्षा के परिणाम (56,832 प्रकरणों में ₹ 625.73 करोड़ की राशि अंतर्निहित है)



लेखापरीक्षा में उठायी गयी आपत्तियां विभाग एवं शासन को अग्रषित की गई थीं। विभाग ने लेखापरीक्षा में उठाए गए 10,194 प्रकरणों में ₹ 167.27 करोड़ राशि से संबंधित कम निर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं संबंधी आपत्तियां स्वीकार की जिन्हें वर्ष 2015-16 की लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था एवं विभाग द्वारा 6,308 प्रकरणों में ₹ 70 लाख की वसूली की गई।

विभाग द्वारा सितम्बर 2016 में हुई बैठक के दौरान दिये गये उत्तरों को संबंधित कंडिकाओं में शामिल किया गया है।

शासकीय राजस्व की हानि से संबंधित ₹ 3.86 करोड़ के कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों का उल्लेख निम्नलिखित कंडिकाओं में किया गया है :

8.4 व्यपवर्तन लगान एवं प्रीमियम पर पंचायत उपकर का अनारोपण

ग्राम पंचायत क्षेत्रों में स्थित भूमि के व्यपवर्तन से सम्बंधित 473 प्रकरणों में कलेक्टर एवं तहसील कार्यालयों द्वारा व्यपवर्तन लगान एवं प्रीमियम पर पंचायत के उपकर की मांग एवं आरोपण नहीं किये जाने के कारण शासन को ₹ 2.48 करोड़ के राजस्व से वंचित होना पड़ा।

पंचायत राज अधिनियम, 1993 के अनुसार पंचायत उपकर, प्रत्येक राजस्व वर्ष में प्रत्येक भूमि धारक एवं शासकीय भूमि पट्टाधारी, जिसकी भूमि ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित है, के ऐसे प्रत्येक भू-भाग पर निर्धारित भू-राजस्व अथवा/एवं भू-भाटक के प्रत्येक रूपये पर 50 पैसे की दर से आरोपित किया जायेगा। उपकर भू-राजस्व अथवा/एवं भू-भाटक के अतिरिक्त आरोपणीय होता है। मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा-58(2) के अनुसार प्रीमियम भू-राजस्व की परिभाषा में शामिल है अतः पंचायत उपकर प्रीमियम एवं लगान (भू-भाटक) पर भी आरोपणीय है।

हमने जुलाई 2015 से अप्रैल 2016 के मध्य नौ कलेक्टर² एवं 12 तहसील कार्यालयों³ के व्यपवर्तन प्रकरणों की नमूना जांच के दौरान अवलोकित किया कि वर्ष 2009-10 से 2015-16 के मध्य जांचे गये 1040 प्रकरणों में से व्यपवर्तित भूमि के 473 प्रकरणों में ₹ 2.48 करोड़ के पंचायत उपकर का आरोपण, व्यपवर्तन, लगान एवं प्रीमियम पर नहीं किया गया जबकि, यह भूमि ग्राम पंचायत क्षेत्र में ही स्थित थी।

तहसीलदार, रतलाम (नवम्बर 2015) एवं शाहपुरा (मार्च 2016) लेखापरीक्षा की आपत्ति से सहमत नहीं थे और उन्होंने बताया कि प्रीमियम पर पंचायत उपकर की वसूली हेतु कोई प्रावधान नहीं है। कलेक्टर अनूपपुर ने (अप्रैल 2016) बताया कि पंचायत उपकर का निर्धारण कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा जबकि, शेष कार्यालयों के कलेक्टरों एवं तहसीलदारों ने (जुलाई 2015 से मार्च 2016 के मध्य) बताया कि पंचायत उपकर का निर्धारण एवं वसूली सत्यापन के उपरांत की जाएगी।

तहसीलदार, रतलाम एवं शाहपुरा के उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता अधिनियम 58(2) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि, प्रीमियम भू-राजस्व की परिभाषा में शामिल है अतः पंचायत उपकर प्रीमियम पर भी आरोपणीय है।

हमने प्रकरण विभाग एवं शासन को मई 2016 एवं जून 2016 में प्रतिवेदित किया। विभाग ने बैठक (सितम्बर 2016) के दौरान उत्तर में बताया कि प्रीमियम एवं भू-भाटक पर आरोपणीय पंचायत उपकर के संबंध से शासन से निर्देश प्राप्त किए जाएंगे।

8.5 प्रक्रिया व्यय की वसूली न होना

विभाग द्वारा अवधि 2007-08 से 2015-16 के मध्य राजस्व वसूली प्रमाणपत्रों के विरुद्ध वसूली गयी राशि ₹ 40.22 करोड़ पर प्रक्रिया व्यय ₹ 1.14 करोड़ की वसूली नहीं की गई।

मध्यप्रदेश लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम, 1987 (एम.पी.एल.ए.) एवं मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (एम.पी.एल.आर.सी.) में यह प्रावधान है कि वसूली अधिकारी राजस्व वसूली प्रमाणपत्र की प्राप्ति के पश्चात् राजस्व प्रकरण, राजस्व वसूली प्रमाणपत्र रजिस्टर में दर्ज करेंगे एवं तत्संबंधी मांग 15 दिवस में जारी करेंगे। मांग पत्र में मुख्य राशि के साथ प्रक्रिया राशि तथा अनुबंध में उल्लेखित दर के अनुसार देय राशि पर, वसूली की तिथि तक का ब्याज भी शामिल किया जाएगा। राजस्व वसूली

2 आगर मालवा, अनुपपुर, अशोक नगर, बुरहानपुर, छतरपुर, देवास जबलपुर रायसेन और सागर

3 आष्टा (सीहोर), अशोक नगर, भानपुरा, (मन्दसौर), देवास, कसरावद, हुजूर (भोपाल) लवकुश नगर (छतरपुर), रतलाम, सांवेर (इन्दौर), शाहपुरा (डिण्डौरी), उज्जैन, विजयपुर

प्रमाणपत्रों के प्रकरणों में अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाए गये नियमों के अनुसार, मूल राशि पर तीन प्रतिशत की दर से प्रक्रिया व्यय भी आरोपणीय है।

उपरोक्त अधिनियम के तहत बनाये गये नियम के अनुसार समस्त वसूली को, जो उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभावी हो, वसूली पंजी के फार्म-11 में दर्ज किया जाना चाहिए जिसमें व्यक्ति का विवरण, वसूली प्रमाणपत्र में दर्शायी गई वसूली की राशि, वसूला गया प्रक्रिया व्यय तथा कुल वसूल की गई राशि दिनांक सहित संधारित किया जाना चाहिए। संबंधित बैंकों की शाखाओं द्वारा मासिक विवरण, प्रपत्र-4 में अग्रेषित किया जाना चाहिए जिसमें विभाग द्वारा वसूली गई आर.आर.सी. के विरुद्ध पक्षकार द्वारा शाखा में सीधे जमा राशि एवं कोषालय में जमा की गई प्रक्रिया व्यय की राशि का विवरण दर्ज किया जाना चाहिए।

हमने (अप्रैल 2015 से जुलाई 2016 के मध्य) चार कलेक्टर कार्यालयों⁴ एवं 17 तहसील कार्यालयों⁵ के वसूली के विवरणों (वसूली पत्रकों) की नमूना जांच में पाया कि अवधि 2007-08 से 2015-16 तक वसूली गई आर.आर.सी की राशि ₹ 40.22 करोड़ के विरुद्ध ₹ 1.14 करोड़ प्रक्रिया व्यय वसूलनीय था। तथापि आर.आर.सी. एवं प्रक्रिया व्यय की वसूली गई राशि की निगरानी हेतु निर्धारित प्रणाली का अनुसरण न करने एवं तहसील कार्यालयों द्वारा निर्धारित पंजियां संधारित न किये जाने के कारण राशि, वसूली हेतु शेष रही। बैंकों की संबंधित शाखाओं द्वारा प्रपत्र-4 में मासिक विवरण भी प्रस्तुत नहीं किये गये। इस तरह राशि ₹ 1.14 करोड़ की प्रक्रिया व्यय की राशि वसूली की निगरानी हेतु निर्धारित प्रणाली के अभाव में वसूल नहीं हो सकी। (परिशिष्ट-XXIII)

हमने मई 2015 एवं जुलाई 2016 के मध्य प्रकरणों को शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित किया। कलेक्टर शिवपुरी ने बताया (सितम्बर 2016) कि ₹ 7.32 लाख की बकाया प्रक्रिया व्यय की राशि में से ₹ 2.87 लाख की वसूली की जा चुकी है। विभाग ने बताया (सितम्बर 2016) कि बैंकों को प्रक्रिया व्यय जमा करने हेतु मांग पत्र जारी किये जा चुके हैं।

8.6 व्यपवर्तित लगान एवं प्रीमियम का कम निर्धारण

त्रुटिपूर्ण दरों के कारण 31 प्रकरणों में राशि ₹ 23.98 लाख के व्यपवर्तित लगान एवं प्रीमियम का कम निर्धारण किया गया।

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा-59 एवं 172 के अन्तर्गत यदि एक प्रयोजन के लिए निर्धारित भूमि किसी अन्य प्रयोजन हेतु व्यपवर्तित की जाती है तो ऐसी भूमि पर देय भू-राजस्व (प्रीमियम एवं व्यपवर्तित लगान) ऐसे व्यपवर्तन के दिनांक से विभाग/शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर व्यपवर्तन के उद्देश्य के अनुसार संशोधित एवं पुनः निर्धारित किया जायेगा।

हमने दो कलेक्टर कार्यालयों (छिन्दवाड़ा एवं रतलाम) एवं चार तहसील कार्यालयों (अलीराजपुर, डबरा, पिपरिया एवं कुरवई) की नमूना जांच में पाया (मई 2015 एवं जनवरी 2016 के मध्य) कि इन इकाईयों में व्यपवर्तन के कुल 296 प्रकरणों में से निर्धारित किये गये 31 प्रकरणों (अप्रैल 2014 से नवम्बर 2015 के मध्य) में व्यपवर्तित लगान एवं प्रीमियम का कम निर्धारण किया गया। कम निर्धारण मुख्यतः करों की पुरानी दरों को लागू करने के कारण हुआ। जिसके परिणामस्वरूप 2013-14 से 2014-15 की अवधि के दौरान ₹ 4.62 लाख का व्यपवर्तित लगान एवं ₹ 19.36 लाख के प्रीमियम की कम वसूली हुई जिसे परिशिष्ट-XXIV में दर्शाया गया है।

⁴ आगर मालवा, डिण्डौरी, रायसेन और रतलाम

⁵ अशोक नगर, बैतूल, भानपुरा, देवास, गुलाना, गुना, मन्दासौर, मोमन बडौंदिया, नीमच, निवारी, पन्ना, पानसेमल, पथरिया, शिवपुरी, शुजालपुर, सोनकच्छ और सुवासरा

हमने अप्रैल 2016 से मई 2016 के मध्य प्रकरण शासन एवं विभाग को सूचित किये। विभाग द्वारा बताया गया (सितम्बर 2016) कि संबंधित इकाईयों से विस्तृत उत्तर प्राप्त कर पृथक से प्रस्तुत किये जाएंगे।

भोपाल
दिनांक: 21 दिसम्बर 2016



(दीपक कपूर)

महालेखाकार

(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा)

मध्यप्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 23 दिसम्बर 2016



(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I
(कंडिका 2.4.32 के संदर्भ में)
लाभार्थी सर्वेक्षण प्रश्नावली

कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्यप्रदेश भोपाल

विषय: ई-पंजीयन प्रक्रिया के संबंध में सर्वे।

मध्यप्रदेश राज्य में ई-पंजीयन के माध्यम से विलेखों के ऑन लाइन पंजीयन की सुविधा दिसम्बर 2014/अगस्त 2015 से पूरे राज्य में प्रारंभ कर दी गई है। जिससे नागरिक अपने विलेखों के पंजीयन कार्य को सुगमता से पूर्ण कर सकें। उक्त संबंध में आम जनता/सर्विस प्रोवाइडर से निम्न जानकारी वांछित है –

नागरिकों के लिये

1. क्या आपको विलेखों के ऑन लाइन पंजीयन की प्रक्रिया की जानकारी है ? – हां/नहीं
2. क्या इस नई प्रक्रिया में आपको असुविधा हो रही है ? – हां/नहीं
3. क्या इस नई प्रक्रिया में पंजीयन के दौरान आपको पंजीयन कार्यालय में पूर्ण सहायता, सुविधा तथा सहयोग प्राप्त हो रहा है ? – हां/नहीं
4. क्या पंजीयन फीस नगद जमा करने हेतु कोई बाध्यता है ? – हां/नहीं
5. क्या आपने नई प्रणाली में किसी अभिलेख को ऑनलाईन पंजीकृत किया है ? पंजीयन प्रक्रिया कितने समय में पूर्ण हुई एवं पूर्ण होने के बाद कितने समय में दस्तावेज प्राप्त हुए ? – हां/नहीं
6. क्या आप विलेखों के ऑन लाइन पंजीयन की सुविधा से संतुष्ट हैं ? – हां/नहीं
7. अन्य कोई टीप जो आवश्यक हो ?

नाम एवं हस्ताक्षर

सर्विस प्रोवाइडर के लिये

1. क्या आप ई-पंजीयन प्रक्रिया से संतुष्ट हैं ? – हां/नहीं
2. क्या आपके द्वारा दर्ज शिकायतों का निवारण शीघ्र किया गया है ? – हां/नहीं
3. क्या आप बी एम सी टिकटिंग टूल सिस्टम से संतुष्ट हैं ? – हां/नहीं
4. अन्य कोई प्रकरण/शिकायत जिनका निराकरण न हुआ हो ? – हां/नहीं
5. क्या आपको क्रेडिट लिमिट संबंधी कोई शिकायत है ? – हां/नहीं
6. अन्य कोई टीप जो आवश्यक हो ?

**नाम
एवं हस्ताक्षर**

परिशिष्ट-II
(कंडिका 2.4.32 के संदर्भ में)
लाभार्थी सर्वेक्षण – सारांश

क्र. स.	जिलों का नाम जहां लाभार्थी सर्वेक्षण किया गया	वितरित फार्मों की संख्या	कुल वापस प्राप्त फार्म	नकारात्मक प्रतिक्रिया की प्राप्ति		
				सेवाप्रदाता	नागरिक	कुल नकारात्मक प्रतिक्रिया
1	बुरहानपुर	10	3	2	.	2
2	शाजापुर	15	4	2	.	2
3	ग्वालियर	30	10	4	1	5
4	देवास	30	20	6	5	11
5	इंदौर	35	18	2	7	9
6	भोपाल	35	28	5	7	12
7	सीहोर	15	18	5	4	9
8	धार	15	14	4	3	7
9	उज्जैन	15	14	4	4	8
10	जबलपुर	30	12	2	5	7
11	टीकमगढ़	10	1	1	0	1
कुल		240	142	37	36	73

परिशिष्ट – III
(कंडिका 2.12 के संदर्भ में)
विलेखों के गलत वर्गीकरण से मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन का कम आरोपण

(राशि ₹ में)

क्र. स.	लेखापरीक्षा इकाई का नाम एवं अवधि	अनियमितता की प्रकृति	विलेखों की कुल संख्या	पंजीकृत मूल्य / गाईडलाइन के अनुसार मूल्य	आरोपणीय मुद्रांक शुल्क / पंजीयन फीस	आरोपित मुद्रांक शुल्क / पंजीयन फीस	अंतर मुद्रांक शुल्क / पंजीयन फीस	कुल राशि
1	उप पंजीयक जबलपुर-1 04/14 से 03/15	दान-पत्र को विभाजन विलेख माना गया	1	<u>10267000</u> 10266900	<u>474845</u> 82140	<u>256700</u> 82140	<u>218145</u> -	2.18 लाख
2	उप पंजीयक जबलपुर-2 04/14 से 03/15	हस्तांतरण पत्र को मोचन विलेख माना गया	1	<u>7100000</u> 7100000	<u>355000</u> 56975	<u>71000</u> 56975	<u>284000</u> -	2.84 लाख
3	उप पंजीयक ग्वालियर-1 4/14 से 3/15	विभिन्न प्रकार के विलेखों को एक ही श्रेणी का माना गया	1	-- -- -- -- 23149628	<u>1157581</u> 185442	<u>100</u> 100	<u>1157481</u> 185342	13.43 लाख
4	उप पंजीयक इन्दौर-4 4/14 से 3/15	दान-पत्र को मोचन विलेख माना गया	1	<u>2405000</u> 2405000	<u>171356</u> -	<u>96200</u> -	<u>75156</u> -	0.75 लाख
5	उप पंजीयक बड़वानी 4/12 से 3/15	दान-पत्र को विभाजन विलेख माना गया	1	<u>9948000</u> 9948000	<u>708795</u> 79585	<u>454000</u> 79585	<u>254795</u> -	2.55 लाख
6	उप पंजीयक शहडोल 03/14 से 03/15	दान-पत्र को विभाजन विलेख माना गया	2	<u>11633000</u> 15411960	<u>1010211</u> 123615	<u>291000</u> 93070	<u>719211</u> 30545	7.50 लाख
7	उप पंजीयक शाजापुर 4/13 से 3/15	दान-पत्र को विभाजन विलेख माना गया	1	<u>6966000</u> 6966000	<u>337416</u> 34830	<u>248170</u> 34830	<u>89246</u> -	0.89 लाख
योग			8	<u>48319000</u> 75247488	<u>4215204</u> 562587	<u>1417170</u> 346700	<u>2798034</u> 215887	30.14 लाख

परिशिष्ट-IV

(कंडिका 2.15 के संदर्भ में)

खनिज पट्टों के नवीनीकरण में बाजार मूल्य से कम मूल्यांकन के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण

(राशि ₹ में)

ग्रंथ/दस्तावेज क्रमांक व दिनांक	पट्टादाता/पट्टाधारी	पट्टा की अवधि	भूमि का वर्णन	गाईडलाइन के अनुसार पंजीकृत मूल्य	आरोपणीय मुद्रांक शुल्क/पंजीयन फीस	आरोपित मुद्रांक शुल्क/पंजीयन फीस	मुद्रांक शुल्क/पंजीयन फीस की कमी
2644 / 137 / 28.04.15	कलेक्टर (खनन) पन्ना/एन एम डी सी लिमिटेड, हीरा उत्खनन परियोजना, पन्ना	15.07.05 से 14.07.2025 (20 वर्ष)	ग्राम मझगवां, तहसील पन्ना क्षेत्रफल 29.546 हेक्टेयर एवं ग्राम हिनौता तहसील पन्ना क्षेत्रफल 83.834 हेक्टेयर कुल भूमि क्षेत्रफल 113.38 हेक्टेयर कलेक्टर गाईडलाइन 2014-15 के अनुसार	7,64,99,100 9,82,36,123	39,29,445 29,47,084	30,59,964 22,94,973	8,69,481 6,52,111
दस्तावेज प्रस्तुति दि. 25.03.15	पट्टा करार निष्पादन तिथि 31.01.2015		सिंचित भूमि की दर 450000 प्रति हेक्टेयर ग्राम मझगवां (29.546 x 450000 x 1.5 = 1,99,43,550) और सिंचित भूमि की दर 622600 प्रति हेक्टेयर ग्राम हिनौता (83.834 x 622600 x 1.5 = 7,82,92,573) योग 19943550 + 78292573 = 9,82,36,123				
						योग	15,21,592 अर्थात् 15,22 लाख

परिशिष्ट-V
(कंडिका 3.3.7.3 के संदर्भ में)
मध्यप्रदेश वैट अधिनियम की धारा 57 के अर्न्तगत शास्ति की त्रुटिपूर्ण छूट

(₹ लाख में)

क्र. स.	अपीलीय प्राधिकारी का विवरण	परिवहनकर्ता का नाम/वाहन क्रमांक	अपील प्रकरण क्रमांक/अपील आदेश का दिनांक	छूट दी गयी शास्ति की राशि	लेखारीक्षा आपत्ति	अपीलीय प्राधिकारी का उत्तर/लेखापरीक्षा टिप्पणी
1.	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर) जबलपुर	मेसर्स डोरसेल लाजिस्टिक/यू.पी. 71बी.-5514	721 / 12 04.05.13	4.70	कर निर्धारण प्राधिकारी ने शास्ति का सही निरूपण किया गया था क्योंकि प्रपत्र-49 जो कि चैकपोस्ट से पास किया गया था वाहन के साथ नहीं पाया गया। अपीलीय प्राधिकारी ने अपूर्ण प्रपत्र के आधार पर शास्ति की छूट दे दी।	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि विभागीय पोर्टल से डाउनलोड किये गये प्रपत्र-49 को चैकपोस्ट से पास करवाने की आवश्यकता नहीं है और अधिनियम की धारा 57(8) के स्पष्टीकरण के अधीन छूटप्रदाय की गई है। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि प्रपत्र-49 पूर्ण रूप से डाउनलोड नहीं था तथा उचित रूप से इलेक्ट्रानिकली भरा हुआ नहीं था और चैक पोस्ट से पास नहीं किया गया था।
2.	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर) जबलपुर	मेसर्स एस.के. कारगो/एम.पी. 28 बी-2055	277 / 13 28.05.13	4.39	कर निर्धारण प्राधिकारी ने शास्ति का सही निरूपण किया गया था क्योंकि प्रपत्र-49 जो कि चैकपोस्ट से पास किया गया था वाहन के साथ नहीं पाया गया। अपीलीय प्राधिकारी ने अपूर्ण प्रपत्र के आधार पर शास्ति की छूट दे दी।	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि विभागीय पोर्टल से डाउनलोड किये गये प्रपत्र-49 को चैकपोस्ट से पास करवाने की आवश्यकता नहीं है और अधिनियम की धारा 57 (8) के स्पष्टीकरण के अधीन छूट प्रदान की गई है। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि प्रपत्र-49 पूर्ण रूप से डाउनलोड नहीं था तथा उचित रूप से इलेक्ट्रानिकली भरा हुआ नहीं था और चैक पोस्ट से पास नहीं किया गया था।

3.	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर) ग्वालियर	मेसर्स सीटीओ कैरियर लिमिटेड दिल्ली / एम.पी. 15 / एम.ए. / 1001	687 / 2011 04.11.11	5.61	कर निर्धारण प्राधिकारी ने शास्ति का सही निरूपण किया गया था क्योंकि प्रपत्र-49 जो कि चेकपोस्ट से पास किया गया था वाहन के साथ नहीं पाया गया। अपीलीय प्राधिकारी ने अपूर्ण प्रपत्र के आधार पर शास्ति की छूट दे दी।	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि प्रकरण नस्ती में पाये गये तथ्यों तथा आंकड़ों के सत्यापन के पश्चात् छूट स्वीकार की गई। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि प्रपत्र-49 पूर्ण रूप से डाउनलोड नहीं था तथा उचित रूप से इलेक्ट्रानिकली भरा हुआ नहीं था और चेक पोस्ट से पास नहीं किया गया था।
4.	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर) ग्वालियर	मेसर्स घुरैया फ्रैंट कैरियर मुरैना एम. पी. 06 एच.सी. 0276	441 / 11 22.08.12	3.76	कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा संदिग्ध देयक में दर्शाये गये क्रेता के क्रय से इनकार करने के आधार पर शास्ति का सही निरूपण किया गया था। अपीलीय प्राधिकारी ने उपरोक्त देयक के आधार पर शास्ति की छूट दे दी।	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि प्रकरण नस्ती में पाये गये तथ्यों तथा आंकड़ों के सत्यापन के पश्चात् छूट स्वीकार की गई। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि अपीलीय प्राधिकारी ने वास्तविक क्रेता या विक्रेता के सत्यापन के बिना अपील आदेश पारित किया, बीजक भी संदिग्ध था।
5.	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर) इंदौर-तीन	मेसर्स सिद्धिविनायक लाजिस्टिक लिमिटेड कोलकाता वाहन क्रमांक एन.एल. 01के. / 8638 एन.एल.01के. / 8636 एन.एल.01के. / 8635 एन.एल.01के. / 8541 2012-13	147 / 13 प्र.क. 153 / 13 वेट 146 / 13 प्र.क. 150 / 13 वेट 152 / 13 प्र.क. 151 / 13 वेट 148 / 13 वेट 149 / 13 प्र.क. 05.03.14	6.24 6.20 6.24 5.93	अपीलकर्ता द्वारा अपील में यह तक्र दिया गया कि उसकी कर अपवंचन की मंशा नहीं थी एवं तकनीकी / लिपिकीय त्रुटि के आधार पर जुर्माना लगाया है। अपीलकर्ता ने यह भी बताया कि प्रेषक एवं प्रेषितीय एक ही है और फर्म द्वारा अमिश्रित चाय का अन्तरण गुवाहाटी से किया गया और चाय के मिश्रण तथा पैकिंग के बाद मध्यप्रदेश में और राज्य के बाहर विक्रय किया गया एवं अपीलीय प्राधिकारी ने अपीलकर्ता के पक्ष में अपील यह विचार करते हुये स्वीकार की कि प्रस्तुत किया गया प्रपत्र-49 नया था और उसी प्रविष्टि के साथ प्रपत्र-49 का दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता है तथा यह केवल लिपिकीय त्रुटि है। यद्यपि जांच चौकी अधिकारी ने परिवहन कर्ता पर नकली	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर (मई 2016) में बताया कि तथ्यों के सत्यापन के पश्चात् कार्यवाही से अवगत कराया जायेगा। पुनः उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

					प्रपत्र-49 (उपयोग किया गया, अधूरा डाउनलोड और जोड़-तोड़ किये हुये प्रपत्र) जो चार वाहन मध्यप्रदेश में अमिशीत चाय के परिवहन के लिये प्रवेश करने और वाहनों के जब्त करने 12 दिनों के बाद संबंधित प्रपत्र-49 डाउनलोड किये जाने के आधार पर शास्ति का सही अधिरोपण किया गया। इसलिये परिवहनकर्ता के कर अपवंचन की मंशा स्पष्ट रूप से सिद्ध होती है।	
6.	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर) इंदौर-तीन	मेसर्स डेक्कन सेल्स एण्ड कारपोरेशन सर्विस प्रा. लि. ट्रांसपोर्ट मेसर्स एसोसिएट रोड कैरियर जी. एच. 01 सी.यू. 9463	407 / 13 408 / 13 23.09.14	4.48	अपीलकर्ता द्वारा अपील में यह तर्क दिया गया कि उसकी कर अपवंचन की मंशा नहीं थी एवं तकनीकी/लिपिकीय त्रुटि के आधार पर जुर्माना लगाया है। अपीलकर्ता ने यह भी बताया कि उसने एक प्रपत्र-49 डाउनलोड किया था जिसे कर्मचारी की गलती के कारण दो व्यापारियों को उक्त प्रपत्र-49 मेल कर दिया गया। प्रथम चेकपोस्ट अधिकारी की लापरवाही से वाहन क्रमांक जी. एच. 01 सी.यू. 9463 से संबंधित प्रपत्र-49 पास कर दिया गया। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील स्वीकार कर छूट प्रदान की गई। व्यापारी की मंशा संदिग्ध था क्योंकि उसने केवल एक अधूरा प्रपत्र-49 डाउनलोड किया और दो व्यवहारों में उसका उपयोग किया और प्रथम बार उपयोग किया प्रपत्र-49 अपील नस्ती में सत्यापन हेतु संलग्न नहीं पाया गया।	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि तथ्यों के सत्यापन के पश्चात् कार्यवाही से अवगत कराया जायेगा। पुनः उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।
7.	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर) इंदौर-तीन	मेसर्स आवागमन रोड कैरियर लि. मेसर्स समबायड फार्मा लैब लि. जी. जे. 01 बी. वाय. 5236	690 / 14 वेट 689 / 14 प्र.क. 24. 02.15	27.81	अपीलकर्ता द्वारा अपील में यह तर्क दिया गया कि उसकी कर अपवंचन की मंशा नहीं थी क्योंकि उसके द्वारा पूंजीगत सामग्री का आयात स्थापना के लिये किया जा रहा था न कि विक्रय के लिये किया जा रहा था। वाहन जप्त किये जाने के पश्चात् उसके द्वारा प्रपत्र-49 भी प्रस्तुत किया गया। अपीलीय प्राधिकारी ने अपील	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि धारा 57(2) "स्पष्टीकरण उपबंध" के अनुसार कर अपवंचन की मंशा नहीं थी क्योंकि सामग्री मध्यप्रदेश में विक्रय नहीं हुआ था, इसलिये शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती है।

					स्वीकार की और शास्ति से छूट प्रदान की। यद्यपि चेकपोस्ट अधिकारी ने अनिवार्य प्रपत्र-49 प्रस्तुत नहीं करने के कारण, परिवहनकर्ता के कर अपवंचन की मंशा प्रमाणित होने के आधार पर परिवहनकर्ता पर शास्ति सही निरूपित की थी।	हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि व्यापारी सभी प्रावधानों को अच्छी तरह से जानता था और प्रपत्र-49 के डाउनलोड की सुविधा के बाद भी उसके द्वारा प्रपत्र को डाउनलोड नहीं किया गया। प्रपत्र-49 नहीं होने से उपरोक्त आयातित सामग्री लेखा पुस्तकों से आलिखित रहने की संभावना थी तथा कर बचाने के उद्देश्य से क्रय को छुपाया गया था। अतः व्यापारी की कर अपवंचन की मंशा प्रमाणित होती है।
8.	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर) इंदौर-तीन	मेसर्स हरियाणा दिल्ली रोड विगस, इन्दौर वाहन क्रमांक एम.पी.09 एच.पी. 3499	59/14वेट 60/ प्र.क.	8.09	अपीलकर्ता द्वारा अपील में यह वर्णित किया गया कि उसकी कर अपवंचन की मंशा नहीं थी क्योंकि उसके द्वारा गुजरात से मध्यप्रदेश के लिये विक्रय वापसी के सामग्री का अन्य सभी वैधानिक अभिलेखों के साथ परिवहन किया जा रहा था वाहन जप्त होने के बाद उसने प्रपत्र-49 भी प्रस्तुत कर दिया था। अपीलीय प्राधिकारी ने अपील स्वीकार कर छूट प्रदाय की गई। व्यापारी की मंशा संदिग्ध थी क्योंकि उसने वाहन जप्त किये जाने के बाद प्रपत्र-49 डाउनलोड कर प्रस्तुत किया था।	अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उत्तर में बताया गया कि अधिनियम की धारा 57(2) के "स्पष्टीकरण उपबंध" के अनुसार कर अपवंचन की मंशा नहीं थी क्योंकि सामग्री मध्यप्रदेश में विक्रय के लिये नहीं था, इसलिये शास्ति अधिरोपित नहीं की गई। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि व्यापारी सभी प्रावधानों को अच्छी तरह से जानता था और प्रपत्र-49 के डाउनलोड की सुविधा के बाद भी उसके द्वारा प्रपत्र को डाउनलोड नहीं किया गया। अतः यह प्रमाणित होता है कि व्यापारी की कर अपवंचन की मंशा थी।
9.	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर) सतना	मेसर्स रिट्विक प्रोजेक्ट प्रा. लि. एच.आर. 35 ई 7879	268/15 31.10.2015	9.38	अपीलकर्ता द्वारा अपील में यह तर्क दिया गया कि उसकी कर अपवंचन की मंशा नहीं थी क्योंकि वह उत्तरप्रदेश से मध्यप्रदेश में सिविल निर्माण ठेके के लिये प्लांट एवं मशीनों का परिवहन कर रहा था तथा वह निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् उपरोक्त प्लांट एवं मशीनों को वापस ले जाता। इसलिये प्रपत्र-49 की आवश्यकता नहीं थी। अपीलीय प्राधिकारी ने अपील स्वीकार की तथा आदेश में बिना किसी विस्तृत व्याख्या	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि व्यापारी ने मशीनों का आयात केवल ठेका कार्य में उपयोग के लिये किया था अतः मध्यप्रदेश वैट अधिनियम की धारा 57 (8) के "स्पष्टीकरण उपबंध" के अनुसार उसकी कर अपवंचन की मंशा नहीं थी। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं, क्योंकि मशीनें अधिसूचित सामग्री है और किसी भी उद्देश्य के लिये सभी अधिसूचित सामग्री के परिवहन के लिये प्रपत्र-49 अनिवार्य है। प्रपत्र-49 के अभाव में यह संभावना है कि

					के छूट प्रदान की। चूंकि सौदा दोषपूर्ण था अतः 31-05-2014 से पंजीयन निरस्त किया गया तथा उसने आवश्यक प्रपत्र-49 प्रस्तुत नहीं किया। मध्यप्रदेश वैट अधिनियम की धारा 57 (8) के अनुसार कर निर्धारण प्राधिकारी का शास्ति आदेश सही था।	आयातित सामग्री को क्रय लेख में सम्मिलित नहीं किया जाये और यह क्रय प्रपत्र-49 के अभाव में विभाग के संज्ञान में कर निर्धारण हेतु भी नहीं आयेगा। इसलिये व्यापारी के द्वारा कर अपवंचन की मंशा से इन्कार नहीं किया जा सकता है।
10.	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर) सागर	मेसर्स जिन्दल स्टेनलेस लिमिटेड, हिसार मेसर्स यूनियन रोडवेज कारपोरेशन, कोलकाता एच.आर. 39 बी 6696	2/13 और 3/13 13.02.2014	7.77	अपीलकर्ता द्वारा अपील में यह तक्रर दिया गया कि उसकी कर अपवंचन की मंशा नहीं थी क्योंकि उसने पहले ही प्रपत्र-49 डाउनलोड किया था लेकिन लिपिकिय त्रुटि के कारण उपयोग किया गया प्रपत्र-49 परिवहनकर्ता को उपलब्ध करा दिया गया था। अपीलीय प्राधिकारी ने अपील स्वीकार की और छूट प्रदाय की। आदेश प्रावधान के अनुसार नहीं है क्योंकि प्रस्तुत किया गया प्रपत्र-49 पूर्ण रूपेण डाउनलोड नहीं किया गया और प्रावधानुसार जांच के समय प्रपत्र-49 उपलब्ध नहीं किया गया।	उत्तर में बताया गया कि प्रपत्र-49 पहले से डाउनलोड किया गया था तथा मानवीय त्रुटि के कारण जांच के समय प्रस्तुत नहीं किया गया था। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि व्यापारी ने पूर्णरूप से प्रपत्र-49 को डाउनलोड नहीं किया था और इसका उपयोग अन्य व्यवहार में किया जा सकता था, इसलिये यह आवश्यक नहीं है कि प्रस्तुत किया गया प्रपत्र-49 इसी सौदे से संबंधित था।
11.	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर) सागर	मेसर्स के वैन्कटाराजू ए.पी.22ए.इ. 6969	45/14 एण्ड 46/14 20.05.2015	4.88	अपीलकर्ता द्वारा अपील में यह उल्लेख किया गया कि उसकी कर अपवंचन की मंशा नहीं थी क्योंकि वह पूंजीगत सामग्री को देयक एवं बिल्टी के साथ सिविल ठेके कार्य के लिये परिवहन कर रहा था न कि विक्रय के लिये और उसने वाहन जप्त किये जाने के बाद प्रपत्र-49 भी प्रस्तुत कर दिया था। अपीलीय प्राधिकारी ने अपील स्वीकार की तथा छूट प्रदान की। आदेश प्रावधान के अनुसार नहीं है क्योंकि प्रपत्र-49 वाहन जप्त किये जाने के बाद व्यापारी ने प्रस्तुत किया था।	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि प्रपत्र-49 की अनुपलब्धता कर अपवंचन की मंशा नहीं थी और परिवहित सामग्री विक्रय के लिये नहीं था। हम उत्तर से सहमत नहीं है कि सामग्री का उपयोग भी कर योग्य था और व्यापारी सभी प्रावधानों को अच्छी तरह से जानता था और प्रपत्र-49 के डाउनलोड की सुविधा के बाद भी उसके द्वारा प्रपत्र को डाउनलोड नहीं किया गया। अतः यह प्रमाणित होता है कि व्यापारी की कर अपवंचन की मंशा थी।

12.	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर) सागर	मेसर्स महावीर ट्रांसपोर्ट कम्पनी, सागर आर.जे.11ए.0604	60/12 एण्ड 66/12 30.10.13	2.11	अपीलकर्ता द्वारा अपील में यह तक्रर दिया गया कि उसकी कर अपवचन की मंशा नहीं थी क्योंकि वह वैध देयक एवं बिल्टी के साथ सामग्री का परिवहन कर रहा था उसने वाहन जप्त किये जाने के बाद प्रपत्र-49 भी प्रस्तुत कर दिया था। अपीलीय प्राधिकारी ने अपील स्वीकार की तथा छूट प्रदान की। आदेश प्रावधान के अनुरूप नहीं था क्योंकि वाहन जप्त किये जाने के बाद लिखित जारी किये गये प्रपत्र-49 प्रस्तुत किया गया था।	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि परिवहन के समय सभी संबंधित वैधानिक अभिलेख परिवहनकर्ता के पास उपलब्ध थे और उसने मध्यप्रदेश में प्रवेश के पहले प्रपत्र-49 भी प्रस्तुत कर दिया था। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि वाहन जप्त किये जाने के बाद व्यापारी ने मैन्यूली जारी किया गया प्रपत्र-49 प्रस्तुत किया था।
योग				107.60		
				लाख		

परिशिष्ट-VI

(कंडिका 3.3.7.4 के संदर्भ में)

राज्य के बाहर स्टॉक अन्तरण के प्रकरणों में आगतकर छूट उत्क्रम नहीं/कम उत्क्रम किया जाना

(₹ लाख में)

क्र.स.	अपीलीय प्राधिकारी का नाम	व्यापारी का नाम, टिन/ अवधि	अपील प्रकरण क्रमांक/ अपील आदेश का दिनांक	आगतकर छूट वापसी योग्य राशि /वापस की गई आगतकर छूट	व्यापारी के पक्ष में मान्य की गई कर राहत राशि	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	विभाग का उत्तर/हमारा अभिमत
1	अतिरिक्त आयुक्त जबलपुर	मेसर्स शारदा माँ इन्टरप्राइजेज प्रा. लि. कटनी, 23716204180 / 2010-11	80 / 2013-14 वैट एवं 25 / 2013-14 21.04.2014	39.92 / 00	39.92	प्रपत्र-च प्रस्तुत नहीं करने के कारण निर्धारण अधिकारी ने ₹ 20,58,18,458 के स्टॉक अन्तरण को अमान्य कर दिया गया था इसलिये इस राशि को अन्तर्राज्यीय विक्रय मानते हुए केन्द्रीय विक्रय कर निरूपित किया गया और दावा किये गये पूर्ण आगतकर छूट को मान्य करते हुए छूट की वापसी नहीं की गई। अपील में प्रपत्र-च प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय प्राधिकारी ने ₹ 20,58,18,458 के स्टॉक अन्तरण को नये स्थिति में सामग्री का अन्यथा निस्तारण मान्य करते हुये आगतकर छूट की वापसी किए बिना सी.एस.टी. की राहत प्रदान की।	अपीलीय प्राधिकारी ने कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया।
2	अतिरिक्त आयुक्त जबलपुर	मेसर्स बिरला कारपोरेशन लिमिटेड सतना, 23757000140 / 2008-09	133 / 12 21.01.13	16.59 / 00	16.59	क्रय किए गये प्लाण्ट एवं मशीनरी पर निर्धारण प्राधिकारी ने उत्पादित सामग्री के स्टॉक अन्तरण के संबंध में अनुपातिक आधार पर आगतकर छूट की वापसी की। अपील के दौरान अपीलीय प्राधिकारी ने यह व्याख्या करते हुये कि उत्पादित सामग्री के स्टॉक अन्तरण पर क्रय किये गये प्लाण्ट एवं मशीनरी पर	अपीलीय प्राधिकारी ने कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया।

						अनुपातिक आधार पर आगतकर छूट की वापसी की जायेगी, उस आगतकर छूट की वापसी की राहत प्रदान की। यद्यपि निर्धारण प्राधिकारी ने मध्यप्रदेश वैट अधिनियम की धारा 14 (5)(क)(एक) के अनुसार वापसी की थी।	
3	अतिरिक्त आयुक्त जबलपुर	मेसर्स बिरला कारपोरेशन लिमिटेड 23757000140 / 2007-08	132 / 12 21.01.13	15.02 / 00	15.02	क्रय किये गये प्लाण्ट एवं मशीनरी पर निर्धारण प्राधिकारी ने उत्पादित सामग्री के स्टॉक अन्तरण के संबंध में अनुपातिक आधार पर आगतकर छूट की वापसी की। अपील के दौरान अपीलीय प्राधिकारी ने यह व्याख्या करते हुये कि उत्पादित सामग्री के स्टॉक अन्तरण पर क्रय किये गये प्लाण्ट एवं मशीनरी पर अनुपातिक आधार पर आगतकर छूट की वापसी नहीं की जायेगी। उस आगतकर छूट की वापसी की राहत प्रदान की। यद्यपि निर्धारण प्राधिकारी ने मध्यप्रदेश वैट अधिनियम की धारा 14 (5)(क)(एक) के अनुसार वापसी की थी।	अपीलीय प्राधिकारी ने कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया।
4	अतिरिक्त आयुक्त जबलपुर	मे शारदा माँ इन्टरप्राइजेज प्रा. लि. कटनी 23716204180 / 2008.09	36 / 11 27.03.12	15.28 / 8.77	6.51	प्रपत्र-च प्रस्तुत नहीं करने के कारण निर्धारण अधिकारी ने ₹ 2,56,52,362 के स्टॉक अन्तरण को अमान्य कर दिया गया था इसलिये इस राशि को अन्तर्राज्यीय विक्रय मानते हुए केन्द्रीय विक्रय कर निरूपित किया और दावा किये गये पूर्ण आगतकर छूट को मान्य करते हुए छूट की वापसी नहीं की गई। अपील में प्रपत्र-च प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय प्राधिकारी ने ₹ 2,56,52,362 के स्टॉक अन्तरण	अपीलीय प्राधिकारी ने कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया।

						को नये स्थिति में सामग्री का अन्यथा निस्तारण मान्य करते हुये आगतकर छूट की वापसी किए बिना सी.एस.टी. की राहत प्रदान की।	
5	उपायुक्त वाणिज्यिक कर अपील भोपाल	मेसर्स सेनफील्ड इण्डिया भोपाल, 23893602638 / 2010-11	404 / 13 26.03.14	5.48 / 00	5.48	प्रपत्र-च प्रस्तुत नहीं करने के कारण निर्धारण अधिकारी ने ₹ 8,73,77,566 के स्टॉक अन्तरण को अमान्य कर दिया गया था इसलिये इस राशि को अन्तर्राज्यीय विक्रय मानते हुए केन्द्रीय विक्रय कर निरूपित किया गया और दावा किये गये पूर्ण आगतकर छूट को मान्य करते हुए छूट की वापसी नहीं की गई। अपील में प्रपत्र-च प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय प्राधिकारी ने ₹ 8,73,77,566 के स्टॉक अन्तरण को नये स्थिति में सामग्री का अन्यथा निस्तारण मान्य करते हुये आगतकर छूट की वापसी किए बिना सी.एस.टी. की राहत प्रदान की।	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि जांच बाद उत्तर दिया जायेगा। लेखापरीक्षा में अन्तिम कार्यवाही आज दिनांक तक अपेक्षित है।
6	उपायुक्त वाणिज्यिक कर अपील भोपाल	मेसर्स मापरा लेबोरेट्रीज प्रा. लि. मण्डीदीप, 2325410667 / 2010-11	191 / 13 19.11.13	0.11 / 00	0.11	क्रय किये गये पैकिंग सामग्री पर निर्धारण प्राधिकारी ने उत्पादित सामग्री के स्टॉक अन्तरण के संबंध में अनुपातिक आधार पर आगतकर छूट की वापसी की। अपील के दौरान अपीलीय प्राधिकारी ने यह व्याख्या करते हुये कि उत्पादित सामग्री के स्टॉक अन्तरण पर क्रय किये गये पैकिंग सामग्री पर अनुपातिक आधार पर आगतकर छूट की वापसी नहीं की जायेगी। उस आगतकर छूट की वापसी की राहत प्रदान की। यद्यपि निर्धारण प्राधिकारी ने मध्यप्रदेश वैट अधिनियम 2002 की	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि धारा 14 (एक)(अ)(6) के अनुसार पैकिंग सामग्री अनुसूची दो में निद्रिष्ट सामग्रियों के लिये उपयुक्त आगतकर छूट की वापसी नहीं की जायेगी। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि धारा 14 (एक)(अ)(6) के अनुसार निर्मित सामग्री का धारा 14 (एक) के अनुसार निपटान करने पर धारा में दिये गये प्रावधान के अनुसार नीचे दिये गये विशिष्ट परिस्थितियों में एक

						धारा 14 (5)(क)(एक) के अनुसार वापसी की थी।	पंजीकृत व्यवसायी द्वारा आगतकर छूट का दावा किया जायेगा या दावा मान्य किया जायेगा, (अ) जहाँ एक पंजीकृत व्यवसायी अनुसूची दो में निद्रिष्ट सामग्री का क्रय मध्यप्रदेश के अन्य पंजीकृत व्यवसायी से आगतकर अदा करने के बाद क्रय करता है, (ब) उस सामग्री या अनुसूची दो में वर्गीकृत सामग्री या उससे उत्पादित या संसाधित या उद्धरित सामग्री को मध्यप्रदेश राज्य के अन्दर/भीतर या भारत देश से बाहर निर्यात के रूप में विक्रय के अलावा अन्य रूप से निस्तारण किया है, तो व्यवसायी उस आगत कर राशि का, निर्धारित अवधि के अन्दर, निर्धारित विधि से आगतकर छूट के लिये दावा करेगा या उसका दावा मान्य किया जायेगा (दो) उपवाक्य (6) से संबंधित सामग्री के प्रकरण में, जो क्रय मूल्य के चार प्रतिशत से अधिक है, उस सामग्री का शुद्ध आगतकर।
7	उपायुक्त वाणिज्यिक कर अपील ग्वालियर	मेसर्स सिंह आयल मुरैना, 23135604263 / 2007-08	550 / 10 22.09.11	2.53 / 00	2.53	अपीलीय प्राधिकारी ने अपीलकर्ता को राज्य के बाहर से क्रय किये गये सामग्री का स्टॉक अन्तरण के आधार पर राहत प्रदान की जबकि लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि ₹ 1,03,86,669 की पैकिंग सामग्री राज्य में क्रय की गई और सामग्री का पुनः पैकिंग में उपयोग किया गया	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि प्रकरण नस्ती में पाये गये वास्तविकता तथा आंकड़ों के सत्यापन के पश्चात राहत स्वीकार किया गया। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि प्रावधान के अनुसार

						इसलिये स्टॉक के अनुपात में आगतकर छूट की वापसी की जायेगी।	आगतकर छूट की वापसी नहीं की गई।
8	उपायुक्त वाणिज्यिक कर अपील ग्वालियर	मेसर्स मदनलाल नन्दकिशोर नरवर, 23635701182 / 2008-09	335 / 11 10.08.12	0.63 / 00	0.63	प्रपत्र-च प्रस्तुत नहीं करने के कारण निर्धारण अधिकारी ने ₹ 15,82,789 के स्टॉक अन्तरण को अमान्य कर दिया गया था इसलिये इस राशि को अन्तर्राज्यीय विक्रय मानते हुए केन्द्रीय विक्रय निरूपित किया गया और दावा किये गये पूर्ण आगतकर छूट को मान्य करते हुए छूट की वापसी नहीं की गई। अपील में प्रपत्र-च प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय प्राधिकारी ने ₹ 15,82,789 के स्टॉक अन्तरण को नये स्थिति में सामग्री का अन्यथा निस्तारण मान्य करते हुये आगतकर छूट की वापसी के बिना सी.एस.टी. की राहत प्रदान की गई।	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि प्रकरण नस्ती में पाये गये वास्तविकता तथा आंकड़ों के सत्यापन के पश्चात् राहत स्वीकार किया गया। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि प्रावधान के अनुसार आगतकर छूट की वापसी नहीं की गई।
9	उपायुक्त वाणिज्यिक कर अपील जबलपुर	मेसर्स बाहुबली मारबल जबलपुर, 23886004994 / 2010-11	460 / 13 30.08.14	0.36 / 00	0.36	अपीलीय प्राधिकारी ने अपीलकर्ता को इस आधार पर राहत प्रदान की कि निर्धारण प्राधिकारी ने शाखा के व्यवहार को त्रुटिपूर्ण रूप से सकल टर्नओवर में सम्मिलित कर सकल टर्नओवर निर्धारित किया है। लेखापरीक्षा के दौरान ज्ञात हुआ कि अपीलीय प्राधिकारी ने शाखा को किये गये स्टॉक अन्तरण के अनुपात में आगतकर छूट की वापसी नहीं की है।	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि अपील के कार्यवाही दौरान आगतकर छूट की वापसी के संबंध में कार्यवाही वांछित नहीं थी। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि अपीलीय प्राधिकारी ने अपील की कार्यवाही के दौरान प्रकरण का पुनर्निर्धारण किया था इसलिये स्टॉक अन्तरण के अनुपात में आगतकर छूट की वापसी की जानी चाहिये थी।
योग				95.92 लाख	87.15 लाख		
				8.77 लाख			

परिशिष्ट-VII
(कंडिका 3.3.7.5 के संदर्भ में)
अपीलीय प्राधिकारी द्वारा त्रुटिपूर्ण दर से कर लगाया जाना

(₹ लाख में)

क्र. स.	अपीलीय प्राधिकारी का नाम	व्यापारी का नाम, टिन/अवधि	अपील प्रकरण क्रमांक/आदेश का दिनांक/वस्तु का नाम	सामग्री की लागत/कर योग्य टर्नओवर	लगाये जाने वाले कर की दर/अपील आदेश में लगायी गयी दर (प्रतिशत)	व्यापारी के पक्ष में कर राहत की राशि	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का संक्षेप	अपीलीय प्राधिकारी का उत्तर/लेखापरीक्षा अभिमत
1	अतिरिक्त आयुक्त, जबलपुर	मेसर्स हेवी इन्जीनियरिंग वक्रशाप रीवा, 2315690424 6/ 2010-11	47/13-14 18.02.14/ मशीनरी	896.12	13/5	71.69	कर अंकेक्षित प्रतिवेदन और संबंधित निर्धारण आदेश में व्यवसायी ने जाब वक्र में यह सत्यापित नहीं कर सका कि अन्तरित की गई सामग्री टंगस्टन है जबकि व्यवसायी का मूल व्यवसाय उत्पादित भारी इन्जीनियरिंग आइटमों (13%) का विक्रय करना है। यद्यपि अपीलीय प्राधिकारी ने वास्तविकता का सत्यापन किये बिना व्यापारी को इस आधार पर राहत मान्य किया कि जाँब वक्र में (टंगस्टन धातु) (5%) का अन्तरण किया गया है।	अपीलीय प्राधिकारी ने कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया।
2	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर), इन्दौर-दो	मेसर्स पावरलाइन कारपोरेशन इन्दौर, 2339100069 4/ 2009-10	115/ 2011 19.03.12/ वायरिंग हार्नेस	30.93	12.5/4	3.34	अपीलीय प्राधिकारी ने उपयोग के आधार पर व्यापारी को राहत प्रदान की।	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि सत्यापन के आधार पर उत्तर दिया जावेगा। लेखापरीक्षा में उत्तर अपेक्षित है।
3	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर), जबलपुर	मेसर्स एस.बी. इन्टरप्राइजेज, 2364580860 4/ 2006-07	170/12 19.03.13/ पुराना मोटर वाहन	8.03	12.5/1.5	3.97	अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पुराने वाहन के विक्रय को अनुसूची दो/तीन/9 का मानते हुये राहत प्रदान की गई। जबकि, वर्ष 2006-07 में पुराने वाहन 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य थे।	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि अधिनियम में द्वितीय संशोधन (1.04.06 से प्रभावी) की अनुसूची के प्रविष्टि क्रमांक दो/तीन/नौ के अनुसार मध्यप्रदेश परिवहन विभाग में पंजीकृत वाहनों

								<p>पर 1.5 प्रतिशत की दर से कर निरूपित किया जायेगा।</p> <p>उत्तर मानने योग्य नहीं हैं क्योंकि अनुसूची की प्रविष्टि के अनुसार, "पुराने और सेकेन्ड हैंड मोटर वाहनों" पर 1.5 प्रतिशत से कर वहाँ लगेगा जहा मोटर वाहन क्रय-विक्रय करने का मुख्य व्यवसाय किया जाता है। यद्यपि, इन प्रकरणों में व्यापारी का मुख्य व्यवसाय मोटर वाहनों के क्रय-विक्रय का न होकर अन्य व्यवसाय है इसलिये विक्रित वाहन संबंधित अधिसूचना के अर्न्तगत नहीं आते हैं।</p>
4	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर), जबलपुर	मेसर्स श्री गोविन्द इन्स्टीट्यूट माधवनगर कटनी, 2316620239 7/ 2007-08	219 / 2013 28.03.14 / पुराना मोटर वाहन	1.80	12.5 / 1.5	0.79	अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पुराने वाहन के विक्रय को अनुसूची दो/तीन/9 का मानते हुये राहत प्रदान की गई। जबकि, वर्ष 2006-07 में पुराने वाहन 12.5 प्रतिशत के दर से कर योग्य थे।	<p>अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि अधिनियम में द्वितीय संशोधन (1.04.06 से प्रभावी) के अनुसूची के प्रविष्टि क्रमांक दो/तीन/नौ के अनुसार मध्यप्रदेश परिवहन विभाग में पंजीकृत वाहनों पर 1.5 प्रतिशत की दर से कर निरूपित किया जायेगा।</p> <p>उत्तर मानने योग्य नहीं हैं क्योंकि अनुसूची की प्रविष्टि के अनुसार, "पुराने और सेकेन्ड हैंड मोटर वाहनों" पर 1.5 प्रतिशत से कर वहाँ लगेगा जहां मोटर वाहन क्रय-विक्रय करने का मुख्य व्यवसाय किया जाता है। यद्यपि, इन प्रकरणों में व्यापारी का मुख्य व्यवसाय मोटर वाहनों के क्रय-विक्रय का न होकर अन्य व्यवसाय है इसलिये विक्रित वाहन संबंधित अधिसूचना के अर्न्तगत नहीं आते हैं।</p>

5	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर), जबलपुर	मेसर्स कैलाश चन्द्र बागडीया, 2385620061 1/ 2006-07	398 / 12 26.06.13 / पुराना मोटर वाहन	1.95	12.5 / 1.5	0.64	अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पुराने वाहन के विक्रय को अनुसूची दो/तीन/9 का मानते हुये राहत प्रदान की गई। जबकि, वर्ष 2006-07 में पुराने वाहन 12.5 प्रतिशत के दर से कर योग्य थे।	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि अधिनियम में द्वितीय संशोधन (1.04.06 से प्रभावी) के अनुसूची के प्रविष्टि क्रमांक दो/तीन/नौ के अनुसार मध्यप्रदेश परिवहन विभाग में पंजीकृत वाहनों पर 1.5 प्रतिशत की दर से कर निरूपित किया जायेगा। उत्तर मानने योग्य नहीं हैं क्योंकि अनुसूची की प्रविष्टि के अनुसार, "पुराने और सेकेन्ड हैंड मोटर वाहनों" पर 1.5 प्रतिशत से कर वहाँ लगेगा जहां मोटर वाहन क्रय-विक्रय करने का मुख्य व्यवसाय किया जाता है। यद्यपि, इन प्रकरणों में व्यापारी का मुख्य व्यवसाय मोटर वाहनों के क्रय-विक्रय का न होकर अन्य व्यवसाय है इसलिये विक्रित वाहन संबंधित अधिसूचना के अर्न्तगत नहीं आते हैं।
6	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर), जबलपुर	मेसर्स बनारसी दास भनोट एण्ड संस, 2364580811 9/ 2007-08	235 / 2012 24.04.13 / पुराना मोटर वाहन	17.11	12.5 / 1.5	1.88	अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पुराने वाहन के विक्रय को अनुसूची दो/तीन/9 का मानते हुये राहत प्रदान की गई। जबकि, वर्ष 2006-07 में पुराने वाहन 12.5 प्रतिशत के दर से कर योग्य थे।	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि अधिनियम में द्वितीय संशोधन (1.04.06 से प्रभावी) के अनुसूची के प्रविष्टि क्रमांक दो/तीन/नौ के अनुसार मध्यप्रदेश परिवहन विभाग में पंजीकृत वाहनों पर 1.5 प्रतिशत की दर से कर निरूपित किया जायेगा। उत्तर मानने योग्य नहीं हैं क्योंकि अनुसूची की प्रविष्टि के अनुसार, "पुराने और सेकेन्ड हैंड मोटर वाहनों" पर 1.5 प्रतिशत से कर वहाँ लगेगा जहां मोटर वाहन क्रय-विक्रय करने का मुख्य व्यवसाय किया जाता

								है। यद्यपि, इन प्रकरणों में व्यापारी का मुख्य व्यवसाय मोटर वाहनों के क्रय-विक्रय का न होकर अन्य व्यवसाय है इसलिये विक्रित वाहन संबंधित अधिसूचना के अर्न्तगत नहीं आते हैं।
7	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर), सतना	मेसर्स कन्हैयालाल अग्रवाल, 2380720415 2/2007-08	232/2010 21.09.11/ सिविल निर्माण कार्य ठेका	20.66	12.5/4	1.76	अपीलीय प्राधिकारी ने उच्च दर से की गई विक्रय पर कर योग्य राशि की त्रुटिपूर्ण गणना के कारण कम वैट निरूपित किया।	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि प्रकरण के निराकरण के पश्चात् मूल निर्धारण अभिलेख निर्धारण अधिकारी को वापस कर दिया गया इसलिये अपील स्तर पर कोई कार्यवाही वांछित नहीं है। उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि अपीलीय प्राधिकारी के इस आदेश से वैट का कम निरूपण किया गया।
8	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर), सतना	मेसर्स एस.के. इन्टरप्राइजेज, सीधी, 2340730321 /2007-08	249/2010 10.06.11/ पुराना मोटर वाहन	3.90	12.5/0	0.49	निर्धारण प्राधिकारी ने 12.5 प्रतिशत के स्थान पर 1.5 प्रतिशत की दर से कर निरूपित किया था लेकिन अपीलीय प्राधिकारी ने दोहरे करारोपण के आधार पर अपीलकर्ता को राहत प्रदान की।	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि प्रकरण के निराकरण के पश्चात् मूल निर्धारण अभिलेख निर्धारण अधिकारी को वापस कर दिया गया इसलिये अपील स्तर पर कोई कार्यवाही वांछित नहीं है। उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि अपीलीय प्राधिकारी के इस आदेश से वैट का कम निरूपण किया गया।
9	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर)	मेसर्स अतुल ट्रेडलिंग, इन्दौर 2314120050	83/2011 18.10.11/ पुराना मोटर वाहन	3.00	12.5/1.5	0.33 कर + 0.33 शास्ति	निर्धारण प्राधिकारी ने 12.5 प्रतिशत की दर से वैट निरूपित किया था तथा धारा 21 (1) के अर्न्तगत शास्ति भी अधिरोपित की थी अपीलकर्ता के	अपीलीय प्राधिकारी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया।

	कर), इन्दौर- तीन	/2006-07					प्रस्ताव पर अपीलीय प्राधिकारी ने 1.5 प्रतिशत की दर से वैट निरूपित किया तथा शास्ति भी माफ कर दी।	
10	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर), सागर	मेसर्स पारस इण्डस्ट्रीज, सागर 2311740391 5/2008-09	54/13 01.10.14/ होम यू.पी. एस.	14.19	12.5/4	कर 1.21 ब्याज 0.40	अपीलीय प्राधिकारी ने अपीलकर्ता को होम यू.पी.एस. (इन्वर्टर) 5 प्रतिशत की दर से क्रय करने के आधार पर राहत प्रदान की। आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर द्वारा जारी किये गये परिपत्र क्रमांक/वैट-विक्रय/2004/292 दिनांक 31.07.2006 के स्पष्टीकरण क्रमांक 17 के अनुसार होम यू.पी.एस. 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है।	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि वैट अधिनियम की अनुसूची-दो की प्रविष्टि क्रमांक 51 की उप-प्रविष्टि (8) के अनुसार यू.पी.एस. 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि विक्रय किया गया सामग्री यू.पी.एस. के बजाय होम यू.पी.एस. है और आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा जारी किये गये परिपत्र क्रमांक /वैट-विक्रय/2004/292 दिनांक 31.07.2006 के स्पष्टीकरण क्रमांक 17 के अनुसार होम यू.पी.एस. 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है।
11	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर), सागर	मेसर्स अग्रोहा इन्डेन, हरपालपुर 2302770248 2/2006-07	05/2011 10.08.11/ पुराना मोटर वाहन	1.53	12.5/1.5	0.15	निर्धारण प्राधिकारी ने 12.5 प्रतिशत की दर से वैट निरूपित किया था तथा धारा 21 (1) के अर्न्तगत शास्ति भी अधिरोपित की। अपीलकर्ता के प्रस्ताव पर अपीलीय प्राधिकारी ने 1.5 प्रतिशत की दर से वैट निरूपित किया।	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि वास्तविकता की जांच पश्चात् की गई कार्यवाही से अवगत कराया जायेगा।
योग				999.22		86.98		लाख

परिशिष्ट-VIII
(कंडिका 3.3.7.6 के संदर्भ में)
प्रवेशकर का निरूपण नहीं/कम निरूपण किया जाना

(₹ लाख में)

क्र. स.	अपीलीय प्राधिकारी का नाम	व्यापारी का नाम, टिन/अवधि/वस्तु का नाम	अपील प्रकरण क्रमांक/अपील आदेश का दिनांक	सामग्री का लागत/कर योग्य टर्नओवर	लगाये जाने योग्य कर का दर/अपील आदेश में लगाया गया दर (प्रतिशत)	व्यापारी के पक्ष में दिये गये राहत की राशि	संक्षेप में आपत्ति	अपीलीय प्राधिकारी का उत्तर और हमारी टिप्पणियां
1	अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर, जबलपुर	मेसर्स शारदा मॉ इन्टरप्राइजेज प्रा. लि. कटनी, 23716204180 / 2010-11/ कोयला	118 / 13.14 21.04.2014	147.10	2 / 0	29.42	व्यापारी मेसर्स प्रिज्म सीमेंट टिन क्रमांक 2331700844 द्वारा प्रदाय किये गये घोषणा प्रमाणपत्र के आधार पर अपीलकर्ता ने प्रवेशकर के छूट की मांग की, जबकि विक्रय बिजक के अनुसार उपरोक्त विक्रय अन्य व्यापारी मेसर्स प्रिज्म सीमेंट टिन 23127002475 को किया गया था।	अपीलीय प्राधिकारी ने कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया।
2	अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इंदौर परिक्षेत्र-II	मेसर्स प्रकाश साल्वेक्स इन्दौर, 23361400981 / 2008-09/ आरबीडी पाम ऑयल	08 / 11 21.03.2012	764.93	1 / 0	7.65	अपीलीय प्राधिकारी ने अन्तिम स्कन्ध (2008-09), जो वर्ष 2009-10 में स्टॉक अन्तरण किया गया था के आधार पर अपीलकर्ता को छूट प्रदाय की। अपीलीय प्राधिकारी ने इस तथ्य को सत्यापित नहीं किया कि व्यापारी ने उस स्टॉक अन्तरण के	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि कल्पना के आधार पर आपत्ति ली गई है। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि वर्ष 2009-10 के प्रवेशकर निर्धारण आदेश से यह प्रमाणित होता है कि व्यापारी ने सम्पूर्ण स्टॉक अन्तरण के

							संबंध में वर्ष 2009-10 में ही प्रवेशकर की गणना के लिये क्रय मूल्य के लिये छूट का दावा किया था। यद्यपि कर निर्धारण प्राधिकारी ने वर्ष 2009-10 में ही स्टॉक अन्तरण के आधार पर छूट प्रदाय की थी।	संबंध में प्रवेशकर गणना के लिये क्रय मूल्य के लिये छूट की मांग की थी और कर निर्धारण प्राधिकारी ने प्रदाय की थी।
3	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर) ग्वालियर	मेसर्स अप्रित इन्टरप्राइजेज ग्वालियर, 23035306528 / 2008-09 / खाद्य तेल	610 / 11 01.10.2012	551.63	1 / 0	5.52	अपीलीय प्राधिकारी ने अन्तर्राज्यीय विक्रय के आधार पर अपीलकर्ता को छूट प्रदाय की। चूंकि व्यापारी ने सम्पूर्ण सामग्री को कर की पूर्ण दर से विक्रय किया एवं व्यापारी बिल्टी प्रस्तुत करने में असफल था एवं संदिग्ध बिल्टी प्रस्तुत करने के कारण कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा करारोपण किया गया।	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि प्रकरण नस्ती में पाये गये तथ्यों तथा आंकड़ों के सत्यापन के पश्चात छूट प्रदाय की गई। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि लेखापरीक्षा को साक्ष्य उपलब्ध नहीं करवाये गये और कर निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण आदेश में उल्लेख किया है कि व्यापारी बिल्टी प्रस्तुत करने में असफल था तथा संदिग्ध बिल्टी प्रस्तुत किया गया।
4	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर) ग्वालियर	मेसर्स ट्रोपोलाइट फूड्स प्रा. लि. ग्वालियर, 23235207575 / 2008-09 प्लाण्ट एवं मशीनरी	532 / 11 10.09.2012	380.77	1 / 0	3.81	अपीलीय प्राधिकारी ने महाप्रबन्धक, जिला उद्योग क्रेन्द्र, ग्वालियर के प्रमाणपत्र के आधार पर अपीलकर्ता को छूट प्रदाय की। नमूना जांच में पाया गया कि उस प्रमाणपत्र में प्लाण्ट एवं मशीनरी सम्मिलित नहीं थी।	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि प्रकरण नस्ती में पाये गये तथ्यों तथा आंकड़ों के सत्यापन के पश्चात छूट प्रदाय की गई। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि उस प्रमाणपत्र में प्लाण्ट एवं

								मशीनरी सम्मिलित नहीं थी।
5	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर) जबलपूर	मेसर्स शीला एग्रो प्रा. लि. कटनी, 23686206961 / 2010-11 / प्लाण्ट एवं मशीनरी	148 / 14 03.07.2014	16.84	1 / 0	0.17	अपीलीय प्राधिकारी ने छूट प्रमाणपत्र के आधार पर अपीलकर्ता को छूट प्रदाय की थी। नमूना जांच में पाया गया कि उस छूट प्रमाणपत्र में प्लाण्ट एवं मशीनरी सम्मिलित नहीं थी।	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि प्रकरण नस्ती में पाये गये तथ्यों तथा आंकड़ों के सत्यापन के पश्चात छूट प्रदाय की गई। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि उस छूट प्रमाणपत्र के अनुलग्नक में प्लाण्ट एवं मशीनरी सम्मिलित नहीं थी।
6	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर) इन्दौर-तीन	मेसर्स एसोसिएटेड अल्कोहल एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेड, इन्दौर, 23581200555 / 2004-05 / सड़ा अनाज	173 / 10 14.11.2011	1661.24	1 / 0	16.61	कर निर्धारण प्राधिकारी ने प्रवेशकर अनुसूची-दो के प्रविष्टि-57 " सभी प्रकार के अनाज एवं दालें" के अनुसार आयातित सड़े अनाज पर प्रवेशकर निरूपित किया था। अपीलीय प्राधिकारी ने सड़े अनाज को मनुष्यों के साथ पशुओं के लिये उपयोगी नहीं होने के कारण अनाज न मानते हुए अपीलकर्ता को प्रवेशकर से छूट प्रदान की। यद्यपि, सड़े अनाज के लिये कोई विशिष्ट प्रविष्टि नहीं है और व्यापारी ने सड़े अनाज को मदिरा उत्पादन के लिये कच्चे सामग्री के रूप में उपयोग किया, इसलिये प्रवेशकर	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि तथ्यों के सत्यापन के पश्चात कार्यवाही से अवगत कराया जायेगा।

							अनुसूची-तीन के प्रविष्टि-1 "अनुसूची-एक एवं दो के अर्न्तगत निद्रिष्ट के अतिरिक्त सभी वस्तुयें" एक प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं ।	
7	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर)इन्दौर-तीन	मेसर्स गौरव सेल्स एजेन्सिज, इन्दौर 23470822248 / 2010-11 / स्किम्ड मिल्क पावडर	478 / 2015 26.09.2015	249.12	2 / 1	24.49	<p>प्रवेशकर अधिनियम की अनुसूची-दो के प्रविष्टि क्र.-31 के अनुसार कर निर्धारण प्राधिकारी ने स्किम्ड मिल्क पावडर पर 2 प्रतिशत की दर से प्रवेशकर निरूपित किया था। अपीलीय प्राधिकारी ने प्रवेशकर अधिनियम की अनुसूची-तीन के अर्न्तगत स्किम्ड मिल्क पावडर को एक प्रतिशत की दर से कर योग्य मानते हुए अपीलकर्ता को त्रुटिपूर्ण रूप से कर छूट प्रदाय की।</p>	<p>अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि स्किम्ड मिल्क पावडर के लिये कोई विशिष्ट प्रविष्टि नहीं है । इसलिये स्किम्ड मिल्क पावडर अवशिष्ट प्रविष्टि के अर्न्तगत आता है ।</p> <p>उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि प्रवेशकर अनुसूची- दो के प्रविष्टि क्र. 31 "वनस्पति, खनिज और अन्य प्रीपरेशन, टॉनिक्स,पूरक भोजन, एप्पेटाइजर्स, डायटीसीयन फूड्स और अन्य सभी भोजन जो मानव के उपयोग के लिये तरल, गोली, पावडर रूप में जो भेषज मानक के अनुरूप या अन्यथा (इस अनुसूची में विशिष्ट रूप से दिये गये के अतिरिक्त और आचार, पेस्ट एवं फल वनस्पति और मसाले</p>

								के पावडर से बना हुआ", इसलिये स्किम्ड मिल्क पावडर उपरोक्त प्रविष्टि के अर्न्तगत आता है और अपीलीय प्राधिकारी, इन्दौर-तीन (07.07.2015) द्वारा मेसर्स मिठालाल मुल्तानमल के प्रवेशकर प्रकरण क्र. 539/2014 में उपरोक्त वास्तविकता की पहले ही पुष्टि की गई है।
8	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर) सतना	मेसर्स सत्यसाई मेडिकल हाल रीवा 23576903433 / 2011-12 / दवा	24 / 15 27.03.2015	24.25	1 एवं 2 / 0	कर 3.23 ब्याज 1.29	अपंजीकृत क्रय के कारणकर निर्धारण प्राधिकारी ने प्रवेशकर निरूपित किया। अपीलीय प्राधिकारी ने अंकेक्षित लेखे के आधार पर छूट प्रदाय की। वैट अधिनियम के अनुसार अपीलीय प्राधिकारी को प्रवेशकर एवं ब्याज कीछूट देने के पूर्व पंजीयन की स्थिति का सत्यापन करना चाहिये था।	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि प्रकरण के निराकरण के पश्चात मूल कर निर्धारण अभिलेख कर निर्धारण अधिकारी को वापस कर दिये गये थे इसलिये अपील स्तर पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। हम उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि प्रावधान के अनुसार कार्यवाही होनी चाहिए।
9	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर) सतना	मेसर्स कश्यप ट्रेडर्स एण्ड ड्रग स्टोर, रीवा 23426906086 / 2011-12 / दवा	04 / 15 27.03.2015	261.91	1 / 0	कर 2.62 ब्याज 1.05	अपंजीकृत क्रय के कारण कर निर्धारण प्राधिकारी ने प्रवेशकर निरूपित किया। अपीलीय प्राधिकारी ने अंकेक्षित लेखे के आधार पर छूट प्रदाय की। वैट अधिनियम के अनुसार अपीलीय प्राधिकारी को प्रवेशकर एवं ब्याज कीछूट देने के पूर्व	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि प्रकरण के निराकरण के पश्चात मूल कर निर्धारण अभिलेख कर निर्धारण अधिकारी को वापस कर दिये गये थे इसलिये अपील स्तर पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

							पंजीयन की स्थिति का सत्यापन करना चाहिये था।।	हम उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि प्रावधान के अनुसार कार्यवाही होनी चाहिए।
10	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर) सतना	मेसर्स नर्मदा कंसट्रक्शन कम्पनी, सतना 23427005317 / 2012-13 / सीमेंट	122 / 15 15.02.2015	1.81	2 / 1	0.18	अपीलीय प्राधिकारी ने 2 प्रतिशत के स्थान पर 1 प्रतिशत की दर से प्रवेशकर निरूपित किया।	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि प्रकरण के निराकरण के पश्चात मूल कर निर्धारण अभिलेख कर निर्धारण अधिकारी को वापस कर दिये गये थे इसलिये अपील स्तर पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। हम उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि प्रावधान के अनुसार कार्यवाही होनी चाहिए।
11	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर) सागर	मेसर्स सागर सीमेंट पाईप इण्डस्ट्रीज, सागर 23507500458 / 2011-12 / सीमेंट पाईप	203 / 14 13.10.2015	1.60	1 / 0	0.16	अपीलीय प्राधिकारी ने मेसर्स कोका कोला बनाम आयुक्त वाणिज्यिक कर के प्रकरण में अपीलियेट मण्डल के निर्णय-बीजक पर 'प्रवेशकर का भुगतान नहीं किया गया' की मोहर नहीं लगाने के आधार पर उत्पादक प्रवेशकर के भुगतान के लिये दायी नहीं है क्योंकि उसने स्थानीय क्षेत्र में सामग्री का प्रवेश नहीं करवाया है के आधार पर छूट प्रदान की। उपरोक्त निर्णय इस प्रकरण में लागू नहीं होता है क्योंकि निर्माता (उत्पादक) म.प्र. में	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि अधिनियम में प्रावधान के अनुसार निर्मित किये गये सामग्री पर निर्माता के प्रवेशकर के भुगतान का दायित्व नहीं आता है। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि प्रवेशकर अधिनियम की धारा 7 में प्रावधान है कि यदि उत्पादक ने विक्रय बीजक पर 'प्रवेशकर का भुगतान नहीं किया गया' की मोहर अंकित नहीं की है तो उत्पादक प्रवेशकर के भुगतान के

							पंजीकृत व्यापारी है और प्रवेशकर अधिनियम की धारा 7 के अनुसार, या तो उत्पादक या क्रेता द्वारा प्रवेशकर का भुगतान किया जाना चाहिये। यदि विक्रय बीजक पर 'प्रवेशकर का भुगतान नहीं किया गया' की मोहर अंकित नहीं है तो उत्पादक प्रवेशकर के भुगतान के लिये दायी होगा। इसलिये कर निर्धारण आदेश प्रावधान के अनुसार पारित किया गया था।	लिये दायी होगा।
12	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर) सागर	मेसर्स फैशन वर्ल्ड, सागर 2395704915 / 2007-08 / रेडिमेड गारमेंट्स	83 / 10 08.08.2011	2.70	1 / 0	0.27	अपीलीय प्राधिकारी ने प्रेषण विक्रय पर कमीशन/लाभ को घटाने के बाद कर योग्य टर्नओवर निर्धारित कर प्रवेशकर की छूट प्रदाय की जबकि कर निर्धारण आदेश के अनुसार व्यापारी द्वारा दावा की गयी छूट को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पहले ही मान्य करने के बाद क्रय देयक के आधार पर कर योग्य टर्नओवर निर्धारित किया गया था।	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि तथ्यो का सत्यापन करने के बाद कार्यवाही से अवगत करवाया जायेगा।
			योग	566.10 लाख (5.67 करोड़)		74.47 लाख		

परिशिष्ट-IX
(कंडिका 3.4 के संदर्भ में)
अनियमित कटौती की छूट

(राशि ₹ में)

क्र. स.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम/व्यापारी/टिन	अवधि/निर्धारण का माह	कर योग्य टर्नओवर	कर की दर (%)	आरोपणीय कर	आरोपित कर	अन्तर	लेखापरीक्षा प्रेक्षण	विभाग का उत्तर/लेखापरीक्षा टीप
1	वा.क.अ.—भिण्ड मे. मऊ इण्डेन टिन-2322480352 7	2011-12 जुलाई-2014	1,17,37,581 1,55,14,819 4,12,545	13 5 4	15,25,886 7,75,741 16,502	13,51,209 7,38,801 15,867	1,74,677 36,940 635 <u>ब्याज-82,778</u> योग 2.95 लाख	अंकेक्षित प्रतिवेदन के अनुसार क्रय एवं विक्रय में वेट शामिल नहीं है। इसलिये धारा 2(x)(iii) के तहत कटौती अनियमित थी।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि अंकेक्षित प्रतिवेदन में दर्शाया गया विक्रय वेट सहित है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अंकेक्षित प्रतिवेदन अनुसार क्रय एवं विक्रय बिनाकर के है, आई.टी.आर. भी व्यापार एवं लाभ हानि खाते के अनुसार नेट क्रय पर दिया गया है।
2.	वा.क.अ.—नरसिंहपुर मे. चौधरी ट्रेडर्स टिन-2331640402 6	2012-13 दिसम्बर-2014	13,83,042 8,83,57,157	13 5	1,79,795 44,17,858	1,59,111 42,07,484	20,684 <u>2,10,374</u> योग 2.31 लाख	अंकेक्षित खाते के अनुसार क्रय एवं विक्रय बिना कर के है। इसलिये धारा 2(x)(iii) के तहत कटौती अनियमित थी।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि अंकेक्षित प्रतिवेदन में दर्शाया गया विक्रय वेट सहित है। निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
3.	वा.क.अ.—नरसिंहपुर मे. सिद्धेश्वर एजेन्सी टिन-2370640182 3	2012-13 दिसम्बर-2014	1,26,57,344 95,77,657	13 5	16,45,455 4,78,883	14,56,155 4,50,391	1,89,300 28,492 <u>शास्ति-6,53,376</u> योग 8.71 लाख	अंकेक्षित प्रतिवेदन के अनुसार क्रय एवं विक्रय बिना कर के है। इसलिये धारा 2(x)(iii) के तहत कटौती अनियमित थी।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि अंकेक्षित प्रतिवेदन में दर्शाया गया विक्रय वेट सहित है। निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन बिना कर के कार्यवाही की जावेगी।

									लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
4.	स. उपा.वा.क. संभाग-उज्जैन मे. बैंक प्रेस नोट देवास टिन-2365230539 5	2012-13 जनवरी 2015	7,29,10,395	5:	36,45,519	34,71,924	36,45,519 (-) <u>34,71,924</u> योग 1.74 लाख	धारा 2(x)(iii) के तहत शाखा कार्यालय को बिना एफ फार्म के स्टॉक ट्रांसफर पर छूट अनियमित थी, क्योंकि शाखा को स्थानांतरित सामग्री में वैट शामिल नहीं था।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
5.	वा.क.अ-वृत्त-14 इन्दौर मे. जय श्री ट्रेडर्स टिन-2387160086 0	2012-13 फरवरी-2015	22,34,422	13	2,90,474	2,90,474 शास्ति <u>8,71,422</u> योग 11.62 लाख	अंकेक्षित खाते के अनुसार क्रय एवं विक्रय बिना कर के है। इसलिये धारा 2(x)(iii) के तहत कटौती अनियमित थी।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
6.	उपा.वा.क. संभाग-1 ग्वालियर मे. जे. एस. डब्लूस्टीलसलिमिटेड टिन-2331530773 2 60 / 12 (वैट) 451	2011-12 जून 2014	2,71,21,38,435	5 3	12,37,61,94	11,66,66,09 7	12,37,61,943 (-) <u>11,66,66,097</u> योग 70.96 लाख	वैट आडिट रिपोर्ट में विक्रय सामग्रियों का मूल्य प्रारम्भ से नेट क्रय था, बिना वैट के और लाभ जोड़ कर विक्रय मूल्य संगणित किया था। यद्यपि आडिटर द्वारा नेट विक्रय के स्थान पर भूलवश विक्रय मूल्य वैट सहित दर्शाया गया है।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
7.	उपा.वा.क. संभाग-1 ग्वालियर मे. जे.एस. डब्लू स्टीलस लिमिटेड टिन-2331530773 2 60 / 12 (वैट) 451	2012-13 फरवरी-2015	1,83,90,86,806	5	9,14,18,267	8,70,65,016	9,14,18,267 (-) <u>8,70,65,016</u> योग 43.53 लाख	वैट आडिट रिपोर्ट में विक्रय सामग्रियों का मूल्य प्रारम्भ से नेट क्रय था, बिना वैट के और लाभ जोड़ कर विक्रय मूल्य संगणित किया था। यद्यपि आडिटर द्वारा नेट विक्रय के स्थान पर भूलवश विक्रय मूल्य वैट सहित दर्शाया गया है।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
8.	उपा.वा.क. संभाग-1 भोपाल मे. नोकिया प्रा. लि. टिन-2384360426	2011-12 अप्रैल-2014	4,13,24,95,819	13	52,16,71,27 9	46,16,55,99 9	6,00,15,280 शास्ति <u>18,00,45,840</u> योग 2400.61 लाख	वैट आडिट रिपोर्ट में विक्रय सामग्रियों का मूल्य प्रारम्भ से नेट क्रय था (बिना वैट के) और लाभ जोड़कर विक्रय मूल्य संगणित किया था। यद्यपि आडिटर द्वारा नेट विक्रय के स्थान पर भूलवश	इंगित किये जाने पर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि आडिट रिपोर्ट के निर्धारण कालम में वैट की राशि लिखने से रह गई है। कर योग्य विक्रय

	6 22 / 12 (वैट) 413								विक्रय मूल्य वैट सहित दर्शाया है। साथ ही आडिट रिपोर्ट के जीटीओ में शामिल कर के कालम में कर निरंक दर्शाया है। इससे स्पष्ट है कि विक्रय मूल्य में कर शामिल नहीं है।	वैट कटौती के बाद वर्गीकृत किया है। उत्तर तथ्यों के अनुरूप नहीं है क्योंकि वैट आडिट रिपोर्ट के अनुसार सकल टर्नओवर विक्रय बिना वैट के सत्यापित है।
9.	उपा. संभाग-2 इन्दौर मे. फिलिप्स इंडिया लि. टिन-2348110021 5 64 / 13 (वैट) 440	2012-13 दिसम्बर-2014	1,05,24,26,316	13	9,41,82,942	8,33,47,736	1,08,35,206 शास्ति-3,25,05,6 18 योग- 433.41 लाख	वैट आडिट रिपोर्ट में विक्रय सामग्रीयों का मूल्य नेट क्रय (बिना वैट के) पर निकाला गया था और लाभ जोड़कर विक्रय मूल्य संगणित किया गयाथा। जबकि आडिटर द्वारा नेट विक्रय के स्थान पर भूलवश विक्रय मूल्य वैट सहित दर्शाया गया है।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि आडिट रिपोर्ट के अनुसार सकल विक्रय (वैट) कर सहित निर्धारित है, जिसमें से कर की कटौती नियमानुसार स्वीकृत की गई थी। आडिट रिपोर्ट में सामग्री का मूल्य स्वसंग्रहित है। उत्तर तथ्यों के अनुरूप नहीं है क्योंकि आडिट रिपोर्ट 41-ए के अनुसार विक्रय मूल्य अन्य राज्यों से प्राप्त सामग्रीयों में लाभ जोड़कर निर्धारित किया गया है जिसमें कर शामिल नहीं है। यदि कर विक्रय मूल्य में शामिल होता है तो सकल लाभ कम हो जाता जबकि आडिटेड लेखाओं के अनुसार सकल लाभ निर्धारित है। अतः स्पष्ट होता है कि विक्रय मूल्य में कर शामिल नहीं है।	
10.	सहा. आ.वा.क. संभाग-1 इन्दौर मे. श्री स्टील 23740500903 सीएस0000001208 49	2011-12 जून 2014	17,37,15,180	5	83,80,979	79,81,885	3,99,094 शास्ति 1,19,72,82 योग 15.96 लाख	वैट आडिट रिपोर्ट में विक्रय सामग्री का मूल्य नेट क्रय बिना वैट के के अनुसार लाभ जोड़कर विक्रय मूल्य संगणित किया गया था। जबकि आडिटर द्वारा नेट विक्रय के स्थान पर भूलवश	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि वैट आडिट रिपोर्ट केवल वाणिज्यिक कर विभाग हेतु तैयार की गई है जो ठीक नजर आती है तथा निर्धारण वैट आडिट	

	(वैट)339							विक्रय मूल्य वैट सहित दर्शाया गया है।	रिपोर्ट के अनुसार किया है। उत्तर तथ्यों के अनुरूप नहीं है क्योंकि सामग्री के क्रय मूल्य में वैट शामिल नहीं है।
11.	सहा.आ.वा.क. संभाग-2 इन्दौर मे. ए.एम.डब्ल्यू मोटर्स लिमिटेड 23939061836 सी एस 00000177299 (वैट) 488	2012-13 फरवरी-2015	25,49,81,603	13	2,95,75,429	2,61,72,946	34,02,483 शास्ति <u>1,02,07,449</u> योग 136.10 लाख	वैट आडिट रिपोर्ट में विक्रय सामग्रियों का विक्रय मूल्य बिना वैट के शुद्ध क्रय राशि से निकाला गया है, विक्रय मूल्य सामग्री के संगणित मूल्य में लाभ जोड़कर निकाला गया हालाँकि लेखापरीक्षक द्वारा विक्रय मूल्य को त्रुटिवश शुद्ध विक्रय मूल्य लेकर वैट सहित दिखाया गया है।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि प्रकरण भूल सुधार हेतु पहले खोला गया था। उत्तर तथ्यों के अनुरूप नहीं है क्योंकि निर्धारण प्राधिकारी द्वारा उत्तर की पुष्टि हेतु प्रमाण संलग्न नहीं किया गया।
12.	वा.क.अ. शिवपुरी मे. विजय ट्रेडर्स टिन-2321570461 4 प्र.क्र. 428 / 11	2010-11 <u>जून-2013</u>	11,32,20,30	13 और 5	12,97,074	14,65,427	1,68,353 शास्ति <u>50,50,59</u> योग 6.73 लाख	अंकेक्षित लेखे के अनुसार क्रय एवं विक्रय वैट रहित है। अतः धारा 2(x)(iii) के तहत दी गई छूट अनियमित थी।	निर्धारण प्राधिकारी ने सत्यापन पश्चात् कार्यवाही करने को कहा। लेखापरीक्षा में अन्तिम कार्यवाही अपेक्षित है।
योग							31.37 करोड़ (शास्ति 22.60 करोड़ सहित)		

परिशिष्ट-X
(कंडिका 3.5 के संदर्भ में)
कर की गलत दर का निर्धारण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम / व्यावसायी	निर्धारण अवधि/निर्धारण का माह	वस्तु/कर योग्य टर्न ओवर जिस पर गलत दर लगाई गई	कर योग्य दर/कर की दर जो लगाई गई (%)	कम करारोपण कर की राशि/शास्ति	लेखापरीक्षा का अभिमत	विभाग का उत्तर/लेखापरीक्षा टिप्पणी
1	वा.क.अ., वृत्त -XV, इंदौर मे. अमन रबड एण्ड स्क्रेप टिन-23529033456 प्रकरण क्र. CS000000223959	2012-13 जनवरी 2015	रबड स्क्रेप 8,83,907	13 5	70,712 शास्ति 2,12,136 योग 2.83 लाख	रबड स्क्रेप पर 5 प्रतिशत पर दर से करारोपण किया गया था जब कि यह 13 प्रतिशत की दर से कर योग्य है।	निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर मे. बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
2	वा.क.अ. खण्डवा मे. आराधना एजेंसी एण्ड रेडिमेड टिन-23942004099 प्रकरण क्र. 204/11 (वैट)	2010-11 अगस्त 2015	मार्टिन कोईल एवं डिटोल 27,52,071	13 5	2,20,165 शास्ति 6,60,495 योग 8.81 लाख	प्रविष्टि क्रमांक II/IV/I के तहत मार्टिन काईल एवं डिटोल 13 प्रतिशत की दर से कर योग्य है।	निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर मे. बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
3	वा.क.अ., वृत्त -9, इंदौर मे. सलोमी एजेंसीज, इंदौर टिन- 23950904065 प्रकरण क्र. CS0000000147407 (वैट)	2011-12 जून 2014	फोटोकॉपी मशीन/पुर्जे/सहायक सामग्री 1,09,81,740	13 5	8,78,539 शास्ति 26,35,617 योग 35.14 लाख	फोटोकॉपी मशीन पर 5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया था जब कि यह 13 प्रतिशत की दर से कर योग्य है।	निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर मे. बताया कि यह अलग से फोटोकॉपी मशीन नहीं है बल्कि इसका उपयोग आई टी के साथ फोटोकॉपी के लिए किया जाता है इसलिए यह 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि फोटोकॉपी मशीन आई टी उत्पाद नहीं है।
4	वा.क.अ., वृत्त शिवपुरी मे. चौधरी एण्ड चौधरी ट्रेडर्स टिन-23215702092 प्रकरण क्र. 285/11 (वैट)	2010-11 जून 2013	बैटरीज 13,34,523	13 5	1.07 लाख	बैटरियां प्रविष्टि क्रमांक II/IV/I के तहत कर योग्य है।	निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर मे. बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।

5	वा.क.अ., वृत्त VII इंदौर मे. वासुदेव किशनदास इंदौर टिन-23220700136 प्रकरण क्र. CS00000051327 (वैट)	2011-12 जून 2014	चाकू, गैस, लाइटर्स 57,53,724	13 5	4,60,298 शास्ति 13,80,894 योग 18.41 लाख	चाकू, गैस, लाइटर्स प्रविष्टि क्रमांक II/IV/I के तहत कर योग्य है।	निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर मे. बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
6	वा.क.अ., वृत्त भिण्ड मे. चम्बल ट्रैक्टर टिन-23104801071 प्रकरण क्र. CS000000138073 (वैट)	2011-12 जून 2014	ट्रैक्टर सहायक सामग्री 6,58,626	13 5	52,690 शास्ति 1,58,070 योग= 2.11 लाख	ट्रैक्टर सहायक सामग्री अधिनियम की प्रविष्टि क्रमांक II/IV/I के तहत कर योग्य है।	निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर मे बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
7	वा.क.अ., अनूपपुर मे. हेमको इण्ड. टिन-23287203468 प्रकरण क्र. 42/12	2011-12 जुलाई 2014	मशीनरी पार्ट्स 8,83,907	13 5	1.71 लाख	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा 13 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर मे बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
8	वा.क.अ., वैढन मे. प्रगति एसोसिएट्स टिन-23979027882 प्रकरण क्र. 4/12	2011-12 मार्च 2015	दीवाल/ फर्शी टाईल्स 43,21,299	13 5	3.40 लाख	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा समस्त विक्रय पर 5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर मे बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
9	वा.क.अ.-I, जबलपुर मे. होलानी सिंग इण्ड. प्रा.लि. टिन-23115802736 प्रकरण क्र. 183418 (केन्द्रीय विक्रय कर)	2012-13 अगस्त 2014	कमानी पत्ता 48,26,739	2 1	48,267 शास्ति 1,44,801 योग 1.93 लाख	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना क्र. 16 दि. 30 मार्च 2016 (सी एस टी) के अनुसार ट्रेलर पार्ट्स पर त्रुटिपूर्वक दर से करारोपण किया, जब कि कम दर से कर "सभी प्रकार की कमानी पत्ता जो कि सभी प्रकार के मोटर वाहनों मे उपयोग होती है" के लिए लागू होना था।	निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर मे बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।

10	वा.क.अ., वृत्त-12 इंदौर, मे. सौराष्ट्र कैमीकल्स टिन-23291204158 प्रकरण क्र. CS50297 (वैट)	2011-12 अप्रैल 2014	सोडा ऐश 38,78,17,138	13 5	310 लाख	13 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर मे बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
11	वा.क.अ वृत्त-14 इंदौर, मे. के. जी. गोल्ड स्प्रिंग टिन-23471404655 प्रकरण क्र. 1689/2013 (केन्द्रीय) CS00000000522768	2012-13 फरवरी 2015	कमानी पत्ता 45,13,907	13 5	3,61,112 शास्ति 10,83,337 योग 14.44 लाख	13 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर मे बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा मे अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
12	वा.क.अ., वृत्त -14 इंदौर, मे. के. जी. गोल्ड स्प्रिंग टिन-23471404655 प्रकरण क्र. 1689/2013 CS00000000522768 (वैट)	2012-13 फरवरी 2015	कमानी पत्ता 58,28,455	13 5	4,66,276 शास्ति 13,98,828 योग 18.65 लाख	13 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर मे बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा मे अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
13	स.आ.वा.क.- छिन्दवाड़ा मे. ऐश्वर्या आटोमोबाईल टिन-23026601144 प्रकरण क्र. CS206583 (वैट)	2012-13 अक्टूबर 2014	ट्रैक्टर, एसेसरीज 9,18,623	13 5	73,489 शास्ति 2,20,467 योग 2.94 लाख	13 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर मे बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा मे अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
14	वा.क.अ., वृत्त-12 इंदौर, मे. यूनीवर्सल डिजिटल कनेक्ट टिन-23571204877 प्रकरण क्र. CS122096	2012-13 दिसम्बर 2014	टेबलेट्स 8,63,535	13 5	69,083 शास्ति 2,07,249 योग 2.76 लाख	13 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर मे बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
15	वा.क.अ., वृत्त-बैतूल मे. इण्डवैल कंस्ट्रक्शन सारणी टिन-23234702496 प्रकरण क्र. 773/2013 (वैट)	2012-13 मार्च 2015	वैल्डिंग इलैक्ट्रोड्स 1,22,26,535	05 0	6.11 लाख	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा वैल्डिंग इलैक्ट्रोड्स को उपभोगीय समग्री मानते हुए करारोपण नहीं किया गया। जबकि अपीलीय प्राधिकारी के	निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर मे बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।

16	वा.क.अ., वृत्त-बैतूल मे. इण्डवैल कंस्ट्रक्शन सारणी टिन-23234702496 प्रकरण क्रं. CS99612 (वैट)	2011-12 जनवरी 2014	बैल्लिंग इलैक्ट्रोड्स 92,66,602	05 0	4.63 लाख	आदेश दि. 19 नवम्बर 2014 मे. फर्नेश कंस्ट्र. कं. उज्जैन के प्रकरण के अनुसार यह स्थानान्तरणीय समग्री है।	निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर मे बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
17	वा.क.अ., वृत्त-बैतूल मे. इण्डवैल कंस्ट्रक्शन सारणी टिन-23234702496 प्रकरण क्रं. 39/2011 (वैट)	2010-11 अप्रैल 2013	बैल्लिंग इलैक्ट्रोड्स 22,22,684	05 0	1.11 लाख		निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर मे बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
18	वा.क.अ., वृत्त-4 ग्वालियर, मे. एम. के. एयर प्रोडक्ट्स, प्रा.लि. टिन-23685405159 प्रकरण क्र. CS331568 (वैट)	2012-13 फरवरी 2015	ऑक्सीजन, आर्गन 76,31,312	13 5	6,10,505 शास्ति 18,31,515 योग 24.42 लाख	आर्गन एवं ऑक्सीजन गैस 13 प्रतिशत की दर से कर योग्य है, जबकि 5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर मे बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
19	वा.क.अ., वृत्त-2 इंदौर, मे. वाडीलाल कैमीकल्स टिन-23070201784 प्रकरण क्र. CS141117	2011-12 जून 2014	आर्गन एवं हीलियम गैस 66,87,168	13 5	5.35 लाख	आर्गन एवं हीलियम गैस 13 प्रतिशत की दर से कर योग्य है, जबकि 5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर मे बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
20	स.आ.वा.क., वृत्त-IX इंदौर, मे. आर व्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर टिन-23530904199 प्रकरण क्र. CS0000000245807	2012-13 फरवरी 2015	इमल्सन 12,85,515	13 5	1,02,841 शास्ति 3,08,523 योग= 4.11 लाख	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा 13 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया।	निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर मे बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
21	स.आ.वा.क., वृत्त-नीमच मे. मित्तल कंस्ट्र. यूनिट, मन्दसौर टिन-23383104484 प्रकरण क्र. 149/2012 (वैट)	2011-12 जुलाई 2014	प्री फेब्रीकेटेडस्टील बिल्लिंग/पी.ई. (पोली-इथिलेन) बोर्ड 5,68,78,846	13 5	48,03,766 शास्ति 1,44,11,298 योग 192.15 लाख	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा 13 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया।	निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर मे बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।

22	वा.क.अ., वृत्त-वैदहन जिला-सिंगरौली मे. एम. के. एसोसिएट्स, सिंगरौली टिन-23647300658 प्रकरण क्रं. 05/2012 (वैट)	2011-12 जुलाई 2014	मशीनरी पार्ट्स 2,80,80,947	<u>13</u> 5	22.46 लाख	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा 13 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया।	निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि व्यावसायी द्वारा अन्य राज्य से एच ई एम एम पार्ट्स का क्रय किया गया। फार्म-49 में दर्शाये गए स्पेयर पार्ट्स एच ई एम एम पार्ट्स हैं, जो कि 5 प्रतिशत से कर योग्य थे। उत्तर मान्य नहीं हैं, क्योंकि फार्म-49 के सामग्री के विवरण में एम/सी पार्ट्स जो कि मशीनरी पार्ट्स होने से प्रविष्ट क्रमांक II/IV/I के तहत 13 प्रतिशत की दर से कर योग्य है।
23	उ.वा.क., खण्डवां मे. शीतल मोटर्स, खण्डवां टिन-23732003972	2010-11 सितम्बर 2015	ट्रैक्टर एक्सेसरीज 22,44,129	<u>13</u> 5	1,79,530 शास्ति 5,38,590 योग 7.18 लाख	ट्रैक्टर एक्सेसरीज प्रविष्ट क्रमांक II/IV/I के तहत कर योग्य है।	निर्धारण प्राधिकारी, खण्डवां ने उत्तर में बताया कि प्रविष्टि क्रमांक II/II/90 के तहत 5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया है क्योंकि हुड, हुक्स, बम्पर ट्रैक्टर के पार्ट्स हैं। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि सामग्री ट्रैक्टर एक्सेसरीज है न कि पार्ट्स, जो कि प्रविष्टि क्रमांक II/IV/I के तहत कर योग्य है।
24	उ.वा.क., संभाग-2, भोपाल मे. विशाल निर्मिति प्रा.लि. टिन-23464302875 प्रकरण क्रं. 147,148/2013	2012-13 फरवरी 2015	स्लीपर प्लांट एवं मशीनरी 16,50,950	<u>13</u> 5	1,32,076 शास्ति 3,96,228 योग 5.28 लाख	इस पर 13 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
25	उ.वा.क., संभाग-2, इंदौर मे. हेन्ज इण्डिया प्रा.लि. टिन-23261101306 प्रकरण क्रं. CS000092227/2012	2011-12 जून 2014	ग्लूकोज-डी 11,60,00,731	<u>13</u> 5	92,80,058 शास्ति 2,78,40,174 योग 371.20 लाख	यह पाया गया कि ग्लूकोज-डी 5 प्रतिशत के स्थान पर विशिष्ट प्रविष्टि क्रमांक II/IV/I के तहत 13 प्रतिशत कर योग्य था।	निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि ग्लूकोज-डी प्रविष्टि क्रमांक II/II/55 (80) के तहत औद्योगिक आगत था। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि ग्लूकोज ब्राण्ड नाम ग्लूकोन-डी के तहत विक्रय किया गया था, जो कि गैर अनुशंसित उपभोक्ता उत्पाद है न कि औद्योगिक उत्पाद।

26	स.आ.वा.क., वृत्त-2, इंदौर मे. मेरीको प्रा.लि. टिन-23811100731 प्रकरण क्र. 35/2013	2010-11 सितम्बर 2013	मेडीकर एन्टी लाईस ट्रीटमेन्ट 92,07,175	$\frac{13}{5}$	7.37 लाख	यह पाया गया कि मेडीकर एन्टी लाईस 5 प्रतिशत के स्थान पर विशिष्ट प्रविष्टि क्रमांक II/IV/I के तहत 13 प्रतिशत कर योग्य था।	निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि मेडीकर एन्टी लाईस पर कर की दर 5 प्रतिशत है। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि मेडीकर एक गैर अनुशासित उपभोक्ता/कास्मेटिक उत्पाद (शैम्पू) है और 13 प्रतिशत की दर से कर योग्य है।
27	उपा.वा.क., खण्डवां मे. टेक्समों पाईप्स एण्ड प्रोडक्ट्स लि. टिन-23151910492 प्रकरण क्र. CS00078038 वैट	2011-12 जून 2014	पाईप्स 2,35,08,724	$\frac{5}{0}$	11,75,436 शास्ति 35,26,308 योग 47.02 लाख	यह पाया गया कि पाईप 0 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य था।	निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
योग			70,92,29,512	कर शास्ति योग	5.53 करोड़ 5.70 करोड़ 11.23 करोड़		

परिशिष्ट—XI
(कंडिका 3.6.1 के संदर्भ में)
अमान्य आगत कर छूट की स्वीकृति (आई टी आर)

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम/ व्यवसायी	अवधि/ निर्धारण का माह	आगत कर छूट बुक्स या नियमानुसार /आगत कर छूट नि. अ. द्वारा निर्धारित	स्वीकृत अधिक आगत कर छूट	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	निर्धारण प्राधिकारी का उत्तर/लेखापरीक्षा का अभिमत
1	वा.क.अ., रीवा मे. शशांक इनफोकाम, प्रा. लि. टिन-23349029594 प्रकरण क्र. 532/13 वैट	2012-13 जनवरी 2015	4,05,626 4,79,155	0.74 लाख	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अधिक आगत कर छूट स्वीकृत किया गया, जबकि अंकक्षित लेखाओं में अभिलिखित क्रय पर आगत कर छूट कम थी।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि क्रय बीजकों के सत्यापन पश्चात आगत कर छूट स्वीकृत किया गया है। उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि आगत कर छूट अंकक्षित लेखाओं के सत्यापित क्रय के अनुसार दिया जाना चाहिए था।
2	वा.क.अ., गुना मे. घनश्याम दास राजेन्द्र कुमार टिन-23705002301 प्रकरण क्र. 05/2012 वैट	2011-12 जुलाई 2014	11,457 59,669	48,212 शास्ति 1,44,636 1.93 लाख	अधिसूचना क्र. ए-5-5-07-1-व्ही (2) दि. 4-01-2008 के अनुसार सोयाबीन वैट अधिनियम की धारा 26 (ए) के तहत अधिसूचित है। अतः सोयाबीन पर आगत कर छूट स्वीकार्य नहीं है।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
3	वा.क.अ., शिवपुरी मे. छत्रपाल ट्रेडर्स टिन-23535602103 प्रकरण क्र. 45/12 वैट	2011-12 स्व-कर निर्धारण	40,79,079 42,29,342	1,50,263 शास्ति 4,50,789 6.01 लाख	यह एक स्व-कर निर्धारण है। व्यवसायी द्वारा अंकक्षित खाता में दर्ज क्रय से अधिक पर अपने विवरणियों में व्यापार खातों की विवरणियों में आई टी आर का दावा किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र. सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम/ व्यवसायी	अवधि/ निर्धारण का माह	आगत कर छूट बुक्स या नियमानुसार / आगत कर छूट नि. अ. द्वारा निर्धारित	स्वीकृत अधिक आगत कर छूट	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	निर्धारण प्राधिकारी का उत्तर/ लेखापरीक्षा का अभिमत
4	वा.क.अ., वृत्त-सागर मे. मदन मोहन लक्ष्मीनारायण टिन-23217500957 प्रकरण क्र. 07/2013 वैट	2012-13 स्व-कर निर्धारण	29,71,537 30,18,240	46,703 शास्ति 1,40,109 1.87 लाख	अंकेक्षित खातों मे. दर्ज आगत कर छूट से अधिक आगत कर का दावा विवरणियों मेकिया गया है।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
5	वा.क.अ., इटारसी मे. अग्रवाल इंजीनियरिंग एण्ड कन्टेनर्स टिन-23304301993 प्रकरण क्र. CS0000000151837 वैट	2011-12 जून 2014	3,98,328 4,44,530	46,202 शास्ति 1,38,606 1.85 लाख	व्यवसायी द्वारा त्रुटिपूर्ण गणना की प्रस्तावना के कारण निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अधिक आगत कर छूट स्वीकृत की गई। (वा. क.अ. द्वारा ₹ 33,08,811 पर 5 प्रतिशत की दर से ₹ 1,72,970 एवं ₹ 17,91,750 पर 13 प्रतिशत से ₹ 2,71,560 की आगत कर छूट संगणित की गई थी।)	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
6	वा.क.अ., छिंदवाड़ा मे. श्री ट्रेडर्स टिन-23126600992 प्रकरण क्र. 101/13 (CS0000000169217) वैट	2012-13 नवम्बर 2014	41,62,675 42,29,747	67,072	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पेट्रोल एवं डीजल के वाष्पीकरण के कारण कमी पर रिवर्सल नहीं किया, और इस वाष्पित मात्रा पर भी आगत कर छूट दी।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा मे अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
7	वा.क.अ., खण्डवा मे. नर्मदा एगो एजेंसी टिन-23972005974 प्रकरण क्र. 835/2011 वैट	2010-11 जुलाई 2013	88,413 1,51,546	63,133 शास्ति 1,89,399 2.53 लाख	प्रांत बाहर के क्रय पर आगत कर छूट स्वीकृत किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा मे अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र. सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम/ व्यवसायी	अवधि/ निर्धारण का माह	आगत कर छूट बुक्स या नियमानुसार /आगत कर छूट नि. अ. द्वारा निर्धारित	स्वीकृत अधिक आगत कर छूट	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	निर्धारण प्राधिकारी का उत्तर/लेखापरीक्षा का अभिमत
8	वा.क.अ.-3, ग्वालियर मे. निधी (I) इण्डस्ट्रीज टिन-23575304291 प्रकरण क्र. CS0000000149832 वैट	2011-12 जून2014	6,50,220 7,14,852	64,632 शास्ति 1,93,896 2.59 लाख	अधिनियम की धारा 14 (6) (vi) के अनुसार कार्यालय/स्वयं के भवन निर्माण के लिए क्रय सामग्री पर आगत कर छूट की पात्रता नहीं है।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
9	वा.क.अ., बैतुल मे. भजन शाह कान्ट्रेक्टर टिन-23799014611 प्रकरण क्र. CS0000000202056 वैट	2012-13 जनवरी2015	4,06,183 5,94,294	1,88,111 शास्ति 5,64,333 7.52 लाख	आडिट रिपोर्ट में दर्ज क्रय से अधिक क्रय पर आगत कर छूट स्वीकृत किया गया है।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
10	वा.क.अ., बालाघाट मे. अनीश इंटरप्राइजेज टिन-23346504356 प्रकरण क्र. 129/2012 वैट	2011-12 मई2014	निरंक 1,43,919	1.44 लाख	प्रांत बाहर के क्रय पर आगत कर छूट स्वीकृत किया गया है।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा मे अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
11	स.आ.वा.क., सागर-I मे. मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट लि. टिन-23617505587 प्रकरण क्र. 99/2014	2013-14 फरवरी 2015		6,82,804 शास्ति 20,48,412 27.31 लाख	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा आयरन एवं स्टील को प्लांट एवं मशीनरी मानते हुए आगत कर छूट स्वीकृत किया, जो कि आगत कर छूट योग्य नहीं है।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा मे अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
12	वा.क.अ., नरसिंहपुर मे. केशवानंद इंटरप्राइजेज टिन-23096403662	2011-12 जुलाई2014	5,25,982 14,17,024	7.13 लाख	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा क्रय ₹ 14,17,024 की क्रयपर 13 प्रतिशत की दर	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा मे अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र. सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम/ व्यवसायी	अवधि/ निर्धारण का माह	आगत कर छूट बुक्स या नियमानुसार /आगत कर छूट नि. अ. द्वारा निर्धारित	स्वीकृत अधिक आगत कर छूट	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	निर्धारण प्राधिकारी का उत्तर/लेखापरीक्षा का अभिमत
	प्रकरण क्र. 322 / 12				से ₹ 1,84,213 आगत कर छूट स्वीकृत किया गया, जब कि व्यवसायी द्वारा ₹ 5,25,982 की क्रय पर 13 प्रतिशत की दर से वैट का भुगतान किया गया।	
13	वा.क.अ.-I, जबलपुर मे. एयर परफेक्सन टिन-23435803724 प्रकरण क्र. 167454 वैट	2011-12 जुलाई2014	88,11,281 95,00,601	87,140 शास्ति 2,61,420 योग 3.49 लाख	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा क्रय ₹ 95,00,601 पर आगत कर छूट स्वीकृत किया गया, जब कि पंजीकृत व्यवसाइयों से ₹ 88,11,281 मात्र का क्रय किया था।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा मे अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
14	वा.क.अ.-I, जबलपुर मे. एम पी वुड प्रोडक्ट टिन-23935804031 प्रकरण क्र. 194073	2012-13 दिसम्बर2014	6,15,718 16,08,908	1,29,115 शास्ति 3,78,345 योग 5.07 लाख	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा लकड़ी क्रय पर आगत कर छूट स्वीकृत किया गया, जो कि प्रांत बाहर विक्रय किया गया है। जबकि मध्यप्रदेश के भीतर लकड़ी की विक्रय होने पर आगत कर छूट स्वीकार्य होना चाहिए।	निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर मे स्वीकृत आगत कर छूट की एक गणना प्रस्तुत की और बताया कि कम आगत कर छूट स्वीकृत किया गया है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निर्धारण प्राधिकारी द्वारा विक्रय को सकल विक्रय एवं क्रय को निवलक्रय माना, जब कि लेखों मे दर्ज क्रय एवं विक्रय में कर शामिल नहीं हैं। गणना मे ली गई लाभ की दर भी अंकक्षित लेखों के अनुरूप नहीं है जबकि आपत्ति मे ली गई लाभ की दर अंकक्षित लेखों के अनुरूप है।
15	वा.क.अ.-I, जबलपुर मे. स्टैंडर्ड लकड़ी टिन-23615800812 प्रकरण क्र. 19591	2012-13 मार्च 2015	73,05,479 75,66,415 2(x)(iii)	30,018 शास्ति 90,054 योग 1.20 लाख		
16	उ.वा.क., संभाग-II, भोपाल मे. एच.ई.जी. लि.	2012-13 फरवरी2015	60,48,57,294 63,12,04,914	21.13 लाख	फर्नेश आयल के क्रय मूल्य ₹ 70,24,22,960 एवं	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी।

क्र. सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम/ व्यवसायी	अवधि/ निर्धारण का माह	आगत कर छूट बुक्स या नियमानुसार / आगत कर छूट नि. अ. द्वारा निर्धारित	स्वीकृत अधिक आगत कर छूट	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	निर्धारण प्राधिकारी का उत्तर/ लेखापरीक्षा का अभिमत
	टिन-23214100234 प्रकरण क्र. 52/13				लुब्रिकेंट आयल के क्रय मूल्य ₹ 95,91,615 पर 13 प्रतिशत की दर से आगत कर छूट स्वीकृत किया गया था, जबकि पुस्तकों के अनुसार क्रय मूल्य ₹ 69,25,84,472 एवं ₹ 23,08,803 प्रमाणित होता है।	लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
17	वा.क.अ., वृत्त-बैतूल मे. ब्रजेश कुमार शांडिल्य टिन-23824703772 प्रकरण क्र. 412/2011वैट	2010-11 सितम्बर2013	2,11,320 7,84,138	5,72,818 शास्ति 17,18,454 योग 22.91 लाख	अकेक्षित प्रतिवेदन के अनुसार वैट ₹ 2,11,320 का भुगतान किया गया। जबकि निर्धारण प्राधिकारी द्वारा ₹ 7,84,138 की आगत कर छूट स्वीकृत की गई।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
18	वा.क.अ., वृत्त-बैतूल मे. राधेश्याम अग्रवाल टिन-23404701287 प्रकरण क्र. CS2771 वैट	2010-11 सितम्बर2013	7,32,615 8,19,877	87,262 शास्ति 2,61,786 योग 3.49 लाख	क्रय सूची के अनुसार प्रांत बाहर से ₹ 6,71,249 की इलेक्ट्रीकल सामग्री क्रय की गई, जिस पर आगत कर छूट स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये था।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
19	वा.क.अ., वृत्त-4 ग्वालियर मे. अग्रवाल ऑटोमोबाईल्स टिन-23455100657 प्रकरण क्र. 780/13	2012-13 स्व-कर निर्धारण	90,69,575 91,63,356	0.94 लाख	वधित पेट्रोल या मात्रा में कमी दर्शाये हुए पेट्रोल एवं डीजल के मूल्य पर आगत कर छूट स्वीकृत की गई।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र. सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम/ व्यवसायी	अवधि/ निर्धारण का माह	आगत कर छूट बुक्स या नियमानुसार / आगत कर छूट नि. अ. द्वारा निर्धारित	स्वीकृत अधिक आगत कर छूट	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	निर्धारण प्राधिकारी का उत्तर/लेखापरीक्षा का अभिमत
20	वा.क.अ., वृत्त-2 इंदौर मे. शैल कृपा सर्विस टिन-2314023540 प्रकरण क्र. CS309331	2012-13 फरवरी 2015	2,90,86,734 2,91,39,318	0.53 लाख	वधित पेट्रोल या मात्रा मे कमी दर्शाये हुए पेट्रोल एवं डीजल के मूल्य पर आगत कर छूट स्वीकृत की गई।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा मे अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
21	वा.क.अ., वृत्त-2 इंदौर मे. अमूल फीलिंग स्टेशन टिन-23709067288 प्रकरण क्र. CS311159	2012-13 फरवरी 2015	34,87,565 34,94,444	0.07 लाख	वधित पेट्रोल या मात्रा मे कमी दर्शाये हुए पेट्रोल एवं डीजल के मूल्य पर आगत कर छूट स्वीकृत की गई।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा मे अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
22	वा.क.अ., वृत्त-2 इंदौर मे. आल इंडिया ट्रेडिंग कं. टिन-230660200286 प्रकरण क्र. CS237844	2012-13 फरवरी 2015	3,30,35,007 3,30,64,681	0.30 लाख	वधित पेट्रोल या मात्रा मे कमी दर्शाये हुए पेट्रोल एवं डीजल के मूल्य पर आगत कर छूट स्वीकृत की गई।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा मे अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
23	वा.क.अ., वृत्त-2 इंदौर मे. जुबली फ्यूल स्टेशन टिन-23960203865 प्रकरण क्र. CS270475	2012-13 फरवरी 2015	3,29,82,106 3,30,35,007	0.53 लाख	वधित पेट्रोल या मात्रा मे कमी दर्शाये हुए पेट्रोल एवं डीजल के मूल्य पर आगत कर छूट स्वीकृत की गई।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
24	वा.क.अ.,-इटारसी मे. स्वास्तिक ट्रेडिंग मार्ट टिन-23154300184 प्रकरण क्र. 443/2013	2012-13 स्व-कर निर्धारण	निरंक 405,220	16,00,793 शास्ति 48,02,379 योग 64.03 लाख	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा लकडीक्रय पर आगत कर छूट स्वीकृत किया गया जो कि प्रांत बाहर विक्रय किया गया था, जबकि मध्यप्रदेश के भीतर लकडी के विक्रय पर ही आगत कर छूट स्वीकार्य है।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा मे अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
25	वा.क.अ.,-इटारसी मे. स्वास्तिक ट्रेडिंग मार्ट टिन-23154300184 प्रकरण क्र. 50/14	2013-14	निरंक 6,34,430	9,71,835 शास्ति 29,15,505 योग 38.87 लाख		
26	वा.क.अ.,-इटारसी मे. सरस्वती सॉ मिल	2012-13 फरवरी 2015	निरंक 7,88,565	20,75,695 शास्ति 62,27,085		

क्र. सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम/ व्यवसायी	अवधि/ निर्धारण का माह	आगत कर छूट बुक्स या नियमानुसार / आगत कर छूट नि. अ. द्वारा निर्धारित	स्वीकृत अधिक आगत कर छूट	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	निर्धारण प्राधिकारी का उत्तर/ लेखापरीक्षा का अभिमत
	टिन-23284300452 प्रकरण क्र. 448 / 2013			योग 83.03 लाख		
27	वा.क.अ.,-इटारसी मे. सरस्वती सॉ मिल टिन-23284300452 प्रकरण क्र. 74 / 14	2013-14	निरंक 8,80,546	16,45,090 शास्ति 49,35,270 योग 65.80 लाख		
28	वा.क.अ.,-इटारसी मे. ज्योति लकडी मार्ट टिन-23624302205 प्रकरण क्र. 511 / 13	2012-13	निरंक 3,17,600	11,53,620 शास्ति 34,60,860 योग 46.14 लाख		
29	वा.क.अ.,-अनूपपुर मे. एस. आर. ट्रेडिंग टिन-23267203188 प्रकरण क्र.34 / 2013 वैट	2013-14 स्व-कर निर्धारण	15,70,922 16,19,938	49,016 शास्ति 1,47,048 योग 1.96 लाख	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा ₹ 16,19,938 /-आगत कर छूट स्वीकृत किया गया, जबकि अकेक्षित लेखाओं के अनुसार आगत कर ₹ 15,70,222 /- है।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा मेअंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
30	स.आ.व.क. संभाग-रतलाम मे. पटेल ऑटोमोबाईल्स टिन-23863400458 प्रकरण क्र. CS147566	2012-13 जनवरी2015	9,49,98,761 9,53,20,356	3.22 लाख	वधित पेट्रोल या मात्रा मे कमी दर्शाये हुए पेट्रोल एवं डीजल के मूल्य पर आगत कर छूट स्वीकृत की गई।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा मे अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
31	मे. शाहिद गिरिजेश गुप्ता पेट्रोलियम टिन-23982902879 प्रकरण क्र. CS202298	2012-13 फरवरी2015	62,51,694 62,77,295	0.26 लाख		
32	मे. स्कवेयर आटोमोबाईल टिन-23193400293 प्रकरण क्र. CS147567	2012-13 फरवरी 2015	3,39,65,908 3,40,44,986	79,078		

क्र. सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम/ व्यवसायी	अवधि/ निर्धारण का माह	आगत कर छूट बुक्स या नियमानुसार / आगत कर छूट नि. अ. द्वारा निर्धारित	स्वीकृत अधिक आगत कर छूट	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	निर्धारण प्राधिकारी का उत्तर/ लेखापरीक्षा का अभिमत
33	मे. उदयरक्षक फ्यूल टिन-23802902105 प्रकरण क्र. CS154859	2012-13 फरवरी 2015	2,10,77,132 2,11,11,377	34,245 4.61 लाख		
34	स.आ.वा.क. संभाग-1 ग्वालियर मे. बी.सी. आटोमोबाईल टिन-23535100904 प्रकरण क्र. CS323277	2012-13 फरवरी 2015	1,73,17,376 1,75,32,364	2.15 लाख	वर्धित पेट्रोल या मात्रा में कमी दर्शाये हुए पेट्रोल एवं डीजल के मूल्य पर आगत कर छूट स्वीकृत की गई।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
35	वा.क.अ., वृत्त-14 इंदौर मे. ऊषाराज फ्यूलस टिन-23141403527 प्रकरण क्र. 30/14 (टी)	2013-14 फरवरी 2015	3,55,78,907 3,57,60,087	1,81,180	वर्धित पेट्रोल या मात्रा में कमी दर्शाये हुए पेट्रोल एवं डीजल के मूल्य पर आगत कर छूट स्वीकृत की गई।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
36	मे. कुमुदिनी इंटरप्राइजेज टिन-23401401153 प्रकरण क्र. 76/13 (टी)	2012-13 दिसम्बर 2014	302,40,036 302,71,804	31,768 2.13 लाख		
37	स.आ.व.क. संभाग-2 इंदौर मे. खण्डेलवाल हाईवे सर्विसेज टिन-23811100955 प्रकरण क्र. 22/2013 वैट	2012-13 फरवरी 2015	404,65,681 1,87,92,897	0.8 करोड़ 1.3 करोड़ 2.1 करोड़	वर्धित पेट्रोल या मात्रा में कमी दर्शाये हुए पेट्रोल एवं डीजल के मूल्य पर आगत कर छूट स्वीकृत की गई।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रकरण धारा-54 के तहत खोला गया और कार्यवाही की गयी है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।
38	स.अ.वा.क. संभाग-2 इंदौर मे. मन्नालाल लच्छीराम एण्ड सन्स टिन-23961001690 प्रकरण क्र. 02/2013 वैट	2012-13 दिसम्बर 2014	6,31,61,484 6,32,82,822	1.21 लाख	वर्धित पेट्रोल या मात्रा में कमी दर्शाये हुए पेट्रोल एवं डीजल के मूल्य पर आगत कर छूट स्वीकृत की गई।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
39	वा.क.अ., वृत्त-1 जबलपुर मे. यूनैटी कंस्ट्रक्शन	2011-12 नवम्बर 2014	3,60,564 4,85,857	1.25 लाख	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा क्रय पर वास्तविक चुकाए	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी।

क्र. सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम/ व्यवसायी	अवधि/ निर्धारण का माह	आगत कर छूट बुक्स या नियमानुसार / आगत कर छूट नि. अ. द्वारा निर्धारित	स्वीकृत अधिक आगत कर छूट	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	निर्धारण प्राधिकारी का उत्तर/लेखापरीक्षा का अभिमत
	टिन-23315804372 प्रकरण क्र. 121/2012 वैट				गए आगत कर से अधिक आगत कर छूट स्वीकृत की गई।	लेखापरीक्षा मे अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
40	उ.वा.क. संभाग-1 ग्वालियर मे. एस.जी. मोटर्स प्रा.लि. टिन-23115303089 प्रकरण क्र. 69/13	2012-13 जनवरी2015	19,76,40,718 19,83,77,923	7,37,205 शास्ति 22,11,615 योग 29.49 लाख	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अंकेक्षित लेखाओं मे. दर्ज क्रय की राशि से अधिक राशि पर आगत कर छूट स्वीकृत किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा मे अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
41	वा.क.अ., वृत्त-9 इंदौर मे. राकेश मेडिकल एजेंसी टिन-23420904211 प्रकरण क्र. 95/13	2012-13 फरवरी2015	1,41,094 2,00,318	59,224 शास्ति 1,77,672 योग 2.37 लाख	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा क्रय वापसी पर आगत कर छूट स्वीकृत किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा मे अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
42	स.आ.वा.क. संभाग-2 इंदौर मे. खण्डेलवाल हाईवे सर्विस टिन-23811100955 प्रकरण क्र. 22/13	2012-13 फरवरी2015	42124358 20821111	2.1 करोड़	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा व्यवसायी को दावा किए गए आगत कर छूट के विरुद्ध अधिक आगत कर छूट स्वीकृत किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि धारा-54 के तहत प्रकरण में पहले ही कार्यवाही की जा चुकी है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उत्तर के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए।
43	उपा.वा.क. संभाग-2 इंदौर मे. अतुल पोलिकेम टिन-23051100209 प्रकरण क्र.3/13	2012-13 फरवरी 2015	1498910 10123693	86.25 लाख	अंकेक्षित खातों मे आगत कर छूट ₹ 14,98,910/- का दावा किया गया जब कि निर्धारण प्राधिकारी द्वारा 101,23,693 आगत कर छूट स्वीकृत किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि अंकेक्षित खाते मे. क्रय पर भुगतान किए गए कर तथा विक्रय पर संग्रहित किए गए करों के मध्य अंतर को दर्शित करती है। उत्तर तक्रसंगत नहीं है क्योंकि क्रय एवं विक्रय पृथक अनुसूचियों में दर्शाये गए हैं। सूची 26 के अनुसार वैट संग्रह ₹ 14,98,910/- दर्शाया गया है।

क्र. सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम/ व्यवसायी	अवधि/ निर्धारण का माह	आगत कर छूट बुक्स या नियमानुसार /आगत कर छूट नि. अ. द्वारा निर्धारित	स्वीकृत अधिक आगत कर छूट	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	निर्धारण प्राधिकारी का उत्तर/लेखापरीक्षा का अभिमत
44	स.आ.व.क. संभाग-2 जबलपुर मे. अजय फूड प्रोडक्ट्स प्रा.लि. , कटनी टिन-2392603143 प्रकरण क्र. 21/2013	2012-13 दिसम्बर2014	66,26,50 96,26,50	3 लाख	वर्ष 2011-12 के निर्धारण आदेश मे आगत कर छूट ₹ 6,62,650 स्वीकृत किया गया था लेकिन त्रुटिवश 2012-13 मे. ₹ 9,62,650 अग्रेषित किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा मे अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
45	वा.क.अ., दमोह मे. स्वपनिल अरोड़ा टिन-23227603432 प्रकरण क्र. 206/11/प्रोवेंसियल	2011-12 सितम्बर2013	61,521 28,12,50	61,521 शास्ति 18,45,63 योग 2.46 लाख	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा ब्लैक स्टोन मेटल पर आगत कर छूट स्वीकृत किया गया जबकि कर चुकी सामग्री होने के कारण यह आगत कर छूट के योग्य नहीं है।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा मे अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
46	वा.क.अ.-2 कटनी मे. आर्चिएन इंडस्ट्रीज मिनरल सप्लायर टिन-23766206044 प्रकरण क्र.CS000000063659 वैट	2010-11 सितम्बर2013	83336 119456	35,920 शास्ति 10,77,60 योग 1.43 लाख	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अंकेक्षित खाते मे. दर्ज क्रय की राशि से अधिक राशिपर आगत कर छूट स्वीकृत किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा मे अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
47	वा.क.अ. दमोह मे. चौधरी उत्तमचंद जैन टिन-23397600574 प्रकरण क्र. 31/11 वैट	2010-11 सितम्बर 2013	830409 871930	41,521 शास्ति 12,45,63 योग 1.66 लाख	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा सकल क्रय को शुद्ध क्रय मानकर आगत कर छूट स्वीकृत किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा मे अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
48	स.आ.व.क. संभाग-2 इंदौर मे. सोनी एण्ड सन्स टिन-23811104447 प्रकरण क्र. 39/2013	2012-13	5998393 6157320	1,58,927 शास्ति 47,67,81 योग 6.36 लाख	त्रुटिपूर्ण गणना के कारण अधिक आगत कर छूट स्वीकृत किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा मे अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र. सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम/ व्यवसायी	अवधि/ निर्धारण का माह	आगत कर छूट बुक्स या नियमानुसार / आगत कर छूट नि. अ. द्वारा निर्धारित	स्वीकृत अधिक आगत कर छूट	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	निर्धारण प्राधिकारी का उत्तर/ लेखापरीक्षा का अभिमत
49	वा.क.अ.-2 ग्वालियर मे. राघवेंद्र पेट्रोल पम्प टिन-23265006332 प्रकरण क्र. CS0000000274562 वैट	2012-13 दिसम्बर 2014	52245142 53070135	8.52 लाख	पेट्रोल डीजल पर बिना बिक्रय के आगत कर छूट स्वीकृत किया गया। वाष्पीकरण पर भी आगत कर छूट स्वीकृत किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि वैट अधिनियम 2006 की धारा 2 (v) के अनुसार विक्रय मूल्य (पेट्रोल एवं डीजल के लिए) का अर्थ आयल कंपनियों को प्राप्त या प्राप्ति योग्य मूल्य की राशि से है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि स्वीकृत किया गया आगत कर छूट अधिनियम की धारा 14(1ac) के अनुसार उचित नहीं है एवं निर्धारण प्राधिकारी द्वारा उल्लेखित में डीजल एवं पेट्रोल के विक्रय मूल्य पर कोई टीप नहीं की गयी है।
50	स.आ.वा.क. संभाग-2इंदौर मे. गैस पॉइंट इंदौर टिन-23650601396 प्रकरण क्र.5/12 वैट	2011-12 मई 2014	6345128 6399156	5,40,28 शास्ति 1,60,84 योग 2.15 लाख	अंकेक्षित खातों मे. दर्ज क्रय राशि से अधिक राशि पर आगत कर छूट स्वीकृत किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि आगत कर छूट प्रस्तुत किए गए बिलों के आधार पर स्वीकृत किया गया। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि आगत कर छूट अंकेक्षित खातों के अनुसार क्रय पर स्वीकृत किया जाना चाहिए।
51	स.आ.वा.क. संभाग-2इंदौर मे. गोल्ड स्टार पेन्टस् प्रा.लि. इंदौर टिन-23491105011 प्रकरण क्र.43/2013 वैट	2012-13 फरवरी 2015	12033334 13075889	10,42,555 शास्ति 31,27,665 योग 41.70 लाख	अंकेक्षित खातों मे. दर्ज क्रय से अधिक क्रय पर आगत कर छूट स्वीकृत किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
			कर शास्ति योग	6.76 करोड़ 3.56 करोड़ 10.32 करोड़		

परिशिष्ट-XII
(कांडिका 3.6.2 के संदर्भ में)
राज्य के बाहर स्टॉक अंतरणमें आगत कर कारिवर्सल नहीं किया जाना/कम रिवर्सल

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम/ व्यावसायी	अवधि/ निर्धारण का माह	पुस्तकों या नियमानुसार आगत कर छूट/निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित आगत कर छूट	अधिक स्वीकृत आगत कर छूट (₹)	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	निर्धारण प्राधिकारी का उत्तर/लेखापरीक्षा का अभिमत
1	वा.क.अ., बालाघाट मे.रिभा टाईल्स टिन-23436506974 प्रकरण क्र. 79/2012 (वैट)	2011-12 जुलाई 2014	6,416 51,273	44,857 शास्ति 1,34,571 योग 1.79 लाख	आगत कर छूट प्रावधान के अनुसार कर मुक्त सामग्री के उत्पादन में आगत कर छूट चार प्रतिशत से अधिक पर ही मान्य है। प्रकरण के साथ संलग्न कुछ क्रय बिल अंतरिम एवं अहस्ताक्षरित हैं अतएव उन बिलों पर आगत कर छूट मान्य नहीं हैं।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
2	उ.वा.क.सागर मे.डॉयमड सीमे.ट टिन-23937600956 प्रकरण क्र. 37/13 (वैट)	2012-13 जनवरी 2015	आगत कर छूट वापसी 1,74,64,206 1,64,60,166	10.04 लाख	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्टॉक अंतरण एवं विक्रय की गणना गलत की गई। इस कारण इन दोनों राशियों का अनुपात भी गलत निकाला गया जिसके फलस्वरूप आगत कर छूट का कम रिवर्सल हुआ।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि आगत कर छूट का रिवर्सल शाखा अंतरण एवं सकल विक्रय के अनुपात के आधार पर दी गई है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि छूट की गणना हेतु अनुपात सकल टर्नओवर में से स्क्रेप विक्रय (राज्यीय + केन्द्रीय), कैंटीन विक्रय एवं वैट की समस्त राशियाँ घटाने के बाद निकल जाना चाहिए था।

3	उ.वा.क. सागर मे.डांयमड सीमे.ट टिन-23937600956 प्रकरण क्र. 56/11 (वैट)	2010-11 सितम्बर2013	आगत कर छूट रिवर्सल <u>71,40,969</u> 70,44,108	0.97 लाख	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्टॉक अंतरण एवं विक्रय की गणना गलत की गई। इस कारण इन दोनों राशियों का अनुपात भी गलत निकाला गया जिसके फलस्वरूप आगत कर छूट का कम रिवर्सल हुआ।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि आगत कर छूट की वापसी सकल टर्नओवर में से स्क्रेप विक्रय की राशि घटाने के बाद प्राप्त अनुपात के आधार पर की गई। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि छूट की गणना हेतु अनुपात सकल टर्नओवर में से स्क्रेप विक्रय (राज्यीय + केन्द्रीय), कैंटीन विक्रय एवं वैट की समस्त राशियाँ घटाने के बाद निकल जाना चाहिए।
योग				11.46 लाख शास्ति 1.35 लाख 12.81लाख		

परिशिष्ट—XIII
(कंडिका 3.7 के संदर्भ में)
कर योग्य राशि का गलत निर्धारण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम / व्यवसायी	अवधि / निर्धारण का माह	लेखों के अनुसार कर योग्य विक्रय / निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित कर योग्य विक्रय	कर की दर (%)	कर योग्य विक्रय का कम निर्धारण	कम वसूली की राशि	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	निर्धारण प्राधिकारी का उत्तर / लेखापरीक्षा अभिमत
1.	उ.वा.क. सभाग-II ग्वालियर मे. शरदा सोलवेंट टिन-23965703765 प्रकरण क्र. सी.एस. 00000000272190 (वैट)	2012-13 जनवरी 2015	40,01,857 15,78,945	1.5	24,22,912	36,343 शास्ति 1,09,031 योग 1.45 लाख	पुराने वाहन की बिक्री (स्थाई सम्पत्ति विवरण के अनुसार) को सकल विक्रय में शामिल नहीं किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
2.	वा.क.अ. रीवा मे. भैयालाल इंफ्रास्ट्रक्चर्स टिन-23188900204 प्रकरण क्र. सी.एस.0000000086499 (वैट)	2011-12 जुलाई 2014	5,55,39,512 5,46,64,512	5	8,36,159	0.42 लाख	पे लोडर मशीन के विक्रय मूल्य (स्थाई सम्पत्ति विवरण के अनुसार) को सकल विक्रय में शामिल नहीं किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
3.	वा.क.अ.वृत्त बैतूल मे. इण्डवैल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड टिन-23234702496 प्रकरण क्र. 773/13 (वैट)	2012-13 मार्च 2015	39,49,266 निरंक	5	39,49,266	1.97 लाख	निर्माण ठेके में हस्तांतरित स्टील पाईपों को प्रक्रिया में उपभोग मानते हुए कर का आरोपण नहीं किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
4.	वा.क.अ.वृत्त बैतूल मे.गणेश एग्रो हिवारखेडा, बैतूल	2010-11 जुलाई 2013	1,41,12,836 1,29,07,510	5	12,05,326	60,266 शास्ति 1,80,799 योग 2.41 लाख	विवरणियों में दर्शित विक्रय पर वैट का करारोपण न करना।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी।

	टिन-23544704702 प्रकरण क्र. 506 / 11 (वैट)							लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
5.	वा.क.अ.वृत्त 2 छिंदवाड़ा मे. टरमैक कंटरक्शन क. टिन-23876801321 प्रकरण क्र. सी.एस. 00000000218596 (वैट)	2012-13 दिसम्बर 2014	66,18,446 32,10,000	5	34,08,446	1,70,422 ब्याज 48,570 योग 2.19 लाख	कुछ मर्दों में विक्रय मूल्य पर कर निर्धारण 5 प्रतिशत की दर से किया गया जबकि वे 13 प्रतिशत से कर योग्य थी।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
6.	वा.क.अ.वृत्त 2 छिंदवाड़ा मे. राजेन्द्र कुमार टिन-23056800802 प्रकरण क्र. सी.एस. 00000000302640 (वैट)	2012-13 दिसम्बर 2014	85,89,069 72,49,038	13 एवं 5	13,40,031	1,56,298 ब्याज 44,545 योग= 2.01 लाख	कर निर्धारण आदेश में सामग्रियों पर 13% एवं 5% की दर से कर निर्धारण में त्रुटियों की गई। अतः लेखापरीक्षा द्वारा कर योग्य प्राप्तियों की गणना सामग्री की खपत (प्रारंभिक भंडार + क्रय - अंतिम भंडार) के आधार पर की गई है।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि कर निर्धारण गत वर्ष में व्यवसायी द्वारा किये क्रय के आधार पर किया गया था एवं अंतिम स्टॉक कर मुक्त रहा था। उत्तर के परिपेक्ष्य में कंडिका को संशोधित किया एवं क्रय राशि में लाभ जोड़कर कर योग्य राशि की गणना की गई।
7.	वा.क.अ.वृत्त 2, छिंदवाड़ा मे. योगेश कृषि सेवा केन्द्र टिन-23976801072 प्रकरण क्र. सी.एस. 000000156736 (वैट)	2012-13 जुलाई 2014	6,85,80,687 6,81,74,796	13	4,05,891	52,766 ब्याज 11,081 योग= 0,64 लाख	वाहनों की सर्विस में उपयोग किये गये ऑयल पर करारोपण न करना।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
8.	वा.क.अ.वृत्त 2 छिंदवाड़ा मे. निकेत उद्योग लि. टिन-23086801804 प्रकरण क्र. सी.एस.0000000294126 (वैट)	2012-13 दिसम्बर 2014	3,87,77,856 3,18,12,314	13	69,65,542	9,05,520 ब्याज 2,58,073 योग= 11,66 लाख	डिलेवरी चार्ज का ₹ 69,65,542 की छूट बीजकों में पृथक से प्रभारित नहीं थी। अतः दी गई छूट स्वीकार योग्य नहीं है।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
9.	वा.क.अ.वृत्त 1 छिंदवाड़ा मे. हेमकुंत कंटरक्शन कं. नागपुर टिन-23326602919 प्रकरण क्र. 2 / सी-ओपन / 13 / 350 /	2011-12 जून 2014	29,98,611 20,97,402	5 एवं 13	9,01,209	55,288 शास्ति 1,65,864 योग = 2.21 लाख	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा लोहा एवं इस्पात की विक्रय राशि क्रय राशि से कम निर्धारित की गई साथ ही विक्रय राशि की गणना में लाभ भी शामिल नहीं किया	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।

	12 (वैट)						गया।	
10.	स.आ.वा.क.सभाग- II ग्वालियर मे.राजमार्ग क्रियेशंस टिन-23125005827 प्रकरण क्र. सी.एस. 0000000094603 (वैट)	2011-12 जुलाई 2014	13,00,000 निरंक	5	13,00,000	65,000 शास्ति 1,95,000 योग= 2.60 लाख	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्थाई सम्पत्ति विवरण अनुसार टाटा हितैची (अर्थमूविंग मशीन) की विक्रय राशि पर करारोपण नहीं किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
11.	स.आ.वा.क.वृत्त-IX इंदौर मे. एशियन पेन्टस टिन-23460901182 प्रकरण क्र. सी.एस. 0000000077616 (वैट)	2011-12 जुलाई 2014	7,43,94,224 6,69,26,139	5 एवं 13	74,68,085	9,70,851 शास्ति 29,12,553 योग 38.83 लाख	अंकेक्षित खाता में विक्रय वैट रहित दर्ज थी।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
12.	स.आ.वा.क वृत्त-IX इंदौर मे.रामदीन अल्ट्राटेक प्रा.लि. टिन-23160905033 प्रकरण क्र. सी.एस. 0000000074820 (वैट)	2011-12 जुलाई 2014	1,90,35,300 1,36,21,416	5 एवं 13	54,13,884	1.31 लाख	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कंपोजिशन कार्य के साथ बिना कंपोजिशन क्रय जोड़ने से विक्रय राशि का गलत निर्धारण।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
13.	वा.क.अ.वृत्त-रीवा मे. विजय कुमार मिश्रा कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. टिन-23136902802 प्रकरण क्र. सी.एस. 0000000086544 (वैट)	2011-12 जुलाई 2014	8,05,07,347 7,77,90,559	5 एवं 13	27,16,788	2.21 लाख	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सामग्री की लागत में 10 प्रतिशत लाभ जोड़कर विक्रय राशि निर्धारित की गई जबकि अंकेक्षित खाते के अनुसार सकल लाभ 13.83 प्रतिशत था।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा उत्तर में बताया गया कि सामग्री पर 3.10 प्रतिशत लाभ एवं मजदूरी पर 10.73 प्रतिशत है जबकि इस प्रकरण में 10 प्रतिशत लाभ जोड़कर विक्रय मूल्य की गणना की है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उत्तर के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।

14.	वा.क.अ.वृत्त-सागर मे.सागर इन्टरप्राईजेज टिन-23647502612 प्रकरण क्र. 193 / 12 (वैट)	2011-12 स्व-कर निर्धारण	4,04,46,929 4,00,38,035	5 एवं 13	4,08,894	47,039 शास्ति 1,41,117 योग 1.88 लाख	व्यवसायी द्वारा विवरणियो में टर्नओवर लाभ-हानि खाते में दर्शाई गई विक्रय राशि से कम दर्शाया गया है।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
15.	उ.वा.क., सागर मे.रोहित सरफैक्टेंस प्रा.लि. टिन-23157504482 प्रकरण क्र. 19 / 11 (वैट)	2011-12 सितम्बर 2013	5,99,89,10, 986+1,27,01,13 0 = 6,01,16,12,116 5,99,89,10,986	1.5 एवं 13	1,25,45,169 1,55,961	2.08 लाख	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुराने वाहन एवं प्लांट एवं मशीनरी विक्रय पर करारोपण नहीं किया गया है। (स्थायी सम्पत्ति विवरण के अनुसार)	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
16.	उ.वा.क. सागर मे.के.पी.सोलवेक्स प्रा.लि. टिन-23367800556 प्रकरण क्र. 11 / 13 (वैट)	2012-13 दिसम्बर 2014	1,77,74,43,792 +91,92,561= 1,78,66,36,353 1,77,74,43,792	13	91,92,561	11.95 लाख	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुराने प्लांट एवं मशीनरी के विक्रय पर करारोपण नहीं किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
17.	स.आ.वा.क.सभाग-1 इंदौर मे. नव भारत फर्टीलाइजर्स टिन-23730104324 प्रकरण क्र. सी एस 213616	2012-13 24.09.14	12,21,16,441 12,04,75,726	5	16,40,715	0.82 लाख	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अंकक्षित खातों में दर्ज विक्रय से कम विक्रय निर्धारित किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
18.	वा.क.अ., बालाघाट मे. रायबहादुर श्रीराम क. प्रा.लि. टिन-23416503687 प्रकरण क्र. सीएस 290986	2012-13 22.12.14	4,47,81,817 1,52,74,136	1.5	1,52,74,136	2.29 लाख	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुराने वाहन की विक्रय राशि (स्थायी सम्पत्ति विवरण के अनुसार) को टर्न आवेर में शामिल नहीं किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
19.	वा.क.अ.बालाघाट मे. राधे श्याम मिनरल्स टिन-23836506948 प्रकरण क्र. 202 / 12 (वैट)	2011-12 30.07.14	1,59,71,641 97,86,941	5	61,84,700	3.09 लाख	व्यवसायी का मैग्नीज खनिज का व्यवसाय है, उसे टेके से प्राप्त ₹ 59,26,560 को निर्धारण प्राधिकारी द्वारा सकल टर्न ओवर में शामिल	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।

							नहीं किया गया।	
20.	वा.क.अ. वृत्त-3 ग्वालियर मे. एक्सप्रेस हाईवे फिलिंग सेंटर टिन-23225306569 प्रकरण क्र. CS80382 (वैट)	2011-12 09.06.14	<u>24,53,49,937</u> 24,41,63,437	1.5	11,86,500	17,797 शास्ति 53,391 योग 0.71 लाख	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुराने वाहन की विक्रय राशि (स्थायी सम्पत्ति विवरण के अनुसार) को सकल टर्न ओवर में शामिल नहीं किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
21.	वा.क.अ. वृत्त-3 ग्वालियर मे. एम.जी.आर.जी. ऑटोमोबाईल प्रा.लि. टिन-2378530877 प्रकरण क्र. CS93154 (वैट)	2011-12 02.07.14	<u>10,02,53,883</u> 9,72,02,707	1.5	30,51,176	45,768 शास्ति 1,37,304 योग 1.83 लाख	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुराने वाहन की विक्रय राशि (स्थायी सम्पत्ति विवरण के अनुसार) को कर योग्य में शामिल नहीं किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
22.	वा.क.अ. वृत्त-3 ग्वालियर मे. परिमित्र इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा.लि. टिन-23425303452 प्रकरण क्र. (वैट)	2011-12	<u>8,97,38,841</u> 8,86,14,396	13	11,24,445	1,46,177 शास्ति 4,38,531 योग 5.85 लाख	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्लांट एवं मशीनरी की विक्रय राशि (स्थाई संपत्ति विवरण पत्रक अनुसार) को सकल टर्न ओवर में शामिल नहीं किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
23.	वा.क.अ. वृत्त-3 ग्वालियर (प्रभारी) मे. मलनपुर इंटेक प्रा.लि. यूनिट-2 टिन-23795305528 प्रकरण क्र. सीएस 174037 (वैट)	2011-12 18.07.14	<u>2,48,38,592</u> 2,46,58,592	13	1,80,000	23,400 शास्ति 70,200 योग 0.94 लाख	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्लांट एवं मशीनरी की विक्रय राशि (स्थाई संपत्ति विवरण पत्रक अनुसार) को सकल टर्न ओवर में शामिल नहीं किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
24.	वा.क.अ. नौगांव मे. रहमनिया एजेंसी टिन-2337701099 प्रकरण क्र. 17/2011 (वैट)	2011-12 स्व-कर निर्धारण	<u>1,21,94,320</u> 1,13,60,675	13	8,33,645	0.96 लाख	व्यवसायी द्वारा अंकेक्षित खाते की बिक्री से विवरणियों में कम विक्रय दर्शाया गया। तथा कम कर भी जमा किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
25.	स.आ. वा.क. संभाग-तीन इंदौर मे. प्रेस्टिज फेब्रिकेशन टिन-2374900252	2011-12 अप्रैल 2014	<u>24,98,68,350</u> 24,32,66,528	5	66,01,822	3,30,091 शास्ति 9,90,273 योग 13.20 लाख	अंकेक्षित खाते अनुसार विक्रय बिना वैट के दर्ज थी, जबकि लेखों में विक्रय को वैट सहित मानते हुए छूट	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही

	प्रकरण क्र. सी.एस.65479 (वैट)						दी गई।	अपेक्षित है।
26.	स.आ. वा.क. संभाग-तीन इंदौर मे. सतगुरआयसन एण्ड स्टील टिन-23300904665 प्रकरण क्र. 112/13 (वैट)	2012-13 नवम्बर 2014	20,79,89,876 20,64,08,088	13	15,81,788	2,05,633 शास्ति 6,16,899 योग 8.22 लाख	व्यवसायी द्वारा अंकेक्षित खाते की बिक्री से विवरणियों में कम विक्रय दर्शाया गया। तदनुसार कम कर भी जमा किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
27.	वा.क.अ. होशंगाबाद मे. वेंकटेश एण्ड डेवलपर टिन-23879053403 प्रकरण क्र. 454/13 (वैट)	2012-13 मार्च 2015	90,52,882 12,94,314	13 एवं 5	77,58,568	7,11,706 शास्ति 21,35,118 योग 28.47 लाख	व्यवसायी द्वारा लेखा पुस्तकों में प्रारंभिक भण्डार में प्लेट नहीं दर्शाया गया जबकि व्यापार खातों में विक्रय दर्शाया गया है इस प्रकार कर योग्य विक्रय का कम किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
28.	वा.क.अ. होशंगाबाद मे. प्राचीर इंफ्रास्ट्रक्चर टिन-23099042811 प्रकरण क्र. 448/13 (वैट)	2012-13 मार्च 2015	5,41,81,327 4,37,01,228	13	1,04,80,099	13,62,413 शास्ति 40,87,239 योग 54.50 लाख	विक्रय मूल्य गणना मे. लाभ कम दर से जोड़ने से कर योग्य राशि का कम निर्धारण।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
29.	वा.क.अ. वृत्त-मंदसौर मे. गुप्ता स्टेशनरी टिन-23303102006 प्रकरण क्र. 98/12 (वैट)	2011-12 जून 2014	2,88,95,207 2,56,06,881	13 एवं 5	32,88,326	4,22,220 शास्ति 12,66,660 योग 16.89 लाख	अंकेक्षित खाते अनुसार क्रय एवं विक्रय मूल्य वैट सहित है जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर जोड़कर छूट मान्य की गयी।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
30.	वा.क.अ. वृत्त-मंदसौर मे. महावीर प्लास्टिक टिन-23403002526 प्रकरण क्र. 271/12 (वैट)	2011-12 मई 2014	2,11,99,730 1,93,16,004	13 एवं 5	18,83,726	2.15 लाख	अंकेक्षित खाते अनुसार क्रय एवं विक्रय मूल्य कर सहित है जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर जोड़कर छूट मान्य की गयी।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
31.	वा.क.अ. वृत्त-2 रतलाम मे. बलवीर सिंह राठौर टिन-23773403078	2012-13 मार्च 2015	3,78,28,391 3,52,05,339	5	26,22,992	1,31,150 शास्ति 3,93,450 योग 5.26 लाख	टर्न ओवर की गणना में रॉयलटी के खर्च शामिल नहीं किये गये हैं।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी।

	प्रकरण क्र. 461/12 (वैट)							लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
32.	स.आ. संभाग-तीन इंदौर मे. मोदी मार्केटिंग टिन-23060903924 प्रकरण क्र. 180919/12 (वैट)	2012-13 फरवरी 2015	27,54,12,926 24,71,27,821	13	2,82,85,105	36,77,064 शास्ति 1,10,31,192 योग 147.08 लाख	अंकेक्षित खाते के अनुसार विक्रय में कर शामिल नहीं था लेकिन कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वैट अधिनियम की धारा-2(x)(3) के अंतर्गत राशि ₹ 2,82,85,105 पर कर की छूट दी गयी जिसकी वजह से कर योग्य विक्रय कम निर्धारित किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
33.	स.आ. संभाग-एक सागर मे. जयनाम ऑटो लिंक टिन-23897505045 प्रकरण क्र. 137/12 (वैट)	2012-13 दिसम्बर 2014	12,79,46,330 12,75,22,539	13	4,23,791	55,093 शास्ति 1,65,279 योग 2.20 लाख	निःशुल्क सेवा फ्री सर्विस की राशि ₹ 4,23,791 की गलत छूट दी गयी।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
34.	वा.क.अ. वृत्त-2 इंदौर मे. बालाजी ट्रेक्टर हाउस टिन-23920203693 प्रकरण क्र. 830/12 (वैट)	2011-12 अप्रैल 2014	6,91,00,685 6,72,24,353	5	18,76,332	93,816 शास्ति 2,81,448 योग 3.75 लाख	गारंटी दावा की प्राप्त राशि कर योग्य विक्रय में शामिल नहीं की गयी।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
35.	वा.क.अ. वृत्त-4 ग्वालियर मे. न्यू हिंसामग्रीया रेफीजरेसन ग्वालियर टिन-23735402270 प्रकरण क्र. 294/12 (वैट)	2011-12 जुलाई 2014	1,78,94,315 1,58,89,175	13	20,05,140	2.61 लाख	अंकेक्षित खाते के अनुसार जॉबवर्क प्राप्त राशि ₹ 96,49,622 को कर योग्य विक्रय में शामिल नहीं किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
36.	वा.क.अ. वृत्त- बैतूल मे. राधेश्याम अग्रवाल टिन-23404701287 प्रकरण क्र. सी.एस. 2771 (वैट)	2010-11 सितम्बर 2013	96,61,268 88,94,829	4 5 13	68,359 4,810 6,93,270	2,629 229 79,756 योग 0.83 लाख	निर्धारण आदेश में क्रय पर 8 प्रतिशत लाभ जोड़ा गया है जबकि अंकेक्षित खाते अनुसार सकल लाभ 17.62 प्रतिशत है।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
37.	वा.क.अ. वृत्त- 14 इंदौर मे. देव एग्रो केमिकल टिन-23531404137	2011-12 जून 2014	3,80,04,200 2,91,89,230	5	58,14,970	2,90,748 शास्ति 8,72,244 योग 11.62 लाख	अंकेक्षित खाते में दर्ज विक्रय से कम विक्रय का निर्धारित किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी।

	प्रकरण क्र. 560/12 (वैट)							लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
38.	स.आ. डिविजन-2 ग्वालियर मे. अनुराग दाल मिल टिन-23975003177 प्रकरण क्र. सी.एस. 171765 (वैट)	2012-13 फरवरी 2015	<u>16,54,95,702</u> <u>16,41,18,664</u>	5	13,77,038	0.69 लाख	अंकेक्षित खाते में दर्ज विक्रय से कम विक्रय का निर्धारित किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
39.	स.आ. डिविजन-2 ग्वालियर मे. एस.के. इंडस्ट्रीज टिन-23644802132 प्रकरण क्र. सी.एस. 167377 (वैट)	2012-13 फरवरी 2015	<u>1,29,60,209</u> <u>1,21,47,578</u>	1.5	8,12,631	12,189 शास्ति 36,567 योग 0.49 लाख	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुराने वाहन (स्थायी सम्पत्ति विवरण के अनुसार) की विक्रय राशि को कर योग्य विक्रय में शामिल नहीं किया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
40.	वा.क.अ.-1 जबलपुर मे. वृहतकर प्राथमिक सहकारी समीति टिन-23145800343	2011-12 जून 2014	<u>88,04,471</u> <u>59,39,787</u>	5	28,64,684	1.43 लाख	अंकेक्षित खाते में दर्ज विक्रय से कम विक्रय का निर्धारित किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
41.	वा.क.अ अनुपपूर मे. श्रीराम कंस्ट्रक्शन टिन-23077203244 प्रकरण क्र. 4/12 (वैट)	2011-12 जुलाई 2014	<u>5,07,22,379</u> <u>1,21,79,329</u>	5	3,42,12,940	17.11 लाख	अंकेक्षित खाते में दर्ज विक्रय से कम विक्रय का निर्धारित किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
42.	वा.क.अ अनुपपूर मे.अनिल कंस्ट्रक्शन टिन-23137204181 प्रकरण क्र. 45/12 (वैट)	2011-12 जुलाई 2014	<u>1,61,06,530</u> <u>1,47,64,319</u>	5	13,42,211	0.67 लाख	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सकल विक्रय राशि में मिट्टी कार्य की छूट दी गयी और पुनः 40 प्रतिशत मजदूरी सकल टर्न ओवर से घटाई गयी। जबकि मिट्टी कार्य कटौती पश्चात् शेष राशि में से मजदूरी प्रभार कम किया जाना चाहिए था।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।

43.	स.आ. संभाग-दो इंदौर मे. राजश्री इंजीनियरिंग प्रा.लि. टिन-23300601540 प्रकरण क्र. 72/13 (वैट)	2012-13 फरवरी 2015	15,72,34,193 15,48,75,228	1.5एवं 5	23,58,965	0.84 लाख	कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा वाहन, कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर का विक्रय मूल्य सकल टर्न ओवर में शामिल नहीं किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि व्यवसायी द्वारा वाहन बिक्री पर सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर जो खातों में विक्रय दर्शाया गया है वह वास्तव में खातों में मूल्यह्रास एवं समायोजन है, विक्रय नहीं है। उत्तर मान्य नहीं क्योंकि शेड्यूल ऑफ फिक्सड एसेट से इन वस्तुओं का विक्रय प्रमाणित होता है।
44.	सं.उ.वा.क., छिंदवाड़ा मे. सफल फूड्स टिन-23376803827 प्रकरण क्र. 166257/13 (वैट)	2013-14 जनवरी 2015	83,30,520 87,22,490	13	3,91,970	0.51 लाख	कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा भंडारण ड्रम की विक्रय राशि को सकल टर्नओवर में शामिल नहीं किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि यह विक्रय राशि मध्यप्रदेश की विक्रय नहीं है अतः करारोपण हेतु स्वीकार नहीं की गई। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अंकेशित खाते में दर्शाया गया है कि व्यवसायी का संपूर्ण व्यवसाय मध्यप्रदेश राज्य में ही है।
45.	वा.क.अ वृत्त-6 भोपाल मे. भोपाल स्टोन क्रसर टिन-23333704311 प्रकरण क्र. 50/13 (वैट)	2012-13 फरवरी 2015	निरंक 2,73,18,637	1.5 13	3,75,000 4,65,715	5,625 60,543 योग 0.66लाख	मशीनरी एवं वाहन विक्रय (स्थाई संपत्ति विवरण पत्रक अनुसार) की राशि सकल टर्न ओवर शामिल नहीं की गयी।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
46.	वा.क.अ वृत्त-बुरहानपुर मे. जैन फटीलाईजर शाहपुर टिन-23611908493 प्रकरण क्र. 16/11 (वैट)	2010-11 सितम्बर 2013	निरंक 4,35,42,096	5	8,62,186	43,109 शास्ति 1,29,327 योग 1.72लाख	दर के अंतर के रूप में प्राप्त राशि को कर योग्य राशि में शामिल नहीं किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
47.	सं.उ.वा.क. संभाग-दो इंदौर मे. पिरामल इंटरप्राईजेज टिन-23571100893	2012-13 फरवरी 2015	निरंक 10,78,08,927	5	12,44,04,473	0.6 करोड़ ब्याज 1.8 करोड़ योग 2.4 करोड़	कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अंकेशित खाते में दर्ज टर्नओवर से 12,44,04,473 कम टर्न ओवर निर्धारित	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सकल विक्रय अंकेशित खाते अनुसार निर्धारित किया गया है।

	प्रकरण क्र. 72 / 13 (वैट)						किया गया।	उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि हमने अंकेक्षित खाते के अनुसार सकल विक्रय लिया है और कर निर्धारण अधिकारी द्वारा तदनुसार कर निर्धारित नहीं किया है।
48.	उ.वा.क. (एल.टी.पी.यू), इंदौर मे. नवीन इंफा सॉल्यूशन टिन-23911004191 प्रकरण क्र. सी.एस.66901 (वैट)	2011-12 जून 2014	निरंक 11,73,31,951	5	54,80,565	योग 2.74 लाख	व्यवसायी को प्राप्त वारंटी दावा की राशि को सकल टर्न ओवर में निर्धारण प्राधिकारी द्वारा शामिल नहीं किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि अन्य आय को शामिल नहीं किया गया था क्योंकि सामग्री जो कर योग्य नहीं थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि गारंटी दावा कर योग्य है और इसे विक्रय में शामिल करना चाहिए।
49.	स.आ. संभाग-दो इंदौर मे. समीर इंडस्ट्री टिन-23211100994 प्रकरण क्र. 27 / 12 (वैट)	2011-12 जून 2014	2,17,69,786 2,12,59,786	13 0	5,10,000	66,300 शास्ति 1,98,900 योग 2.65लाख	प्लांट एवं मशीनरी के विक्रय राशि को कर योग्य विक्रय (स्थाई संपत्ति विवरण पत्रक अनुसार) में शामिल नहीं किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
50.	वा.क.अ वृत्त-बुरहानपुर मे. चक्रधर कंस्ट्रक्शन टिन-23881909557 प्रकरण क्र. 18 / 11 (वैट) सी.एस. 000000001223 प्रकरण क्र. 18 / 11 प्रवेश कर सी.एस. 000000001224	2010-11 सितम्बर 2013	1,14,08,016 97,51,143	5 एवं 13 0	11,33,049	60,867 शास्ति 1,82,601 योग 2.43लाख	कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अंकेक्षित खाते अनुसार लाभ का प्रतिशत जोड़े बिना सकल टर्नओवर की गणना की गयी।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि वेतन एवं भत्ते सकल विक्रय में शामिल रहते हैं इस कारण 10 प्रतिशत सकल लाभ सही है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अंकेक्षित खाते अनुसार सकल लाभ 22.13 प्रतिशत है।
51.	स.अ.वा.क. संभाग-1 ग्वालियर मे. पुरी एजेंसी टिन-23915404499 प्रकरण क्र. 105 / 13 (वैट)	2012-13 फरवरी 2015	7,18,07,816 6,93,69,767		24,38,049	2.62 लाख	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विक्रय वापसी की त्रुटिपूर्ण अधिक छूट दी गयी।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।

52.	वा.क.अ वृत्त-खण्डवा मे. राजकुमार गुप्ता टिन-230720055693 प्रकरण क्र. सी.एस. 0000000128400 (वैट)	2011-12 जून 2014	59,90,272 27,86,303	5 एवं 13	32,03,969	2,02,060 शास्ति 6,06,180 योग 8.08लाख	कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा सकल टर्न ओवर निर्धारित करते समय कम प्रारंभिक शेष शामिल किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
53.	स.अ.वा.क. संभाग-2 इंदौर मे. पारिख पावर्स एवं पम्पस लि., इंदौर टिन-23090900949 प्रकरण क्र. 60/12 (वैट)	2011-12 अप्रैल 2014	5,55,28,930 5,53,91,580	13	1,37,350	17,855 शास्ति 53,565 योग 0.71लाख	यह पाया गया क्रय वापसी पर आगत कर छूट कम नहीं की गयी।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
54.	स.अ.वा.क. संभाग-एक सागर मे. जैनम ऑटोलिंक सागर टिन-23897505045 प्रकरण क्र. 103/12 (वैट)	2011-12 जुलाई 2014	15,78,10,420 15,70,42,077	13	7,68,343	99,885 शास्ति 2,99,665 योग 3.99लाख	यह पाया गया कि व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत मुफ्त बदले गये पार्ट्स की राशि को कर निर्धारण आदेश में कम किया गया था।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
55.	उ.वा.क. खण्डवा मे. टैक्समो पार्सिप्स एण्ड प्रोडक्ट लि. टिन-23151910492 प्रकरण क्र. 61/12 (वैट)	2011-12 जून 2014	1,07,20,43,30 9 91,75,59,275	5	15,44,84,034	77,24,202 शास्ति 2,31,72,606 योग 308.97लाख	यह पाया गया कि अंकेक्षित खातो में वास्तव में दर्ज विक्रय से कम का कर निर्धारण किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
56.	वा.क.अ वृत्त-4 ग्वालियर मे. न्यू हिमालया रेफ्रीजरेशन टिन-23735402270 प्रकरण क्र. 24/11 (वैट)	2010-11 जुलाई 2013	2,02,45,203 1,44,72,659	13	57,72,544	7,50,430 शास्ति 22,51,290 योग 30.01लाख	बैट्री, इंवरटर, गैस लाइटर जैसी वस्तुओं पर 13 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत करारोपण किया गया था।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
योग				5,162.96 लाख	कर	3.12 करोड़		
					शास्ति	5.22 करोड़		
					ब्याज	1.90 करोड़		
					योग	10.24 करोड़		

परिशिष्ट-XIV
(कंडिका 3.8 के संदर्भ में)
प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण बिना घोषणा पत्रों के छूट

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम/ व्यवसायी	निर्धारण अवधि/ निर्धारण का माह	सामग्री/कर योग्य टर्न ओवर	अंतर कर की दर (%)	कर/शास्ति /ब्याज के कम आरोपण/ अनारोपण की राशि	लेखापरीक्षा का प्रेक्षण	विभाग का उत्तर/लेखापरीक्षा अभिमत
1	वा.क.अ. वृत्त-2 सतना मे. पियूष एण्ड कम्पनी टिन नं. 2349001455 प्रकरण क्र. 470/13	2012-13 जनवरी 15	मशीनरी/ 48,50,000	1	48,500	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा 2 प्रतिशत के स्थान पर 1 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर निरूपित किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
2	वा.क.अ. वृत्त -2 जबलपुर मे. एफ.एल. स्मिथ प्रा. लि. टिन नं. 23316106624 प्रकरण क्र. 24/13	2012-13 फरवरी 15	आयरन एवं स्टील 40,61,386	1	40,614 शास्ति 1,21,842 योग 1,62,456	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा 2 प्रतिशत के स्थान पर 1 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर निरूपित किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि, आयरन एवं स्टील (प्रोफाईल शीट) पर 2 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर का आरोपण किया गया है। निर्धारित प्राधिकारी का उत्तर तथ्यों जैसे क्रय सूची एवं गणना पत्रक जिसमें की निर्धारण प्राधिकारी द्वारा 1 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर निरूपित किया है, से मेल नहीं खाता है।
3	वा.क.अ. नरसिंहपुर मे. पाना भंडार टिन 23936402715 प्रकरण क्र. 54/13	2012-13 नवम्बर 14	टी.एम.टी. बार /34,90,040	3	1,04,701	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा 5 प्रतिशत के स्थान पर 2 प्रतिशत की दर से कर निरूपित किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
4	उपा. वा.क. संभाग उज्जैन मे. बैंक नोट प्रेस टिन 23652305395 प्रकरण क्र. 17/12 प्रवेश कर एवं 22/13 प्रवेश कर	2011-12 2012-13 जुलाई 14 जनवरी 15	मशीनरी 74,77,373 एचडीपीई डब्ल्यू सैक 12,77,622 योग 94,60,835	1 4	74,774 51,104 योग 1,25,878	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा मशीनरी पर 1 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया। जबकि प्रविष्टि क्र. II/IV/1 के अनुसार प्रवेश कर 2 प्रतिशत है तथा एचडीआई पर एक प्रतिशत की दर से प्रवेश कर लगाया गया	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।

						जबकि प्रविष्टि क्रमांक II/I/12 के अनुसार प्रवेश कर 5 प्रतिशत है।	
5	वा.क.अ., वृत्त 2 जबलपुर मे. खन्ना प्रापर्टीज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिं. टिन नं. 23379051707 प्रकरण संख्या 32/13	2012-13 फरवरी 2015	टाईल्स एवं मशीनरी / 1,13,94,147	2	कर 2,27,883 शास्ति 6,83,694 योग 9,11,532	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा टाईल्स एवं मशीनरी के आयातित क्रय को प्रवेश कर मुक्त माना गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
6	वा.क.अ., होशंगाबाद मे. कमल अग्रवाल टिन - 23664200430 प्रकरण क्र. 307/2012	2011-12 7/2014	सड़क माक्रिंग सामग्री / 14,485,987	1	कर 1,44,860 शास्ति 4,34,580 योग 5,79,440	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा सड़क माक्रिंग सामग्री 1 प्रतिशत की दर से करारोपण किया जबकि प्रविष्टि क्रमांक II/I/26 के तहत 2 प्रतिशत की दर से कर योग्य है।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
7	वा.क.अ.-2 जबलपुर मे. कैलाश देव बिल्ड इंडिया प्रा.लि. टिन-23855807179 प्रकरण क्र. 165701	2012-13 2/2015	स्टील बार एवं एंगल 13,706,554	2 1	कर 2,39,472 शास्ति 7,18,416 योग 957888	स्टील बार एवं एंगल यदि प्रांत बाहर से क्रय किया गया है तो क्रमशः 5 प्रतिशत एवं 2 प्रतिशत की दर से कर योग्य है।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
8	सं. उपायुक्त वा.क. टैक्स ऑडिट विंग-2 इन्दौर मे. सिद्धार्थ फायबर्स टिन - 23342205025 प्रकरण क्र. 87/14	2013-14 3/2015	प्लांट एवं मशीनरी 22,202,633	2 2	कर 4,44,053	प्लांट एवं मशीनरी के क्रय को सकनटर्नओवर में शामिल नहीं किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।

9	वा.क.अ.-वृत्त 3 इन्दौर मे. इन्दौर ट्रेजर्स टिन नं. 23860905812 प्रकरण क्र. सी.एस. 000000066847 प्रवेश कर	2011-12 अप्रैल 14	टी.एम.टी. बार 23203425-	3	696103 शास्ति 2088309 योग 2784412	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा टी.एम.टी. बार पर 2 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया जबकि प्रविष्टि क्रमांक II/I/1 (बी) के अनुसार प्रवेश कर की दर 5 प्रतिशत है। फ्लार्ड ऐश पर 2 प्रतिशत से करारोपण किया गया है जबकि यह धारा 4 (ए) के तहत अधिसूचना अनुसार 5 प्रतिशत से कर योग्य है।	कर निर्धारण अधिकारी ने उत्तर में बताया कि अधिसूचना क्र. ए-3-11-2011 वी (22) दिनांक 01.04.2011 अनुसार टी.एम.टी. बार पर प्रवेश कर की दर घटाकर 2 प्रतिशत की गई है एवं फ्लार्ड ऐश पर अधिसूचना अनुसार 1 प्रतिशत से कर योग्य है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार केवल म. प्र. के अंदर से क्रय टीएमटी पर प्रवेशकर 2 प्रतिशत देय है एवं केवल निर्माता के लिए अधिसूचना अनुसार फ्लार्ड ऐश पर कर की दर घटा कर 1 प्रतिशत की गई है।
			फ्लार्ड ऐश / 717576-	4	28703 शास्ति 86109 योग 114812		
10	वा.क.अ.-वृत्त 9 इन्दौर मे. आर. वी. इन्फ्रास्ट्रक्चर टिन - 23530904199 प्रकरण क्र. सी.एस. 000000078247 प्रवेश कर	2011-12 जुलाई 14	लाइट डीजल आईल (एल.डी. ओ.) 3323300-	9	299097 शास्ति 897291 योग 1196388	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा लाइट डीजल आयल पर 1 प्रतिशत से कर निरूपित किया गया है जबकि धारा 4 (ए) के तहत अधिसूचना अनुसार से प्रवेशकर 10 प्रतिशत से देय है।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।

11	वा.क.अ.-वृत्त शहडोल मे. पटेल एजेन्सी टिन नं. 23307204136 प्रकरण क्र. सी.एस. 154176 / प्रवेश कर	2011-12 जुलाई 14	पावर ट्रिलर/ पावर रिपर/ 24013662-	1	240137 शास्ति 720411 योग 960548	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पावर ट्रिलर/पावर रिपर पर ट्रैक्टर मानकर प्रवेशकर का आरोपण किया गया।	कर निर्धारण अधिकारी ने उत्तर बताया कि वैट एक्ट 2002 की शिड्यूल-1 प्रविष्टि 1 बी (14) अनुसार कर मुक्त मानकर निर्धारण किया गया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि म. प्र. वैट एक्ट 2002 की प्रविष्टि 1 (1 ए, 1 बी) अनुसार कृषि उपकरण (रीपर) जो मानव द्वारा चलित या जानवरो द्वारा खींचे जाने वाले होते है के संदर्भ में है।लेकिन व्यापारी द्वारा डीजल /बिजली से चलने वाले पावर रिपर/ट्रिलर क्रय किये गये है जो कि प्रविष्टि क्र. II/III/1 अनुसार प्रवेश कर आरोपणीय है।
12	वा.क.अ.-वृत्त-4 जबलपुर मे. उन्नति इंटरप्राइसेस टिन नं. - 23806105239 प्रकरण क्र. सी.एस. 000000140496 प्रवेश कर	2011-12 जून 14	सबमर्सिबल पम्प 29665978-	1	296660 शास्ति 889980 योग 1186640	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आयात सबमर्सिबल पम्प को क्रय प्रवेश कर मुक्त माना है। जबकि प्रविष्टि क्र. II/III/1 अनुसार 1 प्रतिशत से कर योग्य है।	कर निर्धारण अधिकारी ने उत्तर में बताया कि सभी प्रकार के सबमर्सिबल पम्प एवं मोनो ब्लाक पम्पिंग सेट के अंतर्गत आते है, फिर भी प्रवेश कर आरोपण के सम्बन्ध में सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
13	वा.क.अ.-वृत्त-7 इन्दौर मे. एशियन इंटरप्राइसेस टिन नं. 23130701204 प्र.सं. सी.एस. 00000064954	2011-12 जून 14	सबमर्सिबल पम्प 23566155-	1	235661 शास्ति 706983 योग 942644	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सबमर्सिबल पम्प के आयात क्रय को प्रवेश कर मुक्त माना है। जबकि प्रविष्टि क्र. II/III/1 अनुसार 1 प्रतिशत से कर योग्य है।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
14	वा.क.अ.-वृत्त-7 इन्दौर मे. पी.एस.जी. इन्डस्ट्रियल इन्स्टीट्यूट, इन्दौर टिन नं0 23420702645 प्रकरण क्र. सी.एस. 00000145638 प्रवेश कर	2011-12 जून 14	सबमर्सिबल पम्प 26192351-	1	261924 शास्ति 785772 योग 1047696	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सबमर्सिबल पम्प के आयात क्रय को प्रवेश कर मुक्त माना है। जबकि प्रविष्टि क्र. II/III/1 अनुसार 1 प्रतिशत से कर योग्य है।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।

15	सहा.आ.वा.क.-संभाग-2 सागर मे. ओम कन्सट्रक्शन कम्पनी लि. टीकमगढ़ टिन नं. 232227801797 प्रकरण क्र. 345/13 प्रवेश कर	2012-13 मई 14	डी.आई. पाईप 6157332 सीमेन्ट 1035142	1	71925 शास्ति 215775 योग 287700	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा डी.आई. पाईप एवं सीमेंट पर 1 प्रतिशत से कर आरोपित किया गया है जबकि प्रविष्टि क्र. II/III/4 एवं II/III/1 द्वारा 2 प्रतिशत से कर देय है।	कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि कर निर्धारण आदेश में स्पष्ट दर्शाया है कि डी.आई. पाईप एवं सीमेंट पर 2 प्रतिशत कर लगाया गया है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि डी.आई.पाईप एवं सीमेन्ट पर 1 प्रतिशत से करारोपण किया गया है।
16	वा.क.अ.-वृत्त-6 भोपाल मे. अलंकार ज्वैलर्स टिन नं. 23424104047 प्रकरण क्र. 97/11 प्रवेश कर	2010-11 सितम्बर 13	प्रीसियस स्टोन/ 25582595	1	255825 शास्ति 767475 योग 1023300	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आयातित रत्न पत्थर को कर मुक्त माना गया है। जबकि प्रविष्टि क्र. II/III/1 के अनुसार यह 1 प्रतिशत से कर योग्य है।	कर निर्धारण अधिकारी ने उत्तर में बताया कि रत्न पत्थर सोने और चांदी के नये गहनों में जड़ा हुआ होता है इसलिये प्रविष्टि क्रमांक 4 अनुसूची 1 के तहत कर मुक्त है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि रत्न पत्थर अधिनियम की प्रविष्टि क्र. II/III/1 के अनुसार प्रवेश कर योग्य है।
17	सहा.आ.वा.क.-संभाग-2 इन्दौर मे. नवभारत फर्टिलायजर टिन-23730104324 प्रकरण क्र. सी एस 0000000213620 प्रवेश कर	2012-13 सितम्बर- 14	प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स/ 4377465 माइक्रो न्यूट्रल 22784483	1	271619 शास्ति 814857 योग 1086476	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आयातित क्रय पौधा ग्रोथ प्रमोटर एवं माइक्रो न्यूट्रिसन्स को कर मुक्त माना गया, जबकि प्रविष्टि क्र. II/III/1 अनुसार 1 प्रतिशत कर योग्य है।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
18	वा.क.अ.-वृत्त-6 भोपाल मे. शिवम टेडर्स टिन नं. 23033702924 प्रकरण क्र. 19/13 प्रवेश कर	2012-13 (स्व कर निर्धारण प्रकरण)	सीमेन्ट/ 17414388	2	86255 शास्ति 258765 योग 345020	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रवेश कर ₹ 262032 लगाया गया जबकि कर योग्य राशि पर 2 प्रतिशत से प्रवेश कर देय है।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
19	वा.क.अ.-वृत्त-8 इन्दौर मे. पाटीदार ट्रेडिंग कार्पोरेशन टिन नं. 23940800911 प्रकरण क्र. सी एस 00000087198 प्रवेश कर	2011-12 जुलाई 14	सबमर्सिबल पम्प 18166058-	1	181660	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आयातित सबमर्सिबल पम्प को कर मुक्त माना गया है जबकि प्रविष्टि क्रमांक II/III/1 अनुसार एक प्रतिशत से कर योग्य है।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।

20	उपायुक्त वा.क., सागर मे. जयप्रकाश पावर वेन्चर्स लि. बीना टिन नं. 23977404509 केस नं. 34 / 13 / प्रवेश कर	2012-13 फरवरी 15	कोल 169036951 एलडीओ 199216561 एलडीओ 285007126 योग 653260638	2 10 9	48953036	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कोयला एवं एल.डी.ओ. के आयातित क्रय को कर मुक्त माना गया है जबकि धारा 4 (ए) की अधिसूचना के तहत अनुसार क्रमशः 2 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत प्रवेश कर योग्य है।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
21	वा.क.अ. बालाघाट मे. शुभम राईस उद्योग टिन - 23316506264 प्रकरण क्र. सी एस 000000225811	2012-13 मार्च-2015	प्लांट एवं मशीनरी 10610608	2	212213	प्लांट एवं मशीनरी के क्रय को सकल टर्नओवर में सम्मिलित नहीं किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
22	वा.क.अ. - बालाघाट मे. चित्तोज सिंह चौहान टिन-23876503240 प्रकरण क्र. 33/12	2011-12 जुलाई-2014	एक्सकेवेटर / 83 94997	1	83950	एक्सकेवेटर क्रय राशि को सकल टर्नओवर में सम्मिलित नहीं किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
23	वा.क.अ.-बालाघाट मे. अनीस इंटरप्राइसेस टिन-23340504305	2011-12 मई - 2014	पी.पी फ्रेबिक - 3834489	4	153379	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पी.पी. फ्रेबिक पर 1 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया जबकि उपभोग/उपयोग होने पर बढ़ी हुई दर से प्रवेश कर योग्य है।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
24	वा.क.अ. - बालाघाट मे. राधेश्याम मिनरल्स टिन - 23836506948 प्रकरण क्र. 202/12	2011-12 जुलाई 14	संविदा कार्य के लिए सामग्री / 5926570	1	59266	संविदा कार्य हेतु क्रय सामग्री को सकल टर्नओवर में सम्मिलित नहीं किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
25	वा.क.अ.-अनूपपुर मे. श्री राम कन्सट्रक्शन कम्पनी टिन-23077203244 प्रकरण क्र. 40/12	2011-12 जुलाई 14	संविदा कार्य के लिए सामग्री / मशीन 32865249 लुब्रीकेंट, टायर/ 714271	1 2	328652 शास्ति 14285 योग 342937	सामग्री, मशीनरी, लुब्रीकेंट, टायर आदि की क्रय सकल टर्नओवर में शामिल नहीं की गई।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
26	उ.वा.क. सं.-2 भोपाल मे. महाप्रबंधक सिक्यूरिटी	2012-13 दिसम्बर 2014	मशीनरी, फर्नीचर	1	90056 शास्ति 246116	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मशीनरी एवं फर्नीचर पर 1	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की

	टिन-23134202419 प्रकरण क्र. 151/13		9005558 फरनेस आयल 2461164	10	योग 336172	प्रतिशत से करारोपण किया गया जबकि उक्त सामग्री 2 प्रतिशत से कर योग्य है। फर्नेस ऑयल क्रय की राशि कम निर्धारित करते हुए ₹ 227984821 निर्धारित की गई और उसी पर प्रवेश कर लगाया गया जबकि क्रय सूची से प्रमाणित है कि क्रय राशि ₹ 230445985 है।	जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
27	सं.उ. वा.क. सं.-2 भोपाल मे. दौलतराम इंजीनियरिंग सर्विसेस प्रा.लि. टिन- 23124104697 प्रकरण क्र.158/13	2012-13 फरवरी 2015	मशीनरी, टेस्टिंग इक्यूपमेंट 3902849 एल्यूमिनियम कास्टिंग कापर ट्यूब, पाली कार्बोनेट शीट, वायर मेस 36887874 ट्रांसफार्मर 1111689 निर्धारण अधिकारी द्वारा टर्नओवर में भाड़े की राशि शामिल नहीं की गई। 5031630	1 1 4 1	39029 368884 44465 50316 शास्ति 13,57,125 योग 18,59,819	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मशीनरी एवं फर्नीचर पर 1 प्रतिशत कर करारोपण किया गया और आयरन एवं स्टील को एल्यूमिनियम मानकर गलत छूट दी, ट्रांसफार्मर पर 4 प्रतिशत से प्रवेश कर लगाया और सकल विक्रय में भाड़े की राशि शामिल नहीं की।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
28	सं. उपायुक्त वा.क. संभाग-2 भोपाल मे. सांवरिया एगो आईल्स लि. टिन-23354104619 प्रकरण क्र. 22 / 12	2011-12 जुलाई 2014	कोल 11046959	1	1,10,470	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कोयले पर 1 प्रतिशत से प्रवेश कर अधिरोपित किया गया जबकि कोयले पर 2 प्रतिशत से कर देय है।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।

29	सं. उपायुक्त वा.क. संभाग-2 भोपाल मे. सांवरिया एगो आईल्स लि. टिन-23354104619 प्रकरण क्र. 22/12	2012-13 फरवरी -2015	मशीनरी, कोल 12330295 आयरन एण्ड स्टील 1431076 पी.ई.बी. 1460265 मशीनरी पार्ट्स 1961186	1 2 2 1	123303 28622 29205 19612 शास्ति 2,32,317 योग 4,33,059	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कोयले पर 1 प्रतिशत से प्रवेश कर अधिरोपित किया जबकि कोयले पर 2 प्रतिशत से कर देय है। व्यवसायी द्वारा आयरन एवं स्टील पी.ई.बी. की क्रय को छिपाने की कोशिश की गई और क्रय सूची में उपभोग्य सामग्री का नाम नहीं दर्शाया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
30	उपायुक्त वा.क. संभाग-2 भोपाल मे. सत्य साई एगो आईल्स लि. टिन-23874406585 प्रकरण क्र. 128/13	2012-13 फरवरी 2015	प्लांट एवं मशीनरी, कम्प्यूटर 135769206	1	13,57,692	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रवेश कर 1 प्रतिशत से करारोपण किया गया जबकि 2 प्रतिशत से करयोग्य है।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
31	वा.क.अ. - बैङ्क मे. नेशनल बिल्डिंग कन्सट्रक्शन कार्पोरेशन लि. टिन-23377302116 प्रकरण क्र.133/12	2011-12 जून-2014	एम एस पाईप 55486539	1	5,54,865	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रवेश कर 1 प्रतिशत से करारोपण किया गया जबकि 2 प्रतिशत से कर योग्य है।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
32	वा.क.अ. - बैङ्क मे. आनंद ट्रेडर्स टिन-23167301504 प्रकरण क्र. 119/12	2011-12 जून-2014	आयरन एंड ग्लास स्क्रैप 9346125 टायर एवं ट्यूब 592250	1 2	93461 11845 योग 1,05,306	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा लोहा एवं कांच के स्क्रैप पर 1 प्रतिशत से प्रवेश कर लगाया जबकि 2 प्रतिशत से कर योग्य है। टायर की क्रय राशि को टर्नओवर में शामिल नहीं किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
33	वा.क.अ. - बैङ्क मे. प्रगति एवं एसोसिएट्स टिन- 23979027882 प्रकरण क्र. 4/12	2011-12 मार्च-2014	दीवाल/फ्लोर टाईल्स 4395000	1	43,950	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रवेश कर 1 प्रतिशत से करारोपण किया गया जबकि 2 प्रतिशत से करयोग्य है।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
34	सहा. आ. वा.क. संभाग-2 इंदौर (श्रीमती राखी कसेरा)	2011-12 जून-2014	डीजल 1082740	26	2,81,512	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बायलर हेतु क्रय डीजल पर 1 प्रतिशत प्रवेश कर आरोपित किया	कर निर्धारण अधिकारी ने उत्तर में बताया कि व्यवसायी द्वारा दिवयोल 505 क्रय किया है जो डीजल से

	मे. वोरा वेरस इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड टिन- 23841100502 प्रकरण क्र. 40/12					जबकि अधिनियम की धारा 4 ए अनुसार 27 प्रतिशत से कर योग्य है।	भिन्न है और धारा 4 ए में नहीं आता है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अंकेक्षित खाते एवं व्यवसायी द्वारा अन्य विवरण से प्रमाणित है कि क्रय सामग्री डीजल है और धारा 4 ए के अंतर्गत अधिसूचना क्र. 14 दिनांक 14.07.2007 जो 27 प्रतिशत से कर योग्य है।
35	उपायुक्त वा.क. संभाग-1 भोपाल मे. एनिक इंडस्ट्रीज टिन- 23464105286 प्रकरण क्र. 90/12	2011-12 जुलाई-2014	स्कीमड मिल्क पावडर 88135211	1	881352	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्कीमड मिल्क पावडर पर 1 प्रतिशत से प्रवेशकर आरोपित किया जबकि प्रविष्टि क्र. II/II/31 अनुसार यह 2 प्रतिशत से कर योग्य है।	कर निर्धारण अधिकारी ने उत्तर में बताया कि, उक्त प्रविष्टि फूड एवं फूड सप्लीमेंट से सम्बन्धित है और एस.एम.पी. का प्रयोग डीलर द्वारा अन्य सामग्री के उत्पादन में किया जाता है। यह भी दर्शाता है कि एस.एम.पी. डीलर के रजिस्ट्रेशन में कच्चा सामग्री के रूप में दर्ज है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश में स्वयं दर्शाया है कि डीलर के रजिस्ट्रेशन में एस.एम.पी. कच्चा सामग्री दर्शित नहीं है। इसलिए अधिनियम की प्रविष्टि क्र. II/II/31 अनुसार 2 प्रतिशत से कर योग्य है।
36	वा.क.अ.-दमोह मे. दिलीप राय कान्फ्रेक्टर टिन - 23857603328 प्रकरण क्र.274/13	2012-13 जनवरी 2015	सीमेन्ट, लकड़ी, फ्रेबीकेन्ट, लोहा, लाल पत्थर, सेल्फ लोडिंग, क्रांकीट मिक्सर (एजेक्स फियोरी) 7955418 गिट्टी, ईट,पाईप, रायल्टी, जे.सी. बी. इत्यादि 7952128	2 1	1,59,108 79524 शास्ति 238632 (-) <u>1,64,828</u> (=) 73,804	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ₹ 16468861 पर 1 प्रतिशत से करारोपण किया जबकि कुछ सामग्री 2 प्रतिशत से कर योग्य है।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।

37	उपायुक्त वा.क. संभाग-2 इन्दौर मे. तुर्खिया मेटल प्रा.लि. टिन-23110501104 प्रकरण क्र. 3/14	2012-13 फरवरी-2015	आयरन एवं स्टील 4266381	2	85388 शास्ति 255984 योग 341312	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा घोषणा पत्र पर विक्रय सामग्री पर क्रय मूल्य के स्थान पर विक्रय छूट त्रुटिपूर्ण दी गई।	कर निर्धारण अधिकारी ने उत्तर में बताया कि क्रय मूल्य एवं सामग्री "एफ'फार्म पर का स्टाक स्थानांतरण का मूल्य समान है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बेची गई सामग्री का घोषणापत्र नोटिफिकेशन के अंतर्गत जारी किया गया है जबकि आपत्ति एफ फॉर्म से संबंधित सामग्री स्थानांतरण पर नहीं है।
38	सं. उपायुक्त वा.क. छिंदवाड़ा मे. ई.एम.सी. लिमिटेड टिन--23116603277 प्रकरण क्र. 191905	2012-13 फरवरी-2015	सेप्टी आयटम, टेम्पलेटस 19323258	1	193233	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 2 प्रतिशत के स्थान पर 1 प्रतिशत से करारोपण किया गया।	कोई उत्तर नहीं दिया गया।
39	सं. उपायुक्त वा.क. . छिंदवाड़ा मे. सफल फूडस टिन--23376803827 प्रकरण क्र. 166257	2012-13 जनवरी-2015	मशीनरी, फ़ैक्ट्री बिल्डिंग एवं अन्य सम्पत्तियों की मरम्मत एवं अनुरक्षण 4561318	2	91226	निर्धारण अधिकारी द्वारा क्रय को सकल टर्नओवर में शामिल नहीं किया गया।	निर्धारण अधिकारी ने उत्तर में बताया कि क्रय महाराष्ट्र राज्य की है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अंकेक्षित खाते पूर्ण मध्यप्रदेश के व्यापार को दर्शाते हैं और सामग्री का निर्माण तथा क्रय म. प्र. से सत्यापित होता है।
40	सं. उपायुक्त वा.क. संभाग-2 भोपाल मे. एच.ई.जी. लि. टिन-23214100234 प्रकरण क्र. 52/13	2012-13 फरवरी- 2015	टूल्स 10836321	1	108363	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 2 प्रतिशत के स्थान पर 1 प्रतिशत से करारोपण किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
41	सं. आयुक्त वा.क. संभाग-3 इंदौर मे. दर्शन ट्रेडर्स, इंदौर टिन-235170801066 112/11, 12, प्रवेश कर	2011-12 06/2014	स्कीमड मिल्क पावडर 7793626	1	77936 शास्ति 233808 योग 311744	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 2 प्रतिशत के स्थान पर 1 प्रतिशत से करारोपण किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
42	वा.क.अ. - बैतूल मे. राजा स्टोन-हाउस टिन-23654702459	2010-11 06/2014	सेरेमिक टाईल्स, वेट्रीफाइड टाईल्स, फ्लोर	1,2	68920 शास्ति 227826 योग 296746	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा टाईल्स की क्रय पर 1 प्रतिशत से करारोपण किया गया जबकि यह	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी।

	323/2012, प्रवेश कर		टाईल्स 6891995			प्रविष्टि क्र. II/II/15 अनुसार 2 प्रतिशत से कर योग्य है।	लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
43	सहा. आयुक्त वा.क. संभाग-3 इंदौर मे. पंचशील आर्गेनिक, इंदौर टिन- 23870700409 प्रकरण क्र. सी.एस. 00000000279186 प्रवेश कर	2012-13 12/2014	स्टील एवं प्रयोगशाला जांच उपकरण/ 5501561	1	55015 शास्ति 165045 योग 220060	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा लोहा, एवं प्रयोगशाला जांच उपकरण पर 2 प्रतिशत के स्थान पर 1 प्रतिशत से करारोपण किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
44	वा.क.अ. - मुरैना मे. शिवानी एजेन्सी श्यापुर टिन-23975605159 प्रकरण क्र. 954/2011 प्रवेश कर	2010-11 09/2013	माचिस/ 5958149	1	59581 शास्ति 178744 योग 238325	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा माचिस के आयातित क्रय को कर मुक्त माना गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
45	वा.क.अ. - मुरैना मे. रोशन गैस सर्विस मुरैना टिन-23085501228 प्रकरण क्र. सी. एस. 126694 प्रवेश कर	2011-12 06/2014	एल.पी.जी. (एच)/एल.पी. जी. (सी)/1799222 (1709260+1105 89)	6.47 एवं 1	110589 899 योग 117495	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा एल. पी.जी. भाड़े की राशि को प्रवेश कर की गणना में स्वीकार नहीं किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
46	सहा. आयुक्त वा.क.- रतलाम मे. राजेन्द्र सेल्स एजेन्सी टिन-23953503859 प्रकरण क्र. सी.एस. 152229 प्रवेश कर	2012-13 11/2014	सबमर्सिबल पम्प एवं मोनो ब्लाक /89618147	1	896181 शास्ति 2688543 योग 3584724	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पम्प के क्रय मूल्य पर करारोपण नहीं किया गया।	कर निर्धारण अधिकारी ने उत्तर में बताया कि डीलर द्वारा कम्पलीट पम्पसेट का क्रय किया है जो अधिनियम की प्रविष्टि 1/26 अनुसार कर मुक्त है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सबमर्सिबल पम्प क्रय किया गया है जो कि पम्पिंग सेट से भिन्न है सी. सी.टी. मध्यप्रदेश के आदेश क्र. (2005) 7 एस.टी.जे. 217 मे. परफेक्ट पम्प प्रा.लि. उज्जैन में दिये गये निर्णयनुसार यह कर योग्य है।
47	वा.क.अ -4 ग्वालियर मे. रविकान्त बंसल ,	2011-12 07/2014	लोहा एवं इस्पात/	3	58033 शास्ति 174099	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आयातित स्टील बार क्रय पर 2	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की

	ग्वालियर प्रकरण क्र. 23145402061 सी.एस. 0000000175868 प्रवेश कर		1934440		योग 232132	प्रतिशत से करारोपण किया है।	जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
48	वा.क.अ - वृत्त-14 इंदौर मे. जय स्टील इन्दौर टिन- 2323881400598 प्रकरण क्र. सी.एस. 0000000069442 प्रवेश कर	2011-12 05/2014	एम.एस. बार/32429435	3	972883 शास्ति 2918649 योग 3891532	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 5 के स्थान पर 2 प्रतिशत से करारोपण किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
49	सहा.आ.वा.क. छिंदवाड़ा मे. कृष्णापिंग एलायस प्रा. लि. छिंदवाड़ा टिन-23456803007	2011-12 जुलाई-14	विस्फोटक/466 0542	1	46605 शास्ति 139815 योग 186420	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 2 के स्थान पर 1 प्रतिशत से करारोपण किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
50	उपा.वा.क. संभाग-उज्जैन मे. अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड टिन- 23762701822 प्रकरण क्र. 34/2013 प्रवेश कर	2012-13 दिसम्बर-2014	चूना पत्थर/431225 47	9	3881029	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अंकेक्षित खाते में दर्ज क्रय से अधिक चूना पत्थर के क्रय की छूट प्रदान की गई।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
51	सहा. आयुक्त वा.क.-1 सागर मे. एस्सेल विद्युत वितरण (सागर) प्रा.लि. टिन- 23659066908 प्रकरण क्र. 87/2014	2013-14 अप्रैल-15	प्लांट एवं मशीनरी, कम्प्यूटर्स, आफिस इक्यूपमेंट, फर्नीचर एवं फिक्चर्स/ 92760174 3359648 244478 974961	2 ,1 2, 2	1855203 33596 4889 शास्ति 19499 योग 1913187	सकल टर्नओवर में प्लांट एवं मशीनरी तथा कम्प्यूटर क्रय राशि को शामिल नहीं किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
52	वा.क.अ. बालाघाट मे. चैतन्य प्रसाद टिन- 23826501279	2012-13 मार्च-2015	प्लांट एवं मशीनरी/ 6640241	2	130831	कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कुल प्लांट एवं मशीनरी की क्रय राशि को शामिल नहीं किया।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी।

	प्रकरण क्र. सी.एस. 00000010752						लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
53	वा.क.अ., वृत्त-8 इन्दौर मे. पाटीदार इंटरप्राइसेस टिन- 2343950440 प्रकरण क्र. सी.एस. 000000319952	2012-13 फरवरी-2015	सबमर्सिबल पम्प/ 10002423	1	100024 शास्ति 300072 योग 400096	सबमर्सिबल पम्प पर प्रवेश कर का करारोपण नहीं किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
54	सहा. आयुक्त वा.क. संभाग-2 सागर मे. इस्टर्न रिफेक्ट्रीज लि. टिन- 23107800699 प्रकरण क्र. 40 / 12	2011-12 मई-2014	फरनेस आईल/ 24620534	10	2462053	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आयातित फरनेस आयल क्रय पर करारोपण नहीं किया।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
55	वा.क.अ., वृत्त-9 इन्दौर मे. रेनफोर्सड अर्थ इंडिया प्रा.लि. टिन- 23570904856 प्रकरण क्र 456 / 13	2012-13 नवम्बर-2014	प्रवेश कर हेतु कम कर योग्य राशि का निर्धारण / 10014050	1	1,00,141 शास्ति 3,00,423 योग 4,00,564	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा क्रय मूल्य ₹ 46,47,3481/- निर्धारण किया गया जबकि फार्म 49 में क्रय मूल्य ₹ 5,64,87,531/- प्रमाणित होती है।	कर निर्धारण अधिकारी ने उत्तर में बताया कि पुरानी मशीन की फार्म 49 पर शिपिंग पर प्रवेश कर देय नहीं है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उपयोग एवं उपभोग हेतु प्रवेश सामग्री पर प्रवेश कर देय है।
56	सहा. आ. वा.क. संभाग-1, ग्वालियर मे. पुरी एजेन्सीस टिन-23915404499 प्रकरण क्र. सी.एस. 000000188476	2012-13 फरवरी-2015	मोटर पार्टस/ 25761510	2 1	2,57,615 शास्ति 7,72,845 योग 10,30,460	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 2 प्रतिशत के स्थान पर 1 प्रतिशत से प्रवेश कर आरोपित किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
57	सं. उपायुक्त वा.क. संभाग-2 इंदौर मे. एस.के.एम. स्टील लिमिटेड टिन-23120903503 प्रकरण क्र- 06 / 13	2012-13 सितम्बर-2014	प्लांट एवं मशीनरी/ 6165324	2 1	61654	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 2 प्रतिशत के स्थान पर 1 प्रतिशत से प्रवेश कर आरोपित किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
58	वा.क.अ. दमोह मे. जखोटिया प्लास्टिक प्रा.लि. टिन-23817603932	2011-12 जुलाई 2014	प्रवेश कर हेतु करारोपण एस ओ एस टर्नओवर कम	1	345183	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा क्रय मूल्य ₹ 7,47,55,008/- पर प्रवेश कर निर्धारित किया जबकि फार्म 49 से क्रय मूल्य	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही

	प्रकरण क्र. 219६12		लेना 34518329			₹ 10,92,73,337 /- प्रमाणित होती है।	अपेक्षित है।
59	सहा. आयुक्त वा.क. संभाग-2 इन्दौर मे. स्टेण्डर्ड कन्डक्टस प्रा. लि. टिन-23530502619 प्रकरण क्र. 000000012391 / 13 प्रवेश कर	2011-12 जून-2014	लोहा एवं इस्पात / 163102734	2	2319339	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा गलत रूप से कर मुक्त स्कीम 2004 के तहत कर मुक्त इकाई को विक्रय किये जाने पर क्रय मूल्य की राशि पर प्रवेश कर की छूट दी गई। यद्यपि व्यवसायी द्वारा निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये थे।	कर निर्धारण अधिकारी ने उत्तर में बताया कि व्यवसायी द्वारा सामग्री का विक्रय कर मुक्त इकाई को किया जिसके कर मुक्ति का प्रमाण पत्र प्रकरण में संलग्न है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शेडयूल-2 की वस्तु क्रय कर, कर मुक्त इकाई को विक्रय पर प्रवेश कर छूट है यदि अधिसूचना द्वारा निर्धारित घोषणा पत्र से समर्थित है।
योग			10,277.40 लाख	कर शास्ति योग	7.26 करोड़ 2.01 करोड़ 9.27 करोड़		

परिशिष्ट-XV
(कंडिका 3.9 के संदर्भ में)
शास्ति का अनारोपण

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम/ व्यवसायी	अवधि/ निर्धारण का माह	धारा 21 के तहत निर्धारण का माह	अधिरोपित कर, ब्याज एवं शास्ति	शास्ति का आरोपणीय (कर की तीन गुणा) अंतर राशि	लेखापरीक्षा प्रेक्षण	निर्धारण प्राधिकारी का उत्तर/लेखापरीक्षा का अभिमत
1.	वा.क.अ.-बैढ़न मे.गजराज कैमिकल्स टिन-23187304985 प्रकरण क्र. 276/12	2011-12 जुलाई 2014	दिसम्बर 2014	कर-21879045 ब्याज-13455613 शास्ति-2000 धारा-18(4)(सी) के तहत शास्ति-10000 धारा-39(5) के तहत	65637135 52169519 {65637135-(13455613+2000+10000)}	कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत शास्ति का आरोपण नहीं किया गया जबकि तथ्यों के अनुसार व्यवसायी का कम कर निर्धारित हुआ था जिसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी है।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि नियम-21 एवं नियम-31(2)(3) के अनुसार परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उचित कर निर्धारण किया गया। वाणिज्यकर अधिकारी बैढ़न द्वारा दिया गया उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उक्त नियम एवं उप नियम इस प्रकरण में लागू नहीं होते क्योंकि विक्रेता द्वारा न तो लेखाबही प्रस्तुत की गयी न ही स्वयं उपस्थित हुआ। और उसके द्वारा कोई आपत्ति भी नहीं उठाई गयी इसलिए विक्रेता पर धारा-21(2) के अनुसार शास्ति लगाना उचित है।
2.	वा.क.अ.- दमोह मे. मोहम्मद इकबाल टिन-23377603398 प्रकरण क्र. 2/12	2011-12 स्व-कर निर्धारण	फरवरी 2015	कर-393287 ब्याज-141583	1179861 1038278 {1179861-141583}	कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत शास्ति का आरोपण नहीं किया गया जबकि तथ्यों के अनुसार व्यवसायी द्वारा अंतर्राज्यीय विक्रय फॉर्म सी समर्थित पर कर की छूट का लाभ जाली फॉर्म सी के आधार लिया गया था।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कहा गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।

3.	वा.क.अ.- धार मे. इंदौर स्टील फर्नीचर टिन-23181603422 प्रकरण क्र. 670/11	2010-11	नवम्बर 2014	कर-172760 ब्याज-23084 शास्ति-1000	518280 494196 { 518280-(23084+1 000) }	इस तथ्य के बावजूद भी कि निर्धारण में चूक विक्रेता के कारण हुई, निर्धारण प्राधिकारी द्वारा धारा-21 के प्रावधानों के अनुसार शास्ति अधिरोपित नहीं की गयी।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कहा गया कि बिक्री को नहीं छुपाया गया है बल्कि कम दर पर बिक्री का वर्गीकरण किया गया है। निर्धारण प्राधिकारी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विक्रेता के पास प्रमशन सुविधा होने के बावजूद बिक्री बीजकों पर वैट लगाया गया, यह नियम के विरुद्ध है।
4.	स.आ.वा.क. संभाग-2, इंदौर मे. वैष्णव देवी पेपर प्रोडक्ट्स टिन-2336000537 प्रकरण क्र. 02/2012	2009-10 स्व-कर निर्धारण	दिसम्बर 2013	कर-76354 ब्याज-53560 शास्ति-26780	229062 148722 { 229062-(53560+2 6780) }	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा धारा-21 के प्रावधानों के अनुसार शास्ति अधिरोपित नहीं की गयी जबकि तथ्यों के अनुसार व्यवसायी द्वारा स्वमूल्यांकन किया गया था व फॉर्म ई 1 एवं फॉर्म सी संव्यवहारों की छूट का लाभ बिना फार्मों की प्रस्तुति के लिया गया था।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कहा गया कि विक्रेता का गलत मंशा नहीं था इसलिए विक्रेता पर शास्ति की जगह ब्याज आरोपित किया गया। उत्तर मान्य योग्य नहीं हैं क्योंकि विक्रेता द्वारा स्व-मूल्यांकन किया गया तथा लेन-देन मे. ई-1 व सी फार्म बिना प्रस्तुत किए ई-1 एवं सी फार्म बिक्री का लाभ लिया गया एवं केवल ₹ 1965 कर के रूप में जमा किया गया। प्रकरण को पुनः खोला गया तथा विक्रेता पर अतिरिक्त करारोपण किया गया। चूंकि निर्धारण में चूक विक्रेता की त्रुटि के कारण हुआ अतः विक्रेता पर शास्ति लगाया जाना चाहिए।
योग					5.39 करोड़		

परिशिष्ट—XVI

(कांडिका 3.11 के संदर्भ में)

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के तहत कर का कम आरोपण/अनियमित छूट/ रियायत की स्वीकृति

(अ)

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम/ व्यवसायी	अवधि/ निर्धारण का माह	रियायती दर योग्य की विक्रय राशि कर योग्य विक्रय	कर योग्य दर निरूपित कर की दर	कम वसूली की राशि	लेखापरीक्षा प्रेक्षण	निर्धारण प्राधिकारी का उत्तर/लेखापरीक्षा टिप्पणी
1	स.आ.वा.क. संभाग-3, इंदौर मे. विप्रो लि. टिन-238713000 63 प्रकरण क्र. 5/2012	2011-12 जुलाई 2014	94596 771352	13 2	74,443	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राज्य के भीतर सी फार्म समर्थित विक्रय पर रियायती दर की छूट दी गयी।	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही प्रतीक्षित है।
2	उपा.वा.क. संभाग-2, इंदौर मे.मान एल्यूमिनियम लि. टिन-234711013 38 प्रकरण क्र. 56/2014	2012-13 फरवरी 2015	377561462 605551125	5 2	63,76,641	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसे भंडार हस्तांतरण जो फॉर्म एफ से समर्थित नहीं थे उन्हें अंतर्राज्यीय विक्रय मानकर अनुचित रियायत दी गयी।	कर निर्धारण अधिकारी ने उत्तर में बताया कि यह मानकर करारोपण किया गया कि विक्रय मे. कर सम्मिलित है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भंडार हस्तांतरण पर एफ फार्म प्रस्तुत न करने से केन्द्रीय बिक्री में वृद्धि हुई है जबकि करारोपण सी फार्म समर्थित बिक्री के अनुसार किया गया है।
3	उपा.वा.क. संभाग-2, इंदौर मे.गायत्री प्रोजेक्ट लि. टिन-234221063 32 प्रकरण क्र. 121/13	2012-13 फरवरी 2015	246442125 289822087	13 5	47,71,795	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सकल विक्रय से अधिक पर रियायती दर मान्य किया गया।	कर निर्धारण अधिकारी ने उत्तर में बताया कि रियायती दर ई-1, सी फार्म प्रस्तुत करने पर दी गयी है। उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा टर्नओवर में वृद्धि की गई है क्योंकि क्रय एवं विक्रय में बहुत बड़ा अन्तर है। यह स्पष्ट होता है कि ₹ 4,33,79,962 का विक्रय फॉर्म सी समर्थित नहीं है।
4	उपा.वा.क. (टै.आ.वि.) इन्दौर	2012-13 फरवरी 2015	28510360	2	3,00,000	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा टर्नओवर	कर निर्धारण अधिकारी ने उत्तर में बताया कि ये टाईप की त्रुटि के कारण है।

मे. यूनाईटेड स्टील कं. टिन-237716049 89 प्रकरण क्र. 15/13					₹ 2,70,207 पर दो प्रतिशत से गलत गणना की गयी। सही गणना ₹ 0207 होगी।	
योग				115.23 लाख		

परिशिष्ट—XVI
(ब)

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम/व्यवसायी	सी-फार्म का नम्बर सी-फार्म की संख्या	निर्धारण अवधि/ निर्धारण का माह	सी फार्म अनुसार घोषित राशि	टिन सर्व अनुसार अन्य पार्टी को जारी सी-फार्म की राशि	आपत्ति जनक सी-फार्म की राशि निर्धारित दर से करारोपण एवं प्रतिशत	निरूपित कर की राशि व शास्ति	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	विभाग का उत्तर/लेखापरीक्षा का अभिमत
1	वा.क.अ. मुरैना मे. कैला देवी रोलर फ्लोर मिल मुरैना टिन-23085603757 (केन्द्रीय)	16 पी 115735 1	2011-12 / 6/2014	13250828	..	13250828 का (5-2) 3 प्रतिशत	1590096 (397524+ 1192572)		
2	सहा.आ.वा.क. सं.-2 ग्वालियर मे. मधुसूदन ट्रेडर्स दतिया टिन-23794901329 प्रकरण क्र. 90351 (केन्द्रीय)	एम.एच 11/ए 3329218 1	2011-12 / 6/2014	7213368	.. --	7213368 का (5-2) 3 प्रतिशत	865604 (216401+ 649203)	सत्यापन में यह पाया गया कि सी-फार्म अन्य व्यवसायी को जारी किया गया था।	कर निर्धारण अधिकारी ने उत्तर में बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम उत्तर प्रतीक्षित है।
3	उपायुक्त टैक्स आडिट विंग ग्वालियर मेसर्स श्रीनाथजी इडिबल आइल प्रोडक्ट्स मुरैना टिन- 23935503428	ए.एस./ 2010/1371243 1	2012-13 / 1/2015	3943605	1971803	1971802 का (5-2) 3 प्रतिशत	236616 (59154+ 177462)		

4	वा.क.अ. वृत्त-12 इन्दौर मे. उत्तम डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क प्रा.लि. इन्दौर टिन- 23811205230 प्र.क्र.सी.एस. 00000000130372	एम.एच.12 /145656 1	2011-12 6/2014	2734602	..	2734602 का (5-2) 3 प्रतिशत	328152 (82038+ 246114)	सी-फार्म हस्तांतरित नहीं एवं इसमें दर्शायी राशि गई विवरणियों तुलना में गलत थी (केन्द्रीय विक्रय कर विवरणी फार्म 5)	कर निर्धारण अधिकारी ने उत्तर में बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम उत्तर प्रतीक्षित है।
5	सहा. आ. वा.क. रतलाम मे. सामग्रीवा आक्सीजन एंड इन्डस्ट्रीयल गैसेस प्रा.लि. टिन- 23493401292 प्र.क 149843/13	एम.एच.13 /607405 1	2012-13 12/2014	10056784	2154159	10056784 का (13-2) 11 प्रतिशत	4424984 (1106246+ 3318738)	सत्यापन में यह पाया गया कि सी-फार्म अन्य व्यवसायी को जारी किया गया था।	कर निर्धारण अधिकारी ने उत्तर में बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम उत्तर प्रतीक्षित है।
		सी-फार्म की संख्या 5	योग	37199187	4125962	35227384	74.45 लाख (1861363+ 5584089)		
महायोग परिशिष्ट XVI {भाग (अ)+ भाग(ब)}							₹ 1.90 करोड़ (1.15 करोड़+ 0.75 करोड़)		

परिशिष्ट—XVII

(कांडिका 3.12 के संदर्भ में)

कर मुक्त/कर चुका मानकर विक्रय पर करारोपण न किया जाना

(राशि ₹ में)

क्र. स.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम/ व्यवसायी	अवधि/ निर्धारण माह	लेखापरीक्षा का माह/ लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करने का माह	सामग्री/ कर योग्य राशि	कर की दर (प्रतिशत में)	कर (₹ में)	लेखापरीक्षा प्रेक्षण	विभाग का उत्तर/लेखापरीक्षा का अभिमत
1	वा.क.अ.—1 जबलपुर मे. आमिर सिंह एंड सन्स टिन—23705800035 प्रकरण क्र. 84555/12	2011—12 जून 2014	अगस्त— 2015 सितम्बर —2015	लुब्रीकेंट 18,00,744	13	2,34,097	कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा भूलवश सामग्री को कर चुका माना गया	कार्यवाही जांच उपरांत की जावेगी। अंतिम उत्तर लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित है।
2	वा.क.अ.—बालाघाट मे. अनीस इन्टरप्राइसेस टिन—23346504356 प्र.क.— 129/12	2011—12 मई 2014	सितम्बर 2015 अक्टूबर 2015	जूट 19,93,425	5	99,671	कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा भूलवश सामग्री को कर मुक्त माना गया	कार्यवाही जांच उपरांत की जावेगी। अंतिम उत्तर लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित है।
3	वा.क.अ.—15— इन्दौर मे. नेटविन एग्रो एंड बायोटेक प्रा.लि. टिन—23569000957 प्र.क.—148408/12 148409/12	2011—12 जून 2014	मई 2015 जून 2015	स्प्रिंकलर पाईप, लेटरल 61,35,594 (वैट+केन्द्रीय)	5	3,06,779 शास्ति 9,20,338 योग 12,27,117	कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा भूलवश सामग्री को कर मुक्त माना गया	कार्यवाही जांच उपरांत की जावेगी। अंतिम उत्तर लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित है।
4	वा.क.अ.—बैतूल मे. वैष्णव ट्रेडर्स टिन—23574705219 प्र.क.—1734/11 1876/12 (स्व कर निर्धारण)	2010—11 2011—12 स्व निर्धारित	सितम्बर 2015 नवम्बर 2015	स्प्रिंकलर पाईप, लेटरल 43,39,727	5	2,16,986 शास्ति 6,50,958 योग 8,67,944	कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा भूलवश सामग्री को कर मुक्त माना गया	कार्यवाही जांच उपरांत की जावेगी। अंतिम उत्तर लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित है।

5	वा.क.अ.-बालाघाट मे. श्री महामाया फ्यूल्स टिन-23959025556 प्र.क.- 10300002319044 / 12	2012-13 सितम्बर 2014	सितम्बर 2015 अक्टूबर 2015	पेट्रोल 1,08,29,487 डीजल 1,35,95,213	27 23	29,23,961 31,26,899 योग 60,50,860	कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा भूलवश सामग्री को कर चुका माना गया	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि विक्रेता द्वारा धारा-54 के अंतर्गत (भूल सुधार) आवेदन दिया गया जिस पर कार्यवाही लंबित है। कार्यवाही जांच उपरांत की जावेगी। अंतिम कार्यवाही लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित है।
योग				386.94 लाख		कर 69.08 लाख शास्ति 15.71 लाख योग 84.79 लाख		

परिशिष्ट—XVIII

(कांडिका 4.2.12 के पहले बिन्दु के संदर्भ में)

विद्युत ऊर्जा के शुल्क योग्य एवं शुल्क अयोग्य खपत पर अलग-अलग मीटर स्थापित नहीं किए जाने से राजस्व की हानि

(राशि ₹ में)

क्र. स.	उपभोक्ता का नाम	अवधि	कुल युनिट	देय युनिट	देय प्रतिशत	अदेय युनिट	अदेय प्रतिशत	देय वि.शु.	भुगतान वि.शु.	शेष वि.शु.
1	गैरीसनइंजीनियर, संख्या-1, मऊ	अप्रैल.11 से जुलाई 15	36855693	26935835	73	9919858	27	27249295	19910115	7339180
2	सम्भागीय अधीक्षक, मऊ	अप्रैल.11 से जुलाई 15	8588208	5075947	60	3512261	40	7113038	4208070	2904968
3	संभागीय अधीक्षक, प.रे., इन्दौर	अप्रैल.11 से जुलाई 15	3533810	883088	25	2650722	75	3014580	753057	2261523
4	सिनीयर डिवीजनल इलेक्टिकल इंजीनियर (पश्चिम म.रे.) जबलपुर	मार्च 14 से जून 15	8500279	850028	10	7650251	90	7136859	713686	6423173
5	सिनीयर डिवीजनल इलेक्टिकल इंजीनियर (जी) म.रे. भोपाल (बीना स्टेशन) कार्यालय तथाक्वार्टर	अप्रैल.12 से दिसम्बर 15	1595846	564190	35	1031656	65	1374019	485888	888131
6	संभागीय इलेक्टिकल इंजीनियर (जी) म.रे., भोपाल (बीना स्टेशन)	अप्रैल.12 से दिसम्बर 15	9927926	4963966	50	4963960	50	8363692	4181849	4181843
7	डिवीजनल इलेक्टिकल इंजीनियर (जी) म.रे., भोपाल (बीना नदी)	अप्रैल.12 से दिसम्बर 15	1634931	817463	50	817468	50	1340856	670430	670426
8	संभागीय अधीक्षक, म.रे. कटनी	अप्रैल.12 से नवम्बर 15	19085432	4771363	25	14314069	75	15736763	3906311	11830452
9	संभागीय अधीक्षक, द.पु. रेलवे, मंडला	अप्रैल.12 से नवम्बर 15	4971249	2982623	60	1988626	40	4265707	2552405	1713302
10	संभागीय अधीक्षक प.रे., फर्स्ट पॉइन्ट, रतलाम	सितम्बर 11 से मार्च 15	23991300	9009271	37.5	14982029	62.5	19569017	7345898	12223119
11	संभागीय अधीक्षक प.रे., स्टेशन उज्जैन	अप्रैल.11 से मार्च 15	4241562	1055422	25	3186140	75	3470682	862911	2607771
12	संभागीय रेलवे प्रबंधक कोटा,	अप्रैल.11 से	1047795	576132	55	471663	45	841962	472922	369040

क्र. स.	उपभोक्ता का नाम	अवधि	कुल युनिट	देय युनिट	देय प्रतिशत	अदेय युनिट	अदेय प्रतिशत	देय वि.शु.	भुगतान वि.शु.	शेष वि.शु.
	शामगढ़ स्टेशन	फरवरी 15								
13	संभागीय रेलवे प्रबंधक कोटा रतलाम नीमच स्टेशन	अप्रैल.11 से फरवरी 15	1094042	328213	30	765829	70	878340	270279	608061
14	वरिष्ठ डी.ई.ई. रेलवे स्टेशन, हरदा	जनवरी 12 से अक्टूबर 15	2314051	1589803	69	714254	31	1971852	1354594	617258
15	संभागीय अधीक्षक (म.रे.) रेलवे स्टेशन, ग्वालियर	मई 12 से अगस्त 15	8919219	4307871	47 प्रतिशत अप्रैल 15 तक तथा इसके बाद 60 प्रतिशत	4611348	53 प्रतिशत अप्रैल 15 तक तथा इसके बाद 40 प्रतिशत	7545782	3649745	3896037
16	संभागीय विद्युत यंत्रि (म.रे.) बैट्री चार्जर, ग्वालियर	मई 12 से जून 15	6496955	3671476	अगस्त 12 से 62 प्रतिशत	2250072	अगस्त 12 से 38 प्रतिशत	5317702	3009844	2307858
17	संभागीय रेलवे प्रबंधक, म.रे., भोपाल बारातवा	जनवरी 12 से अक्टूबर 15	3643762	731053	20	2915020	80	2969804	595597	2374207
	योग		146442060	69113744		76745226 अर्थात् 7.67 करोड़		118159950 अर्थात् 11.81 करोड़	54943601 अर्थात् 5.49 करोड़	63216349 अर्थात् 6.32 करोड़

परिशिष्ट—XIX

(कंडिका 4.2.12 के दूसरा बिन्दु के संदर्भ में)

विद्युत ऊर्जा के शुल्क योग्य एवं शुल्क अयोग्य खपत पर अलग-अलग मीटर स्थापित नहीं किए जाने से राजस्व की हानि

(राशि ₹ में)

क्र. स.	उपभोक्ता का नाम	अवधि	कुल युनिट	देय युनिट	देय निश्चित युनिट	अदेय युनिट	देय वि.शु.	भुगतान वि.शु.	शेष वि.शु.
1	गैरीसन इंजीनियर, एम.ई.एस., मऊ	अप्रैल-11 से मार्च 15	52599348	16573596	345284 यूनिट प्रतिमाह	36025752	39123441	12340303	26783138
2	अधीक्षक, एम.वाई. अस्पताल, इन्दौर	अप्रैल-11 से मार्च 15	7147917	48000	1000 यूनिट प्रतिमाह	7099917	6061758	40645	6021113
3	गैरीसन इंजीनियर, एम.ई.एस, वेस्ट, जबलपुर	अप्रैल-11 से जून 15	36038158	6281160	123160 यूनिट प्रतिमाह	29756998	23408635	4076124	19332511
4	गैरीसन इंजीनियर, एम.ई.एस, वेस्ट, जबलपुर	अप्रैल-11 से जून 15	54833144	20803512	407912 यूनिट प्रतिमाह	34029632	36595482	13890067	22705415
5	स्टेशन कमांडेन्ट सी.आर.पी. एफ., नीमच	अप्रैल-11 से फरवरी 15	15667500	391283	8504 यूनिट प्रतिमाह	15011663	12010801	303879	11706922
6	संयुक्त निदेशक, चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर	अप्रैल-11 से जून 15	10192179	8446602	34227 यूनिट प्रतिमाह	1745577	8723156	1490159	7232997
7	वरिष्ठ सभागीय इंजीनियर रेलवे स्टेशन, हबीवगंज	अप्रैल-11 से फरवरी 14	4543289	708820	20252 यूनिट प्रतिमाह	3834469	3533567	550937	2982630
			181021535 अर्थात् 18.10 करोड़	53252973 अर्थात् 5.33 करोड़		127504008 अर्थात् 12.75 करोड़	129456840 अर्थात् 12.95 करोड़	32692114 अर्थात् 3.27 करोड़	96764726 अर्थात् 9.68 करोड़

परिशिष्ट-XX
(कंडिका 5.4 के संदर्भ में)
मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस पर छूट की वसूली न होना

(राशि ₹ में)

मेसर्स अभिजीत सीमेंट, नागपुर के खनिपट्टों पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का विवरण							
क्र.स.	ग्राम का नाम क्षेत्र	प्रभारणीय मुद्रांक शुल्क	प्रभारणीय उपकर	पंजीयन फीस	कुल छूट	ब्याज (कुल 18 प्रतिशत की दर से)	कुल वसूली योग्य
1	बघरेटा 190.326 हेक्टेयर (उप पंजीयक, मुरैना के पत्र क्रमांक 76 दिनांक 24 जून 2009 के अनुसार)	75,93,750	3,79,688	56,95,343			
2	भाहादपुरा, इटोरा 186.79 हेक्टेयर (उप पंजीयक, मुरैना के पत्र क्रमांक 77 दिनांक 24 जून 2009 के अनुसार)	3,03,75,000	15,18,750	2,27,81,280			
3	बघरेटा, महेवा, साईपुरा, भीलपुरा 268.520 हेक्टेयर (उप पंजीयक, मुरैना के पत्र क्रमांक 78 दिनांक 24 जून 2009 के अनुसार)	1,51,87,500	7,59,375	1,13,90,655			
योग		5,31,56,250	26,57,813	3,98,67,278			
प्रभारित मुद्रांक शुल्क, उपकर एवं पंजीयन फीस		6,00,000	30,000	4,72,590			
अंतर		5,25,56,250	26,27,813	3,93,94,688	9,45,78,751	8,07,83,209	17,53,61,960
		अर्थात् 5.26 करोड़	अर्थात् 26.28 लाख	अर्थात् 3.94 करोड़	अर्थात् 9.46 करोड़	अर्थात् 8.08 करोड़	अर्थात् 17.54 करोड़

परिशिष्ट-XXI
(कंडिका 5.5.1 के संदर्भ में)
मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का अनारोपण/आरोपण (खनिपट्टे/उत्खनि पट्टे)

(राशि ₹ में)

खनिपट्टे											
क्र. स.	ईकाई का नाम, लेखापरीक्षा अवधि	पट्टेदार का नाम	पट्टा अवधि	खनिज का नाम/ दर	प्रतिवर्ष खनिज दोहन की मात्रा	वार्षिक रॉयल्टी	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस				
							प्रभारणीय	प्रभारित	कम प्रभारित	वसूली योग्य कुल राशि	
1.	जिला खनिज अधिकारी, छतरपुर 04 / 14-03 / 15	भाग्यवन्ती ग्रेनाइट एवं स्टोन प्राइवेट लिमिटेड	1.12.2013 से 30.11.2033 (20 वर्ष के लिए)	ग्रेनाइट / 800 प्रति घ.मी.	3000 घ.मी.	24,00,000	(3 x 24,00,000 = 72,00,000 x 5 / 100) =3,60,000 2,70,000	81,060 60,800	2,78,940 2,09,200	4,88,140	
2.		मेपल माइन्स एण्ड मिनरल्स					(3 x 24,00,000 = 72,00,000 x 5 / 100) =3,60,000 2,70,000	81,060 60,800	2,78,940 2,09,200	4,88,140	
3.	जिला खनिज अधिकारी, छिंदवाड़ा 04 / 14-03 / 15	मेसर्स मुरलीधर मिनरल्स	10.05.2014 से 09.05.2033 (20 वर्ष के लिए)	डोलोमाइट / 63 प्रति टन	1,73,931 घ.मी.	1,09,57,653	(3 x 1,09,57,653 = 3,28,72,959 x 5 / 100) =16,43,648 12,32,736	1,95,500 1,43,655	14,48,148 10,89,081	25,37,229	
योग								23,63,648 17,72,736	3,57,620 2,65,255	20,06,028 15,07,481	35,13,509 अर्थात् 35.13 लाख

उत्खनिपट्टे										
क्र. स.	ईकाइ का नाम, लेखापरीक्षा अवधि	पट्टेदार का नाम	पट्टा अवधि	खनिज का नाम/ दर	प्रतिवर्ष खनिज दोहन की मात्रा	वार्षिक रॉयल्टी	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस			
							प्रभारणीय	प्रभारित	कम प्रभारित	वसूली योग्य कुलराशि
1.	जिला खनिज अधिकारी, डिंडोरी 04 / 11-03 / 15	श्रीभुवन सिंह राठौर	17.12. 2013 से 16.12. 2023 (10 वर्ष के लिए)	पत्थर क्रेजर / 44 प्रति घ.मी.	18824 घ.मी.	8,28,256	(1.5 x 828256= 1242384 x 5 / 100) =62,119 46,590	19,880 14,957	42,239 31,633	73,872
2.	जिला खनिज अधिकारी, सिंगरौली 04 / 14-03 / 15	मेसर्स जनता कंसट्रक्शन	13.03. 2015 से 12.03. 2025 (10 वर्ष के लिए)	पत्थर क्रेजर / 100 प्रति घ.मी.	6550 घ.मी.	6,55,000	(बाजार मूल्य का 2 प्रतिशत= 2 / 100 x 3326400) =66528 49896	13100 9830	53428 40066	93,494
3.	जिला खनिज अधिकारी, हरदा	मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लि (14 उत्खनि पट्टे)	22.09. 2010 से 21.09. 2020 (10 वर्ष के लिए)	रेत / 53 प्रति घ.मी.	5345250 घ. मी.	28,32,98,250	(283298250 x 1.5= 424947375 x5 / 100) =21247369 15935527	00 00	21247369 15935527	3,71,82,896
4.	जिला खनिज अधिकारी, उमरिया	मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लि (3 उत्खनि पट्टे)	05.06. 2004 से 04.06. 2024 (20 वर्ष के लिए)	रेत / 100 प्रति घ.मी.	289600 घ. मी.	2,89,60,000	(रायल्टी का 2 प्रतिशत 2 / 100 x 28960000) =579200 434400	00 00	579200 434400	10,13,600
योग							2,19,55,216 1,64,66,413	32,980 24,787	2,19,22,236 1,64,41,626	3,83,63,862 अर्थात् 383.64 लाख
कुल योग							24318864 18239149	390600 290042	23928264 17949107	4,18,77,371 अर्थात् 4.19 करोड़

परिशिष्ट-XXII
(कंडिका 5.5.2 के संदर्भ में)
मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का अनारोपण/आरोपण (व्यापारिक खदानें)

(राशि ₹ में)

व्यापारिक खदानें										
क्र. स.	इकाई का नाम, लेखापरीक्षा अवधि	पट्टेदार का नाम	पट्टा अवधि	खनिज कानाम दर	प्रतिवर्ष खनिज दोहन की मात्रा	वार्षिक राज्यांश	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस			
							प्रभारणीय	प्रभारित	कम प्रभारित	वसूली योग्य कुल राशि
1.	जिला खनिज अधिकारी, हरदा 04/14-03/15	मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लि/कुबेरकामना मारबल प्राइवेट लिमिटेड	15.03.13 से 14.03.15	रेत/ 150 प्रति घ.मी.	7,53,000 घ.मी. 8,28,300 घ.मी.	11,29,50,000 / 12,42,45,000 कुल ₹ 23,71,95,000	1,18,59,750 88,94,813	100 00	1,18,59,650 88,94,813	2,07,54,463
2.		मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लि/डीजियाना इलेक्ट्रो टेलीकोम लिमिटेड	15.03.13 से 14.03.15	रेत/ 150 प्रति घ.मी.	7,01,000 घ.मी. 7,71,100 घ.मी.	10,51,50 ए000 / 11,56,65,000 कुल ₹ 22,08,15,000	1,10,40,750 82,80,563	100 00	1,10,40,650 82,80,563	1,93,21,213
3.		मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लि/मेसर्स शिवा कार्पोरेशन	29.09.13 से 28.09.15	रेत/ 150 प्रति घ.मी.	13,26,000 घ.मी. 14,58,600 घ.मी.	19,89,00,000 / 21,,87,90,000 कुल ₹ 41,76,90,000	2,08,84,500 1,56,63,375	100 00	2,08,84,400 1,56,63,375	3,65,47,775
योग							4,37,85,000 3,28,38,751	300 00	4,37,84,700 3,28,38,751	7,66,23,451 अर्थात् 7.66 करोड़

परिशिष्ट-XXIII
(कंडिका 8.5 के संदर्भ में)
प्रक्रिया व्यय की वसूली न होना

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम एवं लेखापरीक्षा अवधि	गणना की अवधि	आर.आर.सी. राशि	नहीं वसूला गया प्रक्रिया व्यय	वसूला गया प्रक्रिया व्यय	वसूली योग्य शेष राशि
1	तहसील सोनकच्छ 04/15 से 6/16	10/14 से 06/16	37757584	1132728	0	1132728
2	तहसील पानसेमल 04/15 से 6/16	07/08 से 09/14	20341341	610240	338564	271676
3	तहसील निवारी 04/15 से 6/16	10/13 से 06/16	31320739	939622	0	939622
4	तहसील पथरिया 04/15 से 6/16	2013-14	8484475	254534	76920	177614
5	तहसील शिवपुरी 04/15 से 6/16	12-13 से 09/13	24409633	732289	0	732289
6	तहसील नीमच 04/15 से 6/16	10/14 से 06/16	38265000	1147950	251286	896664
7	तहसील मन्दसौर 10/11 से 09/14	12/13 से 09/14	14218000	426540	37091	389449
8	तहसील गुना 10/12 से 09/14	12/13 से 09/14	43691832	1310755	0	1310755
9	तहसील शुजालपुर 10/09 से 09/14	10/14 से 04/16	9421270	282633	0	282633
10	तहसील सुवासरा 10/09 से 09/14	2009/10-2013/14	6555000	196650	0	196650
11	तहसील पन्ना 10/09 से 09/14	2010/11-2014/15	5711761	171352	0	171352
12	तहसील गुलाना 10/09 से 09/14	2010/11-2013/14	13172101	395163	0	395163
13	कलेक्टर रायसेन 10/05 से 09/14	2009/10-2013/14	77747810	2332434	0	2332434
14	तहसील भानपुरा	2010/11-2014/15	7887000	236610	0	236610

क्र. सं.	कार्यालय का नाम एवं लेखापरीक्षा अवधि	गणना की अवधि	आर.आर.सी. राशि	नहीं वसूला गया प्रक्रिया व्यय	वसूला गया प्रक्रिया व्यय	वसूली योग्य शेष राशि
	04/02 से 03/15					
15	तहसील मोहन बड़ौदिया 10/09 से 09/14	2009/10-2014/15	7837587	235128	0	235128
16	कलेक्टर रतलाम 10/11 से 09/14	2014-15	5572818	167184	0	167184
17	तहसील बैतूल 10/14 से 09/15	2014-15	2034789	61044	0	61044
18	कलेक्टर आगरा सामग्रीवा 08/13 से 09/15	08/13 से 09/15	9786000	293580	0	293580
19	तहसील अशोकनगर 10/14 से 09/15	2014-15	19311648	579349	0	579349
20	तहसील देवास 04/12 से 03/15	2012-14	8515500	255465	0	255465
21	कलेक्टर डिण्डौरी 10/06 से 09/14	2014-15	10204000	306120	0	306120
योग			40.23 करोड़	1.21 करोड़	7.04 लाख	1.14 करोड़

परिशिष्ट-XXIV
(कंडिका 8.6 के संदर्भ में)
व्यपवर्तित लगान एवं प्रीमियम के निर्धारण में कमी

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	प्रकरण संख्या / व्यपवर्तन वर्ष	स्थान का नाम	बाजार मूल्य (बा.मू.)	आरोपणीय व्यपवर्तन लगान / आरोपणीय प्रीमियम	आरोपित व्यपवर्तन लगान / आरोपित प्रीमियम	कम व्यपवर्तित लगान	कम प्रीमियम
1.	तहसील अलीराजपुर	ए-2/206 2013-14	राम सिंह की चौकी	200743 आवासीय	1920 9600	4920 4686	0	4914
2.		ए-2/207 2013-14	पालासाडा	4800000 आवासीय	401 2007	527 188	0	1819
3.		ए-2/15 2013-14	बोरखड	14697000 आवासीय	2939 14697	437 624	2502	14073
4.		ए-2/204 2013-14	कछवा	487918 आवासीय	976 4879	294 105	682	4774
5.		ए-2/202 2013-14	बालपुर	112442 आवासीय	225 1124	110 39	115	1085
6.		ए-2/195 2013-14	लखनकोट	252756 आवासीय	506 2527	158 225	348	2302
7.		ए-2/92 2013-14	बोरखड	650510 आवासीय	1301 6505	196 279	1105	6226
8.		ए-2/95 2013-14	अम्बुआ	487900 आवासीय	976 4879	294 106	682	4773
9.		ए-2/208 2013-14	गरत	195153 आवासीय	390 1951	196 70	194	1881
10.		ए-2/209 2013-14	काथीवाडा	836431 आवासीय	1672 8364	439 157	1233	8207
1.		ए-2/211 2013-14	बोरखड	1170960 आवासीय	2342 11709	353 504	1989	11205
12.		ए-2/212 2013-14	अम्बुआ	325255 आवासीय	651 3252	196 70	455	3182

13.		<u>ए-2 / 213</u> 2013-14	अम्बुआ	487918 आवासीय	<u>976</u> 4879	<u>294</u> 105	682	4774
14.	कलेक्टर छिन्दवाडा	<u>529 / ए-2</u> 2014-15	लेहगाडुआ	39614900 वाणिज्यिक	<u>158459</u> 792298	<u>23645</u> 118224	134814	674074
15.	तहसील डबरा	<u>148 / ए-2</u> 2014-15	बुजुर्ग	3818000 वाणिज्यिक	<u>15272</u> 76360	<u>7912</u> 39560	7360	36800
16.		<u>139 / ए-2</u> 2014-15	टेकनपुर	966966 आवासीय	<u>1934</u> 9670	<u>830</u> 4150	1104	5520
17.		<u>137 / ए-2</u> 2014-15	पथपनिहर	331500 वाणिज्यिक	<u>1326</u> 6630	<u>263</u> 1312	1063	5318
18.		<u>151 / ए-2</u> 2014-15	छपरा	1254600 वाणिज्यिक	<u>5018</u> 25092	<u>3346</u> 16728	1672	8364
19.	कलेक्टर रतलाम	<u>10 / ए-2</u> 2013-14	खाराखेदी	वाणिज्यिक	<u>0</u> 46500	<u>0</u> 23250	0	23250
20.		<u>08 / ए-2</u> 2013-14	चाँदनी चौक	वाणिज्यिक	<u>57243</u> 0	<u>5725</u> 0	51518	0
21.		<u>23 / ए-2</u> 2013-14		वाणिज्यिक	<u>40673</u> 25200	<u>4200</u> 21000	36473	4200
22.		<u>21 / ए-2</u> 2013-14		वाणिज्यिक	<u>17560</u> 72000	<u>13766</u> 68862	3794	3138
23.		<u>14 / ए-2</u> 2013-14		वाणिज्यिक	<u>30279</u> 60300	<u>16221</u> 30150	14058	30150
24.	तहसील पिपरिया	<u>36 / ए-2</u> 2014-15	पिपरिया	41808000 आवासीय	<u>83618</u> 418080	<u>81396</u> 406980	2222	11100
25.		<u>36 / ए-2</u> 2014-15	पिपरिया	30252000 आवासीय	<u>60504</u> <u>302520</u>	<u>58284</u> 291420	2220	11100
26.		<u>89 / ए-2</u> 2014-15	पिपरिया	23313000 वाणिज्यिक	<u>93252</u> <u>466260</u>	<u>10867</u> 54336	82385	411924
27.		<u>99 / ए-2</u> 2014-15	पिपरिया	6553200 आवासीय	<u>131064</u> <u>655320</u>	<u>64284</u> 321420	66780	333900
28.		<u>34 / ए-2</u> 2014-15	पिपरिया	43134000 आवासीय	<u>95868</u> <u>479340</u>	<u>54184</u> 208420	41684	270920

29.	तहसील कुरवई	<u>23/ए-2</u> 2013-14	हिनोता	826920 वाणिज्यिक	<u>2888</u> 14438	<u>5016</u> 12540	0	1898
30.		<u>28/ए-2</u> 2013-14	केशवपुर	212550 वाणिज्यिक	<u>850</u> 4251	<u>1500</u> 3750	0	501
31.		<u>25/ए-2</u> 2013-14	कुरवई	5994975 आवासीय	<u>11990</u> 59949	<u>6688</u> 25080	5302	34869
योग							462436	1936421
महायोग							23,98,677	

संक्षिप्त रूपों की शब्दावली	
ए.सी.सी.टी	अस्सिस्टेंट कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स
ए.आर.टी.ओ	एडिशनल रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑफिसर
ए.ई.बी	एन्टी ईवेसन ब्यूरो
ए.सी.टी.ओ	अस्सिस्टेंट कॉमर्शियल टैक्स ऑफीसर
ए.ई.सी	अस्सिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर
ए.एस.आर.	एनुअल स्टेटमेन्ट ऑफ रेट्स
ए.एस.एल.आर.	अस्सिस्टेंट सुपरीटेंडेन्ट लैंड रिकार्ड
बी.एल.	बल्क लीटर
एम.व्ही.एक्ट	मोटर व्हीकल एक्ट
सी.टी.डी.	कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट
सी.टी.ओ./ए.सी.	कॉमर्शियल टैक्स ऑफीसर/अस्सिस्टेंट कमिश्नर
सी.सी.टी.	कमिश्नर ऑफ कॉमर्शियल टैक्स
सी.एस.एल.आर.	कमिश्नर, सेटलमेंट एण्ड लैंड रिकार्ड्स
सी.एस.टी.	सेंट्रल सेल्स टैक्स
सी.टी.ओ.	कॉमर्शियल टैक्स ऑफीसर
डी.ई.ओ.	डिस्ट्रीक्ट एक्साइज ऑफीसर
डी.जी.एम.	डिप्टी जनरल मैनेजर
डी.एम.ओ.	डिस्ट्रीक्ट माईनिंग ऑफीसर
डी.टी.ओ.	डिस्ट्रीक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफीसर
ई.एन.ए.	एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल
ई.डी.	इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटि
ई.डी.सी.	इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटि सेस
ई.टी.	एन्ट्री टैक्स
एच.डी.पी.ई.	हाई डेंसिटी पोलिथिलीन
आई.ए.डबल्यू.	इंटरनल ऑडिट विंग
एन.एल.आर.एम.पी.	नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेसन प्रोग्राम
एम.पी.एफ.एल.	मध्यप्रदेश फॉरेन लिकर
एम.पी.एच.बी.	मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड
एम.पी.एल.आर.सी.	मध्यप्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड
एम.पी.पी.आर.ए.	मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम
एम.पी.एल.ए.	मध्यप्रदेश लोकधन अधिनियम
पी.ए.एस.	प्रणाली एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर
पी.ओ.ए.	पॉवर ऑफ एटोर्नी
पी.आर.सी.	प्रिसिपल रेवेन्यू कमिश्नर
पी.एल.	प्रुफ लीटर

पी.एम.सी.	प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट
पी.पी.	प्लास्टिक प्रोडक्ट
टार.एफ.पी.	रीक्वेस्ट फॉर प्रॉपोसल
आर.बी.सी.	रेवेन्यू बुक रजिस्टर
आर.टी.ओस.	रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑफिसिस
एस.डी.	स्टाम्प ड्युटी
एस.डी.आर.	सीनियर डिस्ट्रीक्ट रजिस्ट्रार
एस.डी.ओ.	सब डीविजनल ऑफीसर्स
एस.एल.आर.	सुपरीटेंडेन्ट लैंड रिकार्ड
एम.डब्ल्यू.ए.	मेगा वाट
एम.डब्ल्यू.ए.	मेगा वाट एम्पियर
एस.डब्ल्यू.ए.एन.	स्टेट वाईड ऐरिया नेटवर्क
टी.ए.डब्ल्यू.	टैक्स ऑडिट विंग
टी.ए.	टैक्सेशन अथॉरिटी
टी.सी.	ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर
टी.डी.एस.	टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स
टी.आई.एन.	टैक्स आईडेन्टिफिकेशन नम्बर
व्ही.ए.टी.आई.एस.	वैल्यू ऐडेड टैक्स इनफॉर्मेशन सिस्टम
व्ही.ए.टी.	वैल्यू ऐडेड टैक्स
डब्ल्यू.पी.	वर्किंग प्लान

©
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.agmp.nic.in